ई-पुस्तिका स्वरूप में ऐतिहासिक निर्णय

छठवां संस्करण

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
ई- निर्णय पत्रिका
की प्रस्तुति

जस्ट राइट्स फ़ॉर चिल्ड्रेन अलायंस एवं अन्य...

अपीलकर्ता (गण)

बनाम

एस. हरीश एवं अन्य...

प्रतिवादी (गण)

आपराधिक अपील संख्या 2161-2162 सन् 2024 में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

(हिन्दी में अनुवादित)

ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी, ई-एचसीआर एवं आईएलआर कमेटी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा लोकार्पित

पॉक्सो – रक्षा का विधान

नन्हे मन की मुस्कानों की, यह रक्षा की दीवार है,
पॉक्सो कानून बना है, जो बच्चों का आधार है।
हर बालक हो सुरक्षित, है पहला संकल्प यही,
अत्याचार सहे न कोई, और है अभिकल्प यही।

दो हज़ार बारह में जन्मा, यह अधिनियम महान,
बच्चों की गरिमा के हित में, बना यह विधि-विधान।
शोषण चाहे शारीरिक हो, हो चाहे मानसिक आघात,
विधि के दृष्टिगत, यह अपराध है अक्षम्य विज्ञात।

गुप्त रखी जाती पहचान, न हो कोई अपमान,
पॉक्सो न्यायालय में, मिलता है सम्मान।
शीघ्र सुनवाई का वादा, विलंब नहीं सहा जाए,
दोषी को दंड मिले पूरा, न्याय शीघ्र दिया जाए।

विद्यालयों में जागरूकता, माता-पिता की चौकसी,
समाज करे सतर्क सदा, मिटे अवगुण की तामसी।
अच्छे स्पर्श-बुरे स्पर्श का, ज्ञान बने हथियार,
हर बच्चा बोल सके निडर, यही असली उपकार।

पॉक्सो केवल विधि नहीं, यह विश्वास की डोर,
बचपन को सुरक्षित रखे, हर संकट की छोर।
आओ मिलकर संकल्प करें, बचपन बचे हर ओर,
हर बालक हँसे निर्भय हो, भारत की हो नवीन भोर।

-डॉ0 अनुपम श्रीवास्तव 'अम्बर'

हमें अत्यंत गर्व है कि आज हम महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रकरण **'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन अलायंस एवं अन्य बनाम एस. हरीश एवं अन्य'** जो आपराधिक अपील संख्या 2161-2162 सन् 2024 के रूप में योजित हुई, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय **दिनांक 23.09.2024** के हिन्दी अनुवाद पर आधारित ई-पुस्तिका के विमोचन के साक्षी बन रहे हैं, जो **'ई-पुस्तिका स्वरूप में ऐतिहासिक निर्णय'** का **छठवां संस्करण** है। इस प्रकरण में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री **(CSEAM)** को देखना, डाउनलोड करना या अपने पास रखना पॉक्सो एक्ट **(POCSO Act, 2012)** और आईटी एक्ट **(IT Act, 2000)** के अंतर्गत गंभीर अपराध है, इस निर्णय ने बच्चों की सुरक्षा कानूनों को सशक्त किया है।

जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन अलायंस एवं अन्य बनाम एस. हरीश एवं अन्य' प्रकरण भारतीय न्यायिक इतिहास में एक मील का पत्थर है और इसे हम जनमानस के लिए विनम्रतापूर्वक लोकार्पित करते हैं।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की **ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी, ई-एएचसीआर एवं आईएलआर कमेटी** द्वारा संकल्पित यह संस्करण विधिक शोधकर्ताओं, अधिवक्ताओं, न्यायिक अधिकारियों एवं विधि विद्यार्थियों के लिए एक अमूल्य संदर्भ सामग्री सिद्ध होगी। यह विमोचन न केवल प्रकाशन को सशक्त बनाने का प्रयास है, अपितु न्यायिक विरासत को संरक्षित करने के साथ ही न्याय तक पहुँच को सरल, सुलभ और बहुभाषीय बनाने की दिशा में एक प्रसंशनीय कदम है। हम इस प्रयास में सहभागी विद्वानों, संपादकों एवं तकनीकी विशेषज्ञों का हार्दिक **आभार व्यक्त करते है।**

संरक्षक

माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण भंसाली

(मुख्य न्यायमूर्ति, इलाहाबाद उच्च न्यायालय)

माननीय न्यायमूर्ति

श्री अजित कुमार

अध्यक्ष

माननीय न्यायमूर्ति

श्री समीर जैन

सदस्य

माननीय न्यायमूर्ति

श्री विक्रम डी. चौहान

सदस्य

माननीय न्यायमूर्ति

श्री विवेक कुमार सिंह

सदस्य

ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइज़री, ई-एएचसीआर एवं आईएलआर कमेटी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय

"Law as a social institution to satisfy social wants - the claims and demands involved in the existence of civilized society - by giving effect to as much as we may with the least sacrifice, so far as such wants may be satisfied or such claims given effect by an ordering of human conduct through politically organized society."

- **Roscoe Pound**, ***An Introduction to the Philosophy of Law***
(Yale University Press, 1922 at page 99).

This profound theory given by Pound captures a timeless jurisprudential truth that law is a living instrument which need to get evolve with the society. It is a tool of social engineering, which is expected to respond to the changing needs of society at the earliest. It should balance different interests and help to ensure that justice is achieved with as little delay as possible. The effectiveness of law does not rest only in already written statutory texts, but also in ability to identify new kinds of harm and emerging vulnerabilities in society and find resolution either within that text through interpretation by Courts or enactment of the law by legislature.

In the contemporary era, constitutional promise of right to life and personal liberty guaranteed under Article 21 of the Constitution of India, is no longer confined to mere physical existence of the person, now it requires protection of dignity and a secure environment in virtual space as well. In this digital age, this constitutional guarantee must necessarily extend to safeguarding children from probable online harm. The

extend to safeguarding children from probable online harm. The expansion of cyberspace has fundamentally reconfigured human interaction, creating unprecedented opportunities for communication, while simultaneously generating new forms of safety issues. Among the most serious of these is the emergence of child sexual exploitative material in online environments, which is a kind of danger or harm that is less visible, beyond national borders, and often structurally difficult to trace the real accused or victim, yet devastating in consequence.

It is within this evolving technological landscape, which raises concerns regarding protection of child's rights that the landmark decision of the Supreme Court in the in *Just Rights for Children Alliance & Anr. vs S. Harish & Ors. 2024 SCC OnLine SC 2611,* (hereinafter referred as the "judgement"), assumes exceptional jurisprudential significance. The protection of child dignity in cyberspace is thus not merely a policy imperative, but a constitutional necessity one that ensures that technological progress does not come at the cost of human dignity. In recognising and reinforcing this fact, the judgment brings contemporary meaning into Article 21, affirming that digital safety is an inseparable facet of the right to life itself. The judgment reflects a decisive judicial recognition that the protection of children must extend beyond physical spaces into the digital ecosystem, where harm may be diffuse, anonymised, and transnational in character but the subjective satisfaction test could be adopted to bring justice.

It is an undeniable fact that today's children are simultaneously living in two worlds, one in real and another in virtual world. While

technology has provided them access to unlimited knowledge and useful information, due to which children cannot be kept away from virtual world, it has also exposed them to various forms of dangers that operate beyond territorial boundaries. Supreme Court has shown utmost constitutional sensitivity in this judgement while holding that neither the absence of physical proximity diminish the gravity of harm, nor the absence of identifiable victim to file report or produce evidence can dilute the legal consequences of the offence in such cases. By recognising that harm in the virtual domain is as real and injurious as harm in the physical world, the judgment bridges a critical doctrinal gap in criminal law jurisprudence. It further brings a much required clarity in the interpretation of liability under the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (hereinafter referred as "POCSO Act") and other related cyber law provisions. It clarifies while interpreting the provision that criminal culpability is not limited to the creation or dissemination of such material, but extends to its viewing, possession, downloading, and storage, recognising that each of these acts forms part of a continuous exploitative ecosystem. In doing so, the Court adopts purposive interpretation approach to interpret various provisions of POCSO Act, aligning legal responsibility with the realities of digital consumption, where harm is sustained not only by production but also by demand and engagement.

What makes this decision truly historic is its forward looking and systemic character. The Court does not merely respond to existing violations but acknowledges the structural harm on digital platforms with the technological evolution and fixed the responsibility while interpreting

the already existing relevant provisions of law and also gives directions as it underscores the obligation of the State, intermediaries, and all relevant stakeholders to ensure a safe and secure digital environment for children. In doing so, it reinforces the constitutional understanding that fundamental rights and protections are not confined by geography or medium, but extend seamlessly into cyberspace as well.

Equally significant is the Court's recognition of the need for a comprehensive enforcement architecture. The judgment strengthens the legal discourse on accountability by extending its implications beyond individual offenders to highlight legal obligations of intermediaries and digital platforms, whose infrastructures may inadvertently enable the circulation of harmful content and facilitate the amplification of the offence. At the same time, it acknowledges the profound challenges inherent in digital enforcement, the anonymity of users, the encryption of communications, the transnational nature of platforms, and the frequent difficulty in identifying both perpetrators and victims within decentralised virtual networks. These realities expose the increasing fragility of jurisdictional boundaries, demanding continuous evolution in legal and technological responses.

What makes this judgement historic is that its distinction as first such authoritative judicial pronouncements to comprehensively interpret and operationalise the prohibition of child sexual exploitative material within the digital context under the statutory regime. Importantly, the Court moves beyond declaratory interpretation to issue concrete

directions aimed at ensuring effective implementation of the law in practice.

This publication of this case notes is, therefore, significant as it represents engagement of the Court in transformative constitutional jurisprudence, where the law reasserts its foundational role as an instrument of social engineering in the fullest sense envisioned by Pound and the Court appropriately responds to it. By presenting this judgment in its simplified and shorter version, the publication contributes to awareness that how the legal system must evolve to meet the demands of an increasingly digitised society and how we all need to be conscious about our duties and perform whenever we gets the opportunity.

I request that as we engage with this publication to understand legal developments, we should also reflect upon the obligation that is imposed upon all of us in POCSO Act, and resolve to build the society in which children are protected and enabled to freely navigate in between both real and virtual worlds with dignity, safety and freedom from fear.

(Swarupama Chaturvedi)

प्राक्कथन
(हिंदी में अनुवादित)

"एक सामाजिक संस्था के रूप में विधि, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है — सभ्य समाज के अस्तित्व में निहित दावों और माँगों को — यथासंभव न्यूनतम बलिदान के साथ अधिकतम संतुष्टि प्रदान करते हुए, जहाँ तक ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति या ऐसे दावों को राजनीतिक रूप से संगठित समाज द्वारा मानव आचरण की व्यवस्था के माध्यम से प्रभावी किया जा सके।"

— रोस्को पाउण्ड, विधि के दर्शनशास्त्र का परिचय
(येल यूनिवर्सिटी प्रेस, 1922, पृष्ठ 99)

पाउण्ड द्वारा प्रतिपादित यह गहन सिद्धान्त एक शाश्वत विधिशास्त्रीय सत्य को प्रकट करता है कि विधि एक जीवन्त साधन है जिसे समाज के साथ विकसित होते रहने की आवश्यकता है। यह सामाजिक ताने - बाने की एक प्रक्रिया है, जिससे समाज की परिवर्तनशील आवश्यकताओं के प्रति यथाशीघ्र कार्य करना अपेक्षित है। इसे विभिन्न हितों में संतुलन स्थापित करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करने में सहायता करनी चाहिए कि न्याय यथासंभव न्यूनतम विलम्ब के साथ प्राप्त हो। विधि की प्रभावशीलता केवल पूर्व-लिखित वैधानिक ग्रंथों में ही निहित नहीं है, अपितु इसमें समाज में नये प्रकार की क्षतियों एवं उभरती असुरक्षाओं की पहचान करने और न्यायालयों द्वारा व्याख्या के माध्यम से उस अध्याय के भीतर अथवा विधायिका द्वारा विधि के अधिनियमन द्वारा, समाधान खोजने की क्षमता भी निहित है।

समकालीन युग में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत प्रत्याभूत जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के अधिकार का संवैधानिक संकल्प अब केवल व्यक्ति के भौतिक अस्तित्व तक सीमित नहीं रहा; अब इसके लिए आभासी क्षेत्र में भी गरिमा की सुरक्षा एवं एक सुरक्षित वातावरण की आवश्यकता है। इस डिजिटल युग में, यह संवैधानिक गारंटी अनिवार्यतः बच्चों को सम्भावित ऑनलाइन दुष्प्रभाव से सुरक्षित करने तक विस्तारित होनी चाहिए। साइबरस्पेस के विस्तार ने मानवीय अन्तःक्रिया को मूलरूप से पुनर्निर्मित किया है, जिससे संचार के अभूतपूर्व अवसरों का सृजन हुआ है, किन्तु साथ ही सुरक्षा सम्बन्धी नए प्रकार के संकट भी उत्पन्न हुए हैं। इनमें सबसे गम्भीर है ऑनलाइन परिवेश में बाल यौन शोषण सामग्री का उद्भव, जो एक ऐसा संकट या क्षति है जो कम दृश्यमान है, राष्ट्रीय सीमाओं से परे है, और प्रायः वास्तविक अभियुक्त या पीड़ित का पता लगाना संरचनात्मक रूप से कठिन है, तथापि इसके परिणाम अत्यन्त विनाशकारी हैं।

यही वह विकसित होता प्रौद्योगिकीय परिदृश्य है, जो बाल अधिकारों की सुरक्षा के सम्बन्ध में चिन्ताएँ उत्पन्न करता है, और इसी सन्दर्भ में उच्चतम न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय-Just Rights for Children Alliance एवं अन्य बनाम S. Harish एवं अन्य, 2024 SCC OnLine SC 2611 (जिसे इसके आगे "निर्णय" के रूप में

सन्दर्भित किया जाएगा) — विशेष विधिशास्त्रीय महत्त्व धारण करता है। साइबरस्पेस में बाल गरिमा की सुरक्षा केवल एक नीतिगत अनिवार्यता नहीं है, अपितु यह एक संवैधानिक आवश्यकता है — जो यह सुनिश्चित करती है कि प्रौद्योगिकीय प्रगति मानव गरिमा की कीमत पर न हो। इस तथ्य को स्वीकार और सुदृढ़ करते हुए, यह निर्णय अनुच्छेद 21 में समसामयिक अर्थ प्रस्तुत करता है, और यह पुष्टि करता है कि डिजिटल सुरक्षा जीवन के अधिकार का एक अविभाज्य पहलू है। यह निर्णय एक निर्णायिक न्यायिक मान्यता को प्रतिबिम्बित करता है कि बच्चों की सुरक्षा भौतिक संसार से आगे बढ़कर डिजिटल पारिस्थितिकी तन्त्र तक विस्तारित होनी चाहिए, जहाँ क्षति विसरित, अनामित एवं अन्तरराष्ट्रीय प्रकृति की हो सकती है, किन्तु न्याय दिलाने के लिए व्यक्तिपरक संतुष्टि परीक्षण को अंगीकृत किया जा सकता है।

यह एक अखण्डनीय तथ्य है कि आज के बच्चे एक साथ दो संसारों में जी रहे हैं — एक वास्तविक और दूसरा आभासी संसार। जबकि प्रौद्योगिकी ने उन्हें असीमित ज्ञान एवं उपयोगी सूचना तक पहुँच प्रदान की है, जिसके कारण बच्चों को आभासी संसार से दूर नहीं रखा जा सकता, इसने उन्हें खतरों के विभिन्न रूपों के प्रति भी उजागर किया है जो क्षेत्रीय सीमाओं से परे संचालित होते हैं। उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय में यह अभिनिर्धारित करते हुए सर्वोच्च संवैधानिक संवेदनशीलता प्रदर्शित की है कि न तो भौतिक निकटता की अनुपस्थिति क्षति की गम्भीरता को कम करती है, और न ही किसी पहचाने जाने योग्य पीड़ित की अनुपस्थिति — जो रिपोर्ट दर्ज करे या साक्ष्य प्रस्तुत करे — ऐसे मामलों में अपराध के विधिक परिणामों को शिथिल कर सकती है। यह मान्यता देते हुए कि आभासी क्षेत्र में क्षति भौतिक संसार में क्षति जितनी ही वास्तविक एवं हानिकारक है, यह निर्णय आपराधिक विधि न्यायशास्त्र में एक महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक अन्तराल को पाटता है। यह लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (जिसे इसके आगे "POCSO अधिनियम" के रूप में सन्दर्भित किया जाएगा) के अन्तर्गत दायित्व की व्याख्या में तथा सम्बन्धित साइबर विधि प्रावधानों में अत्यन्त आवश्यक स्पष्टता भी लाता है। यह स्पष्ट करता है कि आपराधिक दोषसिद्धि ऐसी सामग्री के सृजन या प्रसार तक सीमित नहीं है, अपितु इसे देखने, अधिकार में रखने, डाउनलोड करने और संग्रहीत करने तक विस्तारित होती है, यह स्वीकार करते हुए कि इनमें से प्रत्येक कार्य एक निरन्तर शोषणात्मक पारिस्थितिकी तन्त्र का अंग है। ऐसा करते हुए, न्यायालय POCSO अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या के लिए उद्देश्यमूलक व्याख्या के दृष्टिकोण को अपनाता है, विधिक दायित्व को डिजिटल उपभोग की वास्तविकताओं के साथ संरेखित करते हुए, जहाँ क्षति न केवल उत्पादन द्वारा, बल्कि माँग एवं सहभागिता द्वारा भी बनाए रखी जाती है।

इस निर्णय को वास्तव में ऐतिहासिक बनाने वाली बात इसका दूरदर्शी एवं व्यवस्थागत चरित्र है। न्यायालय नें केवल विद्यमान उल्लंघनों पर प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि प्रौद्योगिकीय विकास के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संरचनात्मक क्षति को स्वीकार किया है, पहले से विद्यमान विधि के सम्बन्धित प्रावधानों की व्याख्या करते हुए दायित्व निर्धारित किया है और निर्देश भी जारी किया है, क्योंकि यह राज्य, मध्यवर्तियों एवं सभी सम्बन्धित हितधारकों के इस दायित्व को रेखांकित करता है कि वे बच्चों के लिए एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण सुनिश्चित करें। ऐसा करते हुए, यह इस संवैधानिक बोध को सुदृढ़ करता है कि मौलिक अधिकार एवं संरक्षण, भौगोलिक

सीमा या किसी माध्यम द्वारा सीमित नहीं हैं, अपितु निर्बाध रूप से साइबरस्पेस तक भी विस्तारित होते हैं।

न्यायालय की यह मान्यता कि एक व्यापक प्रवर्तन ढाँचे की आवश्यकता है, समान रूप से महत्त्वपूर्ण है। यह निर्णय जवाबदेही पर विधिक विमर्श को सुदृढ़ करता है और व्यक्तिगत अपराधियों से आगे जाकर मध्यवर्तियों एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के विधिक दायित्वों को उजागर करता है, जिनका अवसंरचना अनजाने में हानिकारक सामग्री के प्रसार को सक्षम बना सकती है और अपराध के प्रसार को सुगम बना सकती है। साथ ही, यह डिजिटल प्रवर्तन में निहित गम्भीर चुनौतियों, उपयोगकर्ताओं की गुमनामी, संचार का कूटलेखन (एन्क्रिप्शन), मंच (प्लेटफॉर्म) की अन्तरराष्ट्रीय प्रकृति, और विकेन्द्रीकृत आभासी (वर्चुअल) नेटवर्क के भीतर अपराधियों एवं पीड़ितों दोनों की पहचान में बारंबार कठिनाई को स्वीकार करता है। ये वास्तविकताएँ न्यायिक क्षेत्राधिकार की सीमाओं की बढ़ती भंगुरता को उजागर करती हैं, जो विधिक एवं प्रौद्योगिकीय कार्यों में निरन्तर विकास की माँग करती हैं।

इस निर्णय को ऐतिहासिक बनाने वाली विशेषता यह है कि, यह वैधानिक शासन के अन्तर्गत डिजिटल सन्दर्भ में बाल यौन शोषण सामग्री के निषेध की व्यापक रूप से व्याख्या करने और संक्रियात्मक बनाने वाला ऐसा पहला आधिकारिक न्यायिक उद्घोषणा है। महत्त्वपूर्ण रूप से, न्यायालय नें घोषणात्मक व्याख्या से आगे बढ़कर ठोस निर्देश जारी किया है जिनका उद्देश्य व्यावहारिक रूप में विधि का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।

अतः इस वाद-टिप्पणी का प्रकाशन महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह परिवर्तनकारी संवैधानिक विधिशास्त्र में न्यायालय की सहभागिता को प्रस्तुत करता है, जहाँ विधि पाउण्ड द्वारा परिकल्पित पूर्ण अर्थ में सामाजिक ताने - बाने के एक साधन के रूप में अपनी मूलभूत भूमिका की पुनः पुष्टि करती है और न्यायालय ने उसके प्रति उचित रूप से कार्य किया है। इस निर्णय को सरल एवं संक्षिप्त संस्करण में प्रस्तुत करके, यह प्रकाशन इस जागरूकता में योगदान करता है कि विधिक प्रणाली को बढ़ते डिजिटलीकरण वाले समाज की माँगों को पूरा करने के लिए किस प्रकार विकसित होना चाहिए और हम सभी को अपने कर्तव्यों के प्रति कितना सचेत रहने की आवश्यकता है तथा जब भी अवसर मिले उनका निर्वहन करना चाहिए।

मेरा अनुरोध है कि जब हम विधिक विकास को समझने के लिए इस प्रकाशन के साथ जुड़े हों, तब हमें उस दायित्व पर भी विचार करना चाहिए जो POCSO अधिनियम के तहत हम सभी पर अधिरोपित किया गया है, और यह संकल्प लेना चाहिए कि हम ऐसे समाज का निर्माण करें जिसमें बच्चे सुरक्षित हों और वास्तविक एवं आभासी दोनों संसारों में गरिमा, सुरक्षा और भय से मुक्ति के साथ स्वतन्त्र रूप से विचरण कर सकें।

— न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी
(न्यायमूर्ति, इलाहाबाद उच्च न्यायालय)

सारांश

क. तथ्यात्मक आधार (Factual Matrix)

वर्तमान प्रकरण में, उच्चतम न्यायालय के समक्ष दो आपराधिक अपीलें — आपराधिक अपील संख्या 2161-2162 वर्ष 2024 — संस्थित की गई हैं, जो मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.01.2024 को पारित आक्षेपित आदेश को चुनौती देती हैं। उक्त आक्षेपित आदेश, मद्रास उच्च न्यायालय में क्रिमिनल ओरिजिनल पिटीशन (Crl. O.P.) संख्या 37 वर्ष 2024 में पारित किया गया था, जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 (अभियुक्त) के विरुद्ध दाखिल आरोप-पत्र एवं उससे उद्भूत आपराधिक कार्यवाही को खारिज कर दिया गया था।

अपीलार्थी संख्या 1 'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन अलायंस' पाँच विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं का समूह है जो बाल तस्करी, यौन शोषण एवं अन्य संबंधित मुद्दों पर कार्य करता है। अपीलार्थी संख्या 2 बाल अधिकार संगठन है जो बच्चों को शोषण से सुरक्षित करने हेतु कार्यरत है। ये दोनों अपीलार्थी उच्च न्यायालय में कार्यवाही के पक्षकार नहीं थे, किन्तु सार्वजनिक महत्व के गम्भीर प्रश्न के कारण उन्हें इस न्यायालय के समक्ष अपील करने की अनुज्ञा प्रदान की गई।

एफ.आई.आर. का पंजीकरण

दिनांक 29.01.2020 को अखिल-महिला पुलिस थाना, अम्बत्तूर, चेन्नई, तमिलनाडु (प्रतिवादी संख्या 3) को अतिरिक्त उपायुक्त पुलिस (महिला एवं बाल अपराध शाखा) से एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (NCRB) की साइबर टिपलाइन रिपोर्ट के आधार पर यह उल्लिखित था कि प्रतिवादी संख्या 1 (अभियुक्त हरीश) अश्लील सामग्री का सक्रिय उपभोक्ता है तथा उसने अपने मोबाइल फोन में बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री डाउनलोड की है।

इस आधार पर उसी दिन 29.01.2020 को अखिल-महिला पुलिस थाना, अम्बत्तूर, चेन्नई में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act) की धारा 67B एवं यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO) की धारा 14(1) के अंतर्गत अपराध क्रमांक 03/2020 के रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) पंजीकृत की गई।

विवेचना एवं न्यायालय विधि विज्ञान विश्लेषण रिपोर्ट

विवेचना के क्रम में प्रतिवादी संख्या 1 का मोबाइल फोन जब्त कर परीक्षण हेतु न्यायालय विधि-विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) को भेजा गया। दिनांक 22.08.2020 की कम्प्यूटर फॉरेंसिक विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार, मोबाइल फोन में दो वीडियो फाइलें — जिनमें किशोर बालकों को एक वयस्क महिला के साथ यौन क्रिया में संलिप्त दर्शाया गया था — पाई गईं। इसके अतिरिक्त, उक्त मोबाइल में 100 से अधिक अन्य अश्लील वीडियो फाइलें भी डाउनलोड एवं संग्रहित अवस्था में मिलीं।

आरोप-पत्र

विवेचना की समाप्ति पर दिनांक 19.09.2023 को प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध IT Act की धारा 67B एवं POCSO की धारा 15(1) के अंतर्गत आरोप-पत्र दाखिल किया गया। उल्लेखनीय है कि FIR में POCSO की धारा 14(1) का उल्लेख था, किन्तु FSL रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर आरोप-पत्र में इसे बदलकर धारा 15(1) कर दिया गया। इस प्रकार मामला विशेष सत्र प्रकरण संख्या 170/2023 के रूप में महिला नीति मंडरम (फास्ट ट्रैक कोर्ट), तिरुवल्लूर में लम्बित था।

ख. आक्षेपित आदेश (उच्च न्यायालय का निर्णय)

उपरोक्त आरोप-पत्र से व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या 1 ने Cr.P.C. की धारा 482 (धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS),2023) के अंतर्गत मद्रास उच्च न्यायालय में वाद को निरस्त करने हेतु याचिका (Crl. O.P. संख्या 37/2024) प्रस्तुत की।

मद्रास उच्च न्यायालय ने दिनांक 11.01.2024 को आक्षेपित आदेश पारित करते हुए याचिका स्वीकार कर ली तथा आपराधिक कार्यवाही को तीन आधारों पर खारिज किया —

मद्रास उच्च न्यायालय के तीन आधार:

- प्रथम: धारा 14(1) POCSO के अंतर्गत अपराध के लिए बच्चे का वास्तविक उपयोग आवश्यक है। मात्र वीडियो डाउनलोड करना या देखना इस धारा के अंतर्गत नहीं आता। न्यायालय ने इसे 'नैतिक पतन' की संज्ञा दी, किन्तु आपराधिक नहीं माना।
- द्वितीय: IT Act की धारा 67B के अंतर्गत दायित्व के लिए बाल यौन सामग्री का प्रकाशन, प्रेषण या सृजन आवश्यक है। मात्र डाउनलोड करना और निजी क्षेत्र में देखना इसके अंतर्गत दण्डनीय नहीं है।
- तृतीय: IPC की धारा 292 (भारतीय न्याय संहिता, BNS में धारा 294) का हवाला देते हुए उच्च न्यायालय ने (CSEAM) कि अश्लील सामग्री का निजी दर्शन अपराध नहीं है; प्रेषण या प्रकाशन के अभाव में न तो POCSO और न ही IT Act के अंतर्गत कोई अपराध बनता है।

उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि आपराधिक कार्यवाही जारी रखने से याचिकाकर्ता के भविष्य के कैरियर में बाधा उत्पन्न होगी, अतः विशेष सत्र प्रकरण संख्या 170/2023 की समस्त कार्यवाही खारिज की जाती है।

पक्षकारों के तर्क

अपीलार्थियों के तर्क (वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एच.एस. फूलका)

- POCSO की धारा 15(1) स्पष्ट रूप से बाल यौन सामग्री के डाउनलोड करने एवं न हटाने को दण्डनीय बनाती है — इसे उच्च न्यायालय ने अनदेखा किया।
- उच्च न्यायालय ने POCSO की धारा 14 (जो आरोप-पत्र में भी नहीं थी) के आधार पर निर्णय किया, धारा 15 पर विचार नहीं किया।
- IT Act की धारा 67B को धारा 67 और 67A से भिन्न रूप में, अधिक

कठोर दण्ड के साथ, बाल यौन शोषण सामग्री से निपटने हेतु 2009 में संसद द्वारा जोड़ा गया था।

- POCSO की धारा 30 के अंतर्गत अभियुक्त पर अपराध-अभिप्रायुक्त मानसिक दशा की उपधारणा लागू होती है, जिसे उच्च न्यायालय ने नजरअंदाज किया।
- NC-MEC (अमेरिका) की रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त दो वर्षों से बाल यौन सामग्री देख रहा था — यह WhatsApp के ऑटो-डाउनलोड का दावा असत्य प्रमाणित करता है।

NCPCR के तर्क (वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी)

- राज्य ने प्रारम्भ से ही धारा 15 POCSO के अंतर्गत FIR न दर्ज करके गम्भीर चूक की।
- अभियुक्त ने दो वर्षों तक बाल यौन सामग्री संग्रहित रखी और धारा 19 POCSO के अंतर्गत रिपोर्ट करने में विफल रहा।
- सोशल मीडिया प्लेटफार्म केवल NC-MEC को रिपोर्ट करते हैं, SJPU/स्थानीय पुलिस को नहीं — यह POCSO की धारा 21 के अंतर्गत दायित्व उत्पन्न करता है।
- बच्चों को इंटरनेट पर सुरक्षित वातावरण देना UNCRC के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य का दायित्व है।

प्रतिवादी संख्या 1 / अभियुक्त के तर्क (अधिवक्ता श्री प्रशान्त एस. केंजाले)

- FIR धारा 14(1) POCSO एवं धारा 67B IT Act के अंतर्गत दर्ज हुई थी, अतः उच्च न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण नहीं था।
- वीडियो फाइलों के नाम 'WA' से शुरू होते हैं जो WhatsApp ऑटो-डाउनलोड सुविधा के कारण बिना जानकारी के डाउनलोड हुए थे।
- 2019 संशोधन अधिनियम (जिसने वर्तमान धारा 15 को त्रि-विभाजित किया) उस समय लागू नहीं था जब वीडियो संग्रहित किए गए थे।
- अभियुक्त को कानून की जानकारी नहीं थी (Chandi Kumar Das Karmarkar एवं Motilal Padampat Sugar Mills के निर्णयों का संदर्भ)।

राज्य (प्रतिवादी 2 और 3) के तर्क (अधिवक्ता श्री डी. कुमानन)

- उच्च न्यायालय ने FIR में उल्लिखित धारा 14 को आधार बनाया जबकि आरोप-पत्र में धारा 15(1) दर्ज थी — यह मूलभूत भूल है।
- धारा 30 POCSO के अंतर्गत अपराध-अभिप्रायुक्त मानसिक दशा की उपधारणा लागू होती है।
- अभियुक्त ने स्वयं स्वीकार किया था कि वह मित्रों के साथ मिलकर अश्लील सामग्री देखता था — इससे स्पष्ट है कि सामग्री साझा करने का आशय था।
- आरोप-पत्र एवं FSL रिपोर्ट में प्रथम दृष्ट्या अपराध प्रकट होता है, अतः खारिजी अनुचित थी।

घ. विचारणीय प्रश्न

उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित विधिक प्रश्न विचारणार्थ निर्धारित किए:

1. **POCSO की धारा 15 का परिक्षेत्र क्या है? धारा 15(1), 15(2) एवं 15(3) में परस्पर क्या भेद है?**

2. **क्या बाल यौन सामग्री का मात्र दर्शन, अधिकार या भण्डारण POCSO के अंतर्गत दण्डनीय है?**
3. **IT Act की धारा 67B का वास्तविक परिक्षेत्र क्या है?**
4. **POCSO की धारा 30 का परिक्षेत्र क्या है? धारा 15 के अंतर्गत अपराध-अभिप्रायुक्त मानसिक दशा की उपधारणा आकर्षित करने हेतु कौन से आधारभूत तथ्य आवश्यक हैं?**
5. **क्या धारा 30 POCSO की उपधारणा केवल विचारण के दौरान विशेष न्यायालय द्वारा आहूत की जा सकती है, अथवा उच्च न्यायालय भी Cr.P.C. की धारा 482 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS,2023 की धारा 528) के अंतर्गत खारिजी याचिका में इसे आहूत कर सकता है?**

ङ. विधिक विश्लेषण एवं विमर्श

POCSO की विधायी पृष्ठभूमि एवं योजना

POCSO अधिनियम, 2012 संसद द्वारा बच्चों को यौन शोषण, यौन उत्पीड़न एवं अश्लीलता से सुरक्षित करने तथा ऐसे अपराधों के विचारण हेतु विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया था। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(3) एवं 39(f) तथा बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCRC), जिसे भारत ने 11 दिसम्बर 1992 को अनुसमर्थित किया था, के अनुपालन में अधिनियमित किया गया है।

POCSO से पूर्व, भारतीय दण्ड संहिता (IPC) में बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों से सम्बंधित विशेष प्रावधान नहीं थे — वयस्क एवं बाल पीड़ितों में कोई विभेद नहीं किया गया था। इस अधिनियम द्वारा बाल-हितैषी प्रक्रिया, कैमरा में विचारण, विशेष न्यायालय, तथा प्रत्येक न्यायिक स्तर पर बच्चे के सर्वोत्तम हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान किया गया।

2019 संशोधन अधिनियम (POCSO Amendment Act, 2019) द्वारा 'बाल अश्लीलता' (Child Pornography) को परिभाषित किया गया [धारा 2(1)(da)] तथा धारा 15 को पुनः संरचित कर तीन स्वतंत्र अपराध निर्मित किए गए।

POCSO की धारा 15 — त्रि-विभाजित दण्डनीय अपराध

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 15 के अंतर्गत तीन स्वतंत्र एवं परस्पर अनन्य अपराध हैं जो बाल यौन सामग्री के भण्डारण/अधिकार पर आधारित हैं:

उप-धारा	अपराध की प्रकृति	दण्ड
15(1)	बाल अश्लील सामग्री का भण्डारण/अधिकार जब आरोपी उसे साझा या प्रेषित करने के आशय से हटाने, नष्ट करने या रिपोर्ट करने में विफल रहे।	प्रथम अपराध: न्यूनतम ₹5,000/- का जुर्माना; द्वितीय/पश्चातवर्ती अपराध: न्यूनतम ₹10,000/- जुर्माना।
15(2)	बाल अश्लील सामग्री का भण्डारण/अधिकार प्रेषण, प्रसार, प्रदर्शन या वितरण के प्रयोजन से (रिपोर्टिंग या साक्ष्य के अतिरिक्त)	3 वर्ष तक कारावास, जुर्माना, या दोनों।
15(3)	वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु बाल अश्लील सामग्री का भण्डारण/अधिकार।	प्रथम दोषसिद्धि: न्यूनतम 3 वर्ष से अधिकतम 5 वर्ष कारावास तथा जुर्माना। द्वितीय/पश्चातवर्ती दोषसिद्धि: न्यूनतम 5 वर्ष से अधिकतम 7 वर्ष कारावास तथा जुर्माना।

अपूर्ण/प्रारम्भिक अपराध (Inchoate Crime) की अवधारणा

उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 15 प्रकृति में 'इंकोएट अपराध' (Inchoate Offence/प्रारम्भिक अपराध) है। इसका अर्थ यह है कि इस प्रावधान के अंतर्गत वास्तविक प्रेषण या प्रकाशन की कोई आवश्यकता नहीं है; दण्डनीय कृत्य वह भण्डारण या अधिकार है जो एक विशिष्ट आशय (जैसे साझा करने, प्रेषण या वाणिज्यिक उपयोग) के साथ किया जाए।

जिस प्रकार विस्फोटक पदार्थ का अधिकार रखना उसके प्रयोग से पहले ही दण्डनीय है — उसी प्रकार बाल यौन सामग्री का भण्डारण विशिष्ट आशय के साथ स्वतः दण्डनीय है, भले ही उसे अभी तक साझा न किया गया हो।

'अधिकार' एवं 'रचनात्मक अधिकार' की अवधारणा

न्यायालय ने 'अधिकार' (Possession) की व्यापक परिभाषा की। इसमें 'रचनात्मक अधिकार' (Constructive Possession) भी सम्मिलित है — अर्थात् इंटरनेट पर बाल यौन सामग्री देखना या प्रदर्शित करना, भले ही कोई भौतिक/डिजिटल डिवाइस में संग्रहित न हो, 'अधिकार' के समतुल्य माना जाएगा यदि व्यक्ति उस सामग्री पर नियंत्रण रखता हो।

विभिन्न उच्च न्यायालयों के परस्पर-विरोधी मत

न्यायालय ने धारा 15 POCSO एवं धारा 67B IT Act की व्याख्या पर देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के परस्पर-विरोधी निर्णयों का उल्लेख किया:

उच्च न्यायालय	धारा 15 POCSO / धारा 67B IT Act पर विचार	निर्णय
मद्रास उच्च न्यायालय (आक्षेपित आदेश)	मात्र देखना/डाउनलोड करना, प्रेषण/प्रकाशन के बिना, धारा 67B या POCSO के अंतर्गत अपराध नहीं है।	आपराधिक कार्यवाही खारिज।
केरल उच्च न्यायालय (Shantheeshlal)	धारा 15(1) के लिए वास्तविक प्रेषण आवश्यक; मात्र भण्डारण पर्याप्त नहीं।	कार्यवाही खारिज।
बम्बई उच्च न्यायालय (Lakshya)	धारा 15(1) और (2) के अंतर्गत भण्डारण और विफलता हटाने/रिपोर्ट की कार्रवाई दण्डनीय है; निर्माता होना आवश्यक नहीं।	डिस्चार्ज अर्जी खारिज।
मद्रास उच्च न्यायालय (P.G. Sam Infant)	बाल अश्लीलता का दर्शन भी धारा 67B के अंतर्गत अपराध है।	अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त।
केरल उच्च न्यायालय (Ajin Surendran)	धारा 15 और 67B(b) दोनों लागू होती हैं जब भण्डारण प्रमाणित हो।	खारिजी का अधिकार नहीं।

IT Act की धारा 67B — परिक्षेत्र एवं व्याख्या

IT Act की धारा 67B एक व्यापक प्रावधान है जिसके अंतर्गत दण्डनीय कृत्यों में सम्मिलित हैं:

- (a) बच्चों की यौन क्रियाओं को दर्शाने वाली इलेक्ट्रॉनिक सामग्री का प्रकाशन या प्रेषण
- (b) टेक्स्ट या डिजिटल छवियाँ बनाना, एकत्र करना, खोजना, ब्राउज़ करना, डाउनलोड करना, विज्ञापन देना, प्रोत्साहित करना, आदान-प्रदान करना या वितरित करना
- (c) बच्चों को यौन कृत्यों हेतु ऑनलाइन संबंध बनाने के लिए प्रेरित/प्रलोभन देना
- (d) ऑनलाइन बच्चों के दुरुपयोग को सुविधाजनक बनाना
- (e) बच्चों के साथ यौन कृत्य का इलेक्ट्रॉनिक रूप में अभिलेखन

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 67B(b) के अंतर्गत 'ब्राउज़ करना' और 'डाउनलोड करना' भी स्वतंत्र रूप से दण्डनीय हैं। IT Act की धाराएँ 67, 67A और 67B एक पूर्ण संहिता हैं जिनकी उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की जानी चाहिए।

धारा 30 POCSO — अपराध-अभिप्रायुक्त मानसिक दशा की उपधारणा

POCSO की धारा 30 यह उपधारणा स्थापित करती है कि जहाँ किसी अपराध के लिए अपराध-अभिप्रायुक्त मानसिक दशा (Culpable Mental State) आवश्यक हो, वहाँ विशेष न्यायालय ऐसी मानसिक दशा के अस्तित्व की उपधारणा करेगी। इसे खण्डित करने का भार अभियुक्त पर है, जिसे उचित संदेह से परे साबित करना

होगा।

'आधारभूत तथ्य' (Foundational Facts) का सिद्धान्त: उपधारणा आकर्षित करने से पूर्व अभियोजन पक्ष को 'आधारभूत तथ्य' अर्थात् वह कृत्य जो अपराध का शारीरिक तत्व (Actus Reus) है, सन्देह से परे प्रमाणित करना होगा। इसके पश्चात् मानसिक तत्व (Mens Rea) की उपधारणा लागू होगी।

धारा 15(1) के लिए आधारभूत तथ्य: भण्डारण/अधिकार का अस्तित्व एवं हटाने/नष्ट करने/रिपोर्ट करने में विफलता – इतने मात्र से उपधारणा लागू होगी।

क्या धारा 30 की उपधारणा खारिजी कार्यवाही में भी लागू होती है?
उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 30 की उपधारणा विचारण (Trial) तक ही सीमित नहीं है। उच्च न्यायालय को Cr.P.C. की धारा 482 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 528) के अंतर्गत खारिजी याचिका पर विचार करते समय भी इस उपधारणा पर ध्यान देना चाहिए। उपधारणा की अनदेखी करके खारिजी आदेश पारित करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। [State of M.P. v. Harsh Gupta, Prakash Nath Khanna v. CIT, Rathis Babu Unnikrishnan v. State (Govt. of NCT of Delhi)]

अज्ञानता का बचाव (Plea of Ignorance of Law)
अभियुक्त ने Chandi Kumar Das Karmarkar एवं Motilal Padampat Sugar Mills के निर्णयों का आश्रय लेते हुए कानूनी अज्ञानता का बचाव प्रस्तुत किया। न्यायालय ने इसे अस्वीकार करते हुए निम्नलिखित चार-सूत्रीय परीक्षण निर्धारित किया:

- किसी कानून की अज्ञानता या अनभिज्ञता हो;
- ऐसी अज्ञानता से एक वैध एवं उचित अधिकार या दावे का विश्वास उत्पन्न हो;
- ऐसे अधिकार या दावे का सद्भावनापूर्वक विश्वास किया जाए; तथा
- दण्डनीय कृत्य उसी अधिकार या दावे के आधार पर किया जाए।

न्यायालय ने कहा कि बाल यौन सामग्री का भण्डारण किसी भी 'अधिकार' से नहीं जोड़ा जा सकता। यहाँ चारों शर्तें पूरी नहीं होतीं। सामान्य विवेकशील व्यक्ति को बाल यौन सामग्री संग्रहित करने का कोई अधिकार होने का भ्रम नहीं हो सकता। अतः अज्ञानता का बचाव निरस्त।

च. वर्तमान प्रकरण में उच्च न्यायालय द्वारा निरस्तीकरण के आधार वा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनकी समीक्षा
उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित घोर त्रुटियाँ कीं:

- **धारा 14 पर आधारित निर्णय किया जबकि आरोप-पत्र में धारा 15(1) उल्लिखित था — आरोप-पत्र दाखिल होने के बाद FIR का महत्व गौण हो जाता है।**
- **धारा 15 POCSO की सम्पूर्ण अनदेखी की।**
- **धारा 30 की उपधारणा का विचार नहीं किया।**
- **खारिजी कार्यवाही में मिनी-ट्रायल आयोजित किया जो न्यायोचित नहीं था।**
- **अनुसंधान के दौरान FSL रिपोर्ट में दो बाल यौन शोषण वीडियो पाए गए —प्रथम दृष्ट्या यह मामला प्रमाणित होता है।**

चूँकि FIR दर्ज होने के समय 2019 संशोधन लागू था और उस समय भी दोनों वीडियो अभियुक्त के फोन में संग्रहित थे — अतः धारा 15(1) की प्रयोज्यता पर कोई संदेह नहीं था।

छ. न्यायालय के महत्वपूर्ण सुझाव (Recommendation)

शब्दावली परिवर्तन — 'बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार सामग्री' (CSEAM)

न्यायालय ने निर्देश दिया कि 'बाल अश्लीलता' (Child Pornography) शब्द का उपयोग न्यायिक आदेशों एवं निर्णयों में नहीं किया जाएगा। इसके स्थान पर 'बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार सामग्री' (Child Sexual Exploitation and Abuse Material — CSEAM) शब्द का उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह शब्द इन अपराधों की वास्तविक प्रकृति को सटीक रूप से अभिव्यक्त करता है।

संसद/भारत संघ को सुझाव (Recommendation)

- POCSO में 'Child Pornography' शब्द को 'CSEAM' से प्रतिस्थापित करने हेतु संशोधन किया जाए।
- धारा 15(1) POCSO के अंतर्गत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रिपोर्टिंग सुगम बनाई जाए।
- व्यापक यौन शिक्षा कार्यक्रम लागू किए जाएँ जिनमें सहमति, स्वस्थ संबंध, लैंगिक समानता एवं कानूनी परिणामों की जानकारी शामिल हो।
- पीड़ित बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श एवं पुनर्वास सेवाएँ सुनिश्चित की जाएँ।
- विशेषज्ञ समिति गठित की जाए जो बाल सुरक्षा, यौन स्वास्थ्य एवं POCSO के प्रति जागरूकता हेतु व्यापक
  कार्यक्रम तैयार करे।
- समस्याग्रस्त यौन व्यवहार (PSB) वाले बच्चों/युवाओं की समय पर पहचान एवं हस्तक्षेप की योजना बनाई जाए।

सोशल मीडिया मध्यवर्तियों (Intermediaries) को निर्देश

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया मध्यवर्ती (जैसे WhatsApp, Facebook, Telegram) केवल NC-MEC को रिपोर्ट करने से अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। POCSO की धारा 19 एवं 20 तथा POCSO

नियमावली 2020 के नियम 11 के अंतर्गत उन्हें सम्बंधित पुलिस इकाइयों को भी अविलम्ब रिपोर्ट करनी होगी।

IT Act की धारा 79 के अंतर्गत 'सेफ हार्बर' सुरक्षा तभी उपलब्ध होगी जब मध्यवर्ती POCSO की अनिवार्य रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का पालन करें। POCSO की धारा 42A के अनुसार, POCSO के प्रावधान अन्य सभी कानूनों पर अध्यारोहण (overriding effect) रखते हैं।

बाल यौन शोषण सामग्री का पीड़ितों पर प्रभाव

न्यायालय ने CSEAM के दीर्घकालिक प्रभावों पर विस्तृत टिप्पणी की:

- पीड़ित बच्चे की पीड़ा — यौन शोषण के कृत्य से आरम्भ होकर — उस कृत्य के अभिलेखन एवं वितरण के माध्यम से अनन्त काल तक जारी रहती है।
- प्रत्येक बार सामग्री देखे जाने पर बच्चे के गरिमा एवं अधिकारों का नया उल्लंघन होता है।
- पीड़ित अवसाद, चिन्ता, पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, सामाजिक अलगाव एवं शैक्षणिक-आर्थिक कठिनाइयों से ग्रस्त होते हैं।
- CSEAM की माँग और उत्पादन परस्पर-अभिप्रेरणा देते हैं — उपभोग से उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है।

ज. उच्चतम न्यायालय के निष्कर्षों का सारांश

- धारा 15 POCSO तीन स्वतंत्र इंकोएट अपराधों को दण्डनीय बनाती है जिनमें वास्तविक प्रेषण की आवश्यकता नहीं
- धारा 15(1) उस विफलता को दण्डित करती है जिसमें व्यक्ति बाल यौन सामग्री संग्रहित रखे और उसे साझा/प्रेषित करने के आशय से हटाने/रिपोर्ट करने से चूके।
- धारा 15(2) वास्तविक प्रेषण/प्रसार और ऐसे प्रसार को सुगम बनाने वाली क्रियाओं को दण्डित करती है।
- धारा 15(3) वाणिज्यिक प्रयोजन से भण्डारण/अधिकार को दण्डित करती है।
- ये तीनों उप-धाराएँ परस्पर अनन्य हैं — एक ही तथ्य-समुच्चय पर एक साथ लागू नहीं होतीं
- यदि एक उप-धारा लागू न हो तो अन्य उप-धाराओं की जाँच की जानी चाहिए।
- इंटरनेट पर बाल यौन सामग्री देखना भी 'रचनात्मक अधिकार' (Constructive Possession) के सिद्धान्त पर धारा 15 में 'अधिकार' के समतुल्य है।
- कोई भी दृश्य-निरूपण जिसे एक सामान्य विवेकशील व्यक्ति बच्चे को यौन कृत्य में दर्शाने वाला माने, वह 'बाल यौन शोषण सामग्री' (CSEAM) की परिभाषा में आएगा।
- IT Act की धारा 67B व्यापक रूप से बाल यौन शोषण के सभी इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपों को दण्डित करती है, जिसमें ब्राउज़िंग एवं डाउनलोडिंग भी सम्मिलित है।
- धारा 30 POCSO की उपधारणा किसी भी प्रकरण में लागू होती है जिसमें POCSO के अंतर्गत अपराध शामिल हो — खारिजी याचिका में भी।-उपधारणा आकर्षित करने से पूर्व आधारभूत तथ्य अभियोजन द्वारा स्थापित करने होंगे।

- धारा 30 की उपधारणा केवल विचारण न्यायालय तक सीमित नहीं; उच्च न्यायालय को भी खारिजी याचिका में इसे ध्यान में रखना होगा।

झ. अन्तिम आदेश

उपरोक्त सम्पूर्ण विश्लेषण के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने –

- मद्रास उच्च न्यायालय का दिनांक 11.01.2024 का आक्षेपित आदेश निरस्त एवं अपास्त किया।
- विशेष सत्र प्रकरण संख्या 170/2023 को महिला नीति मंडरम (फास्ट ट्रैक कोर्ट), तिरुवल्लूर जिला में पुनर्स्थापित किया।
- न्यायालय रजिस्ट्री को इस निर्णय की प्रतिलिपि विधि और न्याय मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रधान सचिव को भेजने का निर्देश दिया।
- सभी लम्बित आवेदन निस्तारित।

बच्चों के विरुद्ध अपराध – सांख्यिकीय विश्लेषण

मूल स्रोत: राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (NCRB) – जैसा कि प्रस्तुत निर्णय के वस्तु एवं कारण कथन तथा 2019 संशोधन अधिनियम के वस्तु एवं कारण कथन में उद्धृत है।

(2019 POCSO संशोधन अधिनियम के वस्तु एवं कारण कथन पैरा 3 में NCRB वार्षिक रिपोर्ट 2016 के आँकड़े उद्धृत किए गए हैं।)

निर्णय में उल्लिखित NCRB आँकड़ों के अनुसार POCSO के अंतर्गत पंजीकृत मामलों में निम्नलिखित वृद्धि दर्ज की गई:

वर्ष की तुलना	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर	संदर्भ	स्रोत
2013 बनाम 2012	44.7%	POCSO लागू होने के बाद प्रथम वर्ष की वृद्धि	NCRB वार्षिक रिपोर्ट (2019 POCSO संशोधन के वस्तु एवं कारण कथन में उद्धृत)

2014 बनाम 2013	178.6%	2014 में मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि	NCRB वार्षिक रिपोर्ट (2019 POCSO संशोधन के वस्तु एवं कारण कथन में उद्धृत)
2014 के पश्चात्	लगातार वृद्धि; कोई गिरावट नहीं	सतत् ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति	NCRB वार्षिक रिपोर्ट (निर्णय में उद्धृत)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि POCSO अधिनियमित होने के बाद 2013 में 44.7% और 2014 में 178.6% की असाधारण वृद्धि दर्ज हुई। यह आंशिक रूप से बेहतर रिपोर्टिंग तथा जागरूकता के कारण थी, परन्तु वास्तविक घटनाओं में वृद्धि भी इसका कारण था। 2019 के संशोधन का मुख्य उद्देश्य इस सतत् वृद्धि को रोकने हेतु दण्ड को अधिक कठोर बनाना था।

महत्वपूर्ण निर्देश / सुझाव -

(i) संसद को "बाल पोर्नोग्राफी" शब्द के स्थान पर "बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री" (सीएसईएएम) शब्द रखने के उद्देश्य से पॉक्सो में संशोधन लाने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए ताकि ऐसे अपराधों की वास्तविकता को और अधिक सटीक रूप से दर्शाया जा सके। इस बीच, भारत संघ एक अध्यादेश के माध्यम से पॉक्सो में सुझाए गए संशोधन को लागू करने पर विचार कर सकता है।

(ii) हम अदालतों को निर्देशित करते हैं कि किसी भी न्यायिक आदेश या निर्णय में "बाल अश्लीलता" शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके बजाय "बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री" (सीएसईएएम) शब्द का उपयोग किया जाना चाहिए।

(iii) व्यापक यौन शिक्षा कार्यक्रमों को लागू करना, जिसमें बाल अश्लीलता के कानूनी और नैतिक परिणामों के बारे में जानकारी शामिल हो, संभावित अपराधियों को रोकने में मदद कर सकता है। इन कार्यक्रमों को आम भ्रांतियों को दूर करना चाहिए और युवाओं को सहमति और शोषण के प्रभाव की स्पष्ट समझ प्रदान करनी चाहिए।

(iv) पीड़ितों को सहायता सेवाएँ और अपराधियों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम प्रदान करना आवश्यक है। इन सेवाओं में मनोवैज्ञानिक परामर्श, चिकित्सीय हस्तक्षेप और शैक्षिक सहायता शामिल होनी चाहिए ताकि

अंतर्निहित समस्याओं का समाधान किया जा सके और स्वस्थ विकास को बढ़ावा दिया जा सके। जो लोग पहले से ही बाल पोर्नोग्राफ़ी देखने या वितरित करने में शामिल हैं, उनके लिए सीबीटी उन संज्ञानात्मक विकृतियों को दूर करने में कारगर साबित हुआ है जो इस तरह के व्यवहार को बढ़ावा देती हैं। चिकित्सा कार्यक्रमों का ध्यान सहानुभूति विकसित करने, पीड़ितों को हुए नुकसान को समझने और स्याग्रस्तविचार पैटर्न को बदलने पर होना चाहिए।

(v) सार्वजनिक अभियानों के माध्यम से बाल यौन शोषण सामग्री की वास्तविकताओं और उसके परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने से इसकी व्यापकता को कम करने में मदद मिल सकती है। इन अभियानों का उद्देश्य रिपोर्टिंग को कलंकमुक्त करना और सामुदायिक सतर्कता को प्रोत्साहित करना होना चाहिए।

(vi) जोखिम वाले व्यक्तियों की शीघ्र पहचान करना तथा समस्याग्रस्त यौन व्यवहार (पीएसबी) वाले युवाओं के लिए हस्तक्षेप रणनीतियों को लागू करना, इसमें कई चरण शामिल हैं तथा इसके लिए शिक्षकों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, कानून प्रवर्तन और बाल कल्याण सेवाओं सहित विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वित प्रयास की आवश्यकता होती है। शिक्षकों, स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों को पीएसबी के लक्षणों की पहचान करने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जागरूकता कार्यक्रम इन पेशेवरों को प्रारंभिक चेतावनी संकेतों को पहचानने और उचित प्रतिक्रिया देने में मदद कर सकते हैं।

(vii) स्कूल भी प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्कूल-आधारित कार्यक्रमों को लागू करना जो छात्रों को स्वस्थ संबंधों, सहमति और उचित व्यवहार के बारे में शिक्षित करते हैं, यौन शोषण को रोकने में मदद कर सकते हैं।

(viii) उपरोक्त सुझावों को सार्थक रूप देने और आवश्यक तौर-तरीकों पर काम करने के लिए, भारत संघ एक विशेषज्ञ समिति के गठन पर विचार कर सकता है जिसका कार्य स्वास्थ्य और यौन शिक्षा के लिए एक व्यापक कार्यक्रम या तंत्र तैयार करना, साथ ही देश भर के बच्चों में कम उम्र से ही पॉक्सो के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, ताकि बाल संरक्षण, शिक्षा और यौन कल्याण के लिए एक मजबूत और सुविचारित दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सके।

(ix) हम संसद से पॉक्सो की धारा 15 की उपधारा (1) में संशोधन पर विचार करने का आग्रह करते हैं ताकि उक्त प्रावधान के प्रयोजनार्थ, निर्दिष्ट प्राधिकारियों को यौन शोषण के संग्रहण या कब्जे की किसी भी घटना की ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रिपोर्ट करना आम जनता के लिए अधिक सुविधाजनक हो सके।

सुझाव का स्रोत :- मूल निर्णय दिनांक: 23 सितम्बर, 2024

सोत / Source: राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (NCRB), जैसा कि POCSO संगोधन अधिनियम 2019 के वस्तु एवं कारण कथन (पैरा 3) तथा उच्चतम न्यायालक के निर्यर्ण 2024 INSC 716 में उद्धुधुत

National Crime Records Bureau (NCRB), as cited in Statement of Objects and Reasons of the POCSO Amendment Act 2019 (Para 3) and Supreme Court Judgment 2024 INSC 716

2013 बनाम 2012	2014 बनाम 2013	2014 के पश्चात्
+44.7%	+178.6%	सतत् ↑
प्रथम वर्ष वृद्धि दर	अभूतपूर्व वृद्धि	कोई गिरावट नहीं

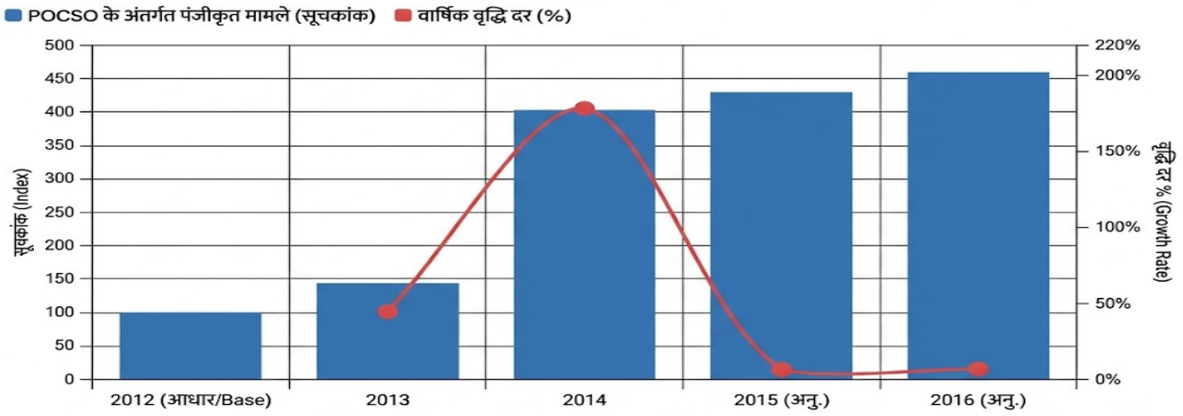

** सूचकांक मान: 2012 = 100 आधार वर्ष | NCRB रिपोर्ट 2016 में उल्लिखित वृद्धि दरों पर आधारित अनुमान | 2015-2016 हेतु NCRB द्वारा "कोई गिरावट नहीं" उवृधुत | Index values: base year 2012 = 100. Estimated from growth rates cited in NCRB 2016 Report. For 2015-16, NCRB cited "no decline" in numbers.*

अस्वीकरण

ई- पुस्तिका मे प्रकाशित निर्णय को ए.आई. तकनीक का प्रयोग कर अनुवादित किया गया है।

अनुवादित संस्करण में पूर्ण एवं उचित जानकारी प्रदान करने के लिए सतर्कता और सावधानी बरती गई है। फिर भी, गलत या अशुद्ध अनुवाद अथवा अनुवादित निर्णय की अंतर्वस्तु में, किसी भी त्रुटि, चूक या विसंगति के लिए उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं उसकी लखनऊ खंडपीठ की रजिस्ट्री/ सुवास प्रकोष्ठ उत्तरदायी नहीं होगा ।

मूल निर्णय स्त्रोत :
https://api.sci.gov.in/supremecourt/2024/8562/8562_2024_1_1501_56073_Judgement_23-Sep-2024.pdf

आपराधिक अपील सं. 2161-2162 वर्ष 2024
(विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) सं. 3665-3666 वर्ष 2024 से उत्पन्न)

जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन अलाइंस एवं अन्य... अपीलकर्ता (गण)
बनाम
एस. हरीश एवं अन्य ... प्रतिवादी (गण)

माननीय न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला:

1. चूंकि दोनों अपीलों में उठाए गए बिन्दु एक जैसे हैं और चुनौती भी उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक ही निर्णय व आदेश को दी गई है, इसलिए उन्हें एक साथ सुनकर, उनका निस्तारण इस समान निर्णय व आदेश के द्वारा किया जा रहा है।

2. वर्तमान अपीलें, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, "दं.प्र.सं.") की धारा 482 के अधीन यहाँ प्रतिवादी सं.-1 (अभियुक्त) द्वारा योजित आपराधिक मूल याचिका सं.-37/2024 में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व आदेश दिनांक 11.01.2024 ("आक्षेपित आदेश") से उत्पन्न हुई हैं, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार किया और प्र.सू.रि. सं.-03/2020, थाना अंबत्तूर, चेन्नई से उत्पन्न व सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (संक्षेप में, "आईटी अधिनियम") की धारा 67ख और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (संक्षेप में, "पॉक्सो") की धारा 15 (1) के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दायर आरोप-पत्र दिनांक 19.09.2023 को खंडित कर दिया। परिणामस्वरूप, विशेष सत्र वाद सं.-170/2023 में आपराधिक कार्यवाही समाप्त हो गई।

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां अपीलकर्ता सं.-1, 'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस', पांच अलग-अलग गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) का एक समूह है, जो बाल तस्करी, यौन शोषण और अन्य संबद्ध कारणों के विरुद्ध एकजुट होकर काम करते हैं। जबकि अपीलकर्ता सं.-2 एक बाल अधिकार संगठन है, जो बच्चों को शोषण से बचाने की दिशा में काम कर रहा है और उपरोक्त समूह के भागीदार एनजीओ में से एक है। वर्तमान अपीलकर्तागण उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में पक्षकार नहीं थे। हालांकि, मामले में शामिल सार्वजनिक महत्व के गंभीर बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को चुनौती देने के लिए इस न्यायालय से अनुमति मांगी। प्रतिवादी सं.-2 व 3 क्रमशः तमिलनाडु राज्य और पुलिस निरीक्षक, ऑल वुमेन्स पुलिस स्टेशन अंबत्तूर, चेन्नई हैं।

क. तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

4. 29.01.2020 को, ऑल वुमेन्स पुलिस स्टेशन अंबत्तूर, चेन्नई, तमिलनाडु यानी प्रतिवादी सं.-3 को अपर पुलिस उपायुक्त (महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध शाखा)

से एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उल्लेख किया गया था कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की साइबर टिपलाइन रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिवादी सं.-1 पोर्नोग्राफी का एक सक्रिय उपभोक्ता है और उसने कथित तौर पर अपने मोबाइल फोन में बच्चों से संबंधित अश्लील (पोर्नोग्राफिक) सामग्री डाउनलोड की है।

5. तदनुसार, उपरोक्त पत्र के दृष्टिगत उसी दिन अर्थात् 29.01.2020 को ऑल-वुमेन्स पुलिस स्टेशन अंबत्तूर, चेन्नई, तमिलनाडु में प्रतिवादी सं.-1 के विरुद्ध आईटी अधिनियम की धारा 67ख और पॉक्सो की धारा 14 (1) के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अपराध सं.-03/2020 के रूप में एक प्र.सू.रि. दर्ज की गई थी। प्र.सू.रि. का प्रासंगिक अंश इस प्रकार है:-

"आज 29.01.2020 को दोपहर 12.00 बजे, मैं, डब्लू28, ऑल-वुमेन्स पुलिस स्टेशन की निरीक्षक, ड्यूटी पर थी, मुझे तिरुमति एस. मेगालिना, अपर पुलिस उपायुक्त, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध रोकथाम प्रभाग, चेन्नई, पश्चिम क्षेत्र से दिनांक 28.01.2020 का पत्र आरसी सं.-03/एडीसी सीडब्लूसी/वेस्ट/कैंप/2020 प्राप्त हुआ।

इसके परिशीलन पर, इसमें 4 संदर्भों का उल्लेख किया गया था।
संदर्भ: 1. डीओ पत्रांक सं.-05/एडीजीपी-सीडब्लूसी/एनसीएमईसी/2020
2. सी सं.-30/सीओपी/सीओ/2020
3. आरसी सं.-228 VIII/डीसी सीडब्लूसी/जनरल/2020 (सीटीआर सं. 49303278)
4. आरसी सं.-68 /जेएपीयू–ii/एनसीएमईसी/2020
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा निर्गत सीटीआर सं.-49303278 के अनुसार, यह पाया गया है कि हैरिस, निवासी द्वार सं.-2, प्रथम मुख्य मार्ग, वीपीसी नगर, कल्लिकुप्पम, अंबत्तूर, मोबाइल सं.-99406 87836, पिछले दो वर्षों से अधिक समय से बाल अश्लील फिल्में देख रहा है।

शोषित बच्चों, लापता बच्चों का उपयोग करके बनाई गई बाल अश्लील (पोर्नोग्राफिक) फिल्मों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की गई है, और लापता बच्चों को देखने वाले केंद्रों से जानकारी एकत्र की गई है और उन लोगों के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई है जिन्होंने ऐसी बाल अश्लील फिल्में डाउनलोड की हैं। जब उन नोटिसों का परिशीलन किया गया, तो पाया गया कि उपरोक्त व्यक्ति ने यौन गतिविधियों में शामिल होने के उद्देश्य से उन फिल्मों को पुरानी साइट आईडी KALLI/OLD/Chm ID-CHM2307 के माध्यम से डाउनलोड किया था और ये फिल्में, इस क्षेत्र में बच्चों का शोषण करके 'गोपालसामी, सं.-2, गंगई अम्मन कोविल तीसरा मुख्य मार्ग, कल्लिकुप्पम, अंबत्तूर' के पते पर बनाई गई थीं। चूंकि यह गन्दी गतिविधि अच्छी सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध अपराध है, इसलिए उक्त व्यक्ति के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया था और इसलिए, अपराध सं. 03/2020 धारा 67ख आईटी अधिनियम सपठित धारा 14(1) पॉक्सो अधिनियम 2012 के अन्तर्गत दर्ज किया गया था और विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट के संबंधित न्यायालय में मूल प्र.सू.रि. भेज दी गई है और बिना किसी देरी के संबंधित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतियां भेज दी गई हैं और अन्वेषण शुरू कर दी गई है।

13. कृत कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से तालिका/मद सं. 2 में उल्लिखित धारा, के अधीन अपराध का पता चलता है, इसलिए मामला दर्ज कर अन्वेषण शुरू कर दी गई है।

परिवादी/सूचनादाता को प्र.सू.रि. पढ़कर सुनाई गई, यह स्वीकार किया गया कि इसे सही ढंग से दर्ज किया गया है और इसकी एक प्रति परिवादी/सूचनादाता को निःशुल्क दी गई।"

6. अन्वेषण के दौरान, प्रतिवादी सं.-1 के मोबाइल फोन को जब्त कर लिया गया और विश्लेषण के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भेज दिया गया। प्रतिवादी सं.-1 से यह भी पूछताछ की गई कि क्या उसने कभी कोई अश्लील सामग्री देखी है, जिस पर प्रतिवादी सं.-1 ने स्वीकार किया कि वह कॉलेज के दिनों में नियमित रूप से पोर्नोग्राफी देखता था।

7. दिनांक 22.08.2020 की कंप्यूटर फोरेंसिक विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार, यह पाया गया कि प्रतिवादी सं.-1 के मोबाइल फोन में बाल पोर्नोग्राफी से संबंधित दो वीडियो फाइलें थीं, जिनमें दो कम उम्र के लड़कों को एक वयस्क महिला के साथ यौन गतिविधि में शामिल दिखाया गया था। कंप्यूटर फोरेंसिक विश्लेषण रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सौ से अधिक अन्य अश्लील वीडियो फाइलें उक्त मोबाइल फोन में डाउनलोड और संग्रहीत की गई थीं।

"कंप्यूटर फोरेंसिक विश्लेषण रिपोर्ट"

प्राप्ति द्वारा:	सत्र न्यायाधीश, महालिर नीति मंद्रम, (फास्ट ट्रैक महिला न्यायालय) तिरुवल्लूर।
अपराध सं. और थाना:	03/2020, अंबत्तूर एडब्ल्यूपीएस
संगठन रिपोर्ट सं.:	सीएफ/52/2020
मामले की प्राप्ति तिथि:	28.02.2020
मामला द्वारा प्राप्त:	डब्ल्यूएचसी 43450, टीएमटी. पूर्णिमा
मुहरों की स्थिति:	सही और अक्षुण्ण/यथावत
अपराध की प्रकृति:	67(बी) आईटी अधिनियम और 14(1) पॉक्सो अधिनियम 2012
प्रयुक्त उपकरण:	यूएफईडी 4 पीसी।
रिपोर्ट तिथि:	22.08.2020
विभागाध्यक्ष:	ए. विशालाक्षी, एम.एससी., पीजीडीसीए
परीक्षक:	एस. हेमलता, एम.एससी., (एफएस), एम.एससी., (सीएस)

प्राप्त डिवाइस का विवरण

एक (1) सीलबंद कपड़े से ढका कागज़ का पार्सल, जिस पर "पीआई सं. 5/2020. सीआर सं.3/2020, अंबत्तूर एडब्ल्यूपीएस ..." अंकित है, जिसमें निम्नलिखित वस्तुएँ हैं:

चिह्न	वस्तु का नाम	विवरण	पैकिंग विवरण	अन्य
1	मोबाइल फोन	Make: MOTO, Model: XT 1804, IMEI1: 356477088126073, IMEI2: 356477088126081	PI No: 05/2020 चिह्नित प्लास्टिक बॉक्स में	
	SIM 1	Airtel 4G 128K, ICCID: 89910009025336624 73U		
	मेमोरी कार्ड	Strontium 16 GB		
	बैटरी	Inbuilt		

उद्देश्य

उपरोक्त वस्तु का परीक्षण यह जानने के लिए किया गया कि क्या यूट्यूब एप्लिकेशन का उपयोग करके वीडियो फ़ाइलें देखने की कोई सुविधा उपलब्ध है और उसका विवरण। साथ ही, यह भी पता लगाने के लिए कि क्या पोर्नोग्राफी से संबंधित कोई मीडिया फ़ाइलें एक्सेस/डाउनलोड/सेव की गई थीं।

जाँच/परीक्षण

मोबाइल फ़ोन: [मोटो]

फ़ाइल सिस्टम एक्सट्रैक्शन का उपयोग करके मोबाइल फ़ोन की आंतरिक मेमोरी प्राप्त की गई और फ़ोरेंसिक सॉफ़्टवेयर टूल "यूएफईडी 4 पीसी" का उपयोग करके उसकी जाँच की गई। प्राप्त विवरण जैसे कॉन्टेक्ट्स, कॉल लॉग, एसएमएस संदेश और मीडिया फ़ाइलें एक रिपोर्ट के रूप में तैयार की गईं और रिपोर्ट (पीडीएफ़ में) को "सीएफ 52/20" नामक एक कॉम्पैक्ट डिस्क पर कॉपी किया गया। रिपोर्ट के कुछ चयनित पृष्ठ अनुलग्नक-I में दिए गए हैं। रिपोर्ट के कुछ निष्कर्ष इस प्रकार हैं:- [...]

[...] उपरोक्त निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि मोबाइल फ़ोन यूट्यूब एप्लिकेशन के माध्यम से वीडियो देखने की सुविधा से लैस पाया गया।

4. (क) पोर्नोग्राफ़ी से संबंधित वीडियो फ़ाइलें (100 से अधिक) अलग-अलग पथों में डाउनलोड और संग्रहीत पाई गईं, जिनका विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है। [...]

(ख) पोर्नोग्राफ़ी प्रकृति की कुछ वीडियो फ़ाइलें "मोटोरोला GSM_XT1806 MotoG5SPlus.zip/sdcard/ProgramData/Android/Language/.fr/Videos/wat up pono" पथ के अधीन संग्रहीत पाई गईं। [...]

(ग) इसी पथ के अधीन दो वीडियो फ़ाइलें संग्रहीत पाई गईं, जिन्हें बाल पोर्नोग्राफ़ी सामग्री माना जा सकता है। वीडियो में लड़के (किशोरावस्था से कम उम्र के) एक वयस्क महिला/लड़की के साथ यौन गतिविधि में लिप्त पाए गए। इसका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	फ़ाइल नाम	पथ (Path)	फ़ाइल का आकार / दिनांक
1	VID-20190614-WA0006.mp4	Motorola GSM_XT1806 MotoG-5SPlus.zip/sdcard/ProgramData/Android/Language/.fr/Videos/wat up pono/	1 1 2 5 6 2 8 8 bytes दिनांक: 6/14/2019 15:44 (UTC+5:30)
2	Unmayal sollungal Ennodu sellungal with Vadivel Balaji in AIE 4-8-2012 - Youtube.3GP	Media/Internal shared storage/trending/adhu idu/	2 0 4 6 7 9 9 4 bytes दिनांक: 9/5/2016 23:12 (UTC+5:30)

मेमोरी कार्ड: [स्ट्रोंटियम 16 जीबी]

मेमोरी कार्ड प्राप्त किया गया और फोरेंसिक सॉफ्टवेयर टूल "यूएफईडी 4 पीसी" का उपयोग करके उसकी जाँच की गई। प्राप्त विवरण जैसे डॉक्यूमेंट, इमेज और वीडियो फ़ाइलें एक रिपोर्ट के रूप में तैयार की गईं और रिपोर्ट (पीडीएफ़ में) को "सीएफ 52/20" नामक एक कॉम्पैक्ट डिस्क पर कॉपी किया गया। पूरी रिपोर्ट अनुलग्नक-III में दी गई है।

बीच की फ़ाइलें को देखने पर, पोर्नोग्राफ़ी से संबंधित कई वीडियो स्नैपशॉट इमेज और वीडियो फ़ाइलें मिलीं। इनको दर्शाने वाले नमूनों को पहले बताई गई सीडी पर एक निर्दिष्ट फ़ोल्डर में कॉपी किया गया है। [...]"

8. अन्वेषण पूरा होने पर, प्रतिवादी सं.-1 के विरुद्ध क्रमशः आईटी अधिनियम की धारा 67ख और पॉक्सो की धारा 15(1) के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दिनांक 19.09.2023 को आरोप पत्र दायर किया गया। इस स्तर पर यह बताना अनुचित नहीं होगा कि यद्यपि प्र.सू.रि. पॉक्सो की धारा 14(1) के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दर्ज की गई थी, फिर भी अन्वेषण के दौरान एकत्रित सामग्री और कंप्यूटर फोरेंसिक विश्लेषण रिपोर्ट में दर्ज निष्कर्षों के आलोक में, अंततः पॉक्सो की धारा 15(1) के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया गया। संबंधित अंश इस प्रकार है:-

"अंतिम रिपोर्ट

माननीय महिला फास्ट ट्रैक महिला न्यायालय, तिरुवल्लूर के समक्ष

पुलिस की अंतिम रिपोर्ट धारा 173(i) डब्लू28 अंबत्तूर ऑल वूमेन पुलिस स्टेशन, अपराध सं.-3/2020 अन्तर्गत धारा 67(ख) आईटी अधिनियम और 14(1) पॉक्सो अधिनियम 2012 @ 67(ख) आईटी अधिनियम, 15(1) पॉक्सो अधिनियम 2012। [...]

मामले की प्रकृति

श्रीमती मेगालिना, अपर पुलिस उपायुक्त, महिला एवं बाल अपराध शाखा, चेन्नई, पश्चिम क्षेत्र ने पत्र आरसी सं.-03/एडीसी सीडब्ल्यूसी/पश्चिम/कैंप/2020 दिनांक: 28.01.2020 जिसमें उल्लिखित संदर्भ: 1. डीओ. पत्रांक सं. 05/एडीजीपी- सीडब्ल्यूसी/कैंप/एनसीएमईसी/2020, 2. सी.सं.30/सीओपी/सीओ/2020, 3. आर.सीएनओ. 228 VIII/डीसी सीडब्ल्यूसी/जनरल/2020 (सीटीआर सं. 49303278), 4. आरसी.सं. 68/जापु-ii/एनसीएमईसी/ 2020 के विवरण के अनुसार, एनसीआरबी (राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो) को सूचना दी है कि, 1, मेन रोड, डोर सं.-03, वीपीसी नगर, कल्लिकुप्पम, अंबत्तूर में रहने वाले हैरिस ने अपने मोबाइल फोन नंबर 9940687836 पर दो साल से अधिक समय तक बाल पोर्नोग्राफी देखी थी, सीटीआर सं. 49303278 पर बाल शोषण और गुमशुदा व्यक्तियों और डेटा संग्रह प्रणाली द्वारा प्रतिबंधित बच्चों के विरुद्ध बाल पोर्नोग्राफी डाउनलोड करने वालों के विवरण की रिपोर्ट प्राप्त की गयी है। उक्त व्यक्ति द्वारा ओल्ड साइज आईडी-KALLI 4/OLD Chm Id- CHM2307 पता 2, गोपालसामी, तीसरा मेन रोड, गंगैयाम्मन मंदिर, अम्पाथुर, कल्लिकुप्पम से यौन उद्देश्यों के लिए बच्चों की अश्लील फिल्में देखने के दुर्भाविनापूर्ण आशय से डाउनलोड किया गया। चूंकि यह घिनौना कृत्य सामाजिक नैतिकता में अशांति का अपराध माना जाता है, इसलिए उक्त व्यक्ति के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के निर्देश के बाद, ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन ने अपराध सं.-03/20 अन्तर्गत धारा 67ख आईटी अधिनियम सपठित धारा 14(1) पॉक्सो अधिनियम 2012 में मामला दर्ज किया और इसकी प्रतिलिपि संबंधित न्यायालय को और प्रतियां उच्च पुलिस अधिकारियों को अन्वेषण के लिए बिना देरी के भेज दी गईं। [...]

अब तक की अन्वेषण में, अपराध स्थल सं. 2, वीपीसी नगर से मेन रोड कल्लिकुप्पम अंबत्तूर, चेन्नई, अंबत्तूर ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में है।

28.01.2000 को अपर उपायुक्त, महिला एवं बाल निवारण प्रभाग, चेन्नई पश्चिम क्षेत्र ने (एनसीएमईसी) से प्राप्त मामले का परिशीलन किया। इस मामले में शोषित बच्चों के राष्ट्रीय केंद्र के अनुसार, आरोपी हरीश आयु 24/पुत्र संथानम, निवासी सं. 2 वीपीसी नगर पहला मेन रोड कल्लिकुप्पम अम्पाथुर चेन्नई, अपने मोबाइल फोन नंबर (99406 87836) का उपयोग दो साल से अधिक समय से कर रहा है, अपने मोबाइल फोन नंबर द्वारा पता सं. 2 गोपालसामी, तीसरा मेन रोड, गंगैयाम्मन मंदिर, अम्पाथुर, कल्लिकुप्पम से ओल्ड साइज आईडी KALLI 4/OLD Chm Id- CHM2307 डाउनलोड किया गया है, जिसका दुर्भाविनापूर्ण उद्देश्य यौन उद्देश्यों के लिए बच्चों की अश्लील फिल्में देखना है। चूंकि इस घिनौनें कृत्य को सामाजिक नैतिकता को भंग

करने का अपराध माना जाता है, सीटीआर नंबर 49303278 के अनुसार एनसीआरबी द्वारा अपराध की एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

इसलिए, इस मामले में अभियुक्त ने सार्वजनिक नैतिकता को भंग करने का अपराध किया माना जाता है और इसलिए उसने धारा 67 (ख) आईटी अधिनियम और 15 (1) पॉक्सो अधिनियम 2012 के अधीन एक संज्ञेय अपराध किया है। [...]"

ख. आक्षेपित आदेश

9. उपरोक्त से व्यथित होकर, प्रतिवादी सं.-1, उपरोक्त आरोपपत्र और उससे उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही को रद्द करवाने के प्रयोजनों के लिए आपराधिक मूल याचिका सं.-37/2024 के रूप में एक निरस्तीकरण याचिका के माध्यम से मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष गया।

10. उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय तीन भागों में है। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय ने आपराधिक कार्यवाही को मूल-रूप से तीन आधारों पर रद्द कर दिया:-

(i) सबसे पहले, उच्च न्यायालय का विचार था कि पॉक्सो की धारा 14(1) के अधीन अपराध गठित करने के लिए, आरोपी व्यक्ति द्वारा बच्चे का अश्लील उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। इसने पाया कि यद्यपि बच्चों को यौन गतिविधि में लिप्त दिखाने वाले दो वीडियो प्रतिवादी सं.-1 के मोबाइल फोन में डाउनलोड और संग्रहीत पाए गए थे और यह मानते हुए कि आरोपी ने उन्हें देखा था, फिर भी यह पॉक्सो की धारा 14(1) के अधीन अपराध नहीं बनता। संबंधित टिप्पणियां इस प्रकार हैं:-

"9. यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 14(1) के अधीन अपराध स्थापित करने के लिए, किसी बच्चे या बच्चों का इस्तेमाल पोर्नोग्राफी उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। इसका मतलब यह होगा कि आरोपी व्यक्ति को बच्चे का इस्तेमाल अश्लील उद्देश्यों के लिए करना चाहिए था। यह मानते हुए भी कि आरोपी व्यक्ति ने बाल पोर्नोग्राफी वीडियो देखा था, यह सख्ती से यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 14(1) के दायरे में नहीं आएगा। चूंकि उसने किसी बच्चे या बच्चों का अश्लील उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया है, इसलिए इसे आरोपी व्यक्ति की ओर से नैतिक पतन के रूप में ही समझा जा सकता है।"

(ii) दूसरे, उच्च न्यायालय ने माना कि आईटी अधिनियम की धारा 67ख के अधीन अपराध के गठन के लिए, अभियुक्त व्यक्ति द्वारा बच्चों को यौन रूप से कामुक कृत्य या आचरण में दर्शाने वाली सामग्री प्रकाशित, प्रसारित या निर्मित की जानी आवश्यक है। न्यायालय ने यह भी माना कि यद्यपि प्रतिवादी सं.-1 ने स्वीकार किया था कि उसे पोर्नोग्राफी देखने की लत थी, फिर भी बिना किसी प्रसारण या प्रकाशन के केवल बाल पोर्नोग्राफी देखना या डाउनलोड करना आईटी अधिनियम की धारा 67ख के दायरे में नहीं आता। प्रासंगिक अंश इस प्रकार है:-

"6. इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता से पूछताछ की और उसने बताया कि उसकी जन्मतिथि 13.11.1995 है और उसका एक बड़ा भाई है। काफी समझाने-बुझाने के बाद, याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया कि किशोरावस्था में उसे पोर्नोग्राफी देखने की आदत थी। हालाँकि, याचिकाकर्ता ने स्पष्ट किया कि उसने कभी बाल पोर्नोग्राफी नहीं देखी। इसके अतिरिक्त, उसने यह भी कहा कि उसने कभी भी किसी भी अश्लील सामग्री को प्रकाशित या दूसरों को प्रसारित करने का प्रयास नहीं किया। उसने केवल उसे डाउनलोड किया था और उसने एकांत में पोर्नोग्राफी देखी थी।

10. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67-ख के अधीन अपराध गठित करने के लिए, आरोपी व्यक्ति ने बच्चों को कामुक यौन कृत्य या आचरण में दर्शाने वाली सामग्री प्रकाशित, प्रसारित या बनाई होनी चाहिए। इस प्रावधान को ध्यानपूर्वक पढ़ने से बाल पोर्नोग्राफी देखना, अपने आप में, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67-ख के अधीन अपराध नहीं बन जाता। यद्यपि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67-ख का व्यापक रूप से उल्लेख किया गया है, लेकिन यह उस मामले को आच्छादित नहीं करती है, जहां किसी व्यक्ति ने अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में केवल बाल पोर्नोग्राफी डाउनलोड की हो और उसने कुछ और किए बिना उसे देख लिया हो।"

(iii) अंत में, उच्च न्यायालय ने अपनी उपरोक्त चर्चा के प्रकाश में और भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में, "भादंसं") की धारा 292 पर भरोसा करते हुए यह दृष्टिकोण अपनाया कि यद्यपि अश्लील सामग्री प्रतिवादी सं.-1 के मोबाइल फोन में डाउनलोड और संग्रहीत पाई गई थी, फिर भी यह दिखाने के किसी भी सामग्री के अभाव में कि प्रतिवादी सं.-1 ने इसे प्रसारित या प्रकाशित किया था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है पॉक्सो, आईटी अधिनियम या भादंसं के अधीन कोई भी अपराध बनता है, और इस प्रकार आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। प्रासंगिक टिप्पणियां इस प्रकार हैं:-

8. इस न्यायालय को संपूर्ण सीडी फ़ाइल देखने का अवसर मिला। याचिकाकर्ता से ज़ब्त किए गए मोबाइल फ़ोन में अश्लील सामग्री थी। हालाँकि, इस मामले के प्रयोजनों के लिए, केवल दो वीडियो की पहचान बाल पोर्नोग्राफ़ी के रूप में की गई थी। उन दो वीडियो में लड़के (किशोरावस्था से कम) एक वयस्क महिला/लड़की के साथ यौन क्रियाकलाप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेशक, वे दो वीडियो याचिकाकर्ता के मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड और उपलब्ध थे लेकिन उन्हें न तो प्रकाशित किया गया था और न ही दूसरों को प्रेषित किया गया था और ये याचिकाकर्ता के निजी अधिकार में थे।

11. केरल उच्च न्यायालय को भारतीय दंड संहिता की धारा 292 के दायरे पर विचार करने का अवसर मिला। यह एक ऐसा मामला था जहाँ एक व्यक्ति अश्लील वीडियो देखते हुए पकड़ा गया था और उसके विरुद्ध प्र.सू.रि. दर्ज की गई थी। इस मुद्दे पर विचार करते हुए, केरल उच्च न्यायालय ने माना कि किसी व्यक्ति द्वारा अश्लील तस्वीर या अश्लील वीडियो देखना ही भारतीय दंड संहिता की धारा 292 के अधीन अपराध नहीं माना जाएगा। यह इस तथ्य के दृष्टिगत है कि यह कृत्य संबंधित व्यक्ति द्वारा किसी अन्य को प्रभावित किए बिना या असर डाले बिना गोपनीयता में किया गया है। जैसे ही आरोपी व्यक्ति अश्लील फोटो या वीडियो

प्रसारित या वितरित करने या सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने का प्रयास करता है, तो अपराध के कारक प्रभावी हो जाते हैं।

11. इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय व आदेश दिनांक 11.01.2024 के माध्यम से याचिका को स्वीकार किया और इस प्रकार विशेष एस.सी.सं.-170/2023 में आपराधिक कार्यवाही को इस आधार पर रद्द कर दिया कि प्रतिवादी सं.-1 के विरुद्ध पॉक्सो की धारा 14(1) या आईटी अधिनियम की धारा 67ख के अधीन कोई अपराध स्थापित नहीं कहा जा सकता। आक्षेपित आदेश का प्रभावी अंश इस प्रकार है:-

"12. इस न्यायालय के सुविचारित मत में, इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सामग्री से याचिकाकर्ता के विरुद्ध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67-ख और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 14(1) के अधीन कोई अपराध नहीं स्थापित होता है।

18. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, याचिकाकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। इसके अतिरिक्त, यह भविष्य में याचिकाकर्ता के करियर के लिए एक बाधा होगी। इसलिए, यह न्यायालय सत्र न्यायाधीश, महिला नीति मंद्रम (फास्ट ट्रैक कोर्ट), तिरुवल्लूर जिले के यहाँ विशेष एस.सी. सं.-170/2023 की कार्यवाही को खंडित करने के लिए इच्छुक है।

तदनुसार, यह आपराधिक मूल याचिका स्वीकार की जाती है और सत्र न्यायाधीश, महिला नीति मंद्रम (फास्ट ट्रैक कोर्ट), तिरुवल्लूर जिले के यहाँ विशेष एस.सी. सं.-170/2023 की कार्यवाही को खंडित किया जाता है। परिणामस्वरूप, संबंधित आपराधिक प्रकीर्ण याचिका निस्तारित की जाती है।"

(महत्व प्रदत्त)

12. उपरोक्त से यह कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय ने विधि के तीन सिद्धांत निर्धारित किए, जो इस प्रकार हैं:-

i. किसी भी अश्लील सामग्री को अपने पास रखना या भंडारण करना पॉक्सो के अधीन अपराध नहीं है। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि विधि के उपरोक्त सिद्धांत का समर्थन करते समय, उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में या तो जानबूझकर पॉक्सो की धारा 15 का उल्लेख करना आवश्यक नहीं समझा या अनजाने में पॉक्सो की धारा 15 का उल्लेख करने में विफल रहा। फिर भी, किसी भी मामले में, विधि के उपरोक्त सिद्धांत को उच्च न्यायालय का समर्थन प्राप्त हुआ।

ii. आईटी अधिनियम की धारा 67ख केवल बच्चों को यौन रूप से कामुक दर्शित करने वाली सामग्री के प्रसारण, प्रकाशन या निर्माण के कार्य को अपराध बनाती है। निजी अधिकार में बाल पोर्नोग्राफी को देखना या डाउनलोड करना इसके अधीन दंडनीय नहीं है।

iii. बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री के प्रसारण या प्रकाशन को दर्शाने

वाली किसी भी सामग्री के अभाव में, पॉक्सो या आईटी अधिनियम के अधीन कोई अपराध कारित नहीं माना जा सकता है और आपराधिक कार्यवाही रद्द की जा सकती है। दूसरे शब्दों में, पॉक्सो या आईटी अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए केवल बाल पोर्नोग्राफ़ी का भंडारण या पास होना स्थापित करना पर्याप्त नहीं है और इसके प्रसारण या प्रकाशन को भी स्थापित किया जाना आवश्यक है। इसके अभाव में आपराधिक कार्यवाही रद्द की जा सकती है।

13. उपर्युक्त परिस्थितियों में, अपीलकर्तागण उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश से व्यथित होकर वर्तमान अपील के साथ इस न्यायालय के समक्ष आए हैं।

ग. पक्षकारों की ओर से दलीलें

i. अपीलकर्ताओं की ओर से दलीलें

14. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एच.एस. फुल्का ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा पॉक्सो के प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या, यह मानने के उद्देश्य से की गई है कि किसी भी बाल अश्लील सामग्री का भंडारण या कब्जा मात्र अपराध नहीं है, बल्कि यह बच्चों की भलाई के लिए एक बड़ा खतरा है और इसके परिणामस्वरूप बाल पोर्नोग्राफी का प्रसार हो सकता है, जो बड़े पैमाने पर समाज के सामाजिक ताने-बाने के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। अपनी दलीलों के समर्थन में, श्री फुल्का ने साइबर अपराध पर कन्वेंशन और बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, 1989 का हवाला दिया।

15. उन्होंने आगे कहा कि जांच एजेंसी द्वारा दायर आरोपपत्र में विशेष रूप से दर्ज किया गया है कि, गुमशुदा और शोषित बच्चों के लिए राष्ट्रीय आयोग, यूएसए (एनसी-एमईसी) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी पिछले दो वर्षों से बाल अश्लील वीडियो देख रहा था।

16. उन्होंने आगे तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 15(1) पर उचित विचार किए बिना, पॉक्सो की धारा 14(1) के अंतर्गत त्रुटिपूर्वक कार्यवाही की, जो अश्लील उद्देश्यों के लिए बच्चों के उपयोग से संबंधित है।

17. उन्होंने आगे कहा कि धारा 15(1) बाल पोर्नोग्राफ़ी को डाउनलोड करने और उसे डिलीट न करने पर स्पष्ट रूप से दंड का प्रावधान करती है। वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी का यह तर्क कि उसे व्हाट्सएप के माध्यम से बाल पोर्नोग्राफ़ी वाली दो फ़ाइलें प्राप्त हुई थीं, एनसी-एमईसी रिपोर्ट द्वारा गलत साबित होती है। इसके अलावा, अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह साबित करे कि वीडियो व्हाट्सएप पर प्राप्त हुए थे।

18. आगे यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 15 पर स्वयं विचार किए बिना आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में एक गंभीर त्रुटि की। उन्होंने दलील दी कि आक्षेपित निर्णय, बाल कल्याण के लिए एक बड़ा खतरा है और

कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के विपरीत है।

19. उन्होंने आगे दलील दी कि उच्च न्यायालय वयस्क पोर्नोग्राफ़ी और बाल पोर्नोग्राफ़ी के बीच अंतर करने में भी विफल रहा, क्योंकि आईटी अधिनियम की धाराएँ 67 और 67क वयस्क पोर्नोग्राफ़ी से संबंधित हैं, जबकि धारा 67ख विशेष रूप से 2009 में बाल पोर्नोग्राफ़िक सामग्री एकत्र करने, डाउनलोड करने या देखने के लिए अधिक कठोर दंड प्रदान करने के लिए पेश की गई थी।

20. उन्होंने आगे कहा कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 30 के मद्देनजर, उच्च न्यायालय कानूनी रूप से यह मानने के लिए बाध्य है कि अधिनियम के अंतर्गत किसी भी अपराध को करने के लिए अभियुक्त की ओर से दोषी मानसिक स्थिति मौजूद है, जिसके लिए ऐसी मानसिक स्थिति की आवश्यकता होती है।

21. अंत में, श्री फुल्का ने कहा कि आईटी अधिनियम की धारा 67ख, पॉक्सो की धारा 15 और धारा 30 को संयुक्त रूप से पढ़ने से, बाल पोर्नोग्राफी रखने वाले व्यक्तियों की दोषिता के संबंध में कोई संदेह नहीं रह जाता है।

ii. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की ओर से दलीलें

22. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी ने कहा कि पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 15 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए एफआईआर दर्ज करने में विफल रहने में राज्य की ओर से गंभीर चूक हुई है, क्योंकि किसी भी रूप में बच्चे से संबंधित अश्लील सामग्री रखना अधिनियम की धारा 15(1) के अंतर्गत एक अपराध है। यह भी तर्क दिया गया कि अभियोजन एजेंसी के रूप में राज्य उच्च न्यायालय के ध्यान में यह लाने के अपने कर्तव्य में विफल रहा कि आरोप पत्र अंततः पॉक्सो अधिनियम की धारा 15(1) के अंतर्गत अपराध के लिए दायर किया गया था, न कि धारा 14 के अंतर्गत।

23. उन्होंने आगे कहा कि आरोपी ने अपने मोबाइल फोन पर एक बच्चे से संबंधित अश्लील सामग्री डाउनलोड की थी, उसे अपने पास रखा और दो साल तक उसे हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, जैसा कि पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 19 के अंतर्गत अनिवार्य है।

24. उन्होंने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय धारा 30 के अधिदेश को समझने में विफल रहा, जो अधिनियम के अंतर्गत किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त की ओर से एक सदोष मानसिक स्थिति की धारणा को बढ़ाता है, जिसके लिए ऐसी मानसिक स्थिति की आवश्यकता होती है। इसलिए, प्रावधान अभियुक्त पर सदोष मानसिक स्थिति की अनुपस्थिति को साबित करने का भार डालता है।

25. उन्होंने आगे कहा कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत किसी अपराध की रिपोर्टिंग अनिवार्य करती है, यदि ऐसी आशंका हो कि ऐसा अपराध होने की

संभावना है या यह जानकारी हो कि ऐसा अपराध किया गया है। यह बताया गया कि इस दायित्व का निर्वहन करने में विफलता अपने आप में पॉक्सो अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत दंडनीय है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे मामलों की रिपोर्ट अमेरिका स्थित एनजीओ नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन (एनसीएमईसी) को देने का दावा करते हैं, जो फिर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) को रिपोर्ट करता है। हालाँकि, धारा 19 ऐसे मामलों की रिपोर्ट विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू) या विशेष पुलिस को करना अनिवार्य करती है। इसलिए, किसी एनजीओ को रिपोर्ट करने से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉक्सो अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकते।

26. अंत में, यह कहा गया कि बाल पोर्नोग्राफ़ी में शामिल या उपयोग किए जाने वाले नाबालिगों की दुर्दशा सभी के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने उचित निर्देश जारी करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ऐसे युग में जब बच्चों को शैक्षिक उद्देश्यों के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है, उन्हें संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (यूएनसीआरसी) के अनुच्छेद 12 के अनुसार एक सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण प्रदान करना अनिवार्य हो गया है।

iii. प्रत्यर्थी सं. 1/एकमात्र अभियुक्त की ओर से दलीलें

27. प्रत्यर्थी सं. 1/अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत एस. केंजले ने कहा कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 14(1) और आईटी अधिनियम की धारा 67ख के अंतर्गत अपराध के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी और इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं कही जा सकती, कानून की कोई त्रुटि तो दूर की बात है।

28. उन्होंने आगे कहा कि प्रत्यर्थी सं. 1 के मोबाइल फोन से बरामद वीडियो की प्राप्ति की तिथि 14.06.2019 है, जिस समय धारा 15 में 2019 का संशोधन अभी लागू नहीं हुआ था।

29. उन्होंने आगे तर्क दिया कि प्रत्यर्थी के फोन से मिली दो फाइलों के नाम(क.) VID-20190614-WA005. mp4 और (b.) VID-20190823- WA0020.mp4 थे। फ़ाइल नामों में "WA" का उपयोग इंगित करता है कि वे व्हाट्सएप द्वारा स्वचालित रूप से डाउनलोड किए गए थे, जिसमें एक शोध अध्ययन में दिखाया गया है कि एक ऑटो(स्वयं)-डाउनलोड सुविधा है। उन्होनें कहा कि ऐसी परिस्थितियों में, उक्त वीडियो स्वचालित रूप से उसके फोन पर डाउनलोड हो गए थे और प्रत्यर्थी सं. 1 उसकी मौजूदगी से अनजान था। उन्होंने तर्क दिया कि फोरेंसिक साक्ष्य स्पष्ट रूप से निर्माण और संशोधन तिथि दोनों को 14.06.2019 बताते हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि फाइलें कभी चलाई नहीं गईं।

30. उन्होंने आगे कहा कि उपरोक्त वीडियो को अपने पास रखना मात्र पॉक्सो अधिनियम की धारा 15(1) के अंतर्गत अपराध का गठन नहीं करता है, क्योंकि प्रत्यर्थी का कभी भी उन्हें साझा या वितरित करने का कोई आशय नहीं था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यदि यह मान भी लिया जाए कि प्रत्यर्थी सं. 1 ने उक्त वीडियो को एक बार देखा था और

फिर उसे डिलीट नहीं किया, तो भी उस पर पॉक्सो अधिनियम की धारा 15(1) के अंतर्गत आरोप नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि सरकार द्वारा कानून का प्रचार-प्रसार करने में विफलता के कारण वह इसकी मौजूदगी से अनभिज्ञ था।

31. उन्होंने दलील दी कि प्रत्यर्थी सं. 1 की ओर से कानून की अज्ञानता के साथ-साथ एक सद्भावपूर्ण विश्वास भी था और इस प्रकार यह पॉक्सो अधिनियम की धारा 15 और आयकर अधिनियम की धारा 67ख के अंतर्गत अपराध नहीं बनता। इस तर्क के समर्थन में, उन्होंने चंडी कुमार दास करमारकर बनाम अवनिधर रॉय, एआईआर 1965 एससी 585 और मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1979) 2 एससीसी 409 में, इस न्यायालय के निर्णयों का हवाला दिया।

iv. प्रत्यर्थी सं. 2 और 3/राज्य की ओर से दलीलें

32. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री डी. कुमानन ने दलील दी कि उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय यह गलत आधार अपनाया कि अभियुक्त के विरुद्ध पॉक्सो अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत अपराध का आरोप लगाया गया है, जबकि आरोपपत्र और निरस्तीकरण याचिका, दोनों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पॉक्सो अधिनियम की धारा 15(1) के अंतर्गत था।

33. उन्होंने आगे दलील दी कि उच्च न्यायालय ने अपने आक्षेपित आदेश में आयकर अधिनियम की धारा 67ख पर विचार करने में चूक की। उच्च न्यायालय ने आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करते समय धारा 67ख पर न तो चर्चा की और न ही उस पर उचित विचार किया, जबकि इसके अंतर्गत अपराध के लिए आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका था।

34. यह कहा गया कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 15 और आईटी अधिनियम की धारा 67ख दोनों को बाल पोर्नोग्राफी के किसी भी रूप के उपयोग को दंडित करके बाल शोषण को कम करने के हितकारी उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था, जिसमें ऐसी अश्लील सामग्री को देखना भी शामिल है ताकि अपराधियों द्वारा ऐसी सामग्री के निर्माण और प्रसार की बड़ी समस्या से निपटा जा सके।

35. उन्होंने कहा कि प्रत्यर्थी सं. 1/इस मामले में आरोपी के मोबाइल फोन में सौ से अधिक अश्लील वीडियो पाए गए। इसके अलावा, आरोपी ने खुद उच्च न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया था कि वह अपने दोस्तों के साथ नियमित रूप से ऐसी अश्लील सामग्री देखता था। ऐसी परिस्थितियों में यह तर्क दिया गया कि आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ इसे साझा करने के आशय से अपने फोन में ऐसी सामग्री भंडारित/संग्रहीत की थी।

36. यह भी कहा गया कि पॉक्सो की धारा 15 अर्थात् "बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री के भंडारण के लिए दंड" का हाशिए पर दिया गया नोट स्वतः स्पष्ट है और उक्त प्रावधान की उपधारा (1) किसी भी ऐसी अश्लील सामग्री के भंडारण या कब्जे को दंडित करती

है जब ऐसा उसे साझा करने या प्रसारित करने के आशय से किया जाता है। पॉक्सो अधिनियम की धारा 30 का हवाला देते हुए तर्क दिया गया कि उक्त प्रावधान विशेष रूप से अधिनियम के अंतर्गत किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त की ओर से सदोष मानसिक स्थिति की धारणा का प्रावधान करता है जिसके लिए ऐसी मानसिक स्थिति की आवश्यकता होती है, और ऐसे में यह साबित करने का दायित्व अभियुक्त पर था कि उसके फोन में संग्रहीत सामग्री को साझा करने का उसका कोई आशय नहीं था, जिसे उच्च न्यायालय ने भी नजरअंदाज कर दिया।

37. अंत में, यह कहा गया कि एक बार आरोपपत्र और अभिलेख पर मौजूद अन्य सामग्रियों से प्रथम दृष्टया अपराध का खुलासा हो गया, विशेष रूप से अश्लील वीडियो जो अभियुक्त के मोबाइल फोन में संग्रहीत पाए गए थे, तो उच्च न्यायालय के लिए आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करना उचित नहीं था।

घ. निर्धारण के लिए मुद्दे

38. पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने और अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों का परिशीलन करने के बाद, निम्नलिखित कानूनी प्रश्न हमारे विचारार्थ आते हैं:-

I. पॉक्सो अधिनियम की धारा 15 का दायरा क्या है? दूसरे शब्दों में, पॉक्सो अधिनियम की उप-धारा (1), (2) और (3) के बीच अंतर्निहित अंतर क्या है?

II. क्या किसी भी बाल अश्लील सामग्री को देखना, रखना या संग्रहीत करना पॉक्सो के अंतर्गत दंडनीय है?

III. आईटी अधिनियम की धारा 67ख का वास्तविक दायरा क्या है?

IV. पॉक्सो अधिनियम की धारा 30 का दायरा क्या है? दूसरे शब्दों में, पॉक्सो अधिनियम की धारा 15 के संबंध में सदोष मानसिक स्थिति की वैधानिक धारणा को लागू करने के लिए आवश्यक आधारभूत तथ्य क्या हैं?

V. क्या पॉक्सो अधिनियम की धारा 30 में निहित वैधानिक उपधारणा को पॉक्सो के अंतर्गत स्थापित केवल विशेष न्यायालय द्वारा ही विचारण के चरण में लागू किया जा सकता है? दूसरे शब्दों में, क्या सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत दायर याचिका को रद्द करने में उच्च न्यायालय को पॉक्सो अधिनियम की धारा 30 में निहित सदोष मानसिक स्थिति की वैधानिक उपधारणा का सहारा लेने की अनुमति है?

ङ. विश्लेषण

i. प्रासंगिक वैधानिक योजना और प्रावधान

क. पॉक्सो अधिनियम का विधायी इतिहास और योजना

39. दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत विरोधी दलीलों पर विचार करने से पूर्व, सबसे पहले वैधानिक योजना पर गौर करना और पॉक्सो अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का संदर्भ लेना उचित होगा।

40. जैसा कि दीर्घ शीर्षक, 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012' से पता चलता है, पॉक्सो अधिनियम को संसद द्वारा बच्चों को यौन दुर्व्यवहार और शोषण से बचाने के लिए एक व्यापक कानून की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

41. बच्चों का यौन शोषण एक व्यापक और गहरी जड़ वाला मुद्दा है जिसने दुनिया भर के समाजों को त्रस्त कर दिया है और भारत में यह गंभीर चिंता का विषय रहा है। पॉक्सो अधिनियम के अधिनियमन से पहले, भारत में बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से निपटने के लिए समर्पित एक विशिष्ट कानूनी ढांचे का अभाव था। यद्यपि आईपीसी में यौन अपराधों से संबंधित प्रावधान मौजूद थे, फिर भी वे बच्चों की विशिष्ट दुर्बलताओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से सृजित नहीं किए गए थे।

42. बच्चों के यौन शोषण से प्रभावी ढंग से निपटने और उसका मुकाबला करने के लिए मौजूदा कानूनों की अपर्याप्तता पूरी तरह से स्पष्ट थी। आईपीसी, यद्यपि यौन अपराधों से निपटने के लिए सुसज्जित थी, लेकिन बच्चों द्वारा सामना किए जाने वाले यौन शोषण के विभिन्न रूपों को स्पष्ट रूप से मान्यता नहीं देती थी। आईपीसी के अधीन, संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के प्रयोजनों के लिए एक वयस्क और एक बाल पीड़ित के बीच कोई अंतर नहीं था और न ही इसमें ऐसे बाल पीड़ितों की विशिष्ट मनोवैज्ञानिक और विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया था। इसके अलावा, प्रक्रियात्मक कानून बच्चों के अनुकूल नहीं थे, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर कानूनी प्रक्रिया के दौरान द्वितीयक उत्पीड़न होता था। भारत में बाल यौन शोषण की बढ़ती घटनाओं और पीड़ितों पर दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव के बारे में बढ़ती जागरूकता ने एक समर्पित कानून की आवश्यकता को रेखांकित किया। इस कमी को पूरा करने तथा बच्चों को यौन अपराधों से बचाने तथा उन्हें यौन हमले, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी के अपराधों से बचाने के लिए एक मजबूत कानूनी तंत्र प्रदान करने के लिए पॉक्सो को पेश किया गया था।

43. पॉक्सो अधिनियमन के उद्देश्यों और कारणों का विवरण यह स्पष्ट रूप से बताता है कि चूंकि बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को मौजूदा कानूनों द्वारा पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया गया था और बड़ी संख्या में ऐसे अपराधों के लिए न तो विशेष रूप से प्रावधान किया गया था और न ही उन्हें पर्याप्त रूप से दंडित किया गया था, इसलिए पॉक्सो अधिनियम को बच्चों को यौन हमले, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी के अपराधों से बचाने और ऐसे अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना और उनसे जुड़े और उनके आनुषंगिक मामलों के लिए प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

44. इसमें आगे कहा गया है कि पॉक्सो अधिनियम एक 'स्व-निहित व्यापक कानून' है, जिसका उद्देश्य सभी बच्चों को यौन दुर्व्यवहार और शोषण से सुरक्षा, संरक्षा और संरक्षण के अधिकारों को लागू करना है, जिसका मुकाबला यौन अपराधों और पोर्नोग्राफी के लिए एक प्रभावी निवारण के रूप में उचित दंड के माध्यम से किया जाता है और इसे संविधान के क्रमशः अनुच्छेद 15 और 39 तथा बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए अधिनियमित किया गया है।। पॉक्सो अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण इस प्रकार है:-

"उद्देश्यों और कारणों का विवरण"

संविधान का अनुच्छेद 15, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य को बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्तियाँ प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 39, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान करता है कि राज्य विशेष रूप से अपनी नीति यह सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देशित करेगा कि बच्चों की कोमल आयु का दुरुपयोग न हो और उनके बचपन और युवावस्था को शोषण से बचाया जाए और उन्हें स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्रता एवं सम्मान की स्थिति में विकसित होने की सुविधाएँ दी जाएँ।

11 दिसंबर, 1992 को भारत द्वारा अनुसमर्थित बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, राज्य पक्षों से यह अपेक्षा करता है कि वे (क) किसी बच्चे को किसी भी गैरकानूनी यौन गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रेरित या मजबूर करने; (ख) वेश्यावृत्ति या अन्य गैरकानूनी यौन प्रथाओं में बच्चों के शोषणकारी उपयोग; और (ग) अश्लील प्रदर्शनों और सामग्रियों में बच्चों के शोषणकारी उपयोग को रोकने के लिए सभी उपयुक्त राष्ट्रीय, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय उपाय करें।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा एकत्रित आँकड़े दर्शाते हैं कि बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों के मामलों में वृद्धि हुई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किए गए 'बाल दुर्व्यवहार पर अध्ययन: भारत 2007' से भी इसकी पुष्टि होती है। इसके अलावा, बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों को कानूनों द्वारा पर्याप्त रूप से निपटा नहीं गया है। ऐसे अपराधों की एक बड़ी संख्या के लिए न तो विशेष प्रावधान हैं और न ही उन्हें पर्याप्त रूप से दंडित किया जाता है। पीड़ित और गवाह, दोनों रूपों में बच्चों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। यह महसूस किया जाता है कि बच्चों के विरुद्ध अपराधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए और एक प्रभावी निवारक के रूप में उचित दंड के माध्यम से उनका प्रतिकार किया जाना चाहिए।

इसलिए, न्यायिक प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में बच्चों के हितों और कल्याण की रक्षा के लिए उचित ध्यान देते हुए, यौन अपराधों और पोर्नोग्राफी से बच्चों की सुरक्षा हेतु एक आत्मनिर्भर व्यापक कानून बनाने का प्रस्ताव है, जिसमें अपराधों की रिपोर्टिंग, साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग, जाँच और सुनवाई के लिए बाल-अनुकूल प्रक्रियाएँ शामिल हों और ऐसे अपराधों की शीघ्र सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान हो।

(प्रभाव वर्धित)

45. पॉक्सो अधिनियम के पीछे प्राथमिक विधायी उद्देश्य एक व्यापक कानूनी ढाँचा तैयार करना था जो न केवल अपराधियों को दंडित करे बल्कि अपराधों के साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग, जाँच और सुनवाई के लिए एक बाल-अनुकूल प्रणाली भी प्रदान करे। पॉक्सो अधिनियम को बच्चों के खिलाफ सभी प्रकार के यौन शोषण, जिनमें यौन उत्पीड़न, बाल पोर्नोग्राफी और गंभीर यौन हमले आदि शामिल हैं, को कवर करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसका उद्देश्य कानूनी प्रक्रिया के दौरान बाल पीड़ितों की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करना था, जिसमें विशिष्ट प्रावधान शामिल हैं जो बंद कमरे में सुनवाई, कार्यवाही के दौरान एक विश्वसनीय वयस्क की उपस्थिति को अनिवार्य करते हैं और बाल पीड़ितों से आक्रामक पूछताछ पर प्रतिबंध लगाते हैं।

46. पॉक्सो अधिनियम के अनुच्छेद 15 और 39 द्वारा गठित अनूठी योजना और भारत द्वारा अनुमोदित बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा डाले गए दायित्व का एक प्रकटीकरण है। अनुच्छेद 15, विशेष रूप से उप-अनुच्छेद (3) संविधान का अनुच्छेद 39(एफ) i) राज्य को बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाता है और ii) साथ ही राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी नीति निर्देशित करने के लिए बाध्य करता है कि बच्चों की कोमल और नाजुक उम्र का शोषण या दुर्व्यवहार न हो और किसी भी नैतिक या तात्विक परित्याग या शोषण से मुक्त एक सम्मानजनक और स्वस्थ बचपन और युवावस्था सुरक्षित हो।

बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन मानकों का एक सेट निर्धारित करता है, जिसे भारत सहित सभी राज्य पक्षों द्वारा सुनिश्चित किया जाना है, ताकि बच्चों के सर्वोत्तम हित को सुरक्षित किया जा सके और विशेष रूप से बच्चों के किसी भी प्रकार के शोषण, जैसे वेश्यावृत्ति, गैरकानूनी यौन गतिविधि या अश्लील प्रदर्शन और चित्रण के खिलाफ निवारक उपाय किए जा सकें। पॉक्सो इन संवैधानिक प्रावधानों को साकार करने की दिशा में एक विधायी अभिव्यक्ति है, जो अपनी दीर्घ प्रस्तावना में वर्णित किसी भी और सभी प्रकार के यौन दुर्व्यवहार और शोषण से निपटने और उसे रोकने के लिए एक विशेष ढांचा प्रदान करता है। पॉक्सो अधिनियम की दीर्घ प्रस्तावना का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

"लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों का संरक्षण करने और ऐसे अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना तथा उनसे संबंधित या आनुषंगिक विषयको के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम।

संविधान के अनुच्छेद 15 का खंड (3), अन्य बातों के साथ राज्य को बालकों के लिए विशेष उपबंध करने के लिए सशक्त करता है;

संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अंगीकृत बालकों के अधिकारों से संबंधित अभिसमय को, जो बालक के सर्वोत्तम हितों को सुरक्षित करने के लिए सभी राज्य पक्षकारों द्वारा पालन किए जाने वाले मानकों को विहित करता है, भारत सरकार ने तारीख 11 दिसम्बर, 1992 को अंगीकृत किया है;

और बालक के उचित विकास के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उसकी निजता और गोपनीयता के अधिकार का सभी प्रकार से तथा बालकों को अंतर्वलित करने वाली न्यायिक प्रक्रिया के सभी प्रक्रमों के माध्यम से संरक्षित और सम्मानित किया जाए;

और यह अनिवार्य है कि विधि ऐसी रीति से प्रवर्तित हो कि बालक के अच्छे शारीरिक, भावात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रक्रम पर बालक के सर्वोत्तम हित और कल्याण पर सर्वोपरि महत्व के रूप में ध्यान दिया जाए;

और बालक के अधिकारों से संबंधित अभिसमय के राज्य पक्षकारों से निम्नलिखित का निवारण करने के लिए सभी समुचित राष्ट्रीय, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय उपाय करना अपेक्षित है,-

(क) किसी विधिविरुद्ध लैंगिक क्रियाकलाप में लगाने के लिए किसी बालक को उत्प्रेरित या प्रपीडन करना;

(ख) वेश्यावृत्ति या अन्य विधिविरुद्ध लैंगिक व्यवसायों में बालकों का शोषणात्मक उपयोग करना;

(ग) अश्लील गतिविधियों और सामग्रियों में बालकों का शोषणात्मक उपयोग करना;

और बालकों के लैंगिक शोषण और लैंगिक दुरुपयोग जघन्य अपराध हैं, और उन पर प्रभावी रूप से कार्यवाही करने की आवश्यकता है।"

47. पॉक्सो की धारा 2(1) के उप-खंड (घ) के अनुसार "बालक" शब्द का अर्थ अठारह वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति है। इस प्रकार, पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत प्रयुक्त "बालक" शब्द की परिभाषा में लिंग भेद नहीं है, अर्थात् यह शब्द लिंग-तटस्थ और लिंग-निरपेक्ष दोनों है और इस प्रकार इसमें 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति शामिल होगा। संबंधित प्रावधान इस प्रकार है:-

"2. परिभाषाएँ-
(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(घ) "बालक" का अर्थ अठारह वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति है;"

48. धारा 2(1)(घक) "बाल पोर्नोग्राफ़ी" शब्द को इस प्रकार परिभाषित करती है और इसमें बालक को संलिप्त करते हुए किसी भी यौन रूप से प्रत्यक्ष आचरण का कोई भी दृश्य चित्रण शामिल है, जैसे कि तस्वीर, वीडियो, डिजिटल रूप से या कंप्यूटर द्वारा बनाई गई छवि जो वास्तविक बालक से अलग न हो, अर्थात्, किसी वास्तविक बालक की कोई स्व-निर्मित छवि या कोई अन्य छवि जो बनाई, रूपांतरित या परिवर्तित की गई हो, जो बालक को चित्रित करती प्रतीत होती हो। संबंधित प्रावधान इस प्रकार है:-

"2. परिभाषाएँ-
(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(घक) "बालक संबंधी अश्लील सामग्री" से किसी बालक को संलिप्त करते हुए लैंगिक संबंध बनाने के आचरण का कोई भी दृश्य चित्रण अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत फोटो, वीडियो, डिजिटल या कम्प्यूटर जनित ऐसी आकृति, जो वास्तविक बालक के समान लगे और सृजित, रूपांतरित या परिवर्तित हो, किन्तु बालक का चित्र प्रतीत होने वाली आकृति भी है;

49. पॉक्सो की धारा 15 यह स्पष्ट करती है और बताती है कि कब किसी बालक से संबंधित अश्लील सामग्री का भंडारण या कब्ज़ा, पॉक्सो के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा और आगे यह भी निर्धारित करती है कि बालक से संबंधित अश्लील सामग्री के भंडारण या कब्ज़े के लिए दण्ड़ क्या होगा। संबंधित प्रावधान इस प्रकार है:-

"15. बालकों को संलिप्त करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारकरण के लिए दंड –

(1) कोई भी व्यक्ति, जो बालक संबंधी अश्लील सामग्री को साझा या पारेषित करने के आशय से किसी बालक को संलिप्त करने वाली अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में भंडारकरण करता है या रखता है, किंतु उसे मिटाने या नष्ट करने या ऐसे अभिहित प्राधिकारी को, जो विहित किया जाए, रिपोर्ट करने में असफल रहता है, वह पांच हजार रूपए से अन्यून के जुर्माने से और दूसरे या पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रूपए से कम का नहीं होगा, दायी होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो किसी बालक को संलिप्त करने वाली अश्लील सामग्री का रिपोर्टिंग के ऐसे प्रयोजन के सिवाय, जो विहित किया जाए, या न्यायालय में उसका साक्ष्य के रूप में उपयोग करने के सिवाय किसी भी समय, किसी भी रीति में पारेषण या प्रदर्शन या प्रचार या वितरण करता है, वह किसी भी भांति के कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।

(3) कोई भी व्यक्ति, जो किसी बालक को संलिप्त करने वाली अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में

वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए भंडारकरण करता है या रखता है, वह पहली दोषसिद्धि पर किसी भी भांति के कारावास से, जो तीन वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा और दूसरी और पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में किसी भी भांति के कारावास से, जो पांच वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा, से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।"

50. यह ध्यान देने योग्य होगा कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 (संक्षेप में, "2019 संशोधन अधिनियम") के आधार पर पॉक्सो की धारा 15 में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया था, जिसके अंतर्गत कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। हम इस फैसले के उत्तरार्ध में धारा 15 के असंशोधित प्रावधान के साथ-साथ 2019 संशोधन अधिनियम के पीछे के उद्देश्य और प्रयोजन पर अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे।

51. पॉक्सो की धारा 30 में दोषी मानसिक स्थिति की धारणा का प्रावधान है और यह प्रावधान है कि जहाँ पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के लिए अभियुक्त की ओर से दोषी मानसिक स्थिति की आवश्यकता होती है, वहाँ अभियुक्त की ओर से ऐसी मानसिक स्थिति का अस्तित्व विशेष न्यायालय द्वारा माना जाएगा और अभियुक्त इस धारणा का खंडन करने के लिए स्वतंत्र होगा। दूसरे शब्दों में, अभियुक्त यह साबित कर सकता है कि अधिनियम के अंतर्गत किसी भी अपराध के संबंध में उसकी ऐसी कोई मानसिक स्थिति नहीं थी। प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार है:-

"30. आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा -
(1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में, जो अभियुक्त की ओर से आपराधिक मानसिक स्थिति की अपेक्षा करता है, विशेष न्यायालय ऐसी मानसिक दशा की विद्यमानता की उपधारणा करेगा, किन्तु अभियुक्त के लिए यह तथ्य साबित करने के लिए प्रतिरक्षा होगी कि उस अभियोजन में किसी अपराध के रूप में आरोपित कृत्य के संबंध में उसकी ऐसी मानसिक दशा नहीं थी।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी तथ्य का साबित किया जाना केवल तभी कहा जाएगा जब विशेष न्यायालय उसके युक्तियुक्त संदेह से परे विद्यमान होने पर विश्वास करता है और केवल तब नहीं जब इसकी विद्यमानता संभाव्यता की प्रबलता द्वारा स्थापित होती है।

स्पष्टीकरण—इस धारा में "आपराधिक मानसिक दशा" के अंतर्गत आशय, हेतुक, किसी तथ्य का ज्ञान और किसी तथ्य में विश्वास या विश्वास किए जाने का कारण भी है।"

52. इस न्यायालय ने इंडिपेंडेंट थॉट बनाम भारत संघ एवं अन्य, 2017 आईएनएससी 1030 के अपने निर्णय

में यह माना कि पॉक्सो की प्रस्तावना यह मान्यता और अधिदेश देती है कि अधिनियम और उसके प्रावधानों को इस प्रकार संचालित और व्याख्यायित किया जाना चाहिए जो बालकों के सर्वोत्तम हित और कल्याण में हो। इसमें i) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार का प्रभावी ढंग से समाधान किया जाए और ii) बच्चे के स्वस्थ शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास को प्रेरित किया जाए। प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:-

"42. [...] पॉक्सो अधिनियम की प्रस्तावना यह भी मानती है कि यह अनिवार्य है कि कानून "इस तरह से संचालित हो कि बच्चे के सर्वोत्तम हित और कल्याण को हर स्तर पर सर्वोपरि माना जाए, ताकि बच्चे का स्वस्थ, शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित हो सके"। अंत में, प्रस्तावना यह भी प्रावधान करती है कि "बच्चों का यौन शोषण और यौन दुर्व्यवहार जघन्य अपराध हैं और इसका प्रभावी ढंग से समाधान करने की आवश्यकता है"। [...]"

(प्रभाव वर्धित)

53. अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया बनाम सतीश, 2021 आईएनएससी 762 में, इस न्यायालय को पॉक्सो की संपूर्ण विधायी योजना का परीक्षण करने का अवसर मिला था। इसने माना कि पॉक्सो के प्रत्येक प्रावधान की व्याख्या अधिनियम के अन्य प्रावधानों के संदर्भ में और उस संदर्भ या पृष्ठभूमि के संदर्भ में की जानी चाहिए जिसके साथ कानून बनाया गया था, ताकि अधिनियम और उसके प्रावधानों को अधिक सार्थक और प्रभावी बनाया जा सके। इस न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि, पॉक्सो के प्रावधानों की व्याख्या करते समय, बच्चों पर यौन उत्पीड़न और शोषण के प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और इसके अलावा, न्यायालयों को संकीर्ण या रूढिवादी व्याख्या से बचना चाहिए, जो कानून को पराजित कर देगा; बल्कि, जहां विधायिका की आशय को प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है या उसे साकार नहीं किया जा सकता है, वहां अधिक प्रभावी परिणाम लाने के लिए कानून की सार्थक व्याख्या को अपनाया जाना चाहिए। प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:-

"33. [...] "उट रेस मैगिस वैलेट क्वाम पेरेट" सूक्ति में निहित व्याख्या के नियम के अनुसार, किसी नियम की व्याख्या से नियम को नष्ट करने के बजाय उसे प्रभावी बनाना चाहिए। प्रावधान की कोई भी संकीर्ण और रूढिवादी व्याख्या जो प्रावधान के उद्देश्य को विफल कर दे, स्वीकार नहीं की जा सकती। यह भी कहने की आवश्यकता नहीं है कि जहाँ विधानमंडल की आशय को प्रभावी नहीं बनाया जा सकता, वहाँ न्यायालय प्रभावी परिणाम लाने के उद्देश्य से अधिक साहसिक व्याख्या को स्वीकार करेंगे। [...]

37. [...] हालाँकि, यह समान रूप से स्थापित कानूनी स्थिति है कि किसी क़ानून के खंडों की व्याख्या अन्य प्रावधानों के संदर्भ में की जानी चाहिए ताकि विषय-वस्तु से संबंधित संपूर्ण क़ानून का एक सुसंगत अधिनियमन बनाया जा सके। न्यायालय इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हो सकता कि कम उम्र के बच्चों पर

किए गए दर्दनाक यौन हमले का प्रभाव उनके पूरे जीवन में रह सकता है, और उनकी मानसिक स्थिति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कुछ मामलों में पीड़ितों की पीड़ा अगाध/अथाह हो सकती है। इसलिए, पॉक्सो अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, इसके प्रावधानों, विशेष रूप से यौन हमले, यौन उत्पीड़न आदि से संबंधित, को अन्य प्रावधानों के संदर्भ में व्याख्या की जानी चाहिए, ताकि अधिनियम के उद्देश्यों को अधिक सार्थक और प्रभावी बनाया जा सके।"

(प्रभाव वर्धित)

54. न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट ने अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया (सुप्रा) में अपनी सहमति व्यक्त करते हुए आगे कहा कि पॉक्सो और इसके सूक्ष्म प्रावधानों को बच्चों की स्वायत्तता और गरिमा की रक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया था। यह उन कृत्यों और व्यवहार को आपराधिक बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था जिनमें नाबालिगों को परेशान करने, असहज करने या अपमानित करने की प्रवृत्ति होती है और इसलिए यह सुनिश्चित करना अदालतों का कर्तव्य है कि पॉक्सो के प्रावधानों की व्याख्या इस तरह से न की जाए जो इसके उद्देश्य या समय की तत्काल आवश्यकताओं को कम कर दे। प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:-

"11. महिलाओं और बच्चों की गरिमा और स्वायत्तता को कमज़ोर करने वाले कृत्यों से निपटने में क़ानून की सीमाएँ, जिनमें अब "स्टॉकिंग/पीछा करना" कहे जाने वाले व्यवहार से लेकर पौनोंग्राफी या शारीरिक संपर्क और उससे जुड़े कृत्य शामिल हैं, जो किसी दंडात्मक क़ानून का विषय नहीं थे, अन्य देशों में मान्यता प्राप्त थे और उपयुक्त विधायी उपाय अपनाए गए थे। न्यायमूर्ति त्रिवेदी के फ़ैसले में इनका विस्तार से ज़िक्र किया गया है। इन क़ानूनों में ऐसे व्यवहार को अपराध घोषित करने वाले सूक्ष्म प्रावधान हैं जिनमें- विभिन्न प्रकार और तरीकों का अवांछित शारीरिक संपर्क शामिल है, जिनमें महिलाओं और नाबालिगों (दोनों लिंगों के नाबालिगों सहित) को परेशान करने और असहज करने की प्रवृत्ति है, या उन्हें नीचा दिखाने की प्रवृत्ति है।

33. अंत में, मैं बेंजामिन कार्डोज़ो को उद्धृत करने से खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ कि "बड़ी लहरें और धाराएँ जो बाकी इंसानों को निगल जाती हैं, अपने रास्ते से हटकर न्यायाधीशों को नज़रअंदाज़ नहीं करतीं।" इसलिए, किसी भी न्यायाधीश का यह कर्तव्य नहीं है कि वह किसी क़ानून के स्पष्ट शब्दों को इतना तोड़-मरोड़ दे कि उसकी पहचान ही न हो और वह नष्ट होने की कगार पर पहुँच जाए, जिससे उस समय की पुकार नकार दी जाए कि बच्चों को अपनी स्वायत्तता और गरिमा की रक्षा के लिए बनाए गए क़ानून के आश्वासन की सख़्त ज़रूरत है, जैसा कि पॉक्सो में है।"

(प्रभाव वर्धित)

55. इसी प्रकार ईरा, द्वारा डॉ. मंजुला क्रिपेंडोर्फ बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) एवं अन्य, 2017 आईएनएससी 658 के मामले में, इस न्यायालय ने पाया कि पॉक्सो अधिनियम बच्चों को यौन

शोषण और उत्पीड़न से बचाने के उद्देश्य से लाया गया था। इसे बच्चे की भलाई और सर्वोत्तम हितों को सुरक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिसमें बच्चे की गरिमा की रक्षा इस कानून की रीढ़ है। गरिमा, सुरक्षा और हित, पॉक्सो का आधार हैं। संबंधित टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:-

"18. पॉक्सो अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के कथन और प्रस्तावना का उल्लेख करने का उद्देश्य यह समझना है कि वर्तमान प्रकृति का कानून लाने का उद्देश्य बच्चों को यौन हमले, उत्पीड़न और शोषण से बचाना और बच्चे के सर्वोत्तम हित को सुरक्षित करना है। प्रस्तावना के गहन और सूक्ष्म अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यह बालक की निजता और गोपनीयता के अधिकार की आवश्यकता को मान्यता देता है, जिसका संरक्षण और सम्मान प्रत्येक व्यक्ति द्वारा, बालक से संबंधित न्यायिक प्रक्रिया के सभी चरणों में, हर तरह से किया जाना चाहिए। बालक के स्वस्थ शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक चरण में सर्वोत्तम हित और कल्याण को सर्वोपरि माना जाता है। इसमें यह भी प्रावधान है कि यौन शोषण और यौन दुर्व्यवहार जघन्य अपराध हैं और इनका प्रभावी ढंग से समाधान किया जाना आवश्यक है। उद्देश्यों और कारणों का कथन संवैधानिक अधिदेश को ध्यान में रखते हुए, इसकी नीति को इस दिशा में निर्देशित करता है कि बालकों की कोमल आयु का दुरुपयोग न हो, उनका बचपन शोषण से सुरक्षित रहे और उन्हें स्वस्थ तरीके से, स्वतंत्रता और गरिमा के साथ विकसित होने की सुविधाएँ प्रदान की जाएँ। इसमें यह भी उल्लेख है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है कि बालक के हित, पीड़ित और साक्षी, दोनों रूपों में, संरक्षित किए जाने चाहिए। बाल-अनुकूल प्रक्रिया प्रदान करने पर बल दिया गया है। इस कानून की योजना में बालक की गरिमा पर अत्यधिक बल दिया गया है। पॉक्सो अधिनियम की अन्तर्वस्तु में संरक्षण और हित का प्रमुख स्थान है।

63. [...] जैसा कि मैंने पहले बताया है, पॉक्सो अधिनियम उन विभिन्न पहलुओं से व्यापक रूप से विचार करता है जो किसी बच्चे की शारीरिक पहचान और मानसिक स्थिति को ठेस पहुँचा सकते हैं। विधायिका ने न्यायिक कार्यवाही के प्रत्येक चरण में बच्चों के हितों और कल्याण की रक्षा के लिए यौन हमले, यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के मामलों पर अत्यंत विस्तृत तरीके से विचार किया है। प्रक्रिया बच्चों के अनुकूल है और पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वातावरण अनुकूल होना चाहिए। बच्चे की गरिमा की रक्षा इस कानून की रीढ़ है। [...]"

(प्रभाव वर्धित)

56. नवाबुद्दीन बनाम उत्तराखंड राज्य 2022 आईएनएससी 162 में इस न्यायालय ने माना कि बच्चों के यौन हमले, शोषण या उत्पीड़न के किसी भी कृत्य से सख्ती से निपटा जाना चाहिए और अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पॉक्सो के अंतर्गत किसी अपराध से निपटने में कोई नरमी नहीं दिखाई जानी चाहिए। प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:-

"10. उपरोक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए और बच्चों को यौन हमले, यौन उत्पीड़न के अपराधों से बचाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 39 के अंतर्गत जो प्रावधान किया गया है उसे प्राप्त करने के लिए पॉक्सो अधिनियम, 2012 लागू किया गया है। बच्चों के साथ यौन हमले या यौन उत्पीड़न के किसी भी कृत्य को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए और बच्चों पर यौन हमले, यौन उत्पीड़न के ऐसे सभी अपराधों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए और पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत अपराध करने वाले व्यक्ति के साथ कोई नरमी नहीं दिखाई जानी चाहिए। यौन हमले, यौन उत्पीड़न के कृत्य के अनुरूप उचित दंड देकर, व्यापक समाज को यह संदेश दिया जाना चाहिए कि यदि कोई भी व्यक्ति पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत यौन हमले, यौन उत्पीड़न या बच्चों का अश्लील उद्देश्यों के लिए उपयोग करने का अपराध करता है, तो उसे उचित दंड दिया जाएगा और उसके प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। बच्चों पर यौन हमले या यौन उत्पीड़न के मामले विकृत यौन लालसा के उदाहरण हैं, जहाँ इस तरह के नीच यौन सुख की तलाश में मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा जाता है।"

(प्रभाव वर्धित)

ख. आईटी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान

57. इस मामले से जुड़े मुद्दों के बेहतर और प्रभावी निर्णय के लिए, आईटी अधिनियम का संदर्भ लेना उचित होगा, जिसमें कई प्रावधान भी हैं, विशेष रूप से क्रमशः धारा 67, 67क और 67ख, जो बाल पोर्नोग्राफ़ी सहित अश्लील सामग्री के उपयोग, प्रसारण और प्रकाशन को दंडित करते हैं। ये प्रावधान मिलकर इस संबंध में आईटी अधिनियम में निहित व्यापक दंडात्मक प्रावधानों की अम्ब्रेला योजना का निर्माण करते हैं।

58. आईटी अधिनियम की धारा 67 वह प्रमुख प्रावधान है जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में "अश्लील सामग्री" के प्रकाशन या प्रसारण को आपराधिक बनाता है और एक अपराध का गठन करता है। आईटी अधिनियम की धारा 67क एक अधिक गंभीर अपराध है, जो पिछले प्रावधान की तुलना में अधिक दंड का प्रावधान करती है। यह 'अश्लील सामग्री' के दायरे को और बढ़ाते हुए यह प्रावधान करती है कि कोई भी अश्लील सामग्री जिसमें कोई कामुक यौन कृत्य या आचरण शामिल हो या उसका चित्रण हो, प्रकाशित या प्रसारित होने पर उक्त प्रावधान के अंतर्गत दंडनीय होगी।

59. आईटी अधिनियम की धारा 67ख विशेष रूप से बाल अश्लील सामग्री से संबंधित है। यह किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में उन अश्लील सामग्रियों को अपने दायरे में लाकर और भी गंभीर अपराध का प्रावधान करती है जो किसी बच्चे को किसी भी यौन कृत्य या आचरण में दर्शाती हैं, साथ ही, 'दोषपूर्ण कृत्य' के दायरे का और विस्तार करते हुए, इस प्रावधान के अंतर्गत दंडनीय अपराध में न केवल प्रकाशन या प्रसारण शामिल है, बल्कि ब्राउज़िंग, निर्माण, संग्रह, ऑनलाइन सुविधा या बच्चों को किसी भी यौन कृत्य या आचरण के लिए लुभाना आदि भी शामिल है। उक्त प्रावधान इस प्रकार है:-

"67ख. कामुकता व्यक्त करने वाले कार्य आदि में बालकों को चित्रित करने वाली सामग्री को इलैक्ट्रानिक रूप में प्रकाशित या पारेषित करने के लिए दंड – जो कोई,—

(क) किसी इलैक्ट्रानिक रूप में ऐसी कोई सामग्री प्रकाशित या पारेषित करेगा या प्रकाशित या पारेषित कराएगा, जिसमें कामुकता व्यक्त करने वाले कार्य या आचरण में लगाए गए बालकों को चित्रित किया जाता है; या

(ख) अश्लील या अभद्र या कामुकता व्यक्त करने वाली रीति में बालकों का चित्रण करने वाली सामग्री का पाठ या अंकीय चित्र किसी इलैक्ट्रानिक रूप में तैयार करेगा, संगृहीत करेगा, प्राप्त करेगा, पढ़ेगा, डाउनलोड करेगा, उसे बढ़ावा देगा, आदान-प्रदान या वितरित करेगा; या

(ग) कामुकता व्यक्त करने वाले कार्य के लिए और उसके संबंध में या ऐसी रीति में बालकों को एक या अधिक बालकों के साथ आन-लाइन संबंध के लिए लगाएगा, फुसलाएगा या उत्प्रेरित करेगा, जो कंम्प्यूटर संसाधन पर किसी युक्तियुक्त वयस्क को बुरी लग सकती है; या

(घ) आन-लाइन बालकों का दुरूपयोग किए जाने को सुविधाजनक बनाएगा, या

(ङ) बालकों के साथ कामुकता व्यक्त करने वाले कार्य के संबंध में अपने दुर्व्यवहार को किसी इलैक्ट्रानिक रूप में अभिलिखित करेगा, तो वह प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस लाख रूपए तक का हो सकेगा, और दूसरी और पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो दस लाख रूपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा:

परन्तु धारा 67, धारा 67क और इस धारा के उपबंधों का विस्तार निम्नलिखित किसी पुस्तक, पर्चे, पत्र, लेख, रेखाचित्र, पेंटिंग, प्रदर्शन या इलैक्ट्रानिक रूप में आकृति पर नहीं है:-

(i) जिसका प्रकाशन इस आधार पर जनकल्याण के रूप में न्यायोचित साबित किया गया हो कि ऐसी पुस्तक, पर्चे, पत्र, लेख, रेखाचित्र, पेंटिंग, प्रदर्शन या आकृति, विज्ञान, साहित्य या शिक्षण या सामान्य महत्व के अन्य उद्देश्यों के हित है; या

(ii) जो सद्भाविक परंपरा या धार्मिक प्रयोजनों के लिए रखी या प्रयुक्त की गई है।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "बालक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।"

ii. पॉक्सो की धारा 15 और आईटी अधिनियम की धारा 67ख का दायरा

60. इस मामले में, हमारा सरोकार पॉक्सो की धारा 15 और आईटी अधिनियम की धारा 67ख की व्याख्या, विशेष रूप से इन दोनों प्रावधानों के दायरे और इनमें से प्रत्येक के अंतर्गत अपराध क्या होगा, से है। दूसरे शब्दों में, पॉक्सो की धारा 15 और आईटी अधिनियम की धारा 67ख के अंतर्गत वास्तव में क्या दंडनीय बनाया

गया है और इसके अंतर्गत अपराध स्थापित करने या बनाने के लिए आवश्यक तत्व या घटक क्या हैं।

क. इस विषय पर विभिन्न उच्च न्यायालयों के विरोधाभासी दृष्टिकोंण

61. उपर्युक्त दोनों प्रावधानों के विश्लेषण से पहले, विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों और पॉक्सो की धारा 15 और आईटी अधिनियम की धारा 67ख के दायरे के संबंध में व्यक्त की गई राय के मतभेद का उल्लेख करना उचित होगा।

62. नूपुर घाटगे बनाम मध्य प्रदेश राज्य (एमसीआरसी सं. 52596/2020) के मामले में, अभियुक्त पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बाल अश्लील वीडियो और तस्वीरें अपलोड करने का आरोप लगाया गया था और इस प्रकार, उसके खिलाफ आईटी अधिनियम की धारा 67ख के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ ने माना कि धारा 67ख इलेक्ट्रॉनिक रूप में किसी भी बाल अश्लील सामग्री को देखने या प्रसारित करने सहित विभिन्न प्रकार के कृत्यों को दंडित करती है। इसने आगे कहा कि ऐसी सामग्री के प्रसारण या साझा करने में किसी भी संलिप्तता की अनुपस्थिति या अभियुक्त की मानसिक स्थिति के संबंध में अभियुक्त के किसी भी बचाव को सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत रद्द करने के चरण में नहीं देखा जा सकता है। प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:-

"आवेदक द्वारा दाखिल व्हाट्सएप चैट से ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक स्वयं अश्लील गतिविधियों में शामिल था, इसलिए अधिनियम, 2000 की धारा 67ख का प्रावधान लागू होगा क्योंकि अधिनियम, 2000 की धारा 67-ख में बच्चों के साथ यौन रूप से कामुक कृत्य से संबंधित स्वयं के या दूसरों के दुर्व्यवहार के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रिकॉर्ड भी शामिल हैं।

अपना बचाव साबित करने का भार आवेदक पर है, जिस पर यह न्यायालय सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्णय नहीं ले सकता।"

63. पी.जी. सैम इन्फैंट जोन्स बनाम राज्य पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व 2021 एससीसी ऑनलाइन मद्रास 2241 में, आरोपी पर अपने ईमेल और सोशल मीडिया खाते के माध्यम से बाल अश्लील सामग्री ब्राउज़ करने, डाउनलोड करने और प्रसारित करने का आरोप लगाया गया था। तदनुसार, उसके विरुद्ध पाक्सो की धारा 15(1) और आईटी अधिनियम की धारा 67बी के अंतर्गत अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद आरोपी ने मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै बेंच के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दायर की। मद्रास उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि हालांकि अभिव्यक्ति और निजता के व्यक्तिगत अधिकार को देखते हुए निजी क्षेत्र में अश्लील सामग्री देखना अपराध नहीं हो सकता है, लेकिन बाल अश्लील सामग्री ऐसे व्यक्तिगत अधिकारों के दायरे से बाहर है और एक अलग श्रेणी में आती है। न्यायालय ने माना कि धारा 67बी बाल अश्लील सामग्री से संबंधित विभिन्न प्रकार के कृत्यों को दंडित करती है, जिसमें ऐसी सामग्री देखना

भी शामिल है। प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं: -

3. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि 27.06.2020 को 17.38:51 बजे याचिकाकर्ता ने एयरटेल सिम संख्या 9787973370 का उपयोग करके अपने ई-मेल और फेसबुक खाते के माध्यम से बाल अश्लील सामग्री को ब्राउज़ किया, डाउनलोड किया और प्रसारित किया।

5. निजी तौर पर अश्लील सामग्री देखना अपराध नहीं होगा।
अपराध वह कृत्य है जो कानून द्वारा निषिद्ध है और दंडनीय है। भारतीय दंड संहिता की धारा 40 में यही परिभाषा दी गई है। वर्तमान में, ऐसे निजी कृत्यों को प्रतिबंधित करने वाला कोई प्रावधान नहीं है। कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निजता के अधिकार के अंतर्गत भी मानते हैं। लेकिन बाल पोर्नोग्राफी इस स्वतंत्रता के दायरे से बाहर है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67-बी बाल पोर्नोग्राफी से संबंधित हर प्रकार के कृत्य को दंडनीय बनाती है। [...] इसलिए, बाल पोर्नोग्राफी देखना भी अपराध है।
(महत्त्व दिया गया)

64. अजिन सुरेंद्रन बनाम केरल राज्य व अन्य 2022 केरला 7207 मामले में, आरोपी के मोबाइल फोन में बाल अश्लील वीडियो पाए गए थे। एर्नाकुलम स्थित केरल उच्च न्यायालय ने पाया कि पाक्सो की धारा 15 तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति किसी बच्चे से संबंधित अश्लील सामग्री को साझा करने या प्रसारित करने के इरादे से संग्रहीत या अपने पास रखता है, जबकि आईटी अधिनियम की धारा 67बी तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऐसी सामग्री को ब्राउज़ या डाउनलोड करता है। तदनुसार, न्यायालय ने माना कि आरोपी के मोबाइल फोन में पाए गए वीडियो को देखते हुए, प्रथम दृष्टया उपरोक्त दोनों प्रावधान पूरी तरह से लागू होते हैं, और इस प्रकार आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए धारा 482 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं: -

"3. मैंने प्रथम सूचना वक्तव्य और अंतिम रिपोर्ट दोनों का अध्ययन किया है। इससे स्पष्ट होता है कि मोबाइल फोन याचिकाकर्ता का है और सिम कार्ड की जांच करने पर पाया गया कि मेमोरी कार्ड में बच्चों के अश्लील वीडियो संग्रहीत थे। पाक्सो अधिनियम की धारा 15 तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति किसी बच्चे से संबंधित अश्लील सामग्री को साझा करने या प्रसारित करने के इरादे से संग्रहीत या अपने पास रखता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67बी(बी) तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति अन्य बातों के अलावा, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऐसी सामग्री ब्राउज़ या डाउनलोड करता है जिसमें बच्चों को अश्लील, अभद्र या यौन रूप से स्पष्ट तरीके से दर्शाया गया हो। इस प्रकार, दोनों धाराएं स्पष्ट रूप से लागू होती हैं। जब प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तो धारा 482 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता।"
(महत्त्व दिया गया)

65. मैनुअल बेनी बनाम केरल राज्य 2022 केरल 9730 मामले में पाया गया कि आरोपी ने निजी तौर पर

देखने के लिए 'टेलीग्राम' नामक मैसेजिंग ऐप से बच्चों को यौन रूप से आपत्तिजनक तरीके से दर्शाने वाले अश्लील वीडियो अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड और स्टोर किए थे। तदनुसार, आरोपी के विरुद्ध पोक्सो की धारा 15 और आईटी अधिनियम की धारा 67बी के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। जब अंतिम रिपोर्ट दाखिल की गई, तो पोक्सो की धारा 15 के अंतर्गत अपराध को हटा दिया गया और केवल आईटी अधिनियम की धारा 67बी के अंतर्गत अपराध के लिए आरोप पत्र दाखिल किया गया। आरोपी ने एर्नाकुलम स्थित केरल उच्च न्यायालय में इस आधार पर याचिका दायर की कि यदि आरोप पत्र में दी गई सामग्री को भी सत्य मान लिया जाए, तो भी आईटी अधिनियम की धारा 67बी के अंतर्गत अपराध गठित करने के लिए कोई भी आवश्यक तत्व सिद्ध नहीं होते हैं। उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायमूर्ति ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67बी के अंतर्गत अपराध को आकर्षित करने के लिए, संबंधित अश्लील सामग्री को स्वेच्छा से डाउनलोड किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आरोपी का अश्लील सामग्री को देखने के उद्देश्य से डाउनलोड करने का आशय होना चाहिए, तभी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67बी के अंतर्गत अपराध बनता है। विद्वान एकल न्यायमूर्ति ने आगे कहा कि एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार, बाल अश्लील वीडियो 'टेलीग्राम' नामक मैसेजिंग ऐप के माध्यम से देखे गए थे, जिसमें वीडियो के स्वचालित रूप से डाउनलोड होने की संभावना होती है। चूंकि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि आरोपी ने स्वेच्छा से संबंधित अश्लील सामग्री को डाउनलोड या ब्राउज़ किया था, इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67बी के अंतर्गत प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है, और इस प्रकार उच्च न्यायालय ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं: -

"5. अंतिम रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध एकमात्र आरोप यह है कि उसने 'टेलीग्राम' नामक एप्लिकेशन से बच्चों को अश्लील, अभद्र और यौन रूप से आपत्तिजनक तरीके से दर्शाने वाली सामग्री डाउनलोड की और उसका आनंद लिया। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67बी के अंतर्गत अपराध के लिए, वीडियो या सामग्री को स्वेच्छा से किसी डिवाइस में डाउनलोड किया जाना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, याचिकाकर्ता का इरादा सामग्री को देखने के उद्देश्य से डाउनलोड करना होना चाहिए। याचिकाकर्ता का स्पष्ट दावा है कि उसने कोई भी आपत्तिजनक सामग्री डाउनलोड नहीं की। यहां तक कि अनुलग्नक ए3 एफएसएल रिपोर्ट में भी देखा गया है कि उन छवियों का स्रोत एंड्रॉइड बैकअप है और बाल अश्लील वीडियो 'टेलीग्राम' के माध्यम से देखे गए थे। माननीय अतिरिक्त डीजीपी ने प्रस्तुत किया कि 'टेलीग्राम' में प्रेषित सामग्री डिफ़ॉल्ट रूप से मोबाइल फोन में स्वचालित रूप से डाउनलोड हो सकती है। इसलिए, 'टेलीग्राम' ऐप की विशेषताओं को देखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता ने जानबूझकर सामग्री डाउनलोड की है।

चूंकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि याचिकाकर्ता ने बाल अश्लील सामग्री देखी या डाउनलोड की है, इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67बी के अंतर्गत अपराध लागू नहीं होता है। अतः, इस मामले पर आगे कार्यवाही करने का कोई औचित्य नहीं है। तदनुसार, आपराधिक याचिका स्वीकार की

जाती है। मेलुकावु पुलिस स्टेशन के अपराध संख्या 531/2020 में संलग्न ए2 अंतिम रिपोर्ट के अनुसार, जो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, एराट्टुपेट्टा की न्यायालय में सीसी संख्या 257/2021 के रूप में लंबित है, सभी आगे की कार्यवाही रद्द की जाती है।"

(महत्त्व दिया गया)

66. लक्ष्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य (आपराधिक रिट याचिका संख्या 479/2022) मामले में, आरोपी ने अपने मोबाइल में एक बाल अश्लील वीडियो देखा और संग्रहीत किया था, जिसे उसने बाद में अपने अन्य मित्रों और सह-आरोपियों को दिखाया। उपरोक्त के आधार पर, आरोपियों के विरुद्ध पाक्सो की धारा 15(1) और (3) के साथ-साथ आईटी अधिनियम की धारा 67बी के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। आरोपियों ने उन्मोचन (डिस्चार्ज) के लिए आवेदन दिया, जिसे परीक्षण न्यायालय ने निरस्त कर दिया। इसके बाद आरोपियों ने बॉम्बे उच्च न्यायालय, नागपुर बेंच के समक्ष अपील दायर की। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायमूर्ति ने अपील निरस्त कर दी और परीक्षण न्यायालय द्वारा उन्मोचन (डिस्चार्ज) आवेदन की अस्वीकृति को बरकरार रखा। उच्च न्यायालय ने माना कि केवल इसलिए कि आरोपी प्रश्नगत अश्लील सामग्री का निर्माता नहीं था, यह नहीं कहा जा सकता कि कोई अपराध नहीं बनता है। इसमें कहा गया है कि आरोपी द्वारा अश्लील सामग्री को संग्रहित करना और आगे भेजना तथा उसे हटाने या रिपोर्ट करने में उसकी विफलता पाक्सो की धारा 15(1) और (2) तथा आईटी अधिनियम की धारा 67बी के दायरे में स्पष्ट रूप से आती है।

हालांकि, उच्च न्यायालय ने पाक्सो की धारा 15(3) के अंतर्गत अपराध पर ध्यान नहीं दिया, जो आरोपपत्र में शामिल था, क्योंकि अन्य अपराधों के लिए आरोपियों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला पहले ही स्थापित हो चुका था। प्रासंगिक टिप्पणी इस प्रकार है: -

"8. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान एपीपी की सहायता से, मैंने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67-बी और पाक्सो अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानों का अध्ययन किया है। अभियुक्तों के विरुद्ध मुख्य आरोप यह है कि उन्होंने पोर्न वीडियो को संग्रहित किया, अग्रेषित किया और आपस में साझा किया। यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि वे पोर्न वीडियो के निर्माता नहीं हैं, तो भी मेरी राय में उन्हें उन्मोचन (डिस्चार्ज) होने का लाभ नहीं दिया जा सकता। [...]

9. मेरी राय में, पाक्सो अधिनियम की धारा 15 का संपूर्ण अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्तों द्वारा किसी बच्चे से संबंधित अश्लील सामग्री को संग्रहित करना, अग्रेषित करना और अपने पास रखना पाक्सो अधिनियम की धारा 15(1) और (2) के अंतर्गत आता है। वे इसे हटाने, नष्ट करने या नामित

प्राधिकारी को सूचित करने में विफल रहे। अभियोजन पक्ष के अनुसार, उन्होंने उक्त अश्लील वीडियो को संग्रहित किया, अपने पास रखा और प्रसारित किया। इसलिए, मेरी राय में, इस स्तर पर अभियुक्तों के लिए पाक्सो अधिनियम की धारा 15(1) और (2) के शिकंजे से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है।

10. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67-बी के अंतर्गत बच्चों को यौन रूप से स्पष्ट कृत्यों में दर्शाने वाली सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या प्रसारित करने पर दंड का प्रावधान है। यदि धारा 67-बी के मूल तत्व को प्रथम दृष्टया इस मामले के तथ्यों पर लागू किया जाए, तो यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आरोपी का कृत्य आईटी अधिनियम की धारा 67-बी के अंतर्गत आता है। मेरी राय में, आरोपियों के विरुद्ध लगे आरोपों और जांच के दौरान एकत्र की गई तथा आरोपपत्र में संकलित सामग्री के आधार पर, आरोपियों के तर्क को स्वीकार करना बहुत कठिन होगा। यह सच है कि आवेदक युवा हैं। वे छात्र हैं। वे प्रतिष्ठित परिवार से हैं। हालांकि, उन्मोचित (डिस्चार्ज) करने के आवेदन पर निर्णय लेते समय इसे ध्यान में नहीं रखा जा सकता। यदि इस आधार पर इस दलील को स्वीकार किया जाता है, तो यह उन व्यक्तियों के प्रति अनुचित सहानुभूति दिखाने के अलावा और कुछ नहीं होगा जिन पर प्रथम दृष्टया अपराध करने का आरोप है।

(महत्त्व दिया गया)

67. शांतिशलाल टी. बनाम केरल राज्य 2024 केरल 3596) मामले में, जांच के दौरान आरोपी के उपकरण से एक बच्चे से संबंधित कुछ अश्लील वीडियो बरामद किए गए थे। तदनुसार, आरोपी के विरुद्ध पाक्सो की धारा 15(1) और आईटी अधिनियम की धारा 67बी के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए आरोपपत्र दाखिल किया गया था। आरोपी ने एर्नाकुलम स्थित केरल उच्च न्यायालय में आरोपपत्र रद्द करने की याचिका दायर की, जिसमें माननीय एकल न्यायमूर्ति ने निम्नलिखित दृष्टिकोण अपनाते हुए उपरोक्त आरोपपत्र और आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया: -

(i) सर्वप्रथम, विद्वान एकल न्यायमूर्ति ने यह माना कि पाक्सो की धारा 15(1) के प्रावधान को लागू करने के लिए बाल अश्लील सामग्री का संग्रहण या कब्ज़ा होना आवश्यक है और यह भी सिद्ध होना चाहिए कि ऐसी सामग्री आरोपी व्यक्ति द्वारा साझा या प्रसारित की गई थी। मात्र अश्लील सामग्री का कब्ज़ा या संग्रहण अपने आप में पाक्सो की धारा 15(1) के अंतर्गत अपराध नहीं है, जब तक यह सिद्ध न हो जाए कि आरोपी व्यक्ति ने वास्तव में ऐसी सामग्री साझा या प्रसारित की थी। दूसरे शब्दों में, धारा 15(1) के अंतर्गत अपराध गठित करने के लिए, यौन रूप से स्पष्ट कृत्य या आचरण में बच्चे को दर्शाने वाली अश्लील सामग्री का वास्तविक प्रसारण या साझाकरण होना आवश्यक है, जो आरोपी के पास संग्रहीत या कब्ज़े में पाई गई हो।

संबंधित टिप्पणी इस प्रकार है:
"9. प्रावधान को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि किसी बच्चे से संबंधित अश्लील सामग्री को किसी भी रूप में संग्रहित करना या अपने पास रखना और उसे नष्ट न करना या निर्धारित प्राधिकारी को सूचित न करना,

यदि ऐसा करने का इरादा बाल अश्लील सामग्री को साझा करना या प्रसारित करना हो, तो यह एक अपराध होगा। अतः, केवल अश्लील सामग्री को संग्रहित करना या अपने पास रखना, पाक्सो अधिनियम की धारा 15(1) के अंतर्गत अपराध नहीं है, यदि ऐसा संग्रहित करना या अपने पास रखना उसे साझा करने या प्रसारित करने के इरादे के बिना किया गया हो। इसलिए, केवल अश्लील सामग्री को संग्रहित करना या अपने पास रखना अपने आप में अपराध नहीं है। अतः, पाक्सो अधिनियम की धारा 15(1) के अंतर्गत अपराध सिद्ध होने के लिए, संग्रहित या कब्जे में रखी गई अश्लील सामग्री को साझा या प्रसारित किया जाना चाहिए। इस मामले में, यह साबित करने के लिए कोई सबूत उपलब्ध नहीं है कि आरोपी ने अश्लील सामग्री को साझा या प्रसारित किया, हालांकि उसे संग्रहित करना पाया गया था। अतः, इस मामले में पाक्सो अधिनियम की धारा 15(1) के अंतर्गत अपराध सिद्ध नहीं होता है। "

(महत्त्व दिया गया)

(ii) दूसरे, यह टिप्पणी की गई कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67बी के प्रयोजनों के लिए भी, यह दर्शाने के लिए कुछ सामग्री होनी चाहिए कि आरोपी व्यक्ति ने किसी बच्चे को यौन रूप से स्पष्ट कृत्य या आचरण में दर्शाने वाली कोई सामग्री इलेक्ट्रॉनिक रूप में ब्राउज़, डाउनलोड, प्रकाशित, प्रसारित या निर्मित की हो। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67बी के अंतर्गत अपराध गठित करने के लिए, आरोपी व्यक्ति ने जानबूझकर किसी बच्चे से संबंधित अश्लील सामग्री को डाउनलोड, ब्राउज़, रिकॉर्ड या प्रसारित किया होना चाहिए। अश्लील सामग्री को साझा करने या प्रसारित करने के आरोपी के विशिष्ट इरादे को दर्शाने या स्थापित करने वाली किसी भी सामग्री के अभाव में, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67बी के अंतर्गत कोई अपराध नहीं बनता है। ऐसी सामग्री का कोई भी आकस्मिक या स्वचालित डाउनलोड उक्त प्रावधान के दायरे में नहीं आएगा। प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं: -

"11. इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऐसी कोई सामग्री प्रकाशित करना, प्रसारित करना या करवाना जिसमें बच्चों को यौन रूप से स्पष्ट कृत्य या आचरण में लिप्त दिखाया गया हो या टेक्स्ट या डिजिटल छवियों का निर्माण आदि भी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67बी के अंतर्गत आते हैं।

13. अतः, निर्णय के अनुसार, यौन रूप से स्पष्ट कृत्य या आचरण में लिप्त बच्चों का स्वचालित या आकस्मिक डाउनलोड करना धारा 67बी के अंतर्गत अपराध नहीं है, बशर्ते कि अभियोजन अभिलेखों में शामिल सामग्रियों द्वारा ऐसा करने का विशिष्ट इरादा स्थापित न हो।

14. प्रस्तुत मामले में, जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि आरोपी के डिवाइस में कुछ अश्लील संदेश मिले हैं जिनमें बच्चों को यौन रूप से आपत्तिजनक कृत्यों या व्यवहार में लिप्त दिखाया गया है। लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो कि याचिकाकर्ता ने जानबूझकर इन्हें डाउनलोड किया, देखा या रिकॉर्ड किया। विशेष रूप से, ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो कि याचिकाकर्ता

ने इन्हें किसी भी तरह से साझा किया, प्रसारित किया या प्रकाशित किया।

15. इस प्रकार, उपलब्ध सामग्री से आईटी अधिनियम की धारा 67बी के अंतर्गत प्रथम दृष्टया अपराध सिद्ध होने के कोई प्रमाण नहीं मिलते।

(महत्त्व दिया गया)

चूंकि आरोपी के उपकरण से अश्लील सामग्री बरामद होने के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह पता चले कि उसने इसे साझा किया था, प्रसारित किया था या जानबूझकर डाउनलोड किया था। ऐसी परिस्थितियों में, माननीय एकल न्यायमूर्ति ने माना कि पाक्सो की धारा 15(1) या आईटी अधिनियम की धारा 67बी के अंतर्गत प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है और इसलिए, आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।

68. इसी प्रकार, आकाश विजय बनाम केरल राज्य 2024 केरल 42626 मामले में, केरल उच्च न्यायालय ने शांतिशलाल टी (उपरोक्त) के निर्णय पर भरोसा करते हुए यह माना कि किसी बच्चे से संबंधित अश्लील सामग्री का मात्र संग्रहण या कब्ज़ा, पाक्सो की धारा 15 या आईटी अधिनियम की धारा 67बी के अंतर्गत अपराध नहीं बनता है, जब तक कि यह साबित करने के लिए कोई सबूत न हो कि आरोपी व्यक्ति ने जानबूझकर उक्त सामग्री डाउनलोड की या देखी, या उसने उसे साझा या प्रसारित किया। प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं: -

"6. अभियोजन पक्ष के अभिलेखों की जाँच करने पर, जाँच के दौरान ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली जिससे यह सिद्ध हो कि याचिकाकर्ता ने जानबूझकर वीडियो डाउनलोड किया, देखा या रिकॉर्ड किया हो, और न ही ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध है जिससे यह सिद्ध हो कि याचिकाकर्ता ने किसी भी तरह से वीडियो साझा किया, प्रसारित किया या प्रकाशित किया हो। आरोप केवल इतना है कि आरोपी के मोबाइल फोन में अश्लील वीडियो मौजूद था।"

8. इस मामले के तथ्यों को पढ़ने से पता चलता है कि ये शांतिशलाल टी. के मामले (उपरोक्त) में निपटाए गए तथ्यों के समान हैं। इसलिए, उसी अनुपात को लागू करते हुए, यह आपराधिक याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है।

(महत्त्व दिया गया)

69. अखिल जॉनी बनाम केरल राज्य 2024 केरल 53767 मामले में, केरल उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायमूर्ति ने यह माना कि जहां आरोप केवल आरोपी के मोबाइल फोन या हार्ड डिस्क में किसी बच्चे से संबंधित अश्लील सामग्री की उपस्थिति तक सीमित हैं, वहां पाक्सो की धारा 15 या आईटी अधिनियम की

धारा 67बी के अंतर्गत कोई अपराध नहीं बनता है और इस प्रकार आपराधिक कार्यवाही रद्द की जा सकती है। प्रासंगिक टिप्पणियां इस प्रकार हैं: -

"6. अभियोजन पक्ष के अभिलेखों की जाँच करने पर, जाँच के दौरान ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली जिससे यह सिद्ध हो कि याचिकाकर्ता ने जानबूझकर वीडियो डाउनलोड किया, देखा या रिकॉर्ड किया हो, और न ही ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध है जिससे यह सिद्ध हो कि याचिकाकर्ता ने किसी भी तरह से वीडियो साझा किया, प्रसारित किया या प्रकाशित किया हो। आरोप केवल इतना है कि आरोपी के मोबाइल फोन में अश्लील वीडियो मौजूद था।"

8. इस मामले के तथ्यों को पढ़ने से पता चलता है कि ये शांतिशलाल टी. के मामले (उपरोक्त) में निपटाए गए तथ्यों के समान हैं। इसलिए, उसी अनुपात को लागू करते हुए, यह आपराधिक याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है।

(महत्त्व दिया गया)

70. इनायथुल्ला एन (1) बनाम राज्य 2024 केएचसी 26513 मामले में, आरोपी पर एक वेबसाइट ब्राउज़ करने और एक बच्चे से संबंधित अश्लील सामग्री देखने का आरोप लगाया गया था। तदनुसार, उसके विरुद्ध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67बी के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायमूर्ति ने माना कि धारा 67बी का सार किसी भी ऐसी सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण में निहित है जिसमें किसी बच्चे को किसी भी यौन रूप से स्पष्ट आचरण में दर्शाया गया हो, और ऐसी सामग्री को केवल ब्राउज़ करने या देखने से उपरोक्त प्रावधान लागू नहीं होता है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे मामलों में जांच को भी जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और इस प्रकार, आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं: -

"7. [...] सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67बी उन व्यक्तियों को दंडित करती है जो बच्चों को यौन रूप से स्पष्ट कृत्यों में दर्शाने वाली सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या प्रसारित करते हैं। इस प्रावधान का मूल उद्देश्य बच्चों को यौन रूप से स्पष्ट कृत्यों में दर्शाने वाली सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करना है।"

8. याचिकाकर्ता पर आरोप है कि उसने एक अश्लील वेबसाइट देखी है। न्यायालय के विचार में, यह सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण नहीं माना जाएगा, जैसा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67बी के अंतर्गत आवश्यक है। जैसा कि तर्क दिया गया है, याचिकाकर्ता अधिक से अधिक एक पोर्न एडिक्ट हो सकता है, जिसने अश्लील सामग्री देखी हो। याचिकाकर्ता पर इससे अधिक कोई आरोप नहीं है। यदि तथ्यों की तुलना सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67बी के अंतर्गत आवश्यक तत्वों से की जाए, तो यह

स्पष्ट रूप से सामने आएगा कि आगे की कार्यवाही जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह विधि का दुरुपयोग होगा। [...]

9. सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त सिद्धांतों के आधार पर यह माना है कि यदि शिकायत में उल्लिखित तथ्यों को सत्य भी मान लिया जाए, तो भी इससे कोई अपराध नहीं बनता। ऐसे मामलों में तो जांच को भी जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए, विचाराधीन कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे आईटी अधिनियम की धारा 67बी के अंतर्गत कोई अपराध नहीं बनता।

(महत्त्व दिया गया)

71. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि इनायथुल्ला एन (1) (उपरोक्त) के उपरोक्त निर्णय की कर्नाटक उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायमूर्ति द्वारा बाद में "रिकॉल" के नाम से समीक्षा की गई थी, क्योंकि उन्होंने पाया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67बी की गलत व्याख्या की गई थी, विशेष रूप से उक्त प्रावधान की उपधारा (बी) पर ध्यान न देने के कारण, जो बाल पोर्नोग्राफिक साइटों को ब्राउज़ करने को अपराध घोषित करती है। परिणामस्वरूप, इनायथुल्ला एन (2) बनाम राज्य 2024 केएचसी 28204 में विद्वान एकल न्यायमूर्ति ने इनायथुल्ला एन (1) (उपरोक्त) में अपने पूर्ववर्ती आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यद्यपि बाल पोर्नोग्राफी के किसी भी प्रसारण या प्रकाशन के अभाव में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67बी की उपधारा (ए) लागू नहीं हो सकती है, फिर भी उक्त प्रावधान की उपधारा (बी) वास्तव में लागू होगी जहां आरोप बाल अश्लील सामग्री को ब्राउज़ करने या देखने से संबंधित हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि न्यायालय को इस तथ्य की जानकारी थी कि पाक्सो की धारा 15 को भी आरोपपत्र में शामिल करने पर विचार किया जा रहा था, फिर भी उच्च न्यायालय ने अपने समक्ष सीमित प्रश्न को देखते हुए उस स्तर पर उक्त प्रावधान की प्रयोज्यता पर विचार करना आवश्यक नहीं समझा। प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं: -

"5. इस न्यायालय ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए दिनांक 10-07-2024 के अपने आदेश के अनुसार याचिका को स्वीकार कर लिया था। [...] आदेश जारी होने के बाद, राज्य ने अपनी ओर से दी गई अपर्याप्त सहायता और इस तथ्य पर ध्यान दिया कि साइबर टिपलाइन/द्वितीय प्रतिवादी को इस मामले में नहीं सुना गया था। इसके अलावा, राज्य ने बाल यौन शोषण संरक्षण अधिनियम, 2012 (संक्षेप में 'पाक्सो अधिनियम') की धारा 15 को लागू करने के लिए न्यायालय में एक आवेदन दायर किया है। [...] दिनांक 19-07-2024 को पारित एक अलग आदेश द्वारा, राज्य द्वारा दायर आईए का उत्तर दे दिया गया और दिनांक 10-07-2024 के आदेश को हलफनामे में बताए गए कारणों को स्वीकार करते हुए वापस ले लिया गया और मामले को पुनः फाइल में शामिल कर लिया गया।

8. [...] याचिकाकर्ता द्वारा अधिनियम की धारा 67बी(ए) पर भरोसा किया गया है, जिस पर भरोसा करते

हुए कार्यवाही रद्द की गई थी। प्रस्तुत मामले में धारा 67बी(बी) लागू होती है।

धारा 67बी(बी) के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सकता है जो बच्चों को अश्लील, अभद्र या यौन रूप से स्पष्ट तरीके से दर्शाने वाली सामग्री को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में बनाता है, एकत्र करता है, खोजता है, ब्राउज़ करता है, डाउनलोड करता है, विज्ञापन करता है, प्रचार करता है, आदान-प्रदान करता है या वितरित करता है। यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता ने इस मामले में लगभग 50 मिनट तक बाल अश्लील सामग्री ब्राउज़ की है। बाल अश्लील सामग्री ब्राउज़ करना अधिनियम की धारा 67बी(बी) के अंतर्गत अपराध है।

(महत्त्व दिया गया)

72. इस प्रकार, उपरोक्त से यह स्पष्ट होता है कि पाक्सो की धारा 15 और आईटी अधिनियम की धारा 67बी के अंतर्गत अपराध गठित करने के लिए आवश्यक तत्वों के संबंध में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा अलग-अलग मत व्यक्त किए गए हैं। केरल उच्च न्यायालय का मत है कि किसी बच्चे से संबंधित अश्लील सामग्री का मात्र कब्ज़ा या देखना पाक्सो की धारा 15 के दायरे में नहीं आता है, बल्कि यह प्रावधान उक्त सामग्री के वास्तविक प्रसारण या साझाकरण को अपराध घोषित करता है। न्यायालय का यह मत है कि जहां आरोप केवल अश्लील सामग्री के कब्जे तक सीमित हैं और इसके वास्तविक प्रसारण का कोई संकेत नहीं है, वहां आपराधिक कार्यवाही रद्द की जा सकती है। वहीं, बॉम्बे उच्च न्यायालय का मत है कि पाक्सो की धारा

15(1) के अंतर्गत, बाल अश्लीलता का संग्रहण और परिणामस्वरूप उसे हटाने या रिपोर्ट करने में विफलता को दंडित किया जाता है, जबकि धारा 15(2) के अंतर्गत, बाल अश्लीलता का संग्रहण और परिणामस्वरूप प्रसारण को दंडित किया जाता है। इसी प्रकार, धारा 67बी के संबंध में, कर्नाटक उच्च न्यायालय और केरल उच्च न्यायालय दोनों ने यह माना है कि जो अपराध है वह बाल पोर्नोग्राफी को जानबूझकर ब्राउज़ करना या प्रसारित करना है, न कि केवल ऐसी सामग्री का कब्ज़ा रखना।

ख. पॉक्सो की धारा 15 के अंतर्गत दंडनीय तीन अलग-अलग अपराध

73. संशोधन अधिनियम 2019 से पहले, मूल रूप से अधिनियमित पॉक्सो की धारा 15 में यह प्रावधान था कि कोई भी व्यक्ति जो वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किसी बालक से संबंधित किसी भी अश्लील सामग्री को संग्रहीत करता है, उक्त प्रावधान के अंतर्गत दंडनीय होगा। इस प्रकार, पॉक्सो की पूर्ववर्ती धारा 15 के अंतर्गत केवल एक ही कृत्य को अपराध माना गया था; दूसरे शब्दों में, केवल व्यावसायिक उद्देश्य के लिए बाल पोर्नोग्राफ़ी का भंडारण ही दंडनीय अपराध माना गया था। किसी अन्य उद्देश्य के लिए ऐसी सामग्री का भंडारण उक्त प्रावधान के दायरे और अधिकार क्षेत्र से बाहर था। उक्त प्रावधान, जैसा कि उस समय था, इस प्रकार है: -

"15. बालकों को संलिप्त करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारकरण के लिए दंड-
कोई भी व्यक्ति, जो किसी बालक को संलिप्त कने वाली अश्लील सामग्री का रिपोर्टिंग के ऐसे प्रयोजन के सिवाय, जो विहित किया जाए, या न्यायालय में उसका साक्ष्य के रूप में उपयोग करने के सिवाय किसी भी समय, किसी भी रीति में पारेषण या प्रदर्शन या प्रचार या वितरण करता है, वह किसी भी भांति के कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।"

74. समय के साथ, विधानमंडल ने महसूस किया कि पॉक्सो के अधिनियमित होने के बावजूद, बाल यौन शोषण से संबंधित मामलों की संख्या में कमी आने के बजाय वृद्धि हुई है। विधानमंडल ने कहा कि पॉक्सो के कुछ प्रावधान देश में बच्चों के विभिन्न प्रकार के यौन उत्पीड़न, दुर्व्यवहार और शोषण से निपटने में प्रभावी साबित नहीं हो रहे हैं। यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019, उपरोक्त समस्या के समाधान हेतु विधानमंडल द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अंतर्गत कई नए अपराधों को शामिल किया गया है और मौजूदा अपराधों को और अधिक कठोर बनाते हुए दंड में वृद्धि की गई है। यह अधिनियम यौन अपराधियों पर लगाम लगाने और बच्चों के यौन शोषण का मुकाबला करने के लिए है ताकि उन्हें एक सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण प्रदान किया जा सके। 2019 संशोधन अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण इस प्रकार है: -

"उद्देश्यों और कारणों का विवरण"

"1. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (उक्त अधिनियम) बालकों को यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बचाने तथा ऐसे अपराधों के विचारण और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक मामलों के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

2. उक्त अधिनियम लिंग-तटस्थ है और प्रत्येक स्तर पर बालक के सर्वोत्तम हितों और कल्याण को सर्वोपरि महत्व देता है, ताकि बालक का स्वस्थ शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित किया जा सके।

3. हालाँकि, हाल के दिनों में देश में बाल यौन शोषण के मामलों में वृद्धि हुई है, जो दुर्व्यवहार करने वालों की अमानवीय मानसिकता को प्रदर्शित करते हैं, जो युवा पीड़ितों के प्रति अपने दृष्टिकोण में बर्बर रहे हैं। अपनी कम उम्र, शारीरिक कमजोरियों और जीवन और समाज के अनुभव की कमी के कारण बालक आसान शिकार बन रहे हैं। भीषण कृत्य को जन्म देने वाला शक्ति का असमान संतुलन भी बालक के मन को यह विश्वास करने से रोक सकता है कि जो सही है वही सही है और रिपोर्ट किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि जो बच्चे बचपन में यौन हिंसा के शिकार हुए हैं, वे अपने जीवन में बाद में अधिक अपमानजनक हो जाते हैं। वर्ष 2016 के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट उक्त अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों की संख्या में 2012 की तुलना में 2013 में 44.7 प्रतिशत और 2013 की तुलना में 2014 में 178.6 प्रतिशत की

वृद्धि दर्शाती है और उसके बाद मामलों की संख्या में कोई गिरावट नहीं आई है।

4. मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य [1983 (3) एससीसी 470] मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जब समुदाय को लगता है कि आत्मरक्षा के लिए हत्यारे को मारना ज़रूरी है, तो समुदाय मृत्युदंड की सज़ा देकर सुरक्षा वापस ले सकता है। लेकिन समुदाय हर मामले में ऐसा नहीं करेगा। वह ऐसा दुर्लभतम मामलों में ही कर सकता है जब उसकी सामूहिक चेतना इतनी आहत हो कि वह न्यायिक शक्ति केंद्र के धारकों से अपेक्षा करे कि वे मृत्युदंड देने की इच्छा या अनुपस्थिति के बारे में अपनी व्यक्तिगत राय से ऊपर उठकर मृत्युदंड दें। यही समानता सर्वोच्च न्यायालय ने देवेंद्र पाल सिंह बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) [एआईआर 2002 एससी 1661] के मामले में दोहराई है, जिसमें यह अवधारित किया गया था कि जब समुदाय की सामूहिक चेतना इतनी आहत हो, तो न्यायालय को मृत्युदंड अवश्य देना चाहिए।

5. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, चूँकि देश में बाल यौन शोषण की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की सख़्त ज़रूरत है, उक्त अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन विभिन्न अपराधों के लिए दंड बढ़ाने का प्रावधान करते हैं ताकि अपराधियों को रोका जा सके और बच्चों की सुरक्षा, संरक्षा और सम्मानजनक बचपन सुनिश्चित किया जा सके। यह केंद्र सरकार को बच्चों से संबंधित किसी भी रूप में अश्लील सामग्री को हटाने, नष्ट करने या निर्दिष्ट प्राधिकारी को सूचित करने के तरीके के लिए नियम बनाने का भी अधिकार देता है।

6. उपर्युक्त उद्देश्य हेतु, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019, जो लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था और विचार एवं पारित होने के लिए लंबित था, सोलहवीं लोक सभा के भंग होने पर व्यपगत हो गया। अतः, वर्तमान विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

7. विधेयक का उद्देश्य उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है। नई दिल्ली; 12 जुलाई, 2019।"

(प्रभाव वर्धित)

75. उपर्युक्त संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसरण में, पॉक्सो में कई संशोधन किए गए, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं: i) धारा 2(घक) का समावेश, जिसके द्वारा अधिनियम के अंतर्गत "बाल पोर्नोग्राफ़ी" को परिभाषित किया गया, और ii) अधिनियम की धारा 15 का संशोधन, जिसके द्वारा अब उक्त प्रावधान के अंतर्गत तीन अलग-अलग अपराधों को दंडनीय बनाया गया है। पुनः, पुनरावृत्ति की कीमत पर, पॉक्सो की संशोधित धारा 15 नीचे पुन: प्रस्तुत की गई है: -

"15. बालकों को संलिप्त करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारकरण के लिए दंड - (1) कोई भी व्यक्ति, जो बालक संबंधी अश्लील सामग्री को साझा या पारेषित करने के आशय से किसी बालक को संलिप्त करने वाली अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में भंडारकरण करता है या रखता है, किंतु उसे मिटाने या नष्ट करने या ऐसे अभिहित प्राधिकारी को, जो विहित किया जाए, रिपोर्ट करने में असफल रहता है, वह पांच हजार रुपए से अन्यून के जुर्माने से और दूसरे या पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दायी होगा ।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो किसी बालक को संलिप्त करने वाली अश्लील सामग्री का रिपोर्टिंग के ऐसे प्रयोजन के सिवाय, जो विहित किया जाए, या न्यायालय में उसका साक्ष्य के रूप में उपयोग करने के सिवाय किसी भी समय, किसी भी रीति में पारेषण या प्रदर्शन या प्रचार या वितरण करता है, वह किसी भी भांति के कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

(3) कोई भी व्यक्ति, जो किसी बालक को संलिप्त करने वाली अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए भंडारकरण करता है या रखता है, वह पहली दोषसिद्धि पर किसी भी भांति के कारावास से, जो तीन वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा और दूसरी और पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में किसी भी भांति के कारावास से, जो पांच वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा, से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।"

(प्रभाव वर्धित)

76. उपरोक्त प्रावधान के मात्र अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 15 तीन भागों में विभाजित है। संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत, विधानमंडल ने अब बाल पोर्नोग्राफी के भंडारण या कब्जे के तीन अलग-अलग रूपों को उक्त प्रावधान के अंतर्गत दंडनीय अपराध बना दिया है, जबकि पूर्ववर्ती प्रावधान में बाल पोर्नोग्राफी के भंडारण के केवल एक रूप को ही अपराध माना गया था।

77. पॉक्सो की धारा 15 उपधारा (1) में अब यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी बालक से संबंधित कोई अश्लील सामग्री संग्रहीत करता है या अपने पास रखता है और ऐसी सामग्री को साझा करने या प्रसारित करने के आशय से उसे हटाने, नष्ट करने या रिपोर्ट करने में विफल रहता है, तो उसे पहले अपराध के लिए कम से कम पांच हजार रुपये का जुर्माना और बाद के किसी भी अपराध के लिए कम से कम दस हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।

78. दूसरी ओर, पॉक्सो की धारा 15 उपधारा (2) में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी बालक से संबंधित अश्लील सामग्री को किसी भी तरीके से प्रसारित, प्रदर्शित, प्रचारित या वितरित करने के लिए संग्रहीत या अपने पास रखता है, सिवाय इसके कि इसकी रिपोर्ट करने या इसे सबूत के रूप में उपयोग करने के लिए, तो उसे तीन साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

79. जबकि, पॉक्सो की धारा 15 उपधारा (3) में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए किसी बालक से संबंधित अश्लील सामग्री संग्रहीत करता है या रखता है, उसे पहले अपराध के लिए कम से कम तीन वर्ष के कारावास, जो पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा, और किसी भी बाद के अपराध के लिए, उसे कम से कम पांच वर्ष के कारावास, जो सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना के साथ दंडित किया जाएगा।

I. अपूर्ण अपराध की अवधारणा - धारा 15 के अंतर्गत आवश्यक 'दोषपूर्ण कृत्य' और 'सदोष मनःस्थिति'

80. पॉक्सो की धारा 15 के दायरे और उसके अंतर्गत अपराध गठित करने के लिए आवश्यक तत्वों पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, पहले उक्त दंड प्रावधान के वास्तविक उद्देश्य और प्रकृति को समझना उचित होगा।

81. पॉक्सो अधिनियम की धारा 15 और उसके साथ संलग्न हाशिए पर दिए गए नोट को सरलता से पढ़ने पर पता चलता है कि उपधारा (1), (2) और (3) में व्याप्त सामान्य विषय यह है कि उक्त प्रावधान के दायरे में आने के लिए किसी भी बाल अश्लील सामग्री के वास्तविक प्रसारण की कोई आवश्यकता नहीं है। पॉक्सो की धारा 15 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध किसी भी बाल अश्लील सामग्री का भंडारण या कब्जा है, जब ऐसा किसी विशेष आशय या उद्देश्य से किया जाता है, जैसा कि उप-धारा (1), (2) या (3) में निर्धारित है, जैसा भी मामला हो। इस प्रकार, उक्त प्रावधान के केवल शाब्दिक पाठ से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि दंड का आधार आशय है, न कि पारंपरिक अर्थों में किसी आपराधिक कृत्य का किया जाना। आपराधिक न्यायशास्त्र में इसे 'अपूर्ण अपराध' कहा जाता है।

82. अपूर्ण अपराध ऐसे आपराधिक कृत्य हैं जो किसी अन्य अपराध की तैयारी में किए जाते हैं। "अपूर्ण" शब्द का अर्थ ही "अविकसित" या "अपूर्ण" है।

83. अपूर्ण अपराधों का सिद्धांत आपराधिक न्यायशास्त्र की आधारशिला है। इसका उद्देश्य उन लोगों की कानूनी ज़िम्मेदारी का समाधान करना है जो किसी भी मूल अपराध के लिए तैयारी संबंधी आचरण में संलग्न हैं। अपूर्ण अपराधों को अक्सर अपूर्ण या प्रारंभिक अपराध के रूप में संदर्भित और वर्णित किया जाता है, जो आपराधिक आशय और आपराधिक कृत्य के घटित होने से पहले की जाने वाली प्रारंभिक क्रियाओं के सार को दर्शाते हैं। यह इस सिद्धांत पर बल देता है कि कानून केवल पहले से किए गए अपराधों पर ही प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि अपराध होने की प्रक्रिया में भी हस्तक्षेप करता है, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा की रक्षा होती है। अपूर्ण अपराध आपराधिक कानून के एक महत्वपूर्ण पहलू का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो स्वयं अपराध के प्रति कानूनी प्रणाली के सक्रिय और निवारक दृष्टिकोण को मूर्त रूप देते हैं।

84. कानूनी ढाँचे के भीतर अपूर्ण अपराधों के अस्तित्व का प्राथमिक तर्क प्रारंभिक चरण में, यानी संभावित क्षति होने से पहले ही हस्तक्षेप करके नुकसान की रोकथाम करना है। यह मानता है कि यद्यपि कुछ कार्यों के परिणामस्वरूप कोई अपराध नहीं होता, फिर भी वे कार्य समाज के लिए पर्याप्त खतरा उत्पन्न करते हैं जिसके लिए कानूनी हस्तक्षेप आवश्यक है। अपूर्ण अपराधों से संबंधित न्यायशास्त्र एक संतुलन के रूप में विकसित हुआ है, जो i) एक ओर शीघ्र हस्तक्षेप की आवश्यकता और ii) आपराधिक कानून के इस प्रमुख सिद्धांत के बीच है कि किसी को भी केवल उसके विचारों या इरादों के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए, और

दूसरी ओर, किसी व्यक्ति के केवल उन्हीं कार्यों को आपराधिक मानता है जो किसी आपराधिक अपराध की ओर स्पष्ट रूप से बढ़ते हैं। यह किसी विशेष कानून की निवारक या निवारक प्रकृति या दृष्टिकोण में गहराई से निहित है, जो उन आचरणों, कार्यों या इरादों को आपराधिक मानता है जिनसे नुकसान का गंभीर जोखिम होता है। किसी अपूर्ण अपराध के लिए समाज के लिए संभावित खतरे की रोकथाम की आवश्यकता और 'एक्टस नॉन फैसिट रेयम निसी मेन्स सिट री' के पवित्र मूल सिद्धांत को नष्ट करने के जोखिम के बीच एक नाज़ुक संतुलन बनाए रखना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानून सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में एक शक्तिशाली उपकरण बना रहे। किसी व्यक्ति के विचार और मनःस्थिति की स्वायत्तता और सामाजिक हित व सुरक्षा के बीच इस अंतर्निहित तनाव को अक्सर उस बिंदु को सावधानीपूर्वक आकार देने और परिभाषित करने के द्वारा संतुलित और हल किया जाता है जिस पर कोई विशेष कार्रवाई या प्रारंभिक कदम अपराध के होने के पर्याप्त रूप से निकट हो जाता है। दूसरे शब्दों में, कानून केवल उस बिंदु पर हस्तक्षेप करेगा जहाँ व्यक्ति ने आगे कोई अपराध करने के साधन जुटा लिए हों, और अपराध करने के विचार मात्र पर तब तक दंड नहीं देगा जब तक कि उस दिशा में कोई प्रत्यक्ष कदम न उठाया गया हो। इस प्रकार, किसी भी अधूरे अपराध का महत्वपूर्ण या केंद्रीय घटक वह प्रारंभिक या प्रारंभिक कार्यवाही है जो आपराधिक आशय के सार या अस्तित्व को पर्याप्त रूप से दर्शाती है।

85. किसी भी प्रतिबंधित वस्तु को अपने पास रखने से संबंधित अपराध एक प्रमुख उदाहरण है और एक अपूर्ण अपराध के पहलुओं में से एक है, क्योंकि इसमें ऐसी वस्तुओं को अपने पास रखना शामिल होता है जो अपनी अंतर्निहित जोखिमपूर्ण या अन्य आपराधिक अपराधों को अंजाम देने में उनके उपयोग के कारण कानून द्वारा निषिद्ध हैं। एक अपूर्ण अपराध के रूप में कब्जे का अपराधीकरण इस विचार पर आधारित है कि कब्ज़ा कोई अहानिकर कार्य नहीं है, बल्कि अधिक गंभीर आपराधिक आचरण की ओर एक प्रारंभिक कदम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि, प्रथमतः, यह प्रतिबंधित वस्तुओं का इस्तेमाल नुकसान पहुँचाने के लिए होने से पहले ही, शुरुआती चरण में हस्तक्षेप की अनुमति देता है। दूसरे, यह उन व्यक्तियों को दंडित करके एक निवारक के रूप में कार्य करता है जो ऐसी गतिविधियों में संलग्न हैं जिनसे अधिक गंभीर अपराध होने की संभावना है। तीसरे, यह उन खतरनाक वस्तुओं के संचय और उपलब्धता को रोकने में सामाजिक हित को दर्शाता है जिनका कोई वैध उद्देश्य नहीं है सिवाय इसके कि वे अधिक गंभीर अपराध को बढ़ावा दें और व्यापक रूप से समाज को नुकसान पहुँचाएँ।

86. जैसा कि इसके उद्देश्य और कारणों के विवरण में उल्लिखित है, पॉक्सो अधिनियम विशेष रूप से बच्चों के यौन शोषण और शोषण के विरुद्ध निवारक के रूप में कार्य करने हेतु उचित दंड प्रदान करने के लिए बनाया गया था। इसके अतिरिक्त, संशोधन अधिनियम 2019 के साथ जारी उद्देश्य और कारणों का विवरण, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अधिनियम की धारा 15 में संशोधन करके इसके अंतर्गत दंडनीय तीन अलग-अलग अपराधों का प्रावधान किया गया है, स्पष्ट रूप से इस बात पर ज़ोर देता है कि उक्त संशोधन बाल यौन शोषण में अप्रत्याशित वृद्धि को रोकने और उस पर विचार करने के उद्देश्य से कड़े उपायों को लागू

करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। पॉक्सो की धारा 15 की उप-धारा (1), (2) और (3) को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर, साथ ही उसके साथ संलग्न हाशिए पर दिए गए नोट, जिसमें लिखा है "बालकों से संबंधित अश्लील सामग्री के भंडारण के लिए दंड", यह दर्शाता है कि उक्त प्रावधान केवल बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री के भंडारण के लिए ही दंडनीय है, जब ऐसा उसके अंतर्गत निर्धारित विशिष्ट आशय से किया गया हो और इसके लिए किसी वास्तविक प्रसारण की आवश्यकता नहीं है। यह कहना स्वाभाविक है कि हाशिए पर दिए गए नोट और किसी विशेष प्रावधान के मूल भागों के बीच किसी अंतर्निहित संघर्ष या विरोधाभास के अभाव में, हाशिए पर दिए गए नोट का उपयोग प्रावधान की व्याख्या में सहायता के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार, उपर्युक्त से इस न्यायालय के मन में कोई संदेह नहीं रह जाता है कि पॉक्सो की धारा 15 का प्रावधान एक अपूर्ण अपराध की प्रकृति और रूप में है, जो किसी बालक से संबंधित किसी अश्लील सामग्री के मात्र भंडारण या कब्जे को दंडित करता है, जब उसे इसके अंतर्गत बिना किसी वास्तविक संचरण, प्रसार आदि की आवश्यकता के निर्धारित विशिष्ट आशय से संग्रहीत किया जाता है।

87. धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत, जहाँ कोई व्यक्ति बाल पोर्नोग्राफ़ी का भंडारण या उसे अपने पास रखता है और उसे साझा या प्रसारित करने के लिए उसे हटाता या रिपोर्ट नहीं करता, तो वह उक्त प्रावधान के अंतर्गत उत्तरदायी होगा। उक्त प्रावधान में "बाल पोर्नोग्राफ़ी साझा या प्रसारित करने के आशय से" शब्दों का प्रयोग यह स्पष्ट करता है कि वास्तव में साझा या प्रसारित करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल साझा या प्रसारित करने के आशय की आवश्यकता है जिसके कारण उक्त सामग्री को न तो हटाया गया, न ही नष्ट किया गया, या रिपोर्ट नहीं किया गया। दूसरे शब्दों में, धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत दंडनीय कृत्य किसी भी बाल पोर्नोग्राफ़ी को नष्ट, नष्ट या रिपोर्ट न करना है, जो किसी व्यक्ति के पास संग्रहीत या उसके कब्जे में हो और उसे साझा या प्रसारित करने के आशय से हो। अगर विधायिका का आशय कुछ और होता, तो स्पष्ट रूप से उसके द्वारा "प्रसारित" या "साझा" शब्दों का प्रयोग किया जाता।

88. इसी प्रकार, धारा 15 की उपधारा (2) किसी भी बाल अश्लील सामग्री के भंडारण या कब्जे को दंडित करती है, जब ऐसा किसी भी रूप में उसे प्रसारित, प्रचारित, प्रदर्शित या वितरित करने के उद्देश्य से किया जाता है। "किसी भी समय किसी भी रूप में प्रसारित, प्रचारित, प्रदर्शित या वितरित करने के लिए" शब्दों का प्रयोग स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वास्तव में प्रसारण, प्रचार, प्रदर्शन या वितरण का कोई कार्य होना आवश्यक नहीं है। यदि विधानमंडल का आशय कुछ और होता, तो उसने स्पष्ट रूप से कहा होता, "कोई भी व्यक्ति, जो किसी बालक से संबंधित किसी भी रूप में अश्लील सामग्री संग्रहीत या रखता है और किसी भी समय किसी भी रूप में प्रसारित, प्रचारित, प्रदर्शित या वितरित करता है"। धारा 15 की उपधारा (2) में "किसी भी तरीके से प्रसारित या प्रचारित या प्रदर्शित या वितरित करने के लिए" शब्दों का उपयोग यह स्पष्ट करता है कि उक्त प्रावधान दो प्रकार के कृत्यों से संबंधित है: (I) प्रथमतः, किसी बालक से संबंधित अश्लील सामग्री का भंडारण या कब्जा जब इसे प्रसारित करने या प्रचारित करने या इसे प्रदर्शित या वितरित करने के आशय से किया जाता है, हालांकि कोई वास्तविक प्रसारण, प्रचार, प्रदर्शन या वितरण नहीं हुआ हो सकता है या (II) दूसरे, किसी बालक से संबंधित

अश्लील सामग्री का भंडारण या कब्जा जो वास्तव में किसी भी रूप या तरीके से प्रसारित, प्रचारित, प्रदर्शित या वितरित किया गया था। दूसरे शब्दों में, धारा 15 की उपधारा (2) के अंतर्गत अपेक्षित कृत्य यह है कि किसी बालक से संबंधित अश्लील सामग्री को या तो प्रसारित करने या प्रचारित करने या प्रदर्शित या वितरित करने के आशय से संग्रहीत या कब्जे में पाया जाना चाहिए या उसे किसी भी रूप या तरीके से प्रसारित, प्रचारित, प्रदर्शित या वितरित किया जाना चाहिए।

89. धारा 15 की उपधारा (1) और (2) के अंतर्गत दोषपूर्ण कृत्य में अंतर्निहित अंतर यह है कि पूर्व में ऐसी किसी सामग्री का भंडारण या कब्जा उसे हटाने, नष्ट करने या रिपोर्ट करने में चूक के कारण है, जबकि बाद में ऐसी किसी सामग्री का भंडारण या कब्जा उसके प्रसारण, प्रचार, प्रदर्शन या वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए है। इस अंतर को और स्पष्ट करने के लिए, उप-धारा (1) के अंतर्गत दोषपूर्ण कृत्य ऐसा होना चाहिए जो यह इंगित करे कि भंडारण या कब्जे में पाई गई बाल अश्लील सामग्री केवल हटाने या नष्ट करने में चूक के कारण थी। जबकि उपधारा (2) के अंतर्गत यह दर्शाया जाना चाहिए कि ऐसी सामग्री को केवल चूक से अधिक किसी कारण से, अर्थात् उसे प्रेषित करने, प्रचारित करने, प्रदर्शित करने या वितरित करने के कारण संग्रहीत या कब्जे में रखा गया था। उप-धारा (2) में "किसी भी तरीके" शब्दों का उपयोग यह स्पष्ट करता है कि ऐसी अश्लील सामग्री के भंडारण या कब्जे के अलावा, कुछ और भी होना चाहिए जो या तो (I) ऐसी सामग्री के वास्तविक प्रसारण, प्रचार, प्रदर्शन या वितरण को दर्शाए या (II) ऐसी सामग्री के किसी प्रसारण, प्रचार, प्रदर्शन या वितरण की सुविधा प्रदान करे, जैसे कि किसी भी प्रकार की तैयारी या सेटअप जो उस व्यक्ति को इसे प्रसारित करने या प्रदर्शित करने में सक्षम बनाए। इस प्रकार, पॉक्सो की धारा 15 उप-धारा (2) किसी भी बाल पोर्नोग्राफी के वास्तविक प्रसारण, प्रचार, प्रदर्शन या वितरण के साथ-साथ उपर्युक्त किसी भी कार्य की सुविधा को भी कवर करेगी।

90. दूसरी ओर, धारा 15(1) के अंतर्गत अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक सदोष मनःस्थिति एक बालक से जुड़ी अश्लील सामग्री को साझा करने या प्रसारित करने का आशय है, और उक्त आशय को दोषपूर्ण कृत्य से, यानी इस तरह की सामग्री को हटाने, नष्ट करने या रिपोर्ट करने में चूक कैसे हुई या उसके पीछे का कारण पता लगाकर ही आंका जाना है। यह अभिव्यक्ति के निर्माण से स्पष्ट होता है "लेकिन बाल पोर्नोग्राफ़ी को साझा करने या प्रसारित करने के आशय से, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, इसे हटाने या नष्ट करने या नामित प्राधिकारी को रिपोर्ट करने में विफल रहता है" जो यह स्पष्ट करता है कि साझा करने या प्रसारित करने के आशय को समझने का दायरा सीमित और केवल हटाने, नष्ट करने या रिपोर्ट करने की चूक यानी दोषपूर्ण कृत्य तक ही सीमित है। अभिव्यक्ति "साझा करने या प्रेषित करने के आशय से" को अलग करके उसके संदर्भ से अलग नहीं समझा जा सकता। इस प्रकार, यह वह तरीका है जिसमें हटाने, नष्ट करने या रिपोर्ट करने में विफलता के कारण उपस्थित परिस्थितियों के साथ-साथ किसी भी सामग्री को साझा करने या प्रसारित करने के आशय का पर्याप्त संकेत होना चाहिए।

91. पॉक्सो की धारा 15 की उपधारा (1) में, विधायिका ने "साझा करने या प्रेषित करने का आशय" की अभिव्यक्ति को हटाने, नष्ट करने या रिपोर्ट करने की चूक से जोड़कर, अपनी बुद्धिमत्ता से उक्त प्रावधान के अंतर्गत आशय या सदोष मनःस्थिति को अनुमान का विषय बना दिया है, जिसे दोषपूर्ण कृत्य से ही पता लगाया जाना है। इस तरह के आशय का अनुमान लगाने की संभाव्यता की स्तर काफी हद तक दोषपूर्ण कृत्य के तरीके पर निर्भर करेगी, यानी चूक कैसे हुई। यह पता लगाना अदालतों का काम है कि जिस तरह से सामग्री भंडारण या कब्जे में पाई गई, चूक से जुड़ी परिस्थितियाँ और आरोपी व्यक्ति का आचरण साझा करने या प्रेषित करने के आशय के अनुमान का पर्याप्त रूप से खंडन करता है या नहीं।

92. केवल चूक से आशय का अनुमान लगाने के पीछे मूल कारण यह है कि विधायिका उस व्यावहारिक कठिनाई से अवगत थी जो किसी भी बाल अश्लील सामग्री को केवल उस सामग्री के कब्जे से साझा या प्रसारित करने के आशय को स्थापित करने में मौजूद है। किसी भी प्रतिबंधित वस्तु के कब्जे से संबंधित या उससे जुड़े अपराधों में, अदालतों के लिए अभियुक्त व्यक्ति के मन की गहराई से जाँच करना और फिर उस व्यक्ति के ऐसी सामग्री को अपने पास रखने या संग्रहीत करने के पीछे के आशय का पता लगाना बहुत कठिन काम है। इस प्रकार, ऐसे मामलों में अभियुक्त व्यक्ति की मानसिक स्थिति से सीधे आशय को स्थापित करने के बजाय, यह अप्रत्यक्ष रूप से उस तरीके से अनुमान लगाकर स्थापित किया जाता है जिससे प्रतिबंधित वस्तु को संग्रहीत या कब्जे में पाया गया था। यहाँ भी आशय का अनुमान लगाने में अव्यवहारिकता या कठिनाई के कारण, अक्सर किसी भी सामग्री की कमी और अपराध की अत्यंत निजी और गुप्त प्रकृति के कारण, अदालतें ऐसी सामग्री या परिस्थितियों की तलाश करने की कोशिश करती हैं जो ऐसे आशय के अनुमान को खारिज कर सकती हैं, और जहाँ भी ऐसा दिखाने के लिए कुछ नहीं है, अदालतें बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसे आशय के अस्तित्व का अनुमान लगाने के लिए आगे बढ़ सकती हैं।

93. जबकि, धारा 15 की उपधारा (2) के अंतर्गत सदोष मनःस्थिति को उस तरीके से एकत्रित किया जाना है जिसमें अश्लील सामग्री को संग्रहीत या कब्जे में पाया गया था और ऐसे कब्जे या भंडारण के अलावा कोई अन्य सामग्री जो ऐसी सामग्री के किसी भी सुविधा या वास्तविक संचरण, प्रचार, प्रदर्शन या वितरण का संकेत देगी। इस प्रकार, जहां कहीं भी किसी बाल अश्लील सामग्री के भंडारण या कब्जे के अलावा, ऐसी कोई सामग्री या परिस्थितियाँ मौजूद हों जो पॉक्सो की धारा 15 उप-धारा (2) में उल्लिखित किसी भी कृत्य की सुविधा या वास्तविक कार्य करने को दर्शाती या इंगित करती हों, वहां धारा 15 उप-धारा (1) के स्थान पर उक्त प्रावधान लागू होगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसी अतिरिक्त सामग्री की उपस्थिति यह प्रदर्शित कर सकती है कि अभियुक्त व्यक्ति का आशय धारा 15 की उपधारा (1) की सीमाओं से परे चला गया है। यह अभियुक्त व्यक्ति के आशय की एक अधिक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति को दर्शाता है, जो उपधारा (1) में अपेक्षित आशय से कहीं अधिक उच्च स्तर पर चला गया है, जो उपधारा (2) के अंतर्गत अपेक्षित है। दूसरे शब्दों में, ऐसी अतिरिक्त सामग्री का अस्तित्व उस आशय के अनुमान को मजबूत करता है जो धारा 15 की उपधारा (2) के अंतर्गत अपेक्षित और दंडनीय है।

94. धारा 15 की उपधारा (3) किसी भी व्यावसायिक उद्देश्य से बाल पोर्नोग्राफिक सामग्री के भंडारण या कब्जे को दंडित करती है। 'वाणिज्यिक उद्देश्य' शब्द का तात्पर्य किसी भी गतिविधि या लेन-देन से है जो किसी भी वाणिज्यिक उद्यम के साधन के रूप में किया जाता है, अर्थात् किसी लाभ के उद्देश्य या आशय से, चाहे वह मौद्रिक रूप में हो या नहीं। इस प्रकार, इस प्रावधान के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आने के लिए यह आवश्यक है कि किसी भी बाल पोर्नोग्राफी का भंडारण या कब्जा किसी मौद्रिक लाभ या किसी अन्य मूल्यवान प्रतिफल के बदले में किया जाए। पुनः, शब्द "किसी भी वाणिज्यिक उद्देश्य" से संकेत मिलता है कि भंडारण या कब्जा किसी भी मौद्रिक लाभ या किसी अन्य प्रकार के मूल्यवान विचार को उत्पन्न करने या प्राप्त करने के आशय से होना चाहिए, भले ही ऐसा मौद्रिक लाभ या मूल्यवान विचार वास्तव में उत्पन्न या अर्जित किया गया हो या नहीं। इस प्रकार, यह बात अप्रासंगिक है कि कोई मौद्रिक लाभ या कोई अन्य लाभ वास्तव में प्राप्त हुआ था या नहीं। धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत अपराध सिद्ध करने के लिए, किसी बालक से संबंधित अश्लील सामग्री के भंडारण या कब्जे के अतिरिक्त, कुछ अतिरिक्त सामग्री या परिस्थितियाँ होनी चाहिए जो पर्याप्त रूप से यह इंगित कर सकें कि उक्त भंडारण या कब्जा किसी भी प्रकार के लाभ या फायदे के आशय से किया गया था। जैसे ही कोई सामग्री यह इंगित करने के लिए उपलब्ध होती है कि किसी बाल पोर्नोग्राफिक सामग्री का भंडारण या कब्जा किसी प्रकार के लाभ या फायदे की अपेक्षा में किया गया था, तो यह पॉक्सो की धारा 15 उपधारा (3) के अंतर्गत अपराध माना जाएगा, भले ही ऐसा लाभ वास्तव में प्राप्त हुआ हो या नहीं।

95. इस प्रकार, जबकि धारा 15 उपधारा (1) में अपेक्षित सदोष मनःस्थिति या आशय के अस्तित्व की आवश्यकता है जिसके कारण बाल अश्लील सामग्री को हटाया, नष्ट या रिपोर्ट नहीं किया गया था, धारा 15 उपधारा (2) में अपेक्षित सदोष मनःस्थिति या आशय के अस्तित्व की आवश्यकता है जिसने अभियुक्त व्यक्ति को न केवल उक्त सामग्री को संग्रहीत या रखने के लिए प्रेरित किया बल्कि वास्तविक संचरण, प्रचार, प्रदर्शन या वितरण या उसी की सुविधा के लिए कुछ अतिरिक्त कदम उठाने के लिए भी प्रेरित किया। इसके विपरीत, धारा 15 की उपधारा (3) में अपेक्षित सदोष मनःस्थिति या आशय के अस्तित्व की आवश्यकता है जिसके कारण आरोपी व्यक्ति ने न केवल बाल पोर्नोग्राफिक सामग्री को संग्रहीत या अपने पास रखा, बल्कि उसे किसी लाभ या फायदे के लिए या किसी प्रकार के लाभ या प्रतिफल की अपेक्षा के बदले में कुछ अतिरिक्त कदम उठाने के लिए मजबूर किया।

96. स्पष्टता के लिए, पॉक्सो की धारा 15 की उप-धारा (1), (2) और (3) के बीच मौजूद सूक्ष्म लेकिन प्रासंगिक अंतर को और अधिक स्पष्ट करने के लिए मार्गदर्शक उदाहरण के रूप में कुछ उदाहरण देना उचित होगा।

97. उदाहरण के लिए; मान लीजिए कि 'अ' के निजी मोबाइल फ़ोन में कुछ बाल अश्लील सामग्री पाई गई और उसे न तो हटाया गया, न ही नष्ट किया गया और न ही रिपोर्ट किया गया। हालाँकि यहाँ बाल अश्लील

सामग्री का कब्ज़ा या भंडारण है, लेकिन चूँकि उक्त सामग्री के प्रसारण, प्रचार, प्रदर्शन या वितरण में किसी

प्रकार की सुविधा दर्शाने वाला कोई सबूत नहीं है, इसलिए यह धारा 15(1) के प्रावधान के अंतर्गत आएगा। साथ ही, चूँकि विचाराधीन सामग्री 'अ' के निजी मोबाइल में पाई गई थी, इसलिए यह इस बात का संकेत है कि सामग्री को हटाने, नष्ट करने या रिपोर्ट करने में चूक संभवतः साझा करने या प्रसारित करने के आशय से हुई थी। यहाँ जिस तरह से चूक हुई है, वह साझा करने या प्रसारित करने के आशय का पर्याप्त संकेत है, क्योंकि ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह दर्शाए कि चूक साझा करने या प्रसारित करने के आशय के अलावा किसी अन्य कारण से हुई थी, और इस प्रकार यह पॉक्सो की धारा 15(1) के अंतर्गत एक अपराध होगा।

98. इसके विपरीत, मान लीजिए कि 'अ' के टूटे हुए मोबाइल फ़ोन में कुछ बाल अश्लील सामग्री पाई गई और उक्त सामग्री को कभी हटाया, नष्ट या रिपोर्ट नहीं किया गया। अब फिर से, ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि वास्तव में कोई प्रसारण, प्रचार, प्रदर्शन या वितरण हुआ था, न ही ऐसा कुछ है जिससे पता चले कि 'अ' द्वारा भंडारण या कब्जे के अलावा ऐसी सामग्री के प्रसारण, प्रचार, प्रदर्शन या वितरण को सुगम बनाने के लिए कुछ किया गया था। यह फिर से पॉक्सो की धारा 15(2) के बजाय धारा 15(1) के प्रावधान को आकर्षित करेगा। हालाँकि, चूँकि सामग्री एक टूटे हुए फ़ोन में मिली थी, इसलिए यह संभव है कि उसे मिटाने, नष्ट करने या रिपोर्ट करने में विफलता, साझा करने या प्रसारित करने के आशय के बजाय, टूटे हुए मोबाइल को चलाने में 'अ' की अक्षमता के कारण हुई हो। इस प्रकार, पॉक्सो की धारा 15(1) के अंतर्गत कोई अपराध नहीं बनता। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस तरह से चूक हुई है, वह साझा करने या प्रसारित करने के आशय का पर्याप्त संकेत नहीं देती। इस प्रकार, पॉक्सो की धारा 15 की उप-धारा (1) के अंतर्गत कोई अपराध नहीं माना जा सकता।

99. उदाहरण के लिए, 'अ' के मोबाइल फ़ोन में कुछ बाल अश्लील सामग्री पाई गई, लेकिन इस बार, उक्त सामग्री मीडिया के स्वचालित डाउनलोड के कारण डिवाइस में पहुँच गई, जिसके बारे में 'अ' को कोई जानकारी नहीं थी। यहाँ यद्यपि ऐसी सामग्री का कब्ज़ा या भंडारण है, फिर भी 'अ' द्वारा यह स्पष्ट रूप से दर्शाया और स्थापित किया गया है कि यह चूक उसकी ओर से ऐसी सामग्री के अस्तित्व के बारे में जानकारी के अभाव के कारण हुई थी। यहाँ जिस तरह से चूक हुई है, वह साझा करने या प्रसारित करने के आशय का पर्याप्त संकेत नहीं देती है, इसलिए पॉक्सो की धारा 15(1) के अंतर्गत कोई अपराध नहीं कहा जा सकता।

100. एक ऐसा मामला लीजिए जहाँ 'अ' के मोबाइल फ़ोन में कुछ बाल अश्लील सामग्री पाई गई, लेकिन इस बार उपरोक्त सामग्री के अलावा कुछ चैट भी बरामद हुईं, जिनमें 'अ' ने अपने दोस्त 'ब' से कहा कि उसके पास कुछ बाल अश्लील सामग्री है जिसे वह उसके साथ साझा कर सकता है। यहाँ, चूँकि यह दर्शाने के लिए अतिरिक्त सामग्री मौजूद है कि 'अ' ने उक्त सामग्री का प्रचार करने के लिए कुछ प्रत्यक्ष कदम उठाए थे, इसलिए वह पॉक्सो की धारा 15(2) के अंतर्गत उत्तरदायी होगा।

101. एक अन्य उदाहरण के लिए, मान लीजिए, 'अ' के मोबाइल फ़ोन में फिर से कुछ बाल अश्लील सामग्री पाई गई, लेकिन इस बार 'अ' अपने कई दोस्तों का एक चैट ग्रुप बनाता है और उसमें एक संदेश भेजता है कि उसके पास कुछ बाल अश्लील सामग्री है जिसे वह ग्रुप में फ़ॉरवर्ड करेगा। यहाँ, चूँकि यह दर्शाने के लिए अतिरिक्त सामग्री मौजूद है कि 'अ' ने उक्त सामग्री को वितरित करने के लिए कुछ प्रत्यक्ष कदम उठाए थे, इसलिए वह पॉक्सो की धारा 15(2) के अंतर्गत उत्तरदायी होगा।

102. इसके विपरीत, मान लीजिए कि 'अ' के फ़ोन में कुछ बाल अश्लील सामग्री है, और वह फिर से अपने कई दोस्तों का एक ग्रुप बनाता है, लेकिन इस बार वह एक संदेश भेजता है जिसमें लिखा होता है कि उसके पास कुछ बाल अश्लील सामग्री है जिसे वह कुछ पैसों के बदले में भेजेगा। यहाँ, चूँकि यह दर्शाने के लिए अतिरिक्त सामग्री मौजूद है कि 'अ' ने कुछ आर्थिक लाभ के लिए उक्त सामग्री के संबंध में कुछ प्रत्यक्ष कदम उठाए थे, इसलिए अब वह पॉक्सो की धारा 15(3) के अंतर्गत उत्तरदायी होगा।

103. हम पुनरावृत्ति की कीमत पर यह स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ अश्लील सामग्री का कब्ज़ा या भंडारण इस प्रकार पाया जाता है कि वह अपने आप में ऐसी सामग्री को प्रसारित, प्रदर्शित, प्रचारित या वितरित करने के आशय का संकेत देता है या यह किसी लाभ की आशा या बदले में किया गया था। ऐसे मामलों में, बाल अश्लील सामग्री का भंडारण या कब्ज़ा, धारा 15 की उपधारा (2) या (3) के अंतर्गत अपेक्षित आशय का पर्याप्त रूप से संकेत होगा, और जब तक ऐसी सामग्री के भंडारण या कब्ज़े का तरीका या उससे जुड़ी परिस्थितियाँ स्वयं ऐसे आशय का पर्याप्त रूप से संकेत देती हैं, तब तक कोई अतिरिक्त सामग्री प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

104. उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि 'अ' द्वारा संचालित एक होटल में पाँच से छह टेलीविजन उपकरणों में कुछ बाल अश्लील सामग्री संग्रहित पाई गई। यहाँ, चूँकि अश्लील सामग्री कई उपकरणों में पाई गई है, वह भी ऐसी जगह पर जहाँ आम जनता आसानी से पहुँच सकती है, तो यह इस बात का संकेत होगा कि 'अ' होटल और उसमें मौजूद टेलीविजन उपकरणों का उपयोग ऐसी अश्लील सामग्री के प्रदर्शन को सुगम बनाने के साधन के रूप में कर रहा था, और इस प्रकार, वह पॉक्सो की धारा 15 की उप-धारा (2) के अंतर्गत दंडनीय होगा।

105. एक और उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि 'अ' द्वारा संचालित एक होटल में पाँच से छह टेलीविजन उपकरणों में कुछ बाल अश्लील सामग्री संग्रहीत पाई गई, लेकिन इस बार अश्लील सामग्री पर ही कुछ कीमत अंकित थी। यहाँ, चूँकि सामग्री पर ही कुछ धनराशि अंकित पाई गई और उक्त सामग्री ऐसी जगह पर संग्रहीत की गई थी जहाँ जनता आसानी से पहुँच सकती थी, यह इस बात का संकेत होगा कि 'अ' होटल और उसमें मौजूद टेलीविजन उपकरणों का उपयोग आर्थिक लाभ के बदले ऐसी अश्लील सामग्री के प्रदर्शन को सुगम बनाने के साधन के रूप में कर रहा था, और इस प्रकार, पॉक्सो की धारा 15 की उप-धारा (3) के

अंतर्गत दंडनीय होगा।

106. उपरोक्त उदाहरण केवल पॉक्सो अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (1), (2) और (3) के बीच अंतर को उजागर करने के लिए एक मार्गदर्शक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। किसी भी न्यायालय द्वारा पॉक्सो अधिनियम की धारा 15 से संबंधित किसी भी मामले पर विचार करते समय, इन उदाहरणों को उस संदर्भ से रहित, जिसमें ये उदाहरण दिए गए हैं, और इस बात पर विचार किए बिना कि मामले के व्यक्तिगत तथ्यों और परिस्थितियों में आवश्यक तत्व स्थापित किए गए हैं या नहीं, यंत्रवत् लागू या व्याख्यायित नहीं किया जाना चाहिए। पॉक्सो की धारा 15 उपधारा (1), (2) या (3) से संबंधित किसी भी मामले को ऊपर वर्णित उदाहरणों से स्वतंत्र रूप से और केवल इस निर्णय के अनुपात के अनुसार सख्ती से विचार किया जाना चाहिए।

107. अंत में, हमें पुलिस और अदालतों को इस तथ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए कि जहां भी किसी मामले में धारा 15 की एक विशेष उपधारा लागू होती है, उक्त प्रावधान की अन्य दो शेष उप-धाराएं लागू नहीं होंगी। पॉक्सो की धारा 15 की उप-धारा (1), (2) और (3) क्रमशः स्वतंत्र और अलग अपराध हैं। तीनों अपराध एक ही तथ्यों के समूह में एक साथ मौजूद नहीं रह सकते। वे एक-दूसरे से अलग हैं और एक-दूसरे से इस तरह जुड़े नहीं हैं कि वे एक-दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। ऐसा इसलिए है, क्योंकि धारा 15 की उप-धारा (1), (2) और (3) के बीच अंतर्निहित अंतर क्रमशः तीनों प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित सदोष मनःस्थिति के अलग-अलग तरीकों में निहित है। अपेक्षित सदोष मनःस्थिति की शुरुआत उप-धारा (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट आशय से प्रारम्भ होती है और आकार लेती है, फिर धीरे-धीरे उप-धारा (2) के अंतर्गत निर्दिष्ट आशय में परिणत रहती है और अंततः उप-धारा (3) के अंतर्गत निर्दिष्ट आशय में परिणत होती है। पॉक्सो की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत, अपेक्षित आशय अभी भी प्रज्वलित अवस्था में है, अर्थात् उपधारा (2) या (3) के अंतर्गत आशय के रूप में विकसित और परिणत होने की प्रक्रिया में है। जब भी उक्त आशय अंततः उपधारा (2) या (3) के अंतर्गत आशय के रूप में परिणत हो जाता है, तो अन्य प्रावधान स्वतः ही अनुपयोगी हो जाएँगे।

108. एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू, जिस पर पुलिस और न्यायालयों को ध्यान देना चाहिए, वह यह है कि किसी भी बाल पोर्नोग्राफी के भंडारण या कब्जे से संबंधित किसी भी मामले की जांच करते समय, यदि पुलिस को पता चले कि धारा 15 की कोई विशेष उपधारा लागू नहीं होती है, तो उसे इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि पॉक्सो की धारा 15 के अंतर्गत कोई अपराध नहीं बनता है। पुलिस को जाँच के समय और अदालतों को संज्ञान लेते समय इस उपरोक्त पहलू को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरे शब्दों में, दोनों को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि यदि किसी एक विशेष उपधारा में अपराध नहीं बनता है, तो क्या वह अन्य दो उपधाराओं में बनता है या नहीं।

II. पॉक्सो की धारा 15 के अंतर्गत 'कब्ज़ा', 'रचनात्मक कब्ज़ा' और 'तत्काल नियंत्रण' की अवधारणा

109. सुनवाई के दौरान, हमारा ध्यान हाल ही में प्रकाशित एक समाचार लेख की ओर भी आकर्षित हुआ, जिसमें बताया गया था कि कैसे सोशल मीडिया पर बाल पोर्नोग्राफ़ी देखने के लिंक प्रसारित किए जा रहे हैं और 40 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक में बेचे जा रहे हैं। समाचार रिपोर्ट बताती है कि कैसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म बाल यौन शोषण से भरे हुए हैं, और इन प्लेटफ़ॉर्म पर ऐसी सामग्री के वितरण के तौर-तरीकों के बारे में भी कुछ जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि कैसे बाल अश्लील सामग्री के विक्रेता और वितरक, ऐसी सामग्री के किसी भी डाउनलोड को साझा करने के बजाय, पैसे के बदले में केवल लिंक साझा करते हैं, ताकि पॉक्सो और आईटी अधिनियम के दंडात्मक प्रावधानों को दरकिनार किया जा सके, जो केवल ऐसी सामग्री के भंडारण को ही अपराध मानते हैं। लिंक को अनिश्चित काल तक अग्रेषित करके, वे ऐसी सामग्री को किसी भी डिवाइस पर पहले संग्रहीत करने की आवश्यकता को पूरी तरह से दरकिनार कर देते हैं, और इसी तरह, ऐसी सामग्री देखने वाले भी, बिना ऐसी सामग्री को अपने डिवाइस पर डाउनलोड किए केवल लिंक का उपयोग करते हैं।

110. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, 2019 के संशोधन अधिनियम से पहले, पॉक्सो अधिनियम की धारा 15 केवल किसी भी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए बाल अश्लील सामग्री के भंडारण को ही अपराध मानती थी। इसके बाद, बाल यौन शोषण के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, विधानमंडल ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 15 में संशोधन करके बाल अश्लील सामग्री के भंडारण के तीन अलग-अलग रूपों या तरीकों को मान्यता दी और उन्हें अपराध माना, जैसा कि इस निर्णय के पिछले भागों में चर्चा की गई है।

111. धारा 15 की तीनों उप धाराओं में किया गया एक अन्य सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण परिवर्तन भंडारण के अतिरिक्त "कब्जा" शब्द को शामिल करना था, जो पहले पॉक्सो की धारा 15 के पूर्ववर्ती प्रावधान में नहीं था।

112. इस प्रकार, जबकि शब्द "कब्जा" मूल रूप से पॉक्सो की असंशोधित धारा 15 में अनुपस्थित था, विधायिका ने अपने विवेक से, संशोधित धारा 15 में उक्त शब्द को विशेष रूप से जोड़ा, जिसके अंतर्गत अब किसी भी बाल अश्लील सामग्री का भंडारण या कब्जा दोनों ही दंडित करने योग्य होंगे, जब ऐसा किसी भी निर्दिष्ट आशय से किया गया हो।

113. हमारा मानना है कि ऊपर उल्लिखित परिवर्तन अनजाने में या हल्के में नहीं किया गया था, बल्कि यह विशेष रूप से पॉक्सो की धारा 15 के प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाने के आशय से किया गया था ताकि बाल पोर्नोग्राफी के प्रसार और उपयोग को प्रभावी ढंग से रोका जा सके।

114. एक अपूर्ण अपराध के रूप में कब्ज़े पर न्यायशास्त्र का एक महत्वपूर्ण पहलू रचनात्मक कब्ज़े का सिद्धांत है। रचनात्मक कब्ज़ा, कब्ज़े की अवधारणा को भौतिक नियंत्रण से परे उन स्थितियों तक विस्तारित

करता है जहाँ किसी व्यक्ति के पास प्रतिबंधित वस्तु को नियंत्रित करने की शक्ति और आशय होता है, भले ही वह उसके तत्काल भौतिक कब्ज़े में न हो। यह सिद्धांत विशेष रूप से उन मामलों में प्रासंगिक है जहाँ प्रतिबंधित वस्तु किसी ऐसे स्थान पर पाई जाती है जो सीधे अभियुक्त के भौतिक नियंत्रण में नहीं है, लेकिन जहाँ अभियुक्त की उस क्षेत्र तक पहुँच और नियंत्रण है जहाँ प्रतिबंधित वस्तु पाई जाती है।
115. यू.एस. बनाम टकर 150 एफ. सप्प. 2डी 1263 (डी. यूटा. 2001) में, यू.एस. जनपद न्यायालय, ऊटा ने रचनात्मक कब्जे के सिद्धांत को समझाया और विस्तृत किया। उक्त मामले में, प्रत्यर्थी नियमित रूप से बाल पोर्नोग्राफ़ी देखता था, लेकिन वह उसे अपने कंप्यूटर में कभी संग्रहीत नहीं रखता था, और अक्सर देखने के बाद ऐसी सामग्री और उसके अंशों को अपने कंप्यूटर से हटा देता था। जब उस पर बाल पोर्नोग्राफ़ी सामग्री रखने का आरोप लगाया गया, तो उसने इसे चुनौती देते हुए तर्क दिया कि चूँकि उसकी डिस्क में कोई सामग्री संग्रहीत नहीं थी, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उसके पास बाल पोर्नोग्राफ़ी है। न्यायालय ने कहा कि जहाँ भी कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट सामग्री, चाहे वह मूर्त हो या अमूर्त, पर किसी रूप या तरीके से तत्काल नियंत्रण रखता है, ऐसी सामग्री उसके रचनात्मक कब्जे में मानी जाएगी। न्यायालय ने कहा कि ऐसी सामग्री पर किसी व्यक्ति के नियंत्रण का पता यह देखकर लगाया जा सकता है कि क्या वह ऐसी सामग्री में हेरफेर, परिवर्तन, संशोधन या विनाश कर सकता है या नहीं। यदि उपरोक्त में से किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ में है, तो ऐसी सामग्री उसके सचेत या रचनात्मक कब्जे में मानी जाएगी।

116. इसी तरह यू.एस. बनाम रॉम 455 एफ. 3डी. 990 (9वां सर्किट, 2006) में, प्रत्यर्थी ने इंटरनेट पर बाल पोर्नोग्राफ़ी की तस्वीरें देखने की बात स्वीकार की। वह उन्हें डिस्क पर सेव करता, लगभग 5 मिनट तक देखता, फिर डिलीट कर देता। न्यायालय ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति बाल पोर्नोग्राफ़ी को डाउनलोड या संग्रहीत किए बिना भी अपने पास रखता है, तो यह कहा जा सकता है कि वह उसे खोजता है और उस पर अपना प्रभुत्व या नियंत्रण रखता है। न्यायालय ने कहा कि यह प्रभुत्व या नियंत्रण ऐसे कारकों से स्पष्ट हो सकता है जैसे स्क्रीन पर चित्र देखते समय, क्या व्यक्ति के पास उन्हें प्रिंट करने, सहेजने, अग्रेषित करने या हटाने की क्षमता थी। यदि थी, तो यह कहा जा सकता है कि उसने जानबूझकर उन चित्रों पर अपना नियंत्रण रखा है और इस प्रकार, उसका इन चीजों पर कब्जा है।

117. इस प्रकार, रचनात्मक कब्ज़ा स्थापित करने के लिए, संबंधित सामग्री को नियंत्रित करने की शक्ति और ऐसे नियंत्रण के प्रयोग का ज्ञान, दोनों आवश्यक हैं। रचनात्मक कब्ज़ा का सिद्धांत, आपराधिक न्यायशास्त्र में एक महत्वपूर्ण विकास है, विशेष रूप से उन अविकसित अपराधों के संबंध में जहाँ कब्ज़ा दंडनीय है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित वस्तु के भौतिक कब्ज़े से खुद को दूर रखकर, उसे नियंत्रित करने की क्षमता बनाए रखते हुए, दायित्व से बच नहीं सकता।

118. हमारा यह सुविचारित मत है कि जहां भी कोई व्यक्ति किसी बाल अश्लील सामग्री को देखने, वितरित

करने या प्रदर्शित करने आदि जैसी किसी भी गतिविधि में शामिल होता है, बिना उसे किसी उपकरण या किसी भी रूप या तरीके से अपने पास रखे या संग्रहीत किए, तो ऐसा कार्य अभी भी पॉक्सो की धारा 15 के अनुसार 'कब्जे' के समान होगा, यदि उसने रचनात्मक कब्जे के उपरोक्त सिद्धांत को लागू करते हुए ऐसी सामग्री पर नियंत्रण की एक अपरिवर्तनीय डिग्री का प्रयोग किया हो।

119. मान लीजिए, 'अ' नियमित रूप से इंटरनेट पर बाल पोर्नोग्राफ़ी देखता है, लेकिन उसे कभी अपने मोबाइल में डाउनलोड या संग्रहीत नहीं करता। यहाँ भी 'अ' के पास ऐसी सामग्री मौजूद मानी जाएगी, क्योंकि देखते समय वह उस सामग्री पर काफ़ी हद तक नियंत्रण रखता है, जिसमें ऐसी सामग्री को साझा करना, हटाना, बड़ा करना, वॉल्यूम बदलना आदि शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। इसके अलावा, चूँकि वह स्वयं अपनी इच्छा से ऐसी सामग्री देख रहा है, इसलिए कहा जाता है कि उसे ऐसी सामग्री पर नियंत्रण होने का ज्ञान है।

120. इसके विपरीत, मान लीजिए 'अ' को 'ब' द्वारा एक अज्ञात लिंक भेजा जाता है, जिस पर क्लिक करने पर 'अ' के फ़ोन पर एक बाल अश्लील वीडियो खुल जाता है। यहाँ यद्यपि लिंक खोलते समय 'अ' का उस लिंक पर नियंत्रण था, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि उसे उस सामग्री पर नियंत्रण का ज्ञान था, क्योंकि उस प्रासंगिक समय पर उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि उक्त लिंक से क्या खुलेगा; इस प्रकार 'अ' के पास सामग्री का कब्ज़ा नहीं कहा जा सकता। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि 'अ' को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि लिंक किससे संबंधित है, ऐसी सामग्री पर नियंत्रण का ज्ञान रखने के लिए, किसी व्यक्ति को उचित जानकारी की आवश्यकता होती है, जैसे कि प्रश्नगत सामग्री में क्या शामिल है, ऐसी सामग्री का उद्देश्य क्या है, आदि। ऐसी जानकारी के बिना कोई भी व्यक्ति यह निर्णय नहीं ले सकता है कि वह इसे देखना चाहता है, या इसे हटाना चाहता है या इसे आगे अग्रेषित करना चाहता है, अर्थात्, वह एक निश्चित स्तर के ज्ञान के बिना, अपने नियंत्रण का प्रभावी ढंग से प्रयोग नहीं कर सकता है।

121. हालाँकि, उपर्युक्त उदाहरण में, यदि 'अ' उचित समय में लिंक बंद करने के बजाय, ऐसी सामग्री को देखना जारी रखता है, तो यह माना जाएगा कि वह ऐसी सामग्री के कब्जे में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि, उचित समयावधि के बाद, उसके बारे में यह कहा जाएगा कि उसके पास ऐसी सामग्री के बारे में पर्याप्त जानकारी है जिससे वह उस सामग्री पर अपने नियंत्रण के प्रभावी प्रयोग का ज्ञान प्राप्त कर सके।

122. इस प्रकार, हमारा यह सुविचारित मत है कि किसी भी बाल अश्लील सामग्री का किसी भी प्रकार का अमूर्त या रचनात्मक कब्ज़ा भी रचनात्मक कब्ज़े के सिद्धांत के अनुसार, पॉक्सो की धारा 15 के अंतर्गत "कब्ज़ा" माना जाएगा। पॉक्सो की धारा 15 में ऐसी सामग्री के भौतिक या मूर्त "भंडारण" या "कब्ज़े" की कोई आवश्यकता नहीं है। हम किसी भी भ्रम को दूर करने के लिए यह स्पष्ट कर सकते हैं कि, जहां कोई बाल अश्लील सामग्री किसी अभियुक्त के कब्जे में है, वहां इसकी रिपोर्ट करने में विफलता या चूक पॉक्सो की

धारा 15 उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित दोषपूर्ण कृत्य का गठन करेगी।

123. उदाहरण के लिए, मान लीजिए, 'अ' को 'ब' द्वारा एक अज्ञात लिंक भेजा जाता है, जिस पर क्लिक करने पर 'अ' के फ़ोन पर एक बाल अश्लील वीडियो खुल जाता है। अब यदि 'अ' तुरंत लिंक बंद कर देता है, हालाँकि लिंक बंद होने के बाद 'अ' के पास बाल अश्लीलता का कोई वास्तविक कब्ज़ा नहीं रहता, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि 'अ' ने केवल लिंक बंद करके उक्त सामग्री को नष्ट या हटा दिया है। 'अ' किसी भी दायित्व से तभी मुक्त होगा जब वह लिंक बंद करने के बाद निर्दिष्ट अधिकारियों को इसकी सूचना देगा। इस प्रकार, जब किसी अभियुक्त के रचनात्मक कब्जे की बात आती है, तो रिपोर्ट करने में विफलता या चूक ही पॉक्सो की धारा 15 उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित दोषपूर्ण कृत्य का गठन करती है।

124. इस समय हम पॉक्सो की धारा 15 के अंतर्गत अपराध की स्थापना के एक अन्य प्रासंगिक पहलू पर भी विचार कर सकते हैं। उक्त प्रावधान में प्रयुक्त 'भंडारण' और 'कब्ज़ा' शब्दों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा 'भंडारण' या 'कब्ज़ा' प्राथमिकी दर्ज होने या किसी आपराधिक कार्यवाही के समय भी बना रहे। धारा 15 का प्रावधान किसी विशेष समय-सीमा पर निर्धारित नहीं है। पॉक्सो की धारा 15 के अंतर्गत अपराध का गठन करने के लिए सरल रूप से किसी भी प्रासंगिक समय पर उप-धारा (1), (2) या (3) के अंतर्गत निर्दिष्ट आशय से किसी भी बाल अश्लील सामग्री के 'भंडारण' या 'कब्जे' की स्थापना आवश्यक है। भले ही एफआईआर दर्ज होने के समय उक्त 'भंडारण' या 'कब्जा' मौजूद न हो, फिर भी धारा 15 के अंतर्गत अपराध बनाया जा सकता है यदि यह स्थापित हो जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति ने किसी विशेष समय पर निर्दिष्ट आशय से किसी भी बाल अश्लील सामग्री का 'भंडारण' या 'कब्जा' किया था, भले ही वह समय पहले का हो। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि, हमारी राय में, उपरोक्त के अलावा कोई भी अन्य दृष्टिकोण, गंभीर परिणामों के साथ एक भयावह प्रभाव पैदा करेगा, जिससे कोई भी कुटिल व्यक्ति पॉक्सो के प्रावधानों को नकार सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने मोबाइल फ़ोन में बाल पोर्नोग्राफ़ी संग्रहीत और देखने के तुरंत बाद, एफ़आईआर दर्ज होने से पहले उसे हटा देता है, तो क्या यह कहा जा सकता है कि उक्त व्यक्ति धारा 15 के अंतर्गत उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि एफ़आईआर दर्ज होने के समय, अभियुक्त के डिवाइस पर ऐसी सामग्री मौजूद नहीं थी? उपरोक्त प्रश्न का उत्तर निश्चित रूप से "नहीं" होना चाहिए। इस प्रकार, हम स्पष्ट करते हैं कि पॉक्सो की धारा 15 के अंतर्गत ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि आपराधिक कार्यवाही शुरू होने के समय 'भंडारण' या 'कब्ज़ा' बना रहे, और ऐसी कोई आवश्यकता उक्त प्रावधान में नहीं जोड़ी जा सकती। धारा 15 के अंतर्गत अपराध तभी बनता है जब यह स्थापित हो जाए कि अभियुक्त व्यक्ति ने किसी विशेष समय पर निर्दिष्ट आशय से किसी बाल अश्लील सामग्री का 'भंडारण' या 'कब्ज़ा' किया था, भले ही वह आपराधिक कार्यवाही शुरू होने या पंजीकृत होने से पहले की बात हो।

ग. अश्लील सामग्री में प्रथम दृष्टया बच्चा शामिल होना चाहिए

125. इस स्तर पर, हम पॉक्सो की धारा 15 से संबंधित एक और महत्वपूर्ण पहलू पर एक-दूसरे को समझा सकते हैं, विशेष रूप से यह निर्धारित करने के मानदंड कि क्या विचाराधीन सामग्री में कोई 'बालक' शामिल है या उसका चित्रण है, या दूसरे शब्दों में, क्या ऐसी सामग्री को 'बाल पोर्नोग्राफ़ी' माना जा सकता है या नहीं। पॉक्सो के संदर्भ में, संबंधित व्यक्ति 'बालक' है या नहीं, इसका निर्धारण अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न अपराधों को निर्धारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण आधारभूत तत्व है।

126. पॉक्सो अधिनियम की धारा 2(1)(घ) के अनुसार, "बालक" शब्द का तात्पर्य अठारह वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति से है। इस प्रकार, पॉक्सो अधिनियम, विशेषकर धारा 2(1)(घ) के अंतर्गत, विधानमंडल द्वारा एक वस्तुनिष्ठ मानदंड निर्धारित किया गया है जिससे यह निर्धारित किया जा सके कि अधिनियम के अंतर्गत किसी भी अपराध के लिए कोई व्यक्ति "बालक" है या नहीं। यह मानदंड संबंधित व्यक्ति की आयु पर आधारित है, और इसमें यह पता लगाना और स्थापित करना शामिल है कि क्या उसकी आयु अठारह वर्ष से कम है, यदि हाँ, तो ऐसे व्यक्ति को पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय किसी भी अपराध के लिए "बालक" माना जाएगा।
127. इससे पहले, पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत 'बाल पोर्नोग्राफ़ी' की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं थी। इस प्रकार, पॉक्सो की पूर्ववर्ती धारा 15 के अंतर्गत, यह पता लगाने के लिए केवल एक ही मानदंड था कि क्या विचाराधीन सामग्री को 'बाल पोर्नोग्राफी' माना जा सकता है या नहीं, जो यह स्थापित करना था कि सामग्री में अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को दर्शाया गया है या उसमें शामिल है।

128. उपर्युक्त 2019 संशोधन अधिनियम के अधिनियमन के साथ ही, अधिनियम में धारा 2(1)(घक) को सम्मिलित करके "बाल पोर्नोग्राफ़ी" शब्द को पॉक्सो के अंतर्गत विशिष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। पुनरावृत्ति की दृष्टि से, पॉक्सो की धारा 2(1)(घक) नीचे पुन: प्रस्तुत की गई है: -

"2. परिभाषाएं-
(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(घक) "बालक संबंधी अश्लील सामग्री" से किसी बालक को संलिप्त करते हुए लैंगिक संबंध बनाने के आचरण का कोई भी दृश्य चित्रण अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत फोटो, वीडियो, डिजिटल या कम्प्यूटर जनित ऐसी आकृति, जो वास्तविक बालक के समान लगे और सृजित, रूपांतरित या परिवर्तित हो, किन्तु बालक का चित्र प्रतीत होने वाली आकृति भी है।"

129. उपरोक्त को सरलता से पढ़ने पर पता चलता है कि "बाल पोर्नोग्राफ़ी" शब्द का अर्थ किसी भी यौन रूप से स्पष्ट आचरण में लिप्त किसी बालक का दृश्य चित्रण है। इसमें आगे बताया गया है कि "दृश्य चित्रण" शब्द का अर्थ और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं: -

i. कोई फोटोग्राफ या वीडियो, जो वास्तविक या किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो सकता है।
ii. डिजिटल रूप से या कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न कोई छवि जो वास्तविक बालक से अलग न हो, अर्थात्, कोई भी स्व-निर्मित छवि जो वास्तविक बालक से अलग न दिखने वाले जीवंत बालक को दर्शाती प्रतीत हो, और इसमें कोई कलात्मक या कार्टून आधारित चित्रण शामिल नहीं होगा।
iii. कोई अन्य चित्र (किसी भी वीडियो-आधारित इमेजरी सहित) जिसे बनाया, अनुकूलित या संशोधित किया गया हो।

उपर्युक्त सामग्री की सूची प्रकृति में समावेशी है, अर्थात्, इसमें वर्णित दृश्य चित्रण के विभिन्न प्रकार, रूप और तरीके किसी भी तरह से संपूर्ण नहीं हैं। अंत में, उक्त प्रावधान, विशेष रूप से "किन्तु एक बालक का चित्रण करते प्रतीत होते हैं" शब्द, यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण या मानदंड निर्धारित करते हैं कि उपर्युक्त दृश्य चित्रण 'बाल अश्लीलता' है या नहीं, यह प्रथम दृष्टया व्यक्तिपरक संतुष्टि प्रदान करके कि सामग्री एक बालक का चित्रण करती प्रतीत होती है।

130. "लेकिन एक बालक को चित्रित करते प्रतीत होते हैं" शब्दों से पहले अल्पविराम का प्रयोग महत्वपूर्ण है। विधानमंडल ने उपरोक्त अल्पविराम का प्रयोग इससे पहले के शब्दों के लिए वियोजक और संयोजक दोनों रूपों में किया है। इसका प्रयोग वियोजक के रूप में इस बात पर बल देने के लिए किया गया है कि व्यक्तिपरक मानदंड कि विचाराधीन सामग्री एक बालक को चित्रित करती प्रतीत होती है, दृश्य चित्रण की केवल एक श्रेणी से अभिन्न रूप से जुड़ा या सीमित नहीं है, अर्थात् अंतिम श्रेणी "निर्मित, अनुकूलित या संशोधित छवि" है। साथ ही, इसका उपयोग उक्त प्रावधान में दर्शाए गए सभी प्रकार के दृश्य चित्रणों के संबंध में संयोजक के रूप में किया गया है, ताकि यह स्पष्ट रूप से इंगित किया जा सके कि यह व्यक्तिपरक मानदंड अर्थात् इसमें उल्लिखित सभी प्रकार के दृश्य चित्रणों पर या दूसरे शब्दों में 'बाल पोर्नोग्राफी' पर पूरे प्रावधान पर लागू होता है।

131. इस प्रकार, किसी यौन कृत्य का कोई भी दृश्य चित्रण, जिसके बारे में कोई भी सामान्य विवेकशील व्यक्ति यह मानता हो कि वह प्रथम दृष्टया किसी बालक का चित्रण करता है या उसमें कोई बच्चा शामिल प्रतीत होता है, पॉक्सो के प्रयोजनों के लिए 'बाल अश्लीलता' माना जाएगा। इसलिए, पॉक्सो के अंतर्गत किसी भी अपराध के लिए, जो बाल अश्लील सामग्री से संबंधित है, जैसे कि धारा 15, अदालतों को केवल प्रथम दृष्टया व्यक्तिपरक संतुष्टि प्राप्त करने की आवश्यकता होगी कि सामग्री किसी भी सामान्य विवेकशील व्यक्ति के दृष्टिकोण से किसी बालक का चित्रण करती प्रतीत होती है। ऐसी संतुष्टि किसी भी आधिकारिक और निर्णायक राय, जैसे कि ऐसी सामग्री की फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की रिपोर्ट के माध्यम से या संबंधित सामग्री पर किसी विशेषज्ञ की राय से, या प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, न्यायालयों द्वारा स्वयं ऐसी सामग्री के मूल्यांकन से प्राप्त की जा सकती है।

132. 'व्यक्तिपरक संतुष्टि' का यह पूर्वोक्त परीक्षण या मानदंड विधायिका द्वारा बनाया गया कोई अनावश्यक या काल्पनिक नहीं है, बल्कि एक सुस्थापित परीक्षण है जो विभिन्न अन्य देशों में भी मौजूद है। इस संबंध में, रेजिना बनाम माइकल लैंड [1997] ईडब्लूसीए क्रिम जे1010-15 में इंग्लैंड एवं वेल्स की अपील अदालत के निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है जिसमें न्यायालय बाल संरक्षण अधिनियम 1978 की धारा 1(1)(सी) के अंतर्गत वितरण के उद्देश्य से बच्चों की अश्लील तस्वीरें रखने के अपराध पर विचार कर रहा था। यहाँ यह प्रश्न उठा कि क्या उपरोक्त तस्वीरों में दिख रहा व्यक्ति सोलह वर्ष से कम आयु का है या नहीं। न्यायालय ने कहा कि अक्सर संबंधित व्यक्ति की कोई भी सकारात्मक पहचान करना, जिससे उसकी आयु का निर्णायक रूप से पता लगाया जा सके, एक अंतर्निहित कठिनाई होती है। इसने यह माना कि ऐसी परिस्थितियों में, यह प्रश्न कि क्या वह व्यक्ति बच्चा है या नहीं, तथ्यों और संबंधित सामग्री से अनुमान के आधार पर ही निर्धारित किया जाना चाहिए, इसके लिए किसी औपचारिक प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि बाल चिकित्सा या अन्य विशेषज्ञ साक्ष्य के अभाव में ऐसा कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। न्यायालय ने यह भी कहा कि उम्र से संबंधित ऐसे तथ्य-आधारित प्रश्नों का आकलन न्यायाधीश या जूरी द्वारा, जैसा भी मामला हो, अपनी आलोचनात्मक क्षमताओं और इंद्रियों, जैसे कि उनकी आँखों, के साथ-साथ उनके अपने निर्णय और अनुभव के आधार पर किया जा सकता है।

133. जॉन लीडबेटर बनाम हर मैजेस्टीज़ एडवोकेट [2020] एचसीजेएसी 51 में, स्कॉटलैंड के उच्च न्यायालय ने यह माना कि किसी भी अश्लील सामग्री में चित्रित किसी भी व्यक्ति की आयु के प्रमाण के लिए किसी विशेषज्ञ गवाह की आवश्यकता नहीं है। इसने आगे कहा कि, आयु का ऐसा प्रमाण किसी भी गवाह या ऐसे व्यक्ति द्वारा स्थापित किया जा सकता है जो उपलब्ध साक्ष्यों की एक विस्तृत श्रृंखला के आधार पर आयु के निर्धारण में एक निश्चित सीमा तक कौशल या ज्ञान प्रदर्शित करता हो।

134. यूनाइटेड स्टेट्स बनाम काट्ज़ 178 एफ.3आरडी 368 (5वां सर्किट 1999) में, यू.एस. कोर्ट ऑफ अपील्स, फिफ्थ सर्किट, लुइसियाना द्वारा यह माना गया था कि बाल पोर्नोग्राफी में किसी व्यक्ति की आयु का निर्धारण विशेषज्ञ की गवाही की सहायता के बिना 'सामान्य' जूरी द्वारा किया जा सकता है, जहां आयु के संबंध में कोई मतभेद नहीं है। तथापि, न्यायालय ने कहा कि जहां संबंधित व्यक्ति यौवनावस्था तक पहुंच चुका है, वहां आयु के प्रमाण के लिए विशेषज्ञ की गवाही या राय आवश्यक होगी।

135. कॉमनवेल्थ बनाम रॉबर्ट (829 ए.2डी. 127) में, पेन्सिलवेनिया के सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया कि उम्र का प्रमाण, किसी भी भौतिक तथ्य के प्रमाण की तरह, प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य, या दोनों के उपयोग से प्राप्त किया जा सकता है। इसने माना कि बाल पोर्नोग्राफ़ी के प्रसार या कब्जे के मामले में उम्र के तत्व को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक प्रमाण केवल विशेषज्ञ की राय की गवाही तक सीमित नहीं है।

136. उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि, यद्यपि, हमारे द्वारा संदर्भित कुछ निर्णयों में, इस बात पर मतभेद है कि किसी

अश्लील सामग्री में चित्रित किसी व्यक्ति की आयु के प्रमाण के लिए किसी विशेषज्ञ की गवाही या निर्धारण आवश्यक है या नहीं, फिर भी उपर्युक्त सभी निर्णयों में यह लगातार माना गया है कि इस तरह के निर्धारण के लिए मानदंड केवल व्यक्तिपरक संतुष्टि है।

137. 'व्यक्तिपरक संतुष्टि' का परीक्षण या मानदंड, किसी भी अश्लील सामग्री में किसी व्यक्ति की आयु को किसी भी वस्तुनिष्ठ माध्यम या मानदंड के माध्यम से निर्णायक रूप से स्थापित करने में मौजूद व्यावहारिक कठिनाई को ध्यान में रखते हुए है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अक्सर पीड़ित की पहचान स्थापित करना, फिर उस व्यक्ति का पता लगाना और फिर उसकी आयु का वस्तुनिष्ठ रूप से निर्धारण करना लगभग असंभव होता है। यदि ऐसा मानदंड अपनाया जाता है, तो बाल अश्लील सामग्री रखने से संबंधित अधिकांश मामले, पीड़ित की आयु को निर्णायक रूप से सिद्ध करने के लिए किसी भी साधन या जानकारी के अभाव में, प्रारंभिक चरण में ही विफल हो जाएँगे।

138. उपरोक्त पहलू को एक दूसरे दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। निर्णायक तरीकों से उम्र के वस्तुनिष्ठ निर्धारण का कोई भी आदेश संभवतः अर्थहीन परिणामों को जन्म दे सकता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि किसी अश्लील सामग्री में एक किशोर से कम उम्र का बच्चा शामिल है, जो अपनी शारीरिक बनावट के कारण बच्चा प्रतीत होता है, फिर भी ऐसी सामग्री को कानून की नज़र में बाल अश्लील सामग्री नहीं माना जाएगा, जब तक कि ऐसे बालक की सही उम्र का वस्तुनिष्ठ निर्धारण निर्णायक तरीके से न किया जाए। ऐसे किसी निर्धारण के अभाव में, ऐसी सामग्री के कब्जे का अभियोजन केवल तकनीकी कारणों और आयु निर्धारण के लिए मापदंड या परीक्षण की अनम्य प्रकृति के कारण विफल हो जाएगा।

139. पॉक्सो की धारा 2(1)(घक) का उपरोक्त प्रावधान महत्वपूर्ण महत्व रखता है, क्योंकि विधायिका ने अधिनियम की धारा 15 के मौजूदा प्रावधान को सशक्त बनाते हुए, और 2019 संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसके अंतर्गत तीन अलग-अलग अपराधों को दंडनीय बनाते हुए, उसी संशोधन के माध्यम से पॉक्सो के अंतर्गत 'बाल पोर्नोग्राफी' शब्द को भी जानबूझकर परिभाषित किया है। यह इन दोनों प्रावधानों को एक साथ समग्र रूप से व्याख्यायित करने के विधायिका के आशय को इंगित करता है; न तो पॉक्सो की धारा 15 और न ही धारा 2(1)(घक) की व्याख्या या प्रयोग एक दूसरे से अलग करके किया जा सकता है।

140. विधानमंडल ने पॉक्सो की धारा 2(1)(घक) के माध्यम से, धारा 2(1)(घ) के अनुसार आयु निर्धारण के पहले से विद्यमान वस्तुनिष्ठ मानदंड से सचेत रूप से विचलन किया है, जो सामान्यतः पॉक्सो पर लागू होता है, क्योंकि यह ऐसे मानदंडों द्वारा उत्पन्न उपर्युक्त अंतर्निहित कठिनाई के प्रति सजग था। विधानमंडल को अच्छी तरह पता था कि यदि बाल पोर्नोग्राफी से संबंधित अपराधों, जैसे कि पॉक्सो की धारा 15 के अंतर्गत, में आयु के प्रमाण का मूल्यांकन भी विद्यमान वस्तुनिष्ठ परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, तो इससे बहुत ही निराशाजनक प्रभाव पड़ेगा, जिससे पॉक्सो की पूरी धारा 15, आयु निर्धारण के संबंध में केवल

दृष्टिकोण के कारण अव्यवहारिक हो जाएगी, जिससे पॉक्सो का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।

141. उपर्युक्त पहलू को एक और कोण से भी देखा जा सकता है। पॉक्सो की धारा 2(1)(घक) को विधायिका ने दोहरे उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए डाला था। पॉक्सो की धारा 2(1)(घक) का एक उद्देश्य स्पष्ट रूप से परिभाषित और चित्रित करना था कि किस प्रकार के दृश्य चित्रण को 'बाल पोर्नोग्राफ़ी' माना जाएगा ताकि पहले से मौजूद किसी भी अस्पष्टता को दूर किया जा सके, उक्त प्रावधान को सम्मिलित करने के पीछे वास्तविक उद्देश्य पॉक्सो की धारा 2(1)(घ) के अंतर्गत निर्धारित आयु निर्धारण के वस्तुनिष्ठ मानदंडों को संदर्भित करने और लागू करने की अदालतों की प्रवृत्ति को कम करना था, यहाँ तक कि बाल पोर्नोग्राफ़ी से जुड़े मामलों पर विचार करने के दौरान भी। यही कारण है कि विधायिका ने पॉक्सो की धारा 2(1)(घक) में दृश्य चित्रण की रूपरेखा को समझाने के अलावा, अंत में विशेष रूप से "लेकिन एक बालक को चित्रित करते प्रतीत होते हैं" शब्द भी जोड़े।

142. यदि न्यायालय बाल पोर्नोग्राफी से जुड़े किसी मामले पर विचार करते समय, पॉक्सो की धारा 2(1)(घ) का संदर्भ और उस पर भरोसा करना जारी रखते हैं, तो इससे धारा 2(1)(घक) के पीछे की आशय विफल हो जाएगी, विशेष रूप से क़ानून की किताब में "लेकिन एक बालक को चित्रित करने के लिए प्रतीत होता है" शब्द, जिससे उपरोक्त प्रावधान का वह हिस्सा बेकार और निरर्थक हो जाएगा।

143. पॉक्सो अधिनियम की धारा 2(1)(घक) का वास्तविक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बाल पोर्नोग्राफी से संबंधित अपराधों के मामलों में धारा 2(1)(घक) को ही प्रधानता दी जाए, न कि धारा 2(1)(घ) को। अतः बाल पोर्नोग्राफी से संबंधित किसी भी अपराध में, धारा 2(1)(घ) में निहित 'बालक' की परिभाषा, पॉक्सो अधिनियम की धारा 2(1)(घक) के अंतर्गत 'बाल पोर्नोग्राफी' की परिभाषा की तुलना में गौण हो जाती है। इस प्रकार, पॉक्सो अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत किसी अपराध पर विचार करते समय न्यायालय को यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि धारा 2(1)(घक) का ही संदर्भ लिया जाए और उसी पर निर्भर किया जाए, न कि धारा 2(1)(घ) पर। दूसरे शब्दों में, यह निर्धारित करने के लिए कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 15 लागू की जा सकती है या नहीं, 'बाल पोर्नोग्राफी' की परिभाषा ही प्रासंगिक है।

घ. आईटी अधिनियम की धारा 67ख का दायरा

144. आईटी अधिनियम मूल रूप से इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों एवं डिजिटल हस्ताक्षरों को मान्यता देने, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को सुगम बनाने तथा ई-अनुबंधों को विधिक मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। यद्यपि आईटी अधिनियम में साइबर अपराधों को दंडित करने हेतु कुछ प्रावधान सम्मिलित थे, तथापि वे प्रारंभिक प्रकृति के थे और बच्चों के यौन शोषण की ऑनलाइन रचना एवं सहायता,

बाल पोर्नोग्राफी के ऑनलाइन प्रकाशन, प्रसारण एवं वितरण, अथवा इंटरनेट के माध्यम से बच्चों को यौन कृत्यों के लिए बहकाने, प्रलोभित करने एवं उनका शोषण करने जैसे विषयों को व्यापक रूप से संबोधित नहीं करते थे।

145. उपर्युक्त स्थिति का कारण यह था कि सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 से पूर्व, आईटी अधिनियम की धारा 67 के अंतर्गत केवल एक ही कृत्य—अर्थात् अश्लील सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण—को अपराध घोषित किया गया था। आईटी अधिनियम में सामान्य 'अश्लील सामग्री' तथा किसी यौन रूप से स्पष्ट कृत्य या आचरण को दर्शाने वाली पोर्नोग्राफिक सामग्री, जिसमें बाल पोर्नोग्राफी भी सम्मिलित है, के बीच कोई भेद नहीं किया गया था। और भी गंभीर तथ्य यह था कि ऐसी सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण तथा इंटरनेट के माध्यम से उसके वितरण, सहायता अथवा उपभोग के बीच भी कोई अंतर नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, आईटी अधिनियम इंटरनेट के माध्यम से बच्चों के यौन शोषण एवं उत्पीड़न के अन्य रूपों—जैसे बच्चों को किसी यौन कृत्य के लिए बहकाना—को भी दंडनीय अपराध के रूप में मान्यता नहीं देता था।

146. समय के साथ-साथ, जैसे-जैसे इंटरनेट का युग विकसित हुआ, आईटी अधिनियम की ये कमियाँ स्पष्ट होती गईं, विशेषतः इस कारण कि अधिकाधिक बच्चे इंटरनेट का उपयोग करने लगे और उनके विरुद्ध साइबर अपराधों की संख्या में समानुपाती वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, इंटरनेट पर बच्चों जैसे संवेदनशील वर्ग की सुरक्षा के लिए एक अधिक सुदृढ़ एवं व्यापक विधिक ढाँचे की आवश्यकता अनुभव की गई।

147. सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2007 पर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति की 50वीं रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि यद्यपि धारा 67ए के रूप में एक नया प्रावधान यौन रूप से स्पष्ट सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण को विशेष रूप से अपराध घोषित करने हेतु प्रस्तावित किया गया था, तथापि उसमें बाल पोर्नोग्राफी से संबंधित कोई विशिष्ट प्रावधान सम्मिलित नहीं था। स्थायी समिति ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के इस तर्क को अस्वीकार कर दिया कि धारा 67ए सामान्य रूप से पोर्नोग्राफी को कवर करने के कारण बाल पोर्नोग्राफी को भी स्वतः सम्मिलित कर लेगी। इसके विपरीत, समिति ने यह सिफारिश की कि बाल पोर्नोग्राफी के लिए एक पृथक एवं स्पष्ट प्रावधान किया जाना आवश्यक है, जिससे न केवल उसके प्रकाशन एवं प्रसारण को कठोर दंड के साथ अपराध घोषित किया जा सके, बल्कि बच्चों के ऑनलाइन यौन शोषण के अन्य रूपों—जैसे ऑनलाइन प्रलोभन, बाल पोर्नोग्राफी का वितरण तथा ऐसी सामग्री का निर्माण या सहायता—को भी प्रभावी रूप से आपराधिक बनाया जा सके।

"6. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 को उस समय की तकनीकी दिशा और परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए अधिनियमित किया गया था। चूँकि तकनीक की आदत होती है कि वह खुद को सस्ते और

अधिक लागत-प्रभावी विकल्पों के रूप में पुनः विकसित करती है, इसलिए समय-समय पर किसी भी तकनीकी-आधारित कानून को नए सिरे से देखना अनिवार्य हो जाता है। इसके अलावा, ई-कॉमर्स में समग्र वृद्धि, आउटसोर्सिंग व्यवसाय में वृद्धि, लेन-देन के नए रूप, पहचान के नए साधन, उपभोक्ता चिंता, ई-गवर्नेंस और अन्य सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों को बढ़ावा, दुनिया भर में विकास के अनुरूप अपने वर्तमान 'प्रौद्योगिकी विशिष्ट' रूप से प्रौद्योगिकी तटस्थता, महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए सुरक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं, बाल पोर्नोग्राफी, वीडियो वॉयरिज्म, पहचान की चोरी और फ़िशिंग और ऑनलाइन चोरी जैसे ई-कॉमर्स धोखाधड़ी जैसे कंप्यूटर दुरुपयोग के नए रूपों का उदय, भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में अपराधों के संबंध में सजा का युक्तिकरण, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस की गई।

(iii) बाल पोर्नोग्राफी

118. खंड 31 में धारा 67 ए को शामिल करने का प्रस्ताव है, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप में यौन रूप से स्पष्ट कृत्य वाली सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है।

119. उपरोक्त संदर्भ में, एक गैर-सरकारी गवाह और सीबीआई का यह मत है कि प्रस्तावित धारा को 'बाल पोर्नोग्राफी' को भी शामिल करने के लिए पुनः तैयार किया जाना चाहिए और इस धारा में बाल पोर्नोग्राफी को अपराध घोषित करने के लिए विशिष्ट प्रावधान शामिल किए जाने चाहिए, जो विश्व के उन्नत लोकतंत्रों में प्रचलित कानूनों के साथ-साथ साइबर अपराधों पर यूरोप परिषद कन्वेंशन के अनुच्छेद 9 के अनुरूप हो, जिसमें निम्नलिखित कहा गया है: -

"प्रत्येक पक्ष ऐसे विधायी और अन्य उपाय अपनाएगा जो उसके घरेलू कानून के अंतर्गत आपराधिक अपराध के रूप में स्थापित करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं, जब जानबूझकर और बिना अधिकार के निम्नलिखित आचरण किया जाता है: (क) कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से इसके वितरण के उद्देश्य से बाल पोर्नोग्राफ़ी का उत्पादन करना; (ख) कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से बाल पोर्नोग्राफ़ी की पेशकश या उपलब्ध कराना; (ग) कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से बाल पोर्नोग्राफ़ी वितरित या प्रसारित करना; (घ) अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से बाल पोर्नोग्राफ़ी प्राप्त करना; (ङ) कंप्यूटर सिस्टम में या कंप्यूटर-डेटा भंडारण माध्यम पर बाल पोर्नोग्राफ़ी रखना।

2. उपरोक्त अनुच्छेद 1 के प्रयोजन के लिए, "बाल पोर्नोग्राफ़ी" शब्द में ऐसी अश्लील सामग्री शामिल होगी जो दृश्य रूप से दर्शाती हो:
(क) यौन रूप से स्पष्ट आचरण में संलग्न एक नाबालिग;
(ख) यौन रूप से स्पष्ट आचरण में संलग्न एक नाबालिग प्रतीत होने वाला व्यक्ति;

ग) यौन रूप से स्पष्ट आचरण में संलग्न एक नाबालिग का वास्तविक चित्रण।

3. उपरोक्त अनुच्छेद 2 के प्रयोजन के लिए, "नाबालिग" शब्द में 18 वर्ष से कम आयु के सभी व्यक्ति शामिल होंगे। हालाँकि, कोई पक्षकार कम आयु-सीमा की अपेक्षा कर सकता है, जो 16 वर्ष से कम नहीं होगी।

4. प्रत्येक पक्षकार पैराग्राफ 1, उप-पैराग्राफ घ और ङ, तथा 2, उप- पैराग्राफ ख और ग को पूर्णतः या आंशिक रूप से लागू न करने का अधिकार सुरक्षित रख सकता है।

120. जब समिति ने विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझाए गए बाल पोर्नोग्राफी को परिभाषित करने के लिए एक स्पष्ट प्रावधान को शामिल करने में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के विचार सुनने की इच्छा व्यक्त की, तो उत्तर दिया गया कि यौन रूप से स्पष्ट कृत्यों वाली सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण के लिए दंड से संबंधित एक नई धारा 67ए प्रस्तावित की गई है, जिसके अनुसार सामान्य रूप से पोर्नोग्राफी से संबंधित कठोर प्रावधान किए गए हैं और यह स्वचालित रूप से बाल पोर्नोग्राफी को भी कवर करेगा।

121. बाल पोर्नोग्राफी को अपराध घोषित करने तथा उसके लिए दंडात्मक प्रावधान करने के मुद्दे पर, विभाग ने कहा कि, किसी भी अवैध सामग्री को रखने या डाउनलोड करने में सहायता करने के लिए वेबसाइटों के संबंध में जानकारी पर सलाह देकर अपराध (पोर्नोग्राफी) करने में सलाह/सहायता को अपराध माना जा सकता है।

122. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने इस सुझाव पर भी सहमति व्यक्त की कि अपराध-पूर्व तैयारी, अर्थात् अपराधी द्वारा ऑनलाइन प्रलोभन के माध्यम से बालक को यौन संबंधों के लिए तैयार करने तथा बालक को अश्लील सामग्री दिखाने या वितरित करने के लिए की गई प्रारंभिक कार्रवाई को भी एक आपराधिक अपराध बनाया जाना चाहिए।

सुझाव / अवलोकन

बाल पोर्नोग्राफी

24. समिति ने नोट किया कि विधेयक के खंड 31 में एक नई धारा 67ए को शामिल करने का आशय है, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में यौन रूप से स्पष्ट कृत्यों वाली सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए कठोर दंड का प्रावधान करती है। लेकिन समिति यह जानकर चिंतित है कि प्रस्तावित धारा में कहीं भी 'बाल पोर्नोग्राफ़ी' शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। विभाग का यह तर्क कि यह धारा 'पोर्नोग्राफी' को कवर करते हुए स्वतः ही बाल पोर्नोग्राफ़ी को भी कवर कर लेगी, समिति को संतुष्ट नहीं करता क्योंकि

नए संशोधनों का प्रस्ताव करते समय किसी भी प्रकार की धारणा या पूर्वधारणा की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसलिए, समिति विभाग पर इस बात का दबाव डालती है कि इस बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रस्तावित धारा 67ए में 'बाल पोर्नोग्राफ़ी' शब्द को शामिल किया जाए। वे यह भी चाहते हैं कि उन्नत देशों में प्रचलित कानूनों और साइबर अपराधों पर यूरोप परिषद कन्वेंशन के अनुच्छेद 9 के अनुरूप बाल पोर्नोग्राफी को अपराध घोषित करने के लिए इस अनुभाग में विशिष्ट प्रावधान शामिल किए जाने चाहिए। बच्चों के यौन शोषण की विभिन्न अभिव्यक्तियों और उसके घृणित परिणामों को देखते हुए, समिति चाहती है कि ऑनलाइन प्रलोभन या अश्लील साहित्य वितरित/दिखाकर या किसी अन्य ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को यौन संबंध बनाने के लिए प्रेरित करने के कृत्य को भी एक आपराधिक कृत्य बनाया जाना चाहिए और प्रस्तावित धारा 67ए में इस संबंध में एक उपयुक्त प्रावधान किया जाना चाहिए।"

148. उपर्युक्त से स्पष्ट है कि स्थायी समिति ने इस बात पर विशेष बल दिया कि यदि बाल पोर्नोग्राफी के प्रकाशन या प्रसारण को सामान्य पोर्नोग्राफिक सामग्री के समान ही दंडित किया जाए, तो उससे कोई सार्थक उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। समिति ने यह रेखांकित किया कि यद्यपि आईटी अधिनियम तत्कालीन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया था, तथापि इंटरनेट के युग के विकास और उसके दुरुपयोग के नए उभरते रूपों के प्रकाश में, विशेषकर साइबर अपराधों से संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में, अधिनियम के प्रति एक नवीन दृष्टिकोण अपनाना अनिवार्य हो गया है। समिति की राय थी कि केवल बाल पोर्नोग्राफी के प्रकाशन या प्रसारण को अपराध घोषित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऑनलाइन यौन शोषण एवं उत्पीड़न के अन्य विभिन्न रूपों को भी मान्यता देकर, अन्य देशों में प्रचलित कानूनों के अनुरूप, प्रभावी रूप से दंडित किया जाना चाहिए।

149. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 के माध्यम से विधानमंडल ने आईटी अधिनियम की धारा 67 में संशोधन करते हुए धारा 67ए के साथ-साथ धारा 67बी को भी अधिनियमित किया। यह प्रथम अवसर था जब बच्चों की संवेदनशील एवं नाजुक आयु को ध्यान में रखते हुए, ऑनलाइन यौन अपमान, दुर्व्यवहार एवं शोषण के विभिन्न रूपों को कठोर दंड के साथ अपराध घोषित करने हेतु एक विशिष्ट प्रावधान किया गया। पुनरावृत्ति से बचने के उद्देश्य से, आईटी अधिनियम की धारा 67बी को नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

"67-ख. बच्चों को यौन रूप से स्पष्ट कृत्य आदि में चित्रित करने वाली सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए दंड-

जो कोई भी -
(क) किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऐसी सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करता है या प्रकाशित या प्रसारित करवाता है जिसमें बच्चों को यौन रूप से स्पष्ट कार्य या आचरण में संलग्न दर्शाया गया हो; या

(ख) बच्चों को अश्लील या अशिष्ट या यौन रूप से स्पष्ट तरीके से चित्रित करने वाली किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सामग्री का पाठ या डिजिटल चित्र बनाता है, एकत्र करता है, खोजता है, ब्राउज़ करता है, डाउनलोड करता है, विज्ञापित करता है, बढ़ावा देता है, आदान-प्रदान करता है या वितरित करता है; या
(ग) बच्चों को एक या एक से अधिक बच्चों के साथ यौन रूप से स्पष्ट कृत्य के लिए या ऐसे तरीके से ऑनलाइन संबंध बनाने के लिए प्रेरित, फुसलाता या प्रेरित करता है जिससे कंप्यूटर संसाधनों पर किसी समझदार वयस्क को ठेस पहुँच सकती है; या
(घ) बच्चों के साथ ऑनलाइन दुर्व्यवहार करने में मदद करता है; या
(ङ) बच्चों के साथ यौन रूप से स्पष्ट कृत्य से संबंधित अपने या दूसरों के दुर्व्यवहार को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रिकॉर्ड करता है,

प्रथम दोषसिद्धि पर किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और द्वितीय या पश्चातवर्ती दोषसिद्धि की स्थिति में किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा:
परंतु धारा 67, धारा 67-ए और इस धारा के उपबंध किसी पुस्तक, पैम्फलेट, कागज, लेखन, रेखाचित्र, पेंटिंग, रूपांकन या इलेक्ट्रॉनिक रूप में आकृति पर लागू नहीं होंगे—

(i) जिसका प्रकाशन इस आधार पर लोकहित में उचित सिद्ध हो कि ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, चित्र, पेंटिंग, चित्रण या आकृति विज्ञान, साहित्य, कला या विद्या या अन्य सामान्य सरोकार की वस्तुओं के हित में है; या

(ii) जिसे वास्तविक विरासत या धार्मिक प्रयोजनों के लिए रखा या उपयोग किया जाता है।
स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजन के लिए, "बालक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।"

150. धारा 67 तथा 67ए का धारा 67बी के सापेक्ष संयुक्त वाचन यह दर्शाता है कि जहाँ पूर्ववर्ती धाराएँ केवल अश्लील अथवा पोर्नोग्राफिक सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण को दंडित करती हैं, वहीं धारा 67बी का दायरा कहीं अधिक व्यापक है, क्योंकि यह पाँच पृथक-पृथक दोषकारक कृत्यों को मान्यता देती है और उन्हें दंडनीय बनाती है: -

(i) धारा 67बी उपधारा (ए):-

क. आईटी अधिनियम की धारा 67बी की उप-धारा (ए) बाल पोर्नोग्राफी के प्रसार से संबंधित है और यौन रूप से स्पष्ट किसी कृत्य या आचरण में बालक को शामिल करने वाली किसी भी सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण और ऐसी सामग्री के प्रसार में सहायता या सुविधा प्रदान करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने पर दंड का प्रावधान करती है।

ख. इस प्रावधान के अंतर्गत अपराध के गठन के लिए, किसी भी बाल अश्लील सामग्री का वास्तविक प्रकाशन या प्रसारण होना आवश्यक है, हालाँकि उक्त प्रकाशन या प्रसारण या तो अभियुक्त द्वारा स्वयं किया जा सकता है या अभियुक्त के कहने पर या अभियुक्त के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कराया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, धारा 67बी की उप-धारा (ए) किसी भी ऐसे व्यक्ति को दंडित करती है जो किसी भी प्रक्रिया में, किसी भी रूप में, शामिल है जिससे किसी बाल अश्लील सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण होता है।

ग. इस प्रकार, आईटी अधिनियम की धारा 67बी(ए) के अंतर्गत अपराध के गठन के लिए निर्धारित दो शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक है - (I) किसी भी बाल अश्लील सामग्री का वास्तविक प्रकाशन या प्रसारण और (II) किसी भी तरह से ऐसे प्रकाशन या प्रसारण प्रक्रिया में अभियुक्त की संलिप्तता।

(ii) धारा 67बी की उप-धारा (बी):-

क. यह किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऐसे किसी भी लेख या चित्र-आधारित सामग्री के निर्माण को दंडित करता है जो बच्चों को किसी भी अश्लील, अशिष्ट या यौन रूप से स्पष्ट तरीके से चित्रित करती हो। यह ऐसी सामग्री के संग्रह, ब्राउज़िंग अर्थात् ऑनलाइन देखने या डाउनलोड करने पर भी दंड लगाता है। इस प्रकार, मोबाइल फोन में संग्रहीत किसी भी बाल अश्लील सामग्री को देखना भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऐसी सामग्री को 'ब्राउज़' करने के समान होगा। अंत में, यह ऐसी किसी भी सामग्री के विज्ञापन, प्रचार, आदान-प्रदान या वितरण को भी दंडित करता है। यहाँ भी, दंड केवल उपर्युक्त किसी भी कृत्य को वास्तविक रूप से किये जाने के लिए है।

ख. धारा 67बी उपधारा (बी) का दायरा पूर्ववर्ती उपधारा की तुलना में अधिक विस्तृत है क्योंकि, (i) सबसे पहले, यहां 'सामग्री' शब्द में बच्चों को यौन रूप से स्पष्ट कृत्यों के साथ-साथ अश्लील या अशिष्ट संदर्भों में चित्रित करने वाली कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री शामिल है, और (ii) दूसरी बात, दोषपूर्ण कृत्य में न केवल प्रसार का कार्य शामिल है, बल्कि ऐसी सामग्री का निर्माण, प्रचार करने, या उससे जुड़ने या उपयोग करने के कार्य भी शामिल हैं।

ग. दूसरे शब्दों में, धारा 67बी उपधारा (बी) निम्नलिखित में से किसी भी वास्तविक कृत्य के लिए दंडित करती है: -

i. किसी भी लेख या डिजिटल छवि आधारित इलेक्ट्रॉनिक सामग्री (वीडियो सहित) का निर्माण या निर्माण

करने का कार्य जो बच्चों को किसी भी अश्लील, अशिष्ट या यौन रूप से स्पष्ट तरीके से चित्रित करता हो;
ii. किसी भी कंप्यूटर संसाधन से ऐसी सामग्री को एकत्रित करने, ब्राउज़ करने, एक्सेस करने, डाउनलोड करने, सुरक्षित करने, खोजने, सक्रिय रूप से खोजने के माध्यम से ऐसी सामग्री को संलग्न करने या उपयोग करने का कार्य, और;
iii. इंटरनेट पर किसी भी कंप्यूटर संसाधन से ऐसी सामग्री का विज्ञापन, प्रचार, आदान-प्रदान या साझा करना, वितरण या बिक्री के लिए पेशकश करके ऐसी सामग्री के संचालन या प्रसार को सुविधाजनक बनाने या प्रचारित करने का कार्य।

(iii) धारा 67बी उपधारा (सी):-

क. आईटी अधिनियम की धारा 67बी उप-धारा (सी) किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके किसी बच्चे को यौन रूप से स्पष्ट किसी कृत्य या किसी अन्य ऐसे कार्य में भाग लेने या लिप्त होने के लिए प्रेरित करने या बहकावे के कृत्य को दंडित करती है, जो किसी भी उचित विवेक वाले वयस्क को अपमानित करेगा।

ख. उक्त प्रावधान के अंतर्गत अपराध गठित करने के लिए, केवल अभियुक्त द्वारा किसी भी प्रकार से प्रलोभन का वास्तविक कृत्य अपेक्षित है, और यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे प्रलोभन या प्रलोभन के परिणामस्वरूप बालक किसी भी प्रकार के यौन या अन्य आपत्तिजनक कृत्य में लिप्त हुआ हो।

ग. इस प्रकार, जहाँ अभियुक्त किसी बालक को कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से ऐसे किसी कृत्य में लिप्त होने के लिए केवल प्रलोभन देने का प्रयास करता है, तब भी वह इस प्रावधान के अंतर्गत उत्तरदायी होगा, चाहे बालक ऐसे कृत्य में लिप्त हो या नहीं। इसके अतिरिक्त, ऐसा प्रलोभन या बहकावा बालक को अभियुक्त के साथ या अभियुक्त के कहने या उसके बहकावे में आकर किसी अन्य व्यक्ति के साथ किसी भी यौन या आपत्तिजनक कृत्य में लिप्त होने के लिए प्रेरित करने के लिए हो सकता है।

घ. दूसरे शब्दों में, धारा 67बी उपधारा (सी) के अंतर्गत दंडित किया जाने वाला कार्य किसी बच्चे को यौन रूप से स्पष्ट किसी आक्रामक कृत्य या व्यवहार में शामिल होने के लिए लुभाना या प्रेरित करना है।

(iv) धारा 67बी उपधारा (घ):-

क. धारा 67बी की उप-धारा (घ) बच्चों के ऑनलाइन शोषण को बढ़ावा देने के किसी भी रूप या तरीके को दंडित करती है, अर्थात् यह किसी भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर बच्चों के किसी भी प्रकार के अपमान, शोषण या दुर्व्यवहार को दंडित करती है। उक्त प्रावधान के अंतर्गत दंडनीय कृत्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से

किसी भी ऐसे कार्य को करना, सहायता करना या बढ़ावा देना है जो किसी भी अभद्र, कामुक या अश्लील तरीके से बच्चों के ऑनलाइन शोषण को बढ़ावा देता हो या सक्षम बनाता हो।

ख. यह ध्यान देने योग्य है कि धारा 67बी की उपधारा (डी) के अंतर्गत यह आवश्यक नहीं है कि संबंधित कार्य केवल बच्चों के ऑनलाइन शोषण को बढ़ावा देने के इरादे से किया गया हो। बल्कि, उक्त प्रावधान के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आने के लिए यह आवश्यक है कि कार्य ऐसा हो जिससे बच्चों के ऑनलाइन शोषण को बढ़ावा मिलने की आशंका हो।

ग. दूसरे शब्दों में, किसी भी ऐसे कार्य के लिए दण्ड दिया जाता है जिसमें किसी भी अश्लील, अशिष्ट या अश्लील तरीके से बच्चों के ऑनलाइन दुरूपयोग में सहायता, सक्षमता या समर्थन की प्रवृत्ति या आशंका हो।

(v) धारा 67बी उपधारा (ई):-

क. आईटी अधिनियम की धारा 67बी की उप-धारा (ई) किसी भी बच्चे के साथ या उसकी उपस्थिति में किसी भी यौन क्रिया में भागीदारी को वीडियो या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिकॉर्ड करने के कृत्य को दंडित करती है। दोषपूर्ण कृत्य है कि किसी भी वीडियो या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करके, आरोपी द्वारा स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बच्चे की उपस्थिति में किए जा रहे किसी भी यौन क्रिया को रिकॉर्ड किया जाना।

ख. यह ध्यान में रखना चाहिए कि यौन रूप से स्पष्ट कार्य स्वयं बच्चे की वास्तविक उपस्थिति में किया जाना आवश्यक नहीं है, बल्कि यह आवश्यक है कि बच्चे को ऐसे यौन रूप से स्पष्ट कार्य का ज्ञान कराया गया हो और इसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में आरोपी द्वारा रिकॉर्ड किया गया हो। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक बच्चे की उपस्थिति में एक अश्लील वीडियो चलाया जाता है और फिर उसे आरोपी द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। चूंकि रिकॉर्डिंग में एक बच्चे को अश्लील वीडियो के रूप में यौन रूप से स्पष्ट कार्य के अधीन किया जाना शामिल है, इसलिए उक्त प्रावधान के अंतर्गत एक अपराध गठित होगा, भले ही ऐसा कोई कार्य बच्चे की वास्तविक उपस्थिति में न किया गया हो।

ग. दूसरे शब्दों में, धारा 67बी उप-धारा (ई) के अंतर्गत जो दंडित किया गया है, वह किसी भी व्यक्ति द्वारा बच्चे को किसी भी यौन रूप से स्पष्ट कार्य के संपर्क में लाना या उसके अधीन करना और उसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रिकॉर्ड करना है।

151. उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि आईटी अधिनियम की धारा 67बी एक समग्र प्रावधान है, जिसका उद्देश्य बच्चों के ऑनलाइन शोषण एवं दुर्व्यवहार के विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक रूपों से प्रभावी ढंग से निपटना है। यह न केवल बाल पोर्नोग्राफी के इलेक्ट्रॉनिक प्रसार को दंडित करता है, बल्कि ऐसी सामग्री के निर्माण, कब्जे, प्रचार एवं उपभोग के साथ-साथ बच्चों की नाजुक आयु के विरुद्ध ऑनलाइन यौन अपमान एवं शोषण के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कृत्यों को भी दंडनीय बनाता है।

152. इस न्यायालय ने शरत बाबू दिगुमर्ती बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, (2017) 2 एससीसी 18 में यह प्रतिपादित किया कि आईटी अधिनियम का अध्याय XI, विशेष रूप से धारा 67 से 67बी, इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील एवं पोर्नोग्राफिक सामग्री से संबंधित अपराधों के विषय में अपने आप में एक संपूर्ण संहिता है: -

"31. प्रावधानों पर गौर करने के बाद, यह याद रखना ज़रूरी है कि धारा 67 में इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री के प्रकाशन और प्रसारण के लिए दंड का स्पष्ट प्रावधान है। उक्त प्रावधान सपठित धारा 67-ए और 67-बी, आईटी अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराधों से संबंधित एक संपूर्ण संहिता है। [...]"

(प्रभाव वर्धित)

153. इस प्रकार, आई.टी. अधिनियम की धारा 67, 67 क और 67 ख एक पूर्ण संहिता होने के नाते, एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से व्याख्या की जानी चाहिए जो अपकृत्य को दबाती है और उपचार को आगे बढ़ाती है और यह सुनिश्चित करती है कि बच्चों से संबंधित विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अश्लील/पोर्नोग्राफिक सामग्री के उपयोग को दंडित करने का विधायी इरादा इन प्रावधानों के संकीर्ण निर्माण से पराजित नहीं होता है।

iii. पॉक्सो की धारा 30 के अंतर्गत सदोष मानसिक स्थिति की उपधारणा।

154. जैसा कि पहले चर्चा की गई है, पॉक्सो एक विशेष कानून है जिसे विशेष रूप से बच्चों के यौन दुर्व्यवहार और शोषण से संबंधित गंभीर अपराधों को दंडित करने और बच्चों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। इसके सूक्ष्म प्रावधानों को जानबूझकर बच्चों के सम्मान, सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए कड़े उपाय प्रदान करने हेतु डिज़ाइन किया गया है। इसी पृष्ठभूमि में, विधायिका ने अपनी बुद्धिमत्ता से कुछ विशिष्ट अपराधों के संबंध में कुछ वैधानिक अनुमानों के साथ-साथ अभियुक्त की ओर से सदोष मानसिक स्थिति के अस्तित्व की उपधारणा का भी प्रावधान किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह कानून बाल यौन शोषण के बढ़ते मामलों को निस्तारित करने में प्रभावी हो।

155. पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक अनुमानों से संबंधित प्रावधान धारा 29 और 30 में निहित हैं,

जो क्रमशः कुछ अपराधों के संबंध में अनुमान और सदोष मानसिक स्थिति की उपधारणा का प्रावधान करते हैं। इस मामले में, हम पॉक्सो अधिनियम की धारा 30 पर विचार कर रहे हैं, जिसे पुनरावृत्ति की कीमत पर नीचे पुन: प्रस्तुत किया जा रहा है: -

" 30. सदोष मानसिक स्थिति की उपधारणा -

(1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में, जिसमें अभियुक्त की ओर से सदोष मानसिक स्थिति अपेक्षित है, विशेष न्यायालय ऐसी मानसिक स्थिति के अस्तित्व की उपधारणा करेगा, किन्तु अभियुक्त के लिए यह तथ्य साबित करना बचाव होगा कि उस अभियोजन में अपराध के रूप में आरोपित कार्य के संबंध में उसकी ऐसी कोई मानसिक स्थिति नहीं थी।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, कोई तथ्य तभी सिद्ध हुआ कहा जाएगा जब विशेष न्यायालय को विश्वास हो कि वह युक्तियुक्त संदेह से परे विद्यमान है, न कि केवल तब जब उसका अस्तित्व संभाव्यता की प्रबलता द्वारा स्थापित हो।

स्पष्टीकरण.- इस धारा में, "सदोष मानसिक स्थिति" में आशय, उद्देश्य, किसी तथ्य का ज्ञान और किसी तथ्य में विश्वास या विश्वास करने का कारण शामिल है।"

156. धारा 30, उपधारा (1) में प्रावधान है कि जहां पॉक्सो के अंतर्गत किसी अपराध के लिए अभियुक्त की ओर से सदोष मानसिक स्थिति की आवश्यकता होती है, विशेष न्यायालय ऐसी मानसिक स्थिति के अस्तित्व की उपधारणा कर लेगा। इसमें आगे प्रावधान है कि अभियुक्त बचाव के तौर पर यह साबित कर सकता है कि अधिनियम के अंतर्गत दंडित किए जाने वाले किसी भी कार्य के संबंध में उसकी ऐसी कोई मानसिक स्थिति नहीं थी। इस प्रकार, धारा 30(1) स्पष्ट करती है कि सदोष मानसिक स्थिति की उपधारणा उक्त अधिनियम के अंतर्गत ऐसे किसी भी अपराध पर लागू होती है जिसके लिए ऐसी मानसिक स्थिति की आवश्यकता होती है, और "करेगा" शब्द का प्रयोग विशेष न्यायालय के लिए ऐसी मानसिक स्थिति के अस्तित्व की उपधारणा करना अनिवार्य बनाता है। हालांकि, उक्त प्रावधान यह भी स्पष्ट करता है कि, यद्यपि उक्त उपधारणा अनिवार्य है फिर भी यह खंडनीय है क्योंकि अभियुक्त व्यक्ति को इसके विपरीत स्थापित करने के लिए कोई भी तथ्य साबित करने की अनुमति है, अर्थात् यह दिखाने के लिए कि उसकी ओर से ऐसी कोई मानसिक स्थिति मौजूद नहीं थी। धारा 30 की उपधारा (2) आगे उस तरीके और परिस्थितियों की व्याख्या करती है जिसके अंतर्गत उक्त उपधारणा का खंडन किया जा सकता है, जहाँ तक यह निर्धारित करती है कि किसी भी तथ्य को यह सिद्ध करने के लिए कि ऐसी कोई मानसिक स्थिति विद्यमान नहीं थी, अभियुक्त व्यक्ति को उसे उचित संदेह से परे सिद्ध करना होगा, न कि केवल संभाव्यता की प्रबलता के आधार पर। इस प्रकार, सदोष मानसिक स्थिति की उक्त वैधानिक उपधारणा का खंडन करने के लिए निर्धारित मानक उचित संदेह से परे

है। अंत में, उक्त प्रावधान से संलग्न स्पष्टीकरण में यह प्रावधान है कि 'सदोष मानसिक स्थिति' में आशय, उद्देश्य, किसी तथ्य का ज्ञान और किसी तथ्य में विश्वास या विश्वास करने का कारण शामिल होगा।

क. वैधानिक उपधारणा की अवधारणा और मूलभूत तथ्यों का सिद्धांत -

157. अटॉर्नी जनरल (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने पॉक्सो अधिनियम की उपरोक्त धारा 29 और 30 *पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की थी कि पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराधों की गंभीर प्रकृति और उक्त कानून के अधिनियमन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विधानमंडल द्वारा इन्हें विशेष रूप से शामिल किया गया था। इसके अतिरिक्त, इस न्यायालय ने उपरोक्त प्रावधानों के महत्व को देखते हुए यह धारित किया कि अधिनियम के अंतर्गत यौन उत्पीड़न आदि से संबंधित किसी भी अपराध की व्याख्या पॉक्सो के अन्य प्रावधानों (धारा 29 और 30 के अनुसार) के अनुरूप ही की जानी चाहिए। प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं: -*

" 36. यह भी ध्यान देने योग्य है कि पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, विधानमंडल ने कुछ वैधानिक उपधारणाओं को शामिल किया है। धारा 29 विशेष न्यायालय को यह मानने की अनुमति देती है, जब किसी व्यक्ति पर अधिनियम की धारा 3, 5, 7 और धारा 9 के अंतर्गत किसी अपराध को करने, उकसाने या करने के प्रयास के लिए मुकदमा चलाया जाता है, कि ऐसे व्यक्ति ने अपराध किया है, उकसाया है या करने का प्रयास किया है, जैसा भी मामला हो, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए। इसी तरह, इसकी धारा 30 विशेष न्यायालय को अधिनियम के अंतर्गत किसी भी अपराध के लिए, जिसके लिए ऐसी मानसिक स्थिति के अस्तित्व वाले अभियुक्त की ओर से सदोष मानसिक स्थिति की आवश्यकता होती, यह उपधारणा करने की अनुमति देती है। निःसंदेह, अभियुक्त बचाव ले सकता है और इस तथ्य को साबित कर सकता है कि उस अभियोजन में अपराध के रूप में आरोपित कृत्य के संबंध में उसकी ऐसी कोई मानसिक स्थिति नहीं थी। आगे यह ध्यातव्य है कि यद्यपि धारा 30 की उपधारा (2) के अनुसार, उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए, कोई तथ्य तभी साबित हुआ कहा जाता है जब विशेष न्यायालय का मानना हो कि यह उचित संदेह से परे मौजूद है, न कि केवल तब जब इसका अस्तित्व संभाव्यता की अधिकता से स्थापित हो, धारा 30 का स्पष्टीकरण स्पष्ट करता है कि "सदोष मानसिक स्थिति" में आशय, मकसद, किसी तथ्य का ज्ञान और किसी तथ्य में विश्वास या विश्वास करने का कारण शामिल है। इस प्रकार, धारा 7, 11, 29 और 30 के संयुक्त वाचन पर, इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि हालांकि धारा 11 के स्पष्टीकरण के अनुसार, "यौन आशय" एक तथ्य का प्रश्न होगा, विशेष न्यायालय, जब यह मानता है कि किसी तथ्य का अस्तित्व उचित संदेह से परे है, तो वह अभियुक्त की ओर से "सदोष मानसिक स्थिति" के अस्तित्व के संबंध में धारा 30 के अंतर्गत उपधारणा कर सकता है।

37. यह न्यायालय को श्री लूथरा के अगले तर्क की ओर ले जाता है कि धारा 7 में प्रयुक्त "यौन इरादे", "कोई

अन्य कृत्य", "स्पर्श" और "शारीरिक संपर्क" जैसे पदों की परिभाषा के अभाव के कारण अस्पष्टता है, साथ ही अधिनियम की धारा 29 और 30 के अंतर्गत उपधारणा के कारण, अभियुक्त पर साक्ष्य का विपरीत भार उसके लिए अपनी बेगुनाही साबित करना मुश्किल बना देगा और इसलिए, पॉक्सो अधिनियम की सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए। न्यायालय की राय में, श्री लूथरा के उक्त तर्क से कोई असहमति नहीं हो सकती है। वास्तव में इस न्यायालय ने कई निर्णयों में यह प्रतिपादित किया है कि किसी अपराध को अधिनियमित करने या दंड लगाने वाले दंड विधान की सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए। इस संबंध में साक्षी बनाम भारत संघ (2004) 5 एससीसी 518, आर. कल्याणी बनाम जनक सी. मेहता (2009) 1 एससीसी 516 और पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह (2014) 9 एससीसी 632 के मामलों में दिए गए निर्णयों का एक लाभदायक संदर्भ दिया जाना चाहिए। हालांकि, यह समान रूप से स्थापित कानूनी स्थिति है कि किसी क़ानून के खंडों का अर्थ अन्य प्रावधानों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए ताकि विषय-वस्तु से संबंधित संपूर्ण क़ानून एक सुसंगत अधिनियमन दिखे। न्यायालय इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हो सकता है कि कम उम्र के बच्चों पर किए गए दर्दनाक यौन हमले का प्रभाव उनके पूरे जीवन के दौरान रह सकता है, और उनकी मानसिक स्थिति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कुछ मामलों में पीड़ितों की पीड़ा अथाह हो सकती है। इसलिए, पॉक्सो अधिनियम के उद्देश्यों पर विचार करते हुए, इसके प्रावधानों, विशेष रूप से यौन उत्पीड़न, यौन दुर्व्यवहार आदि से संबंधित प्रावधानों को अन्य प्रावधानों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, ताकि अधिनियम के उद्देश्यों को अधिक सार्थक और प्रभावी बनाया जा सके।

(प्रभाव वर्धित)

158. सदोष मानसिक स्थिति की वैधानिक उपधारणा न तो कानून से अलग अवधारणा है और न ही यह केवल पॉक्सो के लिए विशिष्ट है। वास्तव में, कई ऐसे कानून हैं जिनमें सदोष मानसिक स्थिति की वैधानिक उपधारणा से संबंधित समान प्रावधान हैं, जैसे कि मादक औषधि एवं मनोरोगी पदार्थ अधिनियम, 1985 (संक्षेप में, "एनडीपीएस अधिनियम") की धारा 35, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (संक्षेप में, "सीमा शुल्क अधिनियम") की धारा 138 क, आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में, "अधिनियम, 1961") की धारा 278 ङ, आदि। चूँकि उपरोक्त सभी प्रावधान पॉक्सो की धारा 30 के समरूप हैं, इसलिए इन समरूप प्रावधानों की व्याख्या करने वाले इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का संदर्भ देना समीचीन होगा।

159. भानाभाई खालपाभाई बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर, 1994 के अनुपूरक (2) एससीसी 143 में, इस न्यायालय ने सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 138ए के दायरे की जाँच करते हुए, जो सदोष मानसिक स्थिति की उपधारणा से संबंधित है, यह पाया कि उक्त वैधानिक उपधारणा को विधायिका द्वारा इस कठिनाई के मद्देनजर शामिल किया गया था कि अभियोजन पक्ष को अक्सर कुछ अपराधों के संबंध में प्रत्येक कड़ी को प्रत्यक्ष साक्ष्य के माध्यम से साबित करने में कठिनाई होती है। इसने आगे कहा कि ऐसी वैधानिक उपधारणा सामान्य आपराधिक न्यायशास्त्र का एक अपवाद है जिसके अनुसार दायित्व कभी भी अभियुक्त पर नहीं आता है और उसे केवल अभियोजन पक्ष के कथन की सत्यता के संबंध में न्यायालय के मन में

संदेह उत्पन्न करना होता है। प्रासंगिक टिप्पणी इस प्रकार है: -

" 9. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, यह भी माना जा सकता है कि अपीलकर्ता निर्दिष्ट माल पर देय शुल्क की 'कपटपूर्ण चोरी या चोरी के प्रयास' के संबंध में निर्दिष्ट माल से जुड़ा था। यह सर्वविदित है कि अभियोजन पक्ष के लिए अधिनियम के अंतर्गत अपराध के संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा प्रत्येक कड़ी को साबित करना बहुत कठिन है। सीमा शुल्क के भुगतान से बचने के लिए तस्करी की पूरी प्रक्रिया में विभिन्न कड़ियाँ शामिल होती हैं। ये कड़ियाँ एक-दूसरे की सहायता करती हैं और एक-दूसरे को बढ़ावा देती हैं, कभी-कभी रिमोट कंट्रोल के माध्यम से बढ़ावा देती है। इसीलिए, संसद ने अधिनियम में धारा 138-क पेश की है। [...] यह प्रावधान केवल मुकदमे में साक्ष्य के भार और प्रकृति से संबंधित है, इस प्रकार यह वर्तमान मामले में लागू था। उपरोक्त धारा के मद्देनजर, कथित मानसिक स्थिति के अस्तित्व के संबंध में उपधारणा की जानी चाहिए। अभियुक्त को बचाव के माध्यम से यह तथ्य साबित करने का विकल्प दिया गया है कि आरोपित कार्य, जो एक अपराध है, के संबंध में उसकी ऐसी कोई मानसिक स्थिति नहीं थी। यह कहा जा सकता है कि प्रावधान उपरोक्त सामान्य आपराधिक न्यायशास्त्र का एक अपवाद है जिसके अनुसार अभियुक्त पर कभी भी दायित्व नहीं डाला जाता है और उसे केवल अभियोजन पक्ष के कथन की सत्यता के संबंध में न्यायालय के मन में संदेह उत्पन्न करना होता है। यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 और 114 से भिन्न है। धारा 138-क के अनुसार, एक बार जब अभियुक्त की ओर से सदोष मानसिक स्थिति के बारे में यह अनुमान लगाया जाता है कि उसने सीमा शुल्क के भुगतान से बचते हुए देश के बाहर निर्यात करने के लिए चांदी की सिल्लियों का भंडारण किया था, तो अभियुक्त को बचाव के तौर पर यह साबित करना होगा कि आरोपित कृत्य के संबंध में ऐसी कोई मानसिक स्थिति मौजूद नहीं थी। [...]"

(प्रभाव वर्धित)

160. देवचंद कल्याण टंडेल बनाम गुजरात राज्य (1996) 6 एससीसी 255 के मामले में इस न्यायालय के एक अन्य निर्णय में, यह दोहराया गया था कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 138 क में निहित वैधानिक उपधारणा शुल्क चोरी या निषेध या अन्य समान आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों की बढ़ती संख्या और अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसे अपराधों के तत्वों को स्थापित करने में अंतर्निहित कठिनाई को देखते हुए आवश्यक थी। इसने धारित किया कि, एक बार अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त व्यक्ति से निषिद्ध वस्तुओं की बरामदगी विधिवत स्थापित हो जाने के बाद, वैधानिक उपधारणा उत्पन्न होगी। इसने आगे धारित किया कि, ऐसे मामलों में प्रश्न यह होगा कि क्या सिद्ध तथ्यों और परिस्थितियों में, वैधानिक उपधारणा का सहारा लिया जा सकता है। प्रासंगिक टिप्पणी इस प्रकार हैं: -

" 10. [...] यह निस्संदेह सत्य है कि धारा 135(1)(क) के प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप में अभियोजन पक्ष के लिए यह स्थापित करना आवश्यक है कि अभियुक्तों ने माल पर प्रभार्य किसी भी शुल्क से धोखाधड़ी से बचने या बचने का प्रयास किया है या माल के संबंध में अधिनियम के अंतर्गत लगाए गए निषेध का

उल्लंघन किया है। लेकिन यदि अभियोजन पक्ष उपरोक्त तथ्यों को स्थापित करता है तो धारा 138-ए के अंतर्गत वैधानिक उपधारणा को लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है और इस तरह की उपधारणा के बिना किसी अभियुक्त को धारा 135(1)(क) के अंतर्गत दोषी ठहराया जा सकता है। लेकिन शुल्क या प्रतिबंधों के इस तरह के अपवंचन के आवश्यक तत्वों को स्थापित करना मुश्किल पाते हुए और आर्थिक अपराध नियंत्रण से बाहर अनुपात में बढ़ जाने के कारण, विधायिका अधिनियम की धारा 138-क के अंतर्गत उपलब्ध उपधारणा को लेकर आगे आया। धारा 138 ए का मुख्य उद्देश्य अभियुक्त की ओर से सदोष मानसिक स्थिति के बारे में उपधारणा करना है जब उस पर न्यायालय में मुकदमा चलाया जाता है। दूसरे शब्दों में, यदि अभियुक्त से अधिसूचित क्षेत्र के भीतर किसी निषिद्ध माल की बरामदगी की जाती है तो यह वैधानिक उपधारणा उत्पन्न होगी कि वह प्रश्नगत माल पर प्रभार्य किसी शुल्क की धोखाधड़ीपूर्ण चोरी या चोरी के प्रयास में जानबूझकर शामिल था। भानाभाई खालपाभाई बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर [1994 सप्लीमेंट्री (2) एससीसी 143: 1994 एससीसी (क्रि) 882] के मामले में इस न्यायालय ने माना है कि धारा 138-क के मद्देनजर कथित मानसिक स्थिति के अस्तित्व के संबंध में एक उपधारणा बनानी होगी। अभियुक्त को बचाव के तौर पर यह तथ्य साबित करने का विकल्प दिया गया है कि आरोपित कार्य के संबंध में उसकी ऐसी कोई मानसिक स्थिति नहीं थी जो कि एक अपराध है। इसलिए, प्रश्न यह उठता है कि क्या सिद्ध तथ्यों और परिस्थितियों में निचली अदालतों द्वारा अधिनियम की धारा 138-क के अंतर्गत वैधानिक उपधारणा का सहारा लेना न्यायोचित था। [...]

(प्रभाव वर्धित)

161. पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह (1999) 6 एससीसी 172 में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने यह धारित किया कि उपधारणा, सिद्ध माने जाने वाले तथ्यों से निकाला गया एक अनुमान होता है और इस प्रकार, एनपीडीएस अधिनियम की धारा 54 के अंतर्गत यह वैधानिक उपधारणा कि किसी अभियुक्त ने अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध किया है, तभी लागू होगी जब अभियोजन पक्ष यह सिद्ध कर दे कि अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई तलाशी में अभियुक्त के पास प्रतिबंधित वस्तु पाई गई थी। संबंधित टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं: -

" 54. इस प्रकार, भले ही तर्क के लिए यह मान लिया जाए कि अवैध तलाशी के दौरान जब्त की गई सभी सामग्री अन्य कार्यवाहियों में प्रासंगिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हो सकती है, अवैध तलाशी में जब्त की गई अवैध दवा या मनःस्वापक पदार्थ को अपने आप में अभियुक्त द्वारा प्रतिबंधित पदार्थ के अवैध रूप से सचेत कब्जे के सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अवैध तलाशी अभियोजन पक्ष को अधिनियम की धारा 54 के अंतर्गत उपधारणा करने का अधिकार भी नहीं दे सकती है क्योंकि उपधारणा उन तथ्यों से निकाला गया एक अनुमान होता है जिन्हें साबित माना जाता है। अधिनियम की धारा 54 के अंतर्गत उपधारणा केवल तभी की जा सकती है जब अभियोजन पक्ष ने यह स्थापित कर दिया हो कि धारा 50 के

अधिदेश के अनुसार की गई तलाशी में अभियुक्त के पास प्रतिबंधित पदार्थ पाया गया था।"

(प्रभाव वर्धित)

162. सीमा सिल्क साड़ियाँ बनाम प्रवर्तन निदेशालय (2008) 5 एससीसी 580 में, यद्यपि इसमें शामिल प्रावधान पॉक्सो की धारा 30 के समरूप नहीं है, फिर भी इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ इस मामले से संबंधित मुद्दे के लिए प्रासंगिक हैं। इस न्यायालय ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 18 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उक्त अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की वैधानिक उपधारणा का प्रावधान था, यह धारित किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा कुछ मूलभूत तथ्य स्थापित किए जाने के बाद ऐसी वैधानिक उपधारणा लागू होगी। प्रासंगिक टिप्पणी इस प्रकार है: -

" 19. कोई कानूनी प्रावधान सिर्फ़ इसलिए असंवैधानिक नहीं हो जाता क्योंकि वह विपरीत दायित्व का प्रावधान करता है। साक्ष्य के भार से संबंधित प्रश्न प्रक्रियात्मक प्रकृति का है। [...]
20. व्यापारी के विरुद्ध की गई उपधारणा खंडनीय है। कई क़ानूनों में, जैसे कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, टाडा आदि में रिवर्स बर्डन और अन्य वैधानिक उपधारणाएँ लगाई जा सकती हैं। उपधारणा तभी की जाती है जब अभियोजन पक्ष द्वारा कुछ आधारभूत तथ्य स्थापित कर दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में अभियुक्त यह साबित करने का हकदार होगा कि उसने अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया है। [...]

(प्रभाव वर्धित)

163. इसी तरह नूर आगा बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य (2008) 16 एससीसी 417 के मामले में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 35 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी, जो पूर्वोक्त रूप से सदोष मानसिक स्थिति की उपधारणा का प्रावधान करता था। इस न्यायालय की ओर से न्यायमूर्ति एसबी सिन्हा (तत्कालीन) ने उपरोक्त प्रावधान की वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि हालांकि निर्दोषता की मानव अधिकार होने की उपधारणा को खारिज नहीं किया जा सकता है, फिर भी यह अपवादों के अधीन होगा। न्यायालय ने कहा कि जहां कोई कानून अभियुक्त की ओर से सदोष मानसिक स्थिति के संबंध में उपधारणा करता है और इसके विपरीत साबित करने के लिए अभियुक्त पर साक्ष्य का भार भी डालता है, उक्त उपधारणा संवैधानिक रूप से वैध होगी और इसे उठाया जा सकता है बशर्ते कि अपेक्षित अपराध के दोषपूर्ण कृत्य को स्थापित करने से संबंधित मूलभूत तथ्य साबित हो गए हों। इसने आगे कहा कि ऐसी वैधानिक उपधारणा के बावजूद, प्रारंभिक दायित्व हमेशा अभियोजन पक्ष पर ही होगा कि वह दंडनीय अपराध के संबंध में कुछ मूलभूत तथ्यों को स्पष्ट रूप से सिद्ध करे। अभियोजन पक्ष द्वारा मूलभूत तथ्यों को सिद्ध करने के बाद ही वैधानिक उपधारणा लागू होती है, जिसके बाद अन्यथा सिद्ध करने का दायित्व अभियुक्त पर आ जाता है। अंत में, इसने यह भी धारित किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा दोषपूर्ण कृत्य से संबंधित मूलभूत तथ्यों को सिद्ध करने का दायित्व अपराध की गंभीरता पर निर्भर करेगा। प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं: -

" 35. कुछ मूलभूत तथ्यों की स्थापना और साक्ष्य के भार के अधीन, एक निश्चित सीमा तक, किसी अभियुक्त को निर्दोष माने जाने का अधिकार होता है। इसकी व्याख्या अन्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए कि इसे संवैधानिक माना गया है। इस प्रकार, एक क़ानून संवैधानिक हो सकता है, लेकिन उसके अंतर्गत अभियोजन संवैधानिक नहीं माना जा सकता। निस्संदेह, नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता और अधिकारों को बरकरार रखा जाना चाहिए।

51. अधिनियम में विशेष रूप से अपवादों का प्रावधान है। यह एक सामान्य कानून है कि निर्दोषता की उपधारणा मानव अधिकार होने के कारण खारिज नहीं की जा सकती, लेकिन इसे अपवादों के अधीन लागू किया जाना चाहिए।

56. अधिनियम के प्रावधानों और उसमें निर्धारित दंड निर्विवाद रूप से कठोर हैं, क्योंकि इसमें ज़मानत के लिए उच्च मानक, छूट के लिए किसी प्रावधान का अभाव, न्यूनतम सजा देने के लिए विशिष्ट प्रावधान, न्यायालय को अधिकतम 2,00,000 रुपये से अधिक का जुर्माना लगाने की शक्ति प्रदान करने वाले सक्षम प्रावधान और साथ ही मादक दवाओं और मन:स्वापक पदार्थों के कब्जे से उत्पन्न होने वाले अपराध की उपधारणा जैसे तत्व शामिल हैं। ऐसे में अभियोजन पक्ष पर मूलभूत तथ्यों को साबित करने का भार, अर्थात् "सभी उचित संदेहों से परे सबूत" और भी अधिक कठिन होगा। एक उच्च स्तरीय जाँच परीक्षण लागू करना आवश्यक होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक ओर, न्यायालय को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के आलोक में संसदीय उद्देश्य और मंशा को प्रभावी बनाने का प्रयास करना चाहिए, वहीं दूसरी ओर, लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के उद्देश्य से अधिनियम के प्रावधानों के ईमानदारी से अनुपालन पर ज़ोर देकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणापत्र में प्रदत्त व्यक्तिगत मानवाधिकारों और गरिमा को बनाए रखना भी आवश्यक है। "व्यापक सभ्यता" की अवधारणा को प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक है। न्यायालय को हमेशा यह याद रखना चाहिए कि आपराधिक न्यायशास्त्र का यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि अपराध जितना गंभीर होगा, साक्ष्य की मात्रा उतनी ही कठोर होगी। इसलिए, किसी अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए उच्च स्तर का आश्वासन आवश्यक होगा। [...]
58. अधिनियम की धाराएँ 35 और 54, निस्संदेह, अभियुक्त की ओर से सदोष मानसिक स्थिति के संबंध में उपधारणाएँ उत्पन्न करती हैं और इस संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार भी अभियुक्त पर डालती हैं; किन्तु उक्त प्रावधान के अवलोकन से ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि अभियुक्त के मुकदमे में उपधारणा तभी लागू होगी जब उसमें निहित परिस्थितियाँ पूरी तरह से संतुष्ट हों। अभियोजन पक्ष पर एक प्रारंभिक दायित्व होता है और उसके संतुष्ट होने पर ही, कानूनी दायित्व स्थानांतरित होगा। फिर भी, अभियुक्त के लिए अपनी बेगुनाही साबित करने हेतु आवश्यक साक्ष्य का मानक अभियोजन पक्ष के प्रमाण के मानक जितना ऊँचा नहीं है। यद्यपि अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के अपराध को साबित करने हेतु आवश्यक साक्ष्य का मानक "सभी उचित संदेह से परे" है, किन्तु अभियुक्त पर यह "संभावना की प्रबलता" है। यदि अभियोजन पक्ष

अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत कठोर दंड को आकर्षित करने हेतु आधारभूत तथ्यों को साबित करने में विफल रहता है, तो अभियुक्त द्वारा प्रतिबंधित वस्तु को अपने कब्जे में रखने की सदोष मानसिक स्थिति स्थापित नहीं कही जा सकती है।

(प्रभाव वर्धित)

164. भोला सिंह बनाम पंजाब राज्य (2011) 11 एससीसी 653 मामले में, इस न्यायालय ने नूर आगा (उपरोक्त) के निर्णय का सहारा लेते हुए दोहराया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 35 में परिकल्पित वैधानिक उपधारणा अभियोजन पक्ष द्वारा कुछ मूलभूत तथ्यों को साबित करने के अपने प्रारंभिक दायित्व का निर्वहन करने के बाद ही लागू होगी। यह अवधारित किया गया कि ऐसी वैधानिक उपधारणा की प्रयोज्यता अभियोजन पक्ष द्वारा बताए गए तथ्यों पर निर्भर करती है, जिसके बाद अन्यथा साबित करने का दायित्व अभियुक्त पर आ जाएगा। यह अवधारित किया गया कि कथित अपराध से संबंधित किसी भी मूलभूत तथ्य के अभाव में, कोई उपधारणा नहीं की जा सकती। प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं: -

" 10. अधिनियम की धारा 54 के संदर्भ में कब्जे के प्रश्न और धारा 35 के अंतर्गत उपधारणा पर विचार करते हुए, नूर आगा बनाम पंजाब राज्य में इस न्यायालय ने धारा 35 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि चूंकि यह धारा किसी अभियुक्त पर भारी विपरीत भार डालती है, इसलिए इस और अन्य संबंधित धाराओं की प्रयोज्यता की शर्त को तथ्यों के आधार पर स्पष्ट करना होगा और अभियोजन पक्ष द्वारा आधारभूत तथ्यों को साबित करने के प्रारंभिक भार का निर्वहन करने के बाद ही धारा 35 लागू होगी।

11. वर्तमान मामले के तथ्यों को उद्धृत मामले पर लागू करने पर, यह स्पष्ट है कि यह साबित करने का प्रारंभिक भार कि अपीलकर्ता को इस बात की जानकारी थी कि उसके स्वामित्व वाले वाहन का उपयोग नशीले पदार्थों के परिवहन के लिए किया जा रहा है, अभी भी अभियोजन पक्ष पर है, जैसा कि "जानबूझकर" शब्द से स्पष्ट होगा, और उचित संदेह से परे साबित हुए साक्ष्य के बाद ही धारा 35 के अंतर्गत उपधारणा उत्पन्न होगी। धारा 35 यह भी पूर्वकल्पित करती है कि किसी अभियुक्त की सदोष मानसिक स्थिति को उचित संदेह से परे एक तथ्य के रूप में साबित किया जाना चाहिए, न कि केवल तब जब इसका अस्तित्व संभावनाओं की अधिकता से स्थापित हो। हमारा विचार है कि अपीलकर्ता की मानसिक स्थिति के संबंध में किसी साक्ष्य के अभाव में धारा 35 के अंतर्गत कोई उपधारणा नहीं की जा सकती। [...]"

(प्रभाव वर्धित)

165. बलदेव सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2015) 7 एससीसी 554 के मामले में, इस न्यायालय ने धारित किया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 35 में निहित सदोष मानसिक स्थिति की धारणा तब लागू होगी जब अभियुक्त द्वारा विचाराधीन प्रतिबंधित पदार्थ का कब्जा अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित कर दिया गया हो,

उसके बाद, उक्त धारणा का खंडन करने का दायित्व अभियुक्त पर होगा। आगे अवधारित किया गया कि, इस तरह की धारणा का खंडन अभियुक्त द्वारा या तो अभियोजन पक्ष के मामले में और कब्जा स्थापित करने के लिए उस पर निर्भर सामग्री पर संदेह उठाकर किया जा सकता है या वह इसका खंडन करने के लिए कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। अंत में, इसने यह भी धारित किया गया कि जहां अभियोजन पक्ष कब्जा स्थापित करने में असमर्थ है या जहां अदालत को अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह है, उक्त धारणा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। प्रासंगिक टिप्पणियां इस प्रकार हैं: -

" 12. एक बार जब अभियुक्त द्वारा प्रतिबंधित वस्तु का भौतिक कब्ज़ा साबित हो जाता है, तो एनडीपीएस अधिनियम की धारा 35 लागू होती है और अपीलकर्ता -अभियुक्त पर यह साबित करने का भार आ जाता है कि उसके पास प्रतिबंधित वस्तु सचेतन रूप से नहीं थी। धारा 35 की उपधारा (1) का स्पष्टीकरण "सदोष मानसिक स्थिति " के अर्थ को विस्तृत करते हुए यह प्रावधान करता है कि "सदोष मानसिक स्थिति " में आशय, किसी तथ्य का ज्ञान और किसी तथ्य पर विश्वास करना या विश्वास करने का कारण शामिल है। धारा 35 की उपधारा (2) में प्रावधान है कि धारा 35 के प्रयोजन के लिए, किसी तथ्य को तभी सिद्ध कहा जाता है जब न्यायालय को विश्वास हो कि वह उचित संदेह से परे विद्यमान है, न कि केवल तब जब उसका अस्तित्व संभाव्यता की प्रबलता से स्थापित हो। एक बार अभियुक्त द्वारा प्रतिबंधित वस्तु का कब्ज़ा स्थापित हो जाने के बाद, अभियुक्त पर यह साबित करने का भार होता है कि वह उसके पास सचेतन रूप से नहीं थी। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत अभियुक्त पर डाला गया सबूत का भार विभिन्न तरीकों से पूरा किया जा सकता है। इनमें से एक तरीका यह है कि अभियुक्त अभियोजन पक्ष के मामले में उपलब्ध सामग्री पर भरोसा कर सकता है और अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह पैदा कर सकता है। अभियुक्त अपने बचाव में पेश होने के लिए बुलाए जाने पर अन्य साक्ष्य भी प्रस्तुत कर सकता है। यदि अभियोजन पक्ष के मामले में प्रस्तुत परिस्थितियाँ न्यायालय को यह उचित आश्वासन देती हैं कि अभियुक्त को अपेक्षित आशय का ज्ञान नहीं हो सकता था, तो एनडीपीएस अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत उस पर लगाया गया भार समाप्त हो जाएगा, भले ही अभियुक्त ने अपने बचाव में पेश होने के लिए बुलाए जाने पर कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत न किया हो।

(प्रभाव वर्धित)

166. उपरोक्त से यह स्पष्ट होता है कि सदोष मानसिक स्थिति की वैधानिक उपधारणा का प्रावधान, कुछ प्रकार के अपराधों, जैसे कि अपूर्ण अपराधों, को उनकी गुप्त प्रकृति के कारण स्थापित करने में अक्सर आने वाली कठिनाई से उत्पन्न आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। ऐसी उपधारणाएँ मूलतः आपराधिक न्यायशास्त्र के इस प्रमुख सिद्धांत का अपवाद हैं कि कोई भी कार्य किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका मन भी दोषी न हो।

167. परंपरागत रूप से, अभियोजन पक्ष ही किसी विशेष अपराध के प्रत्येक तत्व को उचित संदेह से परे साबित

करने का भार वहन करता है जिसमें अभियुक्त की मानसिक स्थिति भी शामिल है। किसी भी अपराध के घटित होने को सिद्ध करने के लिए, अभियोजन पक्ष को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, अर्थात्, अभियोजन पक्ष पर न केवल गलत कार्य को, बल्कि ऐसे कार्य को करने में व्यक्ति के गलत इरादे को भी उचित संदेह से परे साबित करने का दायित्व होता है। हालाँकि, कुछ अपराधों, विशेष रूप से आर्थिक अपराधों या बाल पोर्नोग्राफ़ी रखने जैसे अपूर्ण अपराधों में, जहाँ दोषपूर्ण कृत्य के अलावा, सदोष मनःस्थिति को दर्शाने या प्रदर्शित करने के लिए कोई अन्य सामग्री मौजूद नहीं होती है, अभियोजन पक्ष के लिए अभियुक्त के मन में झाँककर यह निश्चित रूप से पता लगाना बहुत कठिन होता है कि किसी विशेष कार्य को करने के पीछे उसका इरादा क्या था या क्या हो सकता था, उसे उचित संदेह से परे ठोस रूप से स्थापित करना तो दूर की बात है। ऐसे अपराधों की मायावी और छिपी हुई प्रकृति के कारण, अक्सर यह स्थापित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता कि उस समय अभियुक्त के मन में क्या था जब प्रश्नगत विशेष कार्य हुआ था या यह कि उक्त कार्य केवल एक विशेष इरादे से किया गया था।

168. ऐसे ही परिदृश्यों में, विधायिका जानबूझकर उपरोक्त बाधाओं को दूर करने और अभियोजन पक्ष को अपना मामला साबित करने में सहायता करने के लिए एक सदोष मानसिक स्थिति की वैधानिक उपधारणा का प्रावधान करती है। सदोष मानसिक स्थिति की यह उपधारणा न तो किसी विशेष अपराध के लिए दोष का निर्णायक प्रमाण है और न ही यह अभियोजन पक्ष से उसके साक्ष्य भार को पूरी तरह से हटाती या मुक्त करती है और इसे इस रूप में नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि यह अभियोजन पक्ष को अपना प्रारंभिक भार वहन करने और अपना मामला स्थापित करने में सहायता करने का एक सशक्त साधन है। यह जटिल गुप्त अपराधों में, जिन्हें पारंपरिक तरीकों से साबित नहीं किया जा सकता, 'सदोष कृत्य' और 'सदोष मनःस्थिति' के बीच मौजूद साक्ष्य संबंधी अंतर को पाटने का प्रयास करता है।

169. विभिन्न विधानों में ऐसी वैधानिक उपधारणाओं का प्रावधान करने का एक अच्छा कारण यह है कि कभी -कभी विशिष्ट मामले को ध्यान में रखते हुए, अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के मन को समझने में अत्यधिक कठिनाई हो सकती है ताकि उसके इरादे और मानसिक स्थिति का पता लगाया जा सके। इसके विपरीत, अभियुक्त को उतनी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ सकता क्योंकि वह अपनी मानसिक स्थिति से पूरी तरह परिचित होता है और अपने आचरण या कार्यों के आधार पर अपने इरादों को स्पष्ट कर सकता है।

170. हालांकि, चूंकि न्यायालय ऐसी उपधारणाओं की कठोरता और उनसे उत्पन्न अंतर्निहित खतरे से अवगत थे
- विशेष रूप से सदोष मानसिक स्थिति की उपधारणा और स्वयं अपराध की उपधारणा के बीच की रेखा को धुंधला करने के परिणाम से, जिससे ऐसी आपराधिक कार्यवाही की निष्पक्षता खत्म हो जाती है, इसलिए, इस न्यायालय ने पहली बार बलदेव सिंह (उपरोक्त) में यह पता लगाने के लिए एक परीक्षण के बीज बोए कि कब

ऐसी उपधारणा को सुरक्षित रूप से लागू किया जा सकता है, जिसे बाद में नूर आगा (उपरोक्त) में अधिक पूर्ण रूप से विकसित किया गया था जिसमें 'आधारभूत तथ्यों के नियम या सिद्धांत ' के रूप में एक स्पष्ट परीक्षण निर्धारित किया गया था।

171. यह 'आधारभूत तथ्यों का नियम या सिद्धांत ' सरल शब्दों में यह निर्धारित करता है कि सदोष मानसिक स्थिति की वैधानिक उपधारणा को वैध रूप से लागू करने से पहले, अभियोजन पक्ष को पहले कुछ आधारभूत तथ्य स्थापित करने होंगे। ये आधारभूत तथ्य आम तौर पर उन तथ्यों या तत्वों को साबित करने से संबंधित होते हैं, जो अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपित अपराध के लिए आवश्यक 'सदोष कृत्य' को ठोस रूप से स्थापित करते हैं। ऐसे आधारभूत तथ्यों के उचित संदेह से परे सिद्ध हो जाने के बाद ही अभियोजन पक्ष विधायिका द्वारा प्रदत्त वैधानिक उपधारणा का सहारा ले सकता है। इसके पीछे दो तर्क हैं। पहला, किसी भी 'सदोष कृत्य' के अभाव में, उस संगत 'सदोष मनःस्थिति' का पता लगाने का कोई संभव तरीका नहीं है जिसे स्थापित किया जाना आवश्यक होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह 'सदोष कृत्य' ही है जो 'सदोष मनःस्थिति' को सीमांकित या चित्रित करता है जिसे खोजा और स्थापित किया जाना है। किसी भी प्रकार के 'सदोष कृत्य' के बिना, आपराधिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांत के अनुसार, 'सदोष मनःस्थिति' को स्थापित करने और उसके परिणामस्वरूप उसकी कल्पना करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि किसी को भी केवल उसके विचारों या इरादों के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि उसके साथ कोई न कोई कृत्य न हो। दूसरी बात, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सुनिश्चित करता है कि वैधानिक अनुमान 'सदोष मानसिक स्थिति की उपधारणा' की आड़ में अपराध के प्रमाण का अतिक्रमण न करे या उसका स्थान न ले ले।

172. सारा भार अभियुक्त पर डालना और फिर उससे नकारात्मक तथ्य सिद्ध करने को कहना अतिशयोक्ति होगी। इस प्रकार, कोई भी वैधानिक उपधारणा तभी लागू होगी जब अभियोजन पक्ष उन अपराधों के लिए आवश्यक आधारभूत तथ्य प्रस्तुत करेगा जिन पर उचित संदेह से परे आरोप लगाया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रारंभिक सीमा में नकारात्मक तथ्य सिद्ध नहीं किया जा सकता, इसलिए विपरीत तथ्य सिद्ध करने के लिए, उस तथ्य को पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसका विपरीत सिद्ध करना हो। इस प्रकार, विधि में यह सामान्य बात है कि प्रारंभिक भार हमेशा अभियोजन पक्ष पर ही होता है। यही कारण है कि अभियोजन पक्ष द्वारा आधारभूत तथ्यों की स्थापना, विपरीत सिद्ध करने का भार अभियुक्त पर डालने हेतु वैधानिक उपधारणा को लागू करने के लिए एक पूर्वापेक्षा है। यह विधि में ऐसी उपधारणा की व्यावहारिक आवश्यकता और आपराधिक न्यायशास्त्र के प्रमुख सिद्धांतों के बीच एक नाजुक संतुलन है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपधारणा उस बारीक रेखा को पार या अतिक्रमण न करे जो 'सदोष मानसिक स्थिति' की उपधारणा को 'दोष की उपधारणा' से अलग करती है।

173. चूँकि नकारात्मक आरोप सिद्ध नहीं किया जा सकता, इसलिए अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय के

समक्ष मूल आरोपों और उनके समर्थन में प्रस्तुत सामग्री के विधिवत रूप से स्थापित होने से पहले ही अभियुक्त से स्वयं को निर्दोष साबित करने के लिए नहीं कहा जा सकता। जब तक अभियोजन पक्ष, पॉक्सो के किसी विशिष्ट प्रावधान के अंतर्गत अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के संदर्भ में मूल तथ्य सिद्ध नहीं कर देता, तब तक पॉक्सो की धारा 30 के अंतर्गत सदोष मानसिक स्थिति की वैधानिक धारणा लागू नहीं होगी।

174. यदि अभियोजन पक्ष ऐसे आधारभूत तथ्य स्थापित कर देता है और अभियुक्त के विरुद्ध उपधारणा की जाती है, तो वह अभियोजन पक्ष के मामले को असंभाव्य या बेतुका बताकर उसका खण्डन कर सकता है या अभियुक्त उपधारणा का खण्डन करने के लिए अपने बचाव को साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है, तथापि, पॉक्सो की धारा 30 के अंतर्गत उक्त उपधारणा का खण्डन केवल तभी किया गया कहा जाएगा, जब अभियुक्त अपने बचाव के माध्यम से उपधारणा के विपरीत तथ्य स्थापित करता है और उसे उचित संदेह से परे साबित करता है।

ख. पॉक्सो की धारा 15 के अंतर्गत आवश्यक मूलभूत तथ्य

175. अब पॉक्सो की धारा 15 पर आते हैं, जैसा कि पहले चर्चा की जा चुकी है, मूल तथ्य आमतौर पर किसी विशेष अपराध के अंतर्गत अपेक्षित 'दोषपूर्ण कृत्य' से संबंधित होते हैं। हालाँकि, यह देखते हुए कि धारा 15 तीन अलग -अलग और भिन्न -भिन्न स्तरों के आशय के लिए दंड का प्रावधान करती है और इसके अंतर्गत दिए गए तीनों अपराधों की परस्पर अनन्य प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, केवल बाल अश्लील सामग्री का संग्रहण या कब्ज़ा ही इन तीनों अपराधों को आकर्षित करने का मूल तथ्य या आधार नहीं बन सकता।

176. जैसा कि हमने इस निर्णय के पूर्ववर्ती भागों में चर्चा की है, धारा 15 की उपधारा (1), (2) और (3) को साधारण रूप से पढ़ने पर ऐसा प्रतीत हो सकता है कि सभी में एक ही कृत्य की आवश्यकता है, अर्थात् बाल अश्लील सामग्री का संग्रहण या कब्जा, तथापि, ऐसी व्याख्या त्रुटिपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक उपधारा की गहन जांच से पता चलेगा कि उस कृत्य में एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन प्रासंगिक अंतर विद्यमान है जो पॉक्सो की धारा 15 की उपधारा (1), (2) या (3) के अंतर्गत अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक है।

177. इस प्रकार, धारा 15 की उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, इससे पहले कि उसे सदोष मानसिक स्थिति की वैधानिक उपधारणा को वैध रूप से उठाने की अनुमति दी जा सके, अभियोजन पक्ष को जो आवश्यक आधारभूत तथ्य पहले स्थापित करने होंगे, सरल शब्दों में, वह है किसी भी बाल अश्लील सामग्री का संग्रहण या कब्जा होना और आरोपी व्यक्ति का उसे हटाने, नष्ट करने या सूचित करने में विफल रहना। एक बार, अभियोजन पक्ष द्वारा उपरोक्त स्पष्ट रूप से स्थापित हो जाने के बाद, पॉक्सो की धारा 30 के संदर्भ में उपधारणा की जा सकेगी कि आरोपी व्यक्ति को बाल अश्लील सामग्री के बारे में जानकारी थी जो उसके द्वारा संग्रहीत

या कब्जे में पाई गई थी और उसका इसे साझा करने या प्रसारित करने का इरादा था, जिसके कारण वह इसे हटाने, नष्ट करने या सूचित करने में विफल रहा।

178. हालांकि, जब धारा 15 की उपधारा (2) पर विचार किया जाता है, चूंकि इसके अंतर्गत अपराध गठित करने के लिए अपेक्षित दोषपूर्ण कृत्य में किसी बच्चे से संबंधित किसी अश्लील सामग्री के संग्रहण या कब्जे के साथ -साथ ऐसी किसी सामग्री के वास्तविक प्रसारण, प्रचार, प्रदर्शन या वितरण या उपर्युक्त किसी भी कार्य में सहयोग करना शामिल होता है। इस प्रकार, पॉक्सो की धारा 30 में निहित सदोष मानसिक स्थिति की वैधानिक उपधारणा को लागू करने के लिए, अभियोजन पक्ष को पहले न केवल किसी भी बाल अश्लील सामग्री के संग्रहण या कब्जे को स्थापित करने की आवश्यकता होगी, बल्कि किसी भी ऐसी सामग्री के किसी भी वास्तविक प्रसारण, प्रचार, प्रदर्शन या वितरण या किसी भी प्रकार के स्पष्ट कार्य जैसे कि ऐसी सामग्री के प्रसारण, प्रचार, प्रदर्शन या वितरण की सुविधा के लिए की गई तैयारी या सेटअप को इंगित करने के लिए कोई अन्य सामग्री भी स्थापित करनी होगी, उसके बाद, वैधानिक उपधारणा लागू होगी, और अदालतों द्वारा यह माना जाएगा कि उक्त कार्य ऐसी सामग्री को प्रसारित करने, प्रदर्शित करने, प्रचारित करने या वितरित करने के इरादे से किया गया था और उक्त कार्य रिपोर्टिंग या सबूत के रूप में उपयोग करने के उद्देश्य से नहीं किया गया था। हम स्पष्ट करते हैं कि, हालांकि जहां भी ऐसी सामग्री का कोई वास्तविक प्रसारण, प्रचार, प्रदर्शन या वितरण होता है तथापि, उपधारा (2) में उल्लिखित दो अपवादों के कारण अर्थात् बाल अश्लील सामग्री का प्रसारण, प्रचार, प्रदर्शन या वितरण, जब उसकी रिपोर्टिंग या साक्ष्य के रूप में उपयोग के लिए की जाती है, तो ऐसे परिदृश्य में वैधानिक उपधारणा अभियोजन पक्ष को यह पुष्ट करने में सहायता करके उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति करती रहेगी कि उपर्युक्त कोई भी कार्य उसकी रिपोर्टिंग या साक्ष्य के रूप में उपयोग करने के इरादे से नहीं किया गया था, जब तक कि विपरीत साबित न हो जाए।

179. अंत में, पॉक्सो की धारा 15 की उपधारा (3) के प्रयोजन के लिए, इसमें अपेक्षित कृत्य किसी भी बाल अश्लील सामग्री और किसी अन्य सामग्री का संग्रहण या कब्जा है जो यह इंगित करता है कि ऐसा संग्रहण या कब्जा किसी प्रकार के लाभ या फायदे के बदले में या उसकी अपेक्षा में किया गया था। इस प्रकार, जहाँ अभियोजन पक्ष ऐसी सामग्री के संग्रहण या कब्जे को स्थापित करता है और आगे कुछ और दिखाता है जो यह संकेत दे कि ऐसा किसी प्रकार के लाभ या फायदे या किसी लाभ या फायदे की अपेक्षा के लिए किया गया था, आधारभूत तथ्य साबित हुए माने जाएँगे, और पॉक्सो की धारा 30 के अंतर्गत परिकल्पित वैधानिक उपधारणा को वैध रूप से लागू किया जा सकता है। तब यह साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा कि ऐसी सामग्री का संग्रहण या कब्जा किसी व्यावसायिक उद्देश्य के इरादे से नहीं किया गया था।

ग. क्या पॉक्सो की धारा 30 के अंतर्गत उपधारणा का सहारा रद्द करने की कार्यवाही में लिया जा सकता है ?

180. अंतिम पहलू जिसकी जाँच होनी बाकी है, वह यह है कि क्या उच्च न्यायालयों द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता

की धारा 482 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, संक्षेप में "बीएनएसएस " की धारा 530) के अंतर्गत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पॉक्सो की धारा 30 में प्रदत्त सदोष मानसिक स्थिति की वैधानिक धारणा को रद्द करने की कार्यवाही में लागू किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, उपरोक्त वैधानिक धारणा किस स्तर पर लागू की जा सकती है ? उक्त पहलू के विश्लेषण से पहले, इस मुद्दे पर इस न्यायालय के कुछ निर्णयों का संदर्भ लेना उचित होगा।

181. मध्य प्रदेश राज्य बनाम हर्ष गुप्ता (1998) 8 एससीसी 630 के मामले में, इस न्यायालय ने धारित किया कि भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 69 में निहित वैधानिक उपधारणा को द .प्र .सं . की धारा 482 के अंतर्गत रद्द करने की याचिका पर फैसला करने में उच्च न्यायालय द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। प्रासंगिक टिप्पणियां इस प्रकार हैं : -

" 3. यह आश्चर्यजनक है कि ऐसे समय में जब एकमात्र विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या शिकायत और उसके साथ आए दस्तावेजों में प्रत्यर्थी के खिलाफ आरोपित सभी या किसी भी अपराध का खुलासा हुआ है, विद्वान न्यायाधीश ने न केवल उसके बचाव पर विस्तृत चर्चा की बल्कि यह निर्णायक निष्कर्ष भी दर्ज किया कि वह उसके खिलाफ आरोपित अपराधों का दोषी नहीं है। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि विद्वान न्यायाधीश ने अधिनियम की धारा 69 के प्रावधानों को नजरअंदाज कर दिया, जो स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति के खिलाफ वैधानिक उपधारणा करता है कि उससे बरामद वन उपज सरकार की संपत्ति है, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए ; और कहने की जरूरत नहीं कि इसके विपरीत साबित करने के प्रश्न का उत्तर साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद ही दिया जा सकता है ।

4. उपर्युक्त विवेचना के कारण, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं, आक्षेपित निर्णय को रद्द करते हैं और मजिस्ट्रेट को निर्देश देते हैं कि वह आक्षेपित आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से किसी भी तरह प्रभावित हुए बिना, कानून के अनुसार मामले को आगे बढ़ाए।"

(प्रभाव वर्धित)

182. इस न्यायालय ने प्रकाश नाथ खन्ना बनाम सीआईटी (2004) 9 एससीसी 686 में अधिनियम, 1961 की धारा 278ई के दायरे की जाँच की। इसने धारित किया कि जहाँ किसी कथित अपराध के संबंध में अभियुक्त की ओर से सदोष मानसिक स्थिति के अस्तित्व के संबंध में एक वैधानिक अनुमान है, वहाँ ऐसी मानसिक स्थिति के अभाव के संबंध में कोई भी बचाव केवल मुकदमे में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसने आगे धारित किया कि ऐसे परिदृश्य में, उच्च न्यायालय के लिए रद्द करने की कार्यवाही में ऐसी मानसिक स्थिति के अभाव के पहलू पर गहराई से विचार करना संभव नहीं होगा। प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं : -

" 23. धारा 278-ई में एक वैधानिक उपधारणा विहित है। न्यायालय को सदोष मानसिक स्थिति के अस्तित्व

की उपधारणा करनी होती है, और ऐसी मानसिक स्थिति के अभाव को अभियुक्त द्वारा अभियोजन में आरोपित कृत्य के संबंध में बचाव के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसलिए, अपीलकर्ताओं द्वारा उजागर किए गए तथ्यात्मक पहलुओं पर उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से विचार नहीं किया गया। यह विचारण का विषय है। जब मामले की सुनवाई शुरू हो, तो अपीलकर्ताओं के लिए सदोष मानसिक स्थिति के अभाव का तर्क देना निश्चित रूप से स्वीकार्य है।"

(प्रभाव वर्धित)

183. इस न्यायालय के एक अन्य निर्णय, आर . कल्याणी बनाम जनक सी . मेहता एवं अन्य, (2009) 1 एससीसी 516 के मामले में, यद्यपि इसमें मुद्दा किसी वैधानिक उपधारणा की प्रयोज्यता से संबंधित नहीं था, फिर भी इसमें की गई टिप्पणियाँ महत्वपूर्ण हैं। इस न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि उच्च न्यायालय अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, किसी रद्द करने की याचिका में अभियुक्त के पक्ष में आदेश पारित करने के लिए किसी विशेष अपराध के लिए किसी भी सदोष मनःस्थिति या सदोष कृत्य के अस्तित्व या अनुपस्थिति के पहलू पर विचार नहीं कर सकता। प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं : -"15. उक्त निर्णयों से प्रकट होने वाले विधि के प्रस्ताव इस प्रकार हैं :

(1) उच्च न्यायालय सामान्यतः किसी आपराधिक कार्यवाही और विशेष रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट को तब तक रद्द करने के लिए अपने अंतर्निहित अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा जब तक कि उसमें निहित आरोप, भले ही ऊपरी तौर पर पूर्ण रूप से सत्य धारित किए गए हो, जो किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते है।

(2) उक्त प्रयोजन के लिए न्यायालय, बहुत ही अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर, अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब लिए किसी भी दस्तावेज पर विचार नहीं करेगा।

(3) ऐसी शक्ति का प्रयोग बहुत संयम से किया जाना चाहिए। यदि प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों से किसी अपराध के घटित होने का पता चलता है, तो न्यायालय उस पर विचार नहीं करेगा और अभियुक्त के पक्ष में किसी भी प्रकार की आपराधिक प्रवृत्ति या कृत्य का अभाव मानते हुए आदेश पारित करेगा।

(4) यदि आरोप से सिविल विवाद का पता चलता है, तो यह अपने आप में यह मानने का आधार नहीं हो सकता कि आपराधिक कार्यवाही जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

(प्रभाव वर्धित)

184. राथिस बाबू उन्नीकृष्णन बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, सरकार) एवं अन्य, 2022 आईएनएससी 480, में इस न्यायालय के हालिया निर्णय में यह धारित किया गया कि जब कोई वैधानिक

उपधारणा होती है, तो निरस्त करने वाली अदालत द्वारा साक्ष्य का मूल्यांकन करने के लिए विचारण न्यायालय को अनुमति देने से पहले आरोपित तथ्यों की विस्तृत जांच करना न्यायसंगत नहीं होगा। इसने आगे कहा कि जहां कोई अभियुक्त मुकदमा शुरू होने से पहले ही वाद को रद्द करने के लिए अदालत का रुख करता है, ऐसे मामलों में उच्च न्यायालयों को समय से पूर्व विधिक उपधारणा को मन्दगति एवं सतर्कता पूर्वक खारिज करना चाहिए, प्रासंगिक टिप्पणियां निम्नवत है : -

" 11. दायित्व निर्वहन में चेक जारी किए जाने की कानूनी उपधारणा को भी उचित महत्व दिया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में जहाँ अभियुक्त मुकदमा प्रारम्भ होने से पूर्व ही मामले को समाप्त करने के लिए न्यायालय में आवेदन करता है, तो अदालत का दृष्टिकोण इतना सावधान होना चाहिए कि शिकायत का समर्थन करने वाली कानूनी उपधारणा की अनदेखी करके मामले को समय से पहले ही समाप्त न कर दिया जाए।

13. किए गए चेक, शेयरों की खरीदारी के पश्चात उत्पन्न् हुए ऋण के भुगतान हेतु थे। किसी भी स्थिति में, जब कोई कानूनी उपधारणा हो, तो रद्द करने वाले न्यायालय द्वारा, पहले निचली अदालत को पक्षकारों के साक्ष्य का मूल्यांकन करने की अनुमति दिए बिना, आरोपित तथ्यों पर विस्तृत जाँच करना न्यायसंगत नहीं होगा। जहाँ तथ्यों पर विवाद हो, वहाँ रद्द करने वाले न्यायालय को असत्य से सत्य को अलग करने का भार अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। दूसरे शब्दों में, रद्द करने की कार्यवाही तथ्यात्मक विवाद के मेरिट की जाँच -पड़ताल का एक अभियान नहीं बननी चाहिए, ताकि शिकायतकर्ता या बचाव पक्ष को निर्णायक रूप से दोषमुक्त किया जा सके।

16. ऊपर वर्णित विधिक उपधारणा स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि न्यायालय को पूर्व-विचारण चरण में शिकायत को रद्द करने की राहत देने में देरी करनी चाहिए, जब तथ्यात्मक विवाद विशेष रूप से कानूनी उपधारणा के कारण संभावना के दायरे में हो, जैसा कि इस मामले में है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि वर्णित तथ्यात्मक बचाव, बिना कोई साक्ष्य प्रस्तुत किए, निर्विवाद गुणवत्ता का होना चाहिए, ताकि शिकायत में लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से गलत साबित किया जा सके।

17. आपराधिक प्रक्रिया को विचारण से पहले ही विफल करने के परिणाम गंभीर और अपूरणीय हो सकते हैं। प्रारंभिक चरणों में रद्द करने की कार्यवाही से पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना ही निर्णय अंतिम हो जाएगा और इसका परिणाम यह होगा कि उचित मंच, अर्थात्, विचारण न्यायालय, सारवान साक्ष्यों का मूल्यांकन करने से वंचित हो जाएगा। यदि ऐसा होने दिया जाता है, तो अभियुक्त को आपराधिक प्रक्रिया में अनुचित लाभ मिल सकता है। इसके अलावा, विधिक उपधारणा के कारण, जब अपीलकर्ता द्वारा चेक और हस्ताक्षर पर विवाद नहीं किया जाता है, तो इस स्तर पर सुविधा का संतुलन शिकायतकर्ता/ अभियोजन के पक्ष में होता है, क्योंकि अभियुक्त को मुकदमे के दौरान बचाव पक्ष के साक्ष्य प्रस्तुत करने और

उपधारणा का खंडन करने का उचित अवसर मिलेगा।

(प्रभाव वर्धित)

185. विधि की उपरोक्त व्याख्या से यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय के लिए ऐसे किसी भी अपराध के संबंध में रद्द करने की याचिका पर निर्णय लेने के चरण में वैधानिक उपधारणा का प्रयोग करने पर कोई रोक नहीं है, जिस पर ऐसी उपधारणा लागू होती है। बल्कि, इसे उचित महत्व न देने के परिणामस्वरूप आपराधिक कार्यवाही का समय से पहले रद्द करने की या अभियुक्त को वैधानिक उपधारणा को पूरी तरह से दरकिनार करने की अनुमति जैसे गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जो अन्यथा विचारण के चरण में लागू होती। हमारी पिछली चर्चा के आलोक में और इस संबंध में दिए गए अनेक निर्णयों का उल्लेख किए बिना, यह स्पष्ट है कि पॉक्सो जैसे अपराधों के मामले में वैधानिक उपधारणा कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

186. इस न्यायालय ने अटॉर्नी जनरल (उपरोक्त) में विशेष रूप से धारित किया कि पॉक्सो के उद्देश्यों पर विचार करते हुए, इसके प्रावधानों, विशेष रूप से यौन उत्पीड़न आदि से संबंधित प्रावधानों को अधिनियम के अन्य प्रावधानों की तुलना में अधिक सार्थक और प्रभावी माना जाना चाहिए। किसी अन्य प्रावधान की पूर्ण अज्ञानता में किसी विशेष प्रावधान का कोई भी चयनात्मक संदर्भ पूरे कानून की योजना और उद्देश्य को विकृत कर देगा और इस तरह उस उद्देश्य को विफल कर देगा जिसके लिए इसे अधिनियमित किया गया था। उच्च न्यायालयों को अपनी पसंद के अनुसार एक रद्द करने वाली याचिका को निर्णित करते समय अधिनियम में शामिल वैधानिक उपधारणा का उल्लेख करने से नहीं कतराना चाहिए। उच्च न्यायालयों को किसी भी अधिनियम के अंतर्गत किसी विशेष अपराध से रहित या बाकी वैधानिक ढांचे की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उन्हें कानून को पूरी तरह से मान्यता देनी चाहिए और संदर्भित करना चाहिए।

187. अन्यथा, यह अभियुक्त को अनुचित लाभ पहुँचाएगा क्योंकि इससे वह विचारण प्रारम्भ होने से पहले ही शरारतपूर्ण तरीके से रद्द करने की याचिका दायर कर सकता है और विधायिका द्वारा प्रदान की गई वैधानिक उपधारणा को पूरी तरह से दरकिनार कर आपराधिक कार्यवाही से उसी समय बच सकता है, जिससे पूरा कानून ही शून्य हो जाएगा। न्यायालयों के लिए यह आवश्यक है कि वे अभियुक्तों द्वारा किसी विशेष अधिनियम में निहित वैधानिक प्रावधानों और प्रक्रिया को दरकिनार करने और विचारण से पूरी तरह बचने के ऐसे किसी भी प्रयास को हतोत्साहित करें। ऐसी स्थितियों में, वैधानिक उपधारणा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी कपटी अभियुक्त द्वारा आपराधिक प्रक्रिया में हेराफेरी न की जाए।

188. जैसा कि प्रकाश नाथ खन्ना (उपरोक्त) और रथिस बाबू उन्नीकृष्णन (उपरोक्त) के मामलों में कहा गया है कि उक्त वैधानिक उपधारणा का खंडन करने के उद्देश्य से अभियुक्त के किसी भी बचाव को सामान्यतः

विचारण न्यायालय पर कम से कम तब छोड़ देना चाहिए, जब याचिकाओं को रद्द करने की बात हो। यद्यपि, कुछ असाधारण परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए ऐसे बचाव पर विचार कर सकता है, जहाँ तथ्यों से ही प्रतीत होता हो कि आरोप स्वयं पूरी तरह से झूठे और फर्जी हैं और किसी भी तरह से स्थापित नहीं कहे जा सकते। लेकिन ऐसा करते समय, उच्च न्यायालय को सावधान एवं सतर्क रहना चाहिए और कुछ संयम बरतना चाहिए। वैधानिक उपधारणा को केवल तभी नज़रअंदाज़ किया जा सकता है जहाँ अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेज से कोई मूलभूत तथ्य स्थापित नहीं हुआ हो।

189. एक बार जब अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से मूल तथ्य प्रथम दृष्टया स्थापित हो जाएँ, तो उच्च न्यायालय द्वारा किसी रद्द करने की याचिका में तथ्यों की गहन साक्ष्य-आधारित जाँच करना और यह पता लगाना अनुचित होगा कि अपेक्षित मानसिक तत्व मौजूद हैं या नहीं। इन सभी पहलुओं का निर्णय विचारण न्यायालय को करना चाहिए, जो इनके मूल्यांकन के लिए उपयुक्त मंच है, खासकर जहाँ अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से प्रथम दृष्टया वैधानिक उपधारणा की गई हो।

190. जब उच्च न्यायालय किसी आपराधिक कार्यवाही को वैधानिक उपधारणा के कानूनी प्रभाव पर विचार किए बिना रद्द कर देता है, तो वह विचारण की प्रक्रिया को प्रभावी रूप से विफल कर देता है और इस प्रकार पक्षकारों को उचित साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार से वंचित कर देता है। इससे न केवल अभियोजन पक्ष का मामला विफल हो जाएगा, बल्कि किसी विशेष कानून का उद्देश्य भी विफल हो जाएगा और इस प्रकार आपराधिक न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास कम हो जाएगा।

191. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि नूर आगा (उपरोक्त) में इस न्यायालय ने यह धारित किया था कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत वैधानिक उपधारणा केवल अभियुक्त के विचारण में ही लागू होगी। हालाँकि, उक्त निर्णय का गहन अध्ययन करने पर पता चलता है कि नूर आगा (उपरोक्त) में इस न्यायालय ने केवल इतना ही कहा था कि वैधानिक उपधारणा लागू करने से पहले, अभियोजन पक्ष द्वारा आधारभूत तथ्य स्थापित किए जाने चाहिए। हम पुनरावृत्ति की कीमत पर इस संबंध में नूर आगा (उपरोक्त) की प्रासंगिक टिप्पणियों को पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं: -

अधिनियम की धाराएँ 35 और 54, निस्संदेह, अभियुक्त की सदोष मानसिक स्थिति के संबंध में पूर्वधारणाएँ उत्पन्न करती हैं और इस संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार भी अभियुक्त पर डालती हैं; लेकिन उक्त प्रावधान के अवलोकन से ही स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अभियुक्त के विचारण में पूर्वधारणा तभी लागू होगी जब उसमें निहित परिस्थितियाँ पूरी तरह से संतुष्ट हों। अभियोजन पक्ष पर एक प्रारंभिक भार होता है और वह केवल तभी संतुष्ट होगा जब वह विधिक भार में परिवर्तित होगा। फिर भी, अभियुक्त द्वारा अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए आवश्यक प्रमाण का मानक अभियोजन पक्ष के मानक जितना ऊँचा नहीं है। जहाँ अभियोजन पक्ष के लिए अभियुक्त का अपराध साबित करने के लिए आवश्यक प्रमाण का मानक

"सभी उचित संदेह से परे" है, वहीं अभियुक्त पर यह "संभावना की प्रबलता" होती है। यदि अभियोजन पक्ष अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत लगाए जाने वाले कठोर दंड के लिए आधारभूत तथ्य साबित करने में विफल रहता है, तो अभियुक्त द्वारा प्रतिबंधित वस्तु के कब्जे संबंधी सदोष मनःस्थिति स्थापित नहीं कही जा सकती।

(प्रभाव वर्धित)

192. नूर आगा (उपरोक्त) के उपरोक्त पैराग्राफ में इस न्यायालय द्वारा स्पष्ट शब्दों में यह कहा गया है कि सदोष मानसिक स्थिति की वैधानिक धारणा के बावजूद, मूलभूत तथ्यों को स्थापित करने का प्रारंभिक दायित्व अभियोजन पक्ष पर ही रहेगा। इस न्यायालय के बारे में यह कल्पना करना भी कठिन है कि उसने यह निर्णय दिया है कि सदोष मानसिक स्थिति की वैधानिक उपधारणा केवल विचारण में ही लागू होगी। अन्यथा भी, चूँकि नूर आगा (उपरोक्त) का निर्णय दोषसिद्धि के विरुद्ध एक आपराधिक अपील से उत्पन्न हुआ था, इसलिए इस न्यायालय को मुकदमे और अपील के अलावा अन्य कार्यवाहियों में वैधानिक उपधारणा की प्रयोज्यता की जाँच करने का कोई अवसर नहीं मिला।

193. हम इस तथ्य से भी सहमत हैं कि धारा 30 की उपधारा (1) में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि "विशेष न्यायालय ऐसी मानसिक स्थिति के अस्तित्व की उपधारणा करेगा"। इसी प्रकार, धारा 30 की उपधारा (2) में भी "विशेष न्यायालय" शब्द का प्रयोग किया गया है। हालाँकि, इसका यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि केवल विशेष न्यायालय को ही पॉक्सो की धारा 30 के अंतर्गत उपधारणा करने का अधिकार दिया गया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि: -

(i) सबसे पहले, उप-धारा (1) में "विशेष न्यायालय ऐसी मानसिक स्थिति के अस्तित्व की उपधारणा करेगा" शब्दों का प्रयोग और प्रावधान में विशेष न्यायालयों का अन्य उल्लेख केवल व्याख्यात्मक प्रकृति का है क्योंकि विधायिका ने उक्त शब्द का प्रयोग केवल यह समझाने के लिए किया है कि इस तरह की धारणा आमतौर पर किसी मुकदमे में कैसे लागू होगी। इसे किसी भी तरह से अन्य कार्यवाहियों में इस तरह की धारणा की प्रयोज्यता पर रोक के रूप में नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि उक्त प्रावधान किसी भी तरह से इस तरह की धारणा के दायरे को रेखांकित या निर्धारित नहीं करता है और इसके बजाय केवल उपधारणा की प्रकृति (अर्थात्, सदोष मानसिक स्थिति की उपधारणा), जिस तरीके से यह लागू होगी (अर्थात्, पॉक्सो के अंतर्गत किसी भी अपराध पर लागू होती है जिसके लिए किसी भी सदोष मानसिक स्थिति की आवश्यकता होती है) और इसके विपरीत कुछ भी साबित करने के लिए आवश्यक साक्ष्य के मानक (अर्थात्, उचित संदेह से परे) को स्पष्ट करता है। यह किसी भी तरह से नहीं कहा जा सकता कि विधायिका ने पॉक्सो की धारा 30 में "विशेष न्यायालय" शब्द का प्रयोग करके उक्त वैधानिक प्रावधान के अनुप्रयोग को केवल विचारण में सीमित करने का इरादा किया था। ऐसी कोई भी व्याख्या अन्य दंडात्मक प्रावधानों को पूरी तरह से निरर्थक बना देगी, जहाँ भी अभियुक्त प्रारंभिक चरणों में रद्द करने की याचिका

के लिए आवेदन करता है।

(ii) दूसरा, पॉक्सो की धारा 30 के अंतर्गत वैधानिक उपधारणा न केवल उस अदालत के कारण संचालित होती है या लागू होती है जिसके समक्ष मामला होता है, बल्कि अपराध के आधार पर भी लागू होती है, जिसके लिए विधायिका विशेष रूप से इस तरह की उपधारणा का प्रावधान करती है। चूंकि, उपधारणा मूल रूप से पॉक्सो के अंतर्गत किसी भी अपराध के लिए आवश्यक सदोष मनःस्थिति के संबंध में है, यह उपधारणा अपरिहार्य रूप से अपराध से ही जुड़ी हुई है, न कि किसी विशेष अदालत को प्रदत्त शक्ति से। यह धारा 30 उप-धारा (1) से स्पष्ट होता है, विशेष रूप से "इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी अपराध के लिए किसी भी अभियोजन में जिसमें अभियुक्त की ओर से एक सदोष मानसिक स्थिति की आवश्यकता होती है" शब्दों से। इसके अलावा, पूर्वोक्त पद की व्यापक प्रयोज्यता है और इसमें आने वाले शब्द "इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी अपराध के लिए अभियोजन" पद में पॉक्सो के अंतर्गत अपराध के संबंध में कोई भी कार्यवाही शामिल होगी।

(iii) तीसरा, अन्यथा भी, उक्त प्रावधान में "विशेष न्यायालय" शब्दों का प्रयोग ही किसी भी हद तक उन अंतर्निहित शक्तियों को पराजित या रद्द नहीं कर सकता है जो क्रमशः द.प्र.सं. और बीएनएसएस की क्रमशः धारा 482 और 530 के आधार पर उच्च न्यायालय में निहित हैं।

इस प्रकार, पॉक्सो की धारा 30 के अंतर्गत परिकल्पित वैधानिक उपधारणा लागू होती है और किसी भी कार्यवाही में लागू की जा सकती है जिसमें उक्त अधिनियम के अंतर्गत ऐसा कोई अपराध शामिल हो जिसके लिए सदोष मानसिक स्थिति की आवश्यकता होती है, भले ही ऐसी कार्यवाही किसी भी न्यायालय में हो रही हो।

194. विधि की यह स्थापित स्थिति है कि क़ानून विधायिका की निर्मिति होता है, किसी क़ानून की व्याख्या या अर्थान्वयन करने का प्राथमिक सिद्धांत मेन्स या सेंटेंटिया लेजिस अर्थात् विधायिका के वास्तविक इरादे का पता लगाना है। यह सामान्य बात है कि किसी क़ानून की व्याख्या करते समय, अदालतों को इसे लागू करने वाले विधानमंडल के इरादे का पता लगाने का प्रयास करना चाहिए, और यह अदालतों का कर्तव्य है कि वे एक ऐसी व्याख्या या निर्माण को स्वीकार करें जो कानून के उद्देश्य को बढ़ाता हो और इसके संभावित दुरूपयोग को रोके। इस प्रकार, हमारा यह सुविचारित दृष्टिकोण है कि पॉक्सो के प्रावधानों और विभिन्न मुद्दों, जिन पर हमने पूर्वगामी अनुच्छेदों में चर्चा की है, की कोई भी अन्य व्याख्या, पॉक्सो और उसके प्रावधानों घोषित और हितकारी उद्देश्य को ही विफल कर देगी।

iv. क्या विचाराधीन मामला उच्च न्यायालय द्वारा रद्द करने के लिए उपयुक्त था?

195. निर्विवाद तथ्य यह है कि जांच के दौरान प्रत्यर्थी सं. 1 के मोबाइल फोन से बच्चों को यौन गतिविधि में शामिल दिखाने वाले दो वीडियो बरामद किए गए। एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार, उपरोक्त दोनों वीडियो को अंतिम बार क्रमशः 05.09.2016 और 14.06.2019 को आरोपी व्यक्ति के फोन की मेमोरी में मोडिफाई किया गया था। प्रत्यर्थी सं. 1 ने स्वयं उच्च न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया जैसा कि आदेश में अभिलेखित किया गया है कि वह पोर्नोग्राफी देखने का आदी था। किन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा बयान दर्ज किया गया यह एक रहस्य है। हालाँकि, दिनांक 29.01.2020 की एफआईआर में पॉक्सो की धारा 14(1) और आईटी एक्ट की 67बी के अंतर्गत अपराधों का आरोप लगाया गया था, फिर भी आरोप पत्र में पॉक्सो की धारा 14(1) के अंतर्गत उपरोक्त अपराध को प्रतिस्थापित कर दिया गया और इसके बजाय पॉक्सो की धारा 15(1) के अंतर्गत अपराध किए जाने का आरोप लगाया गया।

196. उच्च न्यायालय ने अपने आक्षेपित आदेश में दिनांक 19.09.2023 के उपरोक्त आरोपपत्र से उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए, उसमें लगाए गए वास्तविक आरोप, विशेष रूप से पॉक्सो की धारा 15 की उप-धारा (1) पर ध्यान देने में पूरी तरह विफल रहा। इसके बजाय, ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने केवल प्राथमिकी पर भरोसा किया और पॉक्सो की धारा 14 पर अपने निष्कर्षों को आधारित किया, जबकि उक्त अपराध को आरोपपत्र में हटा दिया गया था। इस प्रकार, पॉक्सो की धारा 15 पर ध्यान देने में उच्च न्यायालय की ओर से गंभीर चूक प्रतीत होती है, खासकर जब आक्षेपित आदेश पारित होने के समय आरोपपत्र पहले ही दायर किया जा चुका था। अब, यह समझ से परे नहीं है कि जांच पूरी होने पर ही आरोपपत्र दायर किए जाते हैं और प्राथमिकी महत्वहीन हो जाती है। इसके बाद, न्यायालय का कर्तव्य है कि वह जांच एजेंसी द्वारा आरोपपत्र के रूप में एकत्र की गई सभी सामग्रियों पर गौर करे।

197. यह भी विदित है कि उच्च न्यायालय को, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 या बीएनएसएस की धारा 530 के अंतर्गत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किसी रद्द करने की याचिका पर विचार करते समय लघु विचारण नहीं करना चाहिए या आरोपों की सत्यता की जाँच नहीं करना चाहिए। यदि उच्च न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का घोर दुरूपयोग होगा, तो आरोपपत्र निरस्त करना उसके लिए उचित हो सकता है।

198. आरपी कपूर बनाम पंजाब राज्य एआईआर 1960 एससी 866 के मामले में इस न्यायालय ने कुछ श्रेणियों के मामलों का सारांश दिया है, जहां कार्यवाही को रद्द करने के लिए अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है और किया जाना चाहिए: -
(i) जहां यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता हो कि स्वीकृति के अभाव के कारण संस्थित किया जाना या जारी रखने पर कानूनी रोक है,

(ii) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोपों को ऊपरी तौर पर स्वीकार करने और उनकी संपूर्णता में स्वीकार करने पर भी कथित अपराध नहीं बनते हैं;
(iii) जहां आरोप अपराध का गठन करते हैं, लेकिन कोई कानूनी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है या प्रस्तुत साक्ष्य स्पष्ट रूप से या निहित रूप से आरोप को साबित करने में विफल रहा है।

199. इस न्यायालय ने हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992, ए.आई.आर एससी 604 के मामले में यह धारित किया था कि रद्द करने की शक्ति का प्रयोग अत्यंत संयम और सावधानी से किया जाना चाहिए। इसका प्रयोग केवल दुर्लभतम मामलों में ही किया जाना चाहिए। आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने से संबंधित सिद्धांतों को निर्धारित करते हुए, इस न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि किसी शिकायत या प्राथमिकी, जिसे रद्द करने की की मांग की गई है, की जाँच करते समय, न्यायालय प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता, वास्तविकता या अन्यता के बारे में जाँच नहीं कर सकता। प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं: -

" 102. अध्याय XIV के अंतर्गत संहिता के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत असाधारण शक्ति या संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग से संबंधित निर्णयों की एक श्रृंखला में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में, जिन्हें हमने ऊपर उद्धृत और पुन: प्रस्तुत किया है, हम उदाहरण के तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों के मामले देते हैं जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को पाने के लिए किया जा सकता है, हालांकि किसी भी सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से चैनलाइज्ड और अनम्य दिशानिर्देश या कठोर सूत्र निर्धारित करना संभव नहीं हो सकता है और असंख्य प्रकार के मामलों की एक विस्तृत सूची देना संभव नहीं है जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।
(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें ऊपरी तौर पर लिया जाए और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध गठित नहीं करते है या अभियुक्त के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है।
(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट और एफआईआर के साथ दी गई अन्य सामग्री, यदि कोई हो, में लगाए गए आरोप किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, जिससे संहिता की धारा 155(2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश के अलावा, संहिता की धारा 156(1) के अंतर्गत पुलिस अधिकारियों द्वारा विवेचना न्यायसंगत हो।
(3) जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए निर्विवाद आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी अपराध के होने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनाते हैं।
(4) जहां एफआईआर में आरोप संज्ञेय अपराध नहीं हैं, बल्कि केवल असंज्ञेय अपराध हैं, वहां पुलिस अधिकारी

द्वारा मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना विवेचना की अनुमति नहीं है, जैसा कि संहिता की धारा 155(2) के अंतर्गत परिकल्पित है।

(5) जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं, जिनके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके अंतर्गत आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई है) के किसी भी प्रावधान में कार्यवाही शुरू करने और जारी रखने पर स्पष्ट कानूनी रोक लगाई गई है और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करने वाला कोई विशिष्ट प्रावधान है।

(7) जहां आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भाविनापूर्ण इरादे से की गई है और/या जहां कार्यवाही दुर्भाविनापूर्ण तरीके से अभियुक्त पर बदला लेने के गुप्त उद्देश्य से और निजी एवं व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे परेशान करने के उद्देश्य से शुरू की जाती है।"

200. एसएम दत्ता बनाम गुजरात राज्य (2001) 7 एससीसी 659 में इस न्यायालय ने पुनः चेतावनी दी कि आपराधिक कार्यवाही को प्रारंभिक चरण में ही समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। किसी शिकायत या प्राथमिकी को रद्द करना एक सामान्य नियम के बजाय एक अपवाद और दुर्लभ घटना होनी चाहिए। इस न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि प्राथमिकी के अवलोकन से किसी अपराध का व्यापक रूप से भी खुलासा होता है, तो न्यायालयों को पुलिस के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने से रोका जा सकता है, क्योंकि राज्य के दो अंग दो विशिष्ट कार्य क्षेत्रों में कार्य करते हैं और एक को दूसरे क्षेत्र में दखल नहीं देना चाहिए।

201. इस न्यायालय के उपर्युक्त सुसंगत निर्णयों के मद्देनजर, हमारे विचार से यह कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय ने आरोप पत्र और अभिलेख पर मौजूद अन्य सामग्री का उचित रूप से परिशीलन किए बिना ही आपराधिक कार्यवाही को रद्द करके एक गंभीर त्रुटि की है।

202. उच्च न्यायालय को किसी रद्द करने की याचिका पर विचार करते समय यह निर्णय लेने में न तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और न ही इस बात को लेकर लापरवाह रहना चाहिए कि किस प्रावधान पर ध्यान दिया जाए। रद्द करने की याचिका पर विचार करते समय, उच्च न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह रिकॉर्ड में मौजूद सभी सामग्रियों पर उचित रूप से विचार करे। ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय से कम से कम यही अपेक्षा की जाती है कि वह प्राथमिकी और आरोप-पत्र में निहित आरोपों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करे और यह सुनिश्चित करे कि (i) क्या उनमें आरोपित अपराधों को रिकॉर्ड में मौजूद सामग्रियों से प्रथम दृष्टया सिद्ध माना जा सकता है? या (ii) क्या प्राथमिकी या आरोप-पत्र में आरोपित अपराधों के अलावा, किसी अन्य अपराध के प्रथम दृष्टया सिद्ध होने की संभावना है? अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करना तभी न्यायोचित हो सकता है, जब प्राथमिकी या

आरोप-पत्र में आरोपित किसी अपराध का न तो खुलासा होता हो और न ही कोई अन्य अपराध प्रथम दृष्टया सिद्ध होता हो, और कार्यवाही को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग हो।

203. इस मामले में, किसी भी पक्ष की ओर से इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि दोनों वीडियो में वास्तव में बच्चों को यौन गतिविधि में लिप्त दिखाया गया है। प्रत्यर्थी सं. 1 का मामला यह भी नहीं है कि उक्त वीडियो उसके मोबाइल फोन से बरामद नहीं हुए थे। ऐसी परिस्थितियों में, अभियुक्त के निजी मोबाइल फोन, जिसका वह नियमित रूप से उपयोग करता था, से बरामद बाल अश्लील सामग्री, प्रथम दृष्टया उसके पास बाल अश्लील सामग्री के संग्रहण या कब्जे को स्थापित करती है। इसके अलावा, चूँकि उपरोक्त बाल अश्लील सामग्री 2016 और 2019 से उक्त निजी मोबाइल फोन में संग्रहीत पाई गई थी, इसलिए प्रथम दृष्टया यह कहा जा सकता है कि प्रत्यर्थी सं. 1 की ओर से ऐसी सामग्री को हटाने, नष्ट करने या रिपोर्ट करने में विफलता रही।

204. प्रत्यर्थी सं. 1 की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि संशोधन अधिनियम, 2019 जिसके अंतर्गत बाल पोर्नोग्राफ़ी के संग्रहण या कब्जे से संबंधित तीन अलग-अलग अपराधों को पॉक्सो की धारा 15 के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया था, को दिनांक 16.09.2019 से लागू किया गया था। जबकि विचाराधीन दोनों वीडियो कथित तौर पर संशोधन अधिनियम, 2019 के लागू होने से पहले डिवाइस में संग्रहीत किए गए थे। चूँकि, पॉक्सो की वर्तमान धारा 15(1) उस प्रासंगिक समय पर लागू नहीं थी जब वीडियो कथित रूप से संग्रहीत किए गए थे, इसलिए प्रत्यर्थी सं. 1 को उक्त प्रावधान के अंतर्गत दंडित नहीं किया जा सकता, जो ऐसे वीडियो के संग्रहण के समय मौजूद नहीं था।

205. हालाँकि, हम उपरोक्त दलील से प्रभावित नहीं हैं। धारा 15 के अंतर्गत जिस बात को दंडित किए जाने का उद्देश्य है, वह समय नहीं है जब ऐसी सामग्री संग्रहीत की गई थी या उसके कब्जे में आई थी, बल्कि स्वयं वह संग्रहण या कब्जा है, जो निरंतर हो सकता है। ऐसे में, पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत, विशेष रूप से धारा 15 के अंतर्गत किसी भी अपराध के गठन हेतु ऐसे संग्रहण या कब्जे का प्रासंगिक समय एफआईआर के पंजीकरण की तिथि से माना जाएगा। वर्तमान मामले में, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि जब 2019 का संशोधन लागू हुआ और बाद में जब एफआईआर दर्ज की गई, तब उपरोक्त दो वीडियो प्रत्यर्थी संख्या-1 के मोबाइल फोन में अभी भी संग्रहीत थे। ऐसी परिस्थितियों में, धारा 15 की उपधारा (1) को प्रथम दृष्टया लागू माना जा सकता है।

क. विधि से अज्ञानता की दलील: विधि से अज्ञानता बनाम विधि से अनभिज्ञता

206. इस स्तर पर, हम अभियुक्त की ओर से विधि की वास्तविक अज्ञानता से संबंधित प्रस्तुत की गई एक अन्य दलील पर विचार कर सकते हैं। यह तर्क दिया गया कि अभियुक्त को इस तथ्य की जानकारी नहीं थी कि बाल अश्लील सामग्री का भंडारण पॉक्सो अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, तथा उसके मोबाइल फोन में पाई गई बाल अश्लील सामग्री का भंडारण उसकी विधि के प्रति अनभिज्ञता और इस

वास्तविक एवं सद्भावनापूर्ण विश्वास के कारण था कि ऐसा भंडारण कोई अपराध नहीं है; अतः उसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, इस न्यायालय के चंडी कुमार दास करमारकर (उपरोक्त) तथा मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स (उपरोक्त) मामलों में दिए गए दो निर्णयों पर निर्भरता व्यक्त की गई है।

207. चंडी कुमार दास करमारकर (उपरोक्त) मामले के तथ्य इस प्रकार हैं; मामले के अभियुक्तों और शिकायतकर्ता के बीच एक जलाशय जहाँ मछलियाँ पाली जा रही थीं, के स्वामित्व को लेकर एक सिविल विवाद था। शिकायतकर्ता ने अभियुक्तों के विरुद्ध एक एकपक्षीय डिक्री के आधार पर उक्त जलाशय का कब्ज़ा प्राप्त कर लिया था। अंततः, उस एकपक्षीय डिक्री को अपास्त कर दिया गया, हालाँकि स्वामित्व पर अंतिम निर्णय अभी भी लंबित था। यद्यपि प्रत्यास्थापन के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था, फिर भी अभियुक्त की, कानून की सद्भावपूर्ण अज्ञानता के कारण, यह धारणा थी कि उसने उक्त जलाशय पर पुनः कब्ज़ा प्राप्त कर लिया है और उसने पुनः जलाशय में मछलियाँ पकड़ना शुरू कर दिया। शिकायतकर्ता ने अभियुक्तों के विरुद्ध एक प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उसके तालाब से मछलियाँ चोरी करने का आरोप लगाया गया था।

अभियुक्त ने अपने बचाव में कानून की अज्ञानता का तर्क देते हुए कहा कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि उक्त तालाब और उस जल क्षेत्र की मछलियाँ, कानून के अंतर्गत, प्रत्यास्थापन के अभाव में शिकायतकर्ता की संपत्ति मानी जाती रहेंगी या जलाशय का कब्ज़ा उसे वापस नहीं मिला है। उसने आगे दलील दी कि उसे ऐसा सद्भावपूर्ण विश्वास था कि एकपक्षीय डिक्री के निरस्त होने के कारण उसे उक्त जलाशय पर कब्ज़ा करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। इस न्यायालय ने यह माना कि कानून की सद्भावपूर्ण अज्ञानता के कारण अधिकार का कोई भी दावा, यदि उचित हो, तो चोरी का कृत्य नहीं माना जाएगा। न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि ऐसे अधिकार के दावे का अर्थ है जो कोई 'मिथ्या बहाना' नहीं बल्कि एक 'उचित तर्क' हो, और दावे का पूर्ण अभाव नहीं बल्कि एक 'सद्भावपूर्ण दावा') हो, चाहे वह कितना भी कमज़ोर क्यों न हो। प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:

"6. चोरी के अपराध में किसी चल संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे से उसकी सहमति के बिना बेईमानी से लेना शामिल है। बेईमानी का इरादा तब विद्यमान माना जाता है जब संपत्ति लेने वाला व्यक्ति स्वयं को सदोष लाभ पहुँचाने या दूसरे को सदोष हानि पहुँचाने का इरादा रखता है। इस इरादे को 'एनिमस फुरंडी' के रूप में जाना जाता है और इसके बिना चोरी का अपराध पूर्ण नहीं होता है। अपनी स्वतंत्र अवस्था में मछलियों को 'स्वच्छंद प्रकृति' का माना जाता है, लेकिन उन्हें उस व्यक्ति के कब्जे में माना जाता है जिसका किसी जलाशय पर कब्ज़ा हो, जहाँ वे रहती हैं और जहाँ से वे भाग नहीं सकतीं। मछलियों को उस व्यक्ति के कब्जे में भी माना जाता है जिसके पास उन्हें किसी विशेष स्थान (जिसे मत्स्य-क्षेत्र कहा जाता है) में पकड़ने का अनन्य अधिकार है, लेकिन केवल उसी स्थान के भीतर। इस प्रकार, किसी अन्य व्यक्ति के स्वामित्व वाले और उसके कब्जे वाले तालाब से मछलियों की चोरी हो सकती है, यदि अपराधी उन्हें मालिक की सहमति के बिना और अधिकार के किसी भी वास्तविक दावे के बिना पकड़ता है।

7.अब यह सामान्य नियम कि 'दोषपूर्ण मनःस्थिति' कानून की ईमानदार अज्ञानता के साथ भी मौजूद हो सकती है, कभी-कभी चोरी के लिए पर्याप्त नहीं होता। सद्भावपूर्वक किया गया अधिकार का दावा, यदि उचित हो, तो संपत्ति लेने के कार्य को चोरी होने से बचाता है। जहाँ अभियुक्त द्वारा ऐसी दलील दी जाती है, वहाँ मुख्य रूप से यह 'तथ्य का प्रश्न' होता है कि क्या ऐसा विश्वास वास्तव में मौजूद है या नहीं। इस न्यायालय ने आपराधिक अपील संख्या 31/1961 (सुव्वारी सन्यासी अप्पाराव बनाम बोड्डेपल्ली लक्ष्मी नारायण, निर्णय दिनांक 5 अक्टूबर, 1961) में इस प्रकार टिप्पणी की थी:
'यह स्थापित कानून है कि जहाँ अधिकार का सद्भावपूर्ण दावा मौजूद हो, वह चोरी के अभियोजन के लिए एक ठोस बचाव हो सकता है। कोई भी कृत्य तब तक चोरी की श्रेणी में नहीं आता, जब तक कि न केवल कोई कानूनी अधिकार न हो, बल्कि विधिक अधिकार का कोई आभास भी न हो।'

8.'विधिक अधिकार के आभास' से तात्पर्य झूठा बहाना नहीं, बल्कि एक उचित तर्क है; यह दावे का पूर्ण अभाव नहीं बल्कि एक सद्भावपूर्ण दावा है, चाहे वह कितना भी कमज़ोर क्यों न हो। इसी मामले में इस न्यायालय ने उल्लेख किया कि 2 ईस्ट पी.सी. 659 में कानून को इस प्रकार वर्णित किया गया था:

'यदि अभियुक्त के पास संपत्ति या अधिकार का कोई भी उचित तर्क हो, या यदि इसे तनिक भी संदेह के दायरे में लाया जाए, तो अदालत बरी करने का निर्देश देगी।' और 1 हेल पी.सी. 509 का संदर्भ दिया कि 'सबसे अच्छा साक्ष्य यह है कि वस्तुएं पूरी तरह से खुलेआम ली गई थीं।' ईस्ट और हेल द्वारा प्रतिपादित कानून भारत में चोरी के विषय पर हमेशा से लागू रहा है और भारतीय न्यायालयों द्वारा निर्णीत ऐसे कई मामले हैं जिनमें इन सिद्धांतों को लागू किया गया है।

न्यायमूर्ति नियोगी ने अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों का भी संदर्भ दिया और हम विशेष रूप से हामिद अली बेपारी बनाम एम्परर में कानून के निम्नलिखित कथन से सहमत हैं:

'यह चोरी नहीं है यदि कोई व्यक्ति, कानून की गलत धारणा के अंतर्गत कार्य करते हुए और यह विश्वास करते हुए कि कोई संपत्ति उसकी है और उसे उसे लेने का अधिकार है... ऐसी संपत्ति को दूसरे के कब्जे से हटा देता है।' "

208. मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स (उपरोक्त) मामले में, राज्य सरकार ने राज्य में नई औद्योगिक इकाइयों को बिक्री कर में छूट प्रदान करने हेतु एक नीति बनाई थी। उक्त नीति के आधार पर, अपीलकर्ता ने एक औद्योगिक इकाई स्थापित की और छूट का दावा करने के लिए राज्य सरकार से संपर्क किया। राज्य सरकार ने उसे सूचित किया कि उसे बिक्री कर में केवल आंशिक रियायत दी जाएगी, जिस पर अपीलकर्ता सहमत हो गया। हालाँकि, बाद में राज्य ने अपने निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए उस रियायत को रद्द कर दिया जो

अपीलकर्ता को दी जा रही थी। इससे व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने नीति के अनुसार बिक्री कर से पूर्ण छूट का दावा करते हुए एक रिट याचिका दायर की। इसके जवाब में राज्य सरकार ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता ने आंशिक रियायत स्वीकार करके पूर्ण छूट का दावा करने के अपने अधिकार का अधित्याग कर दिया है। इस न्यायालय ने अधित्याग और विबंधन की उक्त दलील को खारिज करते हुए कहा कि अपीलकर्ता नीति और कानून के अंतर्गत बिक्री कर में छूट की सीमा के बारे में अनभिज्ञ था। अतः, कानून की अज्ञानता के कारण अपीलकर्ता का यह सद्भावपूर्ण विश्वास था कि नीति में पूर्ण छूट के बजाय केवल आंशिक रियायत का प्रावधान है। इस न्यायालय ने टिप्पणी की कि यह उपधारणा नहीं की जा सकती कि अपीलकर्ता को नीति के बारे में पूरी जानकारी थी और उसने पूर्ण ज्ञान होने के बावजूद अपने अधिकार का परित्याग किया था। न्यायालय ने आगे कहा कि अक्सर कानूनी सूत्र "इग्नोरेंटिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसैट" अर्थात् "कानून की अज्ञानता कोई बहाना नहीं है" का गलत अर्थ यह लगाया जाता है कि हर किसी के बारे में यह उपधारणा की जाती है कि वह कानून जानता है। तदनुसार, इस न्यायालय ने वचनबद्ध विबंधन की दलील को स्वीकार करते हुए और राज्य की दलील को खारिज करते हुए कहा कि अपीलकर्ता की ओर से कानून की अज्ञानता के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि उसे अपने अधिकार का पूरा ज्ञान था, जिससे वह उसे त्याग सके। प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:

"6. [...] अपीलकर्ता का छूट का दावा केवल वचनबद्ध विबंधन के सिद्धांत पर ही टिका रह सकता है और इस सिद्धांत को इसके दायरे और परिधि में इतना सुस्पष्ट और इसके लागू होने में अनिश्चितता से इतना मुक्त नहीं कहा जा सकता कि हम यह मानने को विवश हों कि 25 जून, 1970 को पत्र लिखते समय अपीलकर्ता को इस सिद्धांत के आधार पर अपने अधिकार का ज्ञान रहा होगा। वास्तव में, मूल रूप से दायर याचिका में, बिक्री कर से पूर्ण छूट का दावा 'वचनबद्ध विबंधन' के आधार पर नहीं किया गया था, बल्कि इसे बाद में संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। इसके अलावा, यह याद रखना चाहिए कि ऐसी कोई उपधारणा नहीं है कि हर व्यक्ति कानून जानता है। अक्सर यह कहा जाता है कि हर कोई कानून जानता है, लेकिन यह सही कथन नहीं है: कानून में ऐसा कोई विधिक सूत्र नहीं है। एक सौ तीस साल से भी पहले, न्यायमूर्ति मौल ने मार्टिंडेल बनाम फौकनर में स्पष्ट किया था:

'इस देश में ऐसी कोई उपधारणा नहीं है कि हर व्यक्ति कानून जानता है: यदि ऐसा होता तो यह सामान्य ज्ञान और तर्क के विपरीत होता।'

एल.जे. स्क्रूटन ने भी एक बार कहा था:
'सभी वैधानिक कानूनों को जानना असंभव है, और सभी सामान्य कानूनों को जानना भी बहुत संभव नहीं है।'

लेकिन लॉर्ड एटकिन ने, जैसा कि उन्होंने कई अन्य क्षेत्रों में किया, इस बात को इसके उचित संदर्भ में रखा

जब उन्होंने इवांस बनाम बार्टलम में कहा:

'...तथ्य यह है कि ऐसी कोई उपधारणा न तो है और न ही कभी रही है कि हर कोई कानून जानता है। नियम यह है कि "कानून की अज्ञानता क्षम्य नहीं है", जो कि एक बहुत ही अलग दायरे और प्रयोज्यता वाला सिद्धांत है।'

इसलिए, न्यायालय के समक्ष किसी भी ठोस सामग्री के अभाव में यह उपधारणा करना संभव नहीं है कि अपीलकर्ता को अपने छूट के अधिकार का पूरा ज्ञान था, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि अपीलकर्ता ने 25 जून, 1970 का पत्र लिखकर उस अधिकार का अधित्याग कर दिया था। तदनुसार, हम राज्य सरकार द्वारा उठाई गई 'अधित्याग' की दलील को खारिज करते हैं।"

(प्रभाव वर्धित)

209. अतः, पूर्वोक्त के आधार पर, हमारा यह सुविचारित मत है कि अभियुक्त द्वारा इस न्यायालय के दो निर्णयों— चंडी कुमार दास करमारकर (उपरोक्त) और मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स (उपरोक्त) पर भरोसा करना पूरी तरह से गलत है। चंडी कुमार दास करमारकर (उपरोक्त) में इस न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या कानून की अज्ञानता के कारण उक्त अभियुक्त के बारे में यह कहा जा सकता है कि उसे मछली के जलाशय के कब्जे का सद्भावपूर्ण विश्वास या दावा था; या दूसरे शब्दों में, क्या कानून की गलत धारणा के अंतर्गत किसी अधिकार के अस्तित्व के सद्भावपूर्ण विश्वास के अनुसरण में किए गए कार्यों के लिए अज्ञानता की दलील एक वैध बचाव है। जबकि मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स (उपरोक्त) में इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय मुद्दा यह था कि क्या कानून की अज्ञानता के कारण यह कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता ने स्वेच्छा से अपने अधिकार का अधित्याग कर दिया है; या दूसरे शब्दों में, क्या किसी अधिकार के विरुद्ध वचनबद्ध विबंधन के मामले में अज्ञानता की दलील एक वैध बचाव है।

210. अतः, चंडी कुमार दास करमारकर (उपरोक्त) और मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स (उपरोक्त) में दिए गए पूर्वोक्त दोनों निर्णय वर्तमान मामले में लागू नहीं होते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि इस न्यायालय ने उपरोक्त निर्णयों में केवल यहाँ तक कहा है कि कानून की अज्ञानता की दलील को एक वैध बचाव के रूप में केवल यह दर्शाने के लिए उपयोग किया जा सकता है कि कथित कार्य, किसी अधिकार या दावे के अस्तित्व के संबंध में परिणामी सद्भावपूर्ण विश्वास के कारण किया गया था या नहीं किया गया था (जैसा भी मामला हो)। दूसरे शब्दों में, कानून की अज्ञानता की दलील तब एक वैध बचाव हो सकती है जब उसके फलस्वरूप किसी विशेष अधिकार या दावे के अस्तित्व (या अनस्तित्व) के संबंध में तथ्य की न्यायोचित और सद्भावपूर्ण भूल उत्पन्न होती हो।

211. इसे एक चार-चरणीय परीक्षण के माध्यम से बेहतर ढंग से समझा जा सकता है, जिसके अंतर्गत एक वैध बचाव के लिए निम्नलिखित शर्तें होनी चाहिए:

(1) किसी कानून की अज्ञानता या अनभिज्ञता विद्यमान हो; (2) ऐसी अज्ञानता या अनभिज्ञता से एक संगत, तर्कसंगत और न्यायोचित अधिकार या दावा उत्पन्न होता हो; (3) ऐसे अधिकार या दावे के अस्तित्व पर सद्भावपूर्ण विश्वास हो; और (4) जिस कथित कृत्य के लिए दंड की माँग की जा रही है, वह ऐसे अधिकार या दावे के आधार पर किया गया हो।

केवल तभी, जब उपरोक्त सभी चार शर्तें पूरी होती हों, कोई व्यक्ति किसी भी विधिक दायित्व से बचने के लिए कानून की अज्ञानता का तर्क देने का हकदार होगा।

212. जैसा कि चंडी कुमार दास करमारकर (उपरोक्त) में कहा गया है, विधि की अज्ञानता की दलील केवल उन कार्यों के लिए वैध बचाव है जिनके बारे में कहा जाता है कि वे किसी अधिकार या दावे के आधार पर किए गए हैं, जिनके अस्तित्व पर विधि की अज्ञानता या विधि की भ्रांति के आधार पर सद्भावपूर्वक विश्वास किया गया था या ग्रहण किया गया था। इस प्रकार, विधि की अज्ञानता की दलील के लिए, विधि की अज्ञानता या भूल ऐसी होनी चाहिए जो किसी अधिकार या दावे के अस्तित्व के सद्भावपूर्ण विश्वास को वैध रूप से जन्म देती हो, और उक्त व्यक्ति ऐसे अधिकार या दावे के आधार पर कोई कार्य करता हो। यह बात चंडी कुमार दास करमारकर (उपरोक्त) के पैरा 7 में निम्नलिखित टिप्पणी से पुष्ट होती है, "यदि सद्भावनापूर्वक अधिकार का दावा उचित है, तो वह कार्य को बचाता है[...] जहाँ ऐसा तर्क प्रस्तुत किया जाता है।" इस प्रकार, कानून की अज्ञानता का तर्क केवल अधिकार के सद्भावनापूर्ण दावे और उसके अधीन किए गए किसी भी कार्य के बचाव के लिए ही मान्य है। इस प्रकार, जहां कोई व्यक्ति किसी अधिकार के दावे के आधार पर कोई कार्य करता है, जिसके अस्तित्व पर कानून की गलत धारणा के कारण सद्भावपूर्वक विश्वास किया गया था, ऐसा व्यक्ति कानून की अज्ञानता से उत्पन्न या उसके साथ उत्पन्न ऐसे अधिकार या दावे के ईमानदार लेकिन गलत तथ्य के कारण उत्तरदायी नहीं होगा।

213. इसी प्रकार, मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय ने केवल यह माना कि कानून की अज्ञानता की दलील, किसी गलत या त्रुटिपूर्ण अधिकार—अर्थात् बिक्री कर छूट की केवल आंशिक रियायत के अधिकार—के अस्तित्व में सद्भावपूर्वक विश्वास करने के लिए एक वैध बचाव हो सकती है। तदनुसार, इस न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि जहाँ कोई व्यक्ति कानून की अज्ञानता के कारण किसी विशिष्ट अधिकार के बारे में पूरी तरह अवगत नहीं था, वहाँ उस अधिकार का अधित्याग तब तक नहीं माना जा सकता जब तक कि यह न दर्शाया जाए कि वह व्यक्ति वास्तव में उक्त अधिकार के प्रति सचेत था।

214. इस प्रकार, इस न्यायालय के चंडी कुमार दास करमारकर (उपरोक्त) और मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स (उपरोक्त) के पूर्वोक्त निर्णय इस सरल कारण से भिन्न हैं कि बाल अश्लील सामग्री के भंडारण या

कब्जे को किसी अधिकार या दावे के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, भले ही वह गलत धारणा पर आधारित हो। यदि कोई व्यक्ति इस बात से अनभिज्ञ भी है कि ऐसी सामग्री का कब्जा या भंडारण दंडनीय है, तो भी इसे किसी भी तरह से किसी अधिकार या दावे को जन्म देने वाला नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसी सामग्री को संग्रहीत करने या रखने का ऐसा कोई अधिकार अस्तित्व में ही नहीं है; अतः यह एक वैध बचाव नहीं है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कानून, और विशेष रूप से पॉक्सो (POCSO) की धारा 15 के बारे में समान स्तर की अनभिज्ञता रखने वाला कोई भी सामान्य विवेकशील व्यक्ति, स्वाभाविक रूप से कभी भी यह विश्वास नहीं कर सकता कि बाल अश्लील सामग्री को संग्रहीत करने या रखने का कोई अधिकार मौजूद है।
अज्ञानता या अनभिज्ञता का दावा किए गए अधिकार या दावे के साथ एक तर्कसंगत संबंध होना चाहिए; अर्थात्, अज्ञानता ऐसी होनी चाहिए जो विधिक रूप से और उचित रूप से एक संगत अधिकार या दावे को जन्म दे सके और जिसके अस्तित्व पर सद्भावपूर्वक विश्वास किया गया हो। अन्यथा, कोई भी व्यक्ति किसी विशेष कानून की अनभिज्ञता की कसौटी पर अपने कृत्यों से उत्पन्न किसी भी दायित्व से बचने के लिए किसी अधिकार का निराधार या सामान्य दावा कर सकता है। इस प्रकार, भले ही अभियुक्त पॉक्सो की धारा 15 से अनभिज्ञ रहा हो, यह अपने आप में यह मानने का कोई संगत, वैध या उचित आधार नहीं देता कि बाल अश्लील सामग्री संग्रहीत करने या रखने का कोई अधिकार था। परिणामस्वरूप, चार-चरणीय परीक्षण की शर्तें पूरी नहीं होती हैं और अभियुक्त का कानून की अज्ञानता का बचाव विफल होना चाहिए।

215. अन्यथा भी, इस तथ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए कि ऐसी दलील कोई वैधानिक बचाव नहीं है जिसका कोई कानूनी आधार हो, बल्कि यह साम्या के सिद्धांत का एक उपोत्पाद है। ऐसे बचाव को स्वीकार किया जाए या नहीं, यह काफी हद तक प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में साम्या की विद्यमानता पर निर्भर करता है। यह कानून का एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि साम्या कानून का स्थान नहीं ले सकती, यदि कानून स्पष्ट और असंदिग्ध है तो साम्या को कानून का पालन करना होगा।

216. इस न्यायालय ने नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड बनाम अनिल कोहली, रिजोलुशन प्रोफेशनल फॉर दुनार फूड्स लिमिटेड [(2022) 11 एससीसी 761] में अपने अन्य निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला का उल्लेख करते हुए यह निर्धारित किया कि जहाँ कानून स्पष्ट है, वहाँ उसके परिणामों का पालन अवश्य होना चाहिए। उच्च न्यायालय के पास कानून को लागू करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। इसमें की गई प्रासंगिक टिप्पणियाँ नीचे पुनः उद्धृत की जा रही हैं:

"15.1. मिश्री लाल [बी.एस.एन.एल. बनाम मिश्री लाल, (2011) 14 एससीसी 739: (2014) 1 एससीसी (एल एंड एस) 387] में, यह देखा गया है कि यदि (कानून और साम्या के बीच) कोई संघर्ष होता है, तो कानून साम्या पर अभिभावी होता है। यह भी देखा गया है कि साम्या केवल कानून की पूरक हो सकती है, उसका स्थान नहीं ले सकती।

15.2. रघुनाथ राय बरेजा [रघुनाथ राय बरेजा बनाम पंजाब नेशनल बैंक, (2007) 2 एससीसी 230] के पैरा 30 से 37 में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की और निर्धारित किया:
'30. इस प्रकार, मदामंची रामप्पा बनाम मुथलुरु बोज्जप्पा [एआईआर 1963 एससी 1633] में इस न्यायालय ने टिप्पणी की: "...न्यायालयों में जो प्रदान किया जाता है वह विधि के अनुसार न्याय है; और निष्पक्षता तथा साम्या के विचार, चाहे वे कितने भी महत्वपूर्ण क्यों न हों, कानून के स्पष्ट और अभिव्यक्त प्रावधानों के समक्ष गौण होने चाहिए।"
31.काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन बनाम ईशा मित्तल [(2000) 7 एससीसी 521] में इस न्यायालय ने टिप्पणी की: "...साम्या के विचार अभिभावी नहीं हो सकते और उच्च न्यायालय को कानून के विपरीत आदेश पारित करने की अनुमति नहीं देते।"

32.इसी प्रकार, पी.एम. लता बनाम केरल राज्य [(2003) 3 एससीसी 541] में इस न्यायालय ने टिप्पणी की: "...साम्या और कानून जुड़वाँ भाई हैं और कानून को साम्यापूर्ण तरीके से लागू और व्याख्यायित किया जाना चाहिए, लेकिन साम्या लिखित या स्थापित कानून को रद्द नहीं कर सकती।"

33.लक्ष्मीनारायण आर. भट्टड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य [(2003) 5 एससीसी 413] में इस न्यायालय ने टिप्पणी की: "अब यह सुस्थापित है कि जब कानून और साम्या के बीच संघर्ष होता है, तो कानून ही मान्य होगा।"
34.इसी प्रकार, नसीरुद्दीन बनाम सीता राम अग्रवाल [(2003) 2 एससीसी 577] में इस न्यायालय ने टिप्पणी की: "ऐसे मामले में जहाँ वैधानिक प्रावधान स्पष्ट और असंदिग्ध है, न्यायालय केवल उससे उत्पन्न होने वाले कठोर परिणामों के कारण उसकी अलग व्याख्या नहीं करेगा।"

35.इसी प्रकार, ई. पलानीसामी बनाम पलानीसामी [(2003) 1 एससीसी 123] में इस न्यायालय ने टिप्पणी की: "जहाँ कानून (संविधि) में स्पष्ट प्रावधान हों, वहाँ साम्यापूर्ण विचारों का कोई स्थान नहीं है।"

36.इंडिया हाउस बनाम किशन एन. लालवानी [(2003) 9 एससीसी 393] में इस न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि: "...वैधानिक रूप से निर्धारित परिसीमा अवधि का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए और साम्या के आधार पर इसमें ढील नहीं दी जा सकती या इससे विचलन नहीं किया जा सकता।'"

(प्रभाव वर्धित)

217. कानून से अनभिज्ञता को कानून के प्रति अज्ञानता के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय ने विधिवत् रूप से स्वीकार किया कि कानून से अनभिज्ञता की दलील, दायरे और प्रयोज्यता में इस नियम से मौलिक रूप से भिन्न है कि कानून के प्रति अज्ञानता किसी को माफ नहीं करती है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, पहला तर्क साम्या के सिद्धांत का एक उपोत्पाद है, जबकि दूसरा तर्क आपराधिक न्यायशास्त्र का एक प्रमुख नियम है और कोई भी व्यक्ति कानून के प्रति

अज्ञानता के तर्क पर किसी भी दण्डनीय अपराध या दायित्व से मुक्त होने का दावा नहीं कर सकता। इस प्रकार, जहाँ किसी चीज़ को कानून के अंतर्गत विशेष रूप से दंडनीय बनाया गया है, ऐसे मामलों में कानून साम्या पर अभिभावी होगा, और कानून के प्रति अज्ञानता का कोई भी तर्क ऐसे दंडनीय अपराधों से उत्पन्न किसी भी दायित्व से मुक्ति या उसे कम करने के लिए बचाव के रूप में नहीं लिया जा सकता। इस प्रकार, यदि सभी चार पूर्व शर्तें पूरी भी हो जाती हैं, तो भी अदालतें ऐसी दलील को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं, यदि वह किसी कानून या न्याय की अवधारणा का खंडन या अवमूल्यन करती है।

218.साम्या, लागू कानून को संशोधित करती है या न्याय प्रदान करने के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित विशिष्ट परिस्थितियों से निपटने हेतु उसकी उपयुक्तता सुनिश्चित करती है। मामले की परिस्थितियों के अनुसार सामान्य नियमों में संशोधन साम्या द्वारा निर्देशित होता है, न कि सकारात्मक कानून के न्यूनीकरण या निषेध में, बल्कि उसके अतिरिक्त। यह सकारात्मक कानून का पूरक है, लेकिन उसका स्थान नहीं लेता। हालाँकि, दूसरे अर्थ में, जहाँ सकारात्मक कानून लागू कानूनी सिद्धांतों के बारे में मौन है, वहाँ साम्या स्वयं कानून के स्रोत के रूप में एक प्राथमिक भूमिका ग्रहण करती है। साम्या सकारात्मक कानून में मौजूद कमियों को पूरा करने के लिए आगे आती है। इस प्रकार, जहाँ कोई सकारात्मक कानून स्पष्ट नहीं होता, वहाँ न्यायालय लागू कानून के स्रोत के रूप में साम्या की ओर रुख करते हैं। हालाँकि, जहाँ सकारात्मक कानून मौजूद है, साम्या हमेशा उसके अधीन होगी। [देखें एम. सिद्दीक बनाम महंत सुरेश दास,2020 1 एससीसी 1]

219. प्रत्यर्थी सं. 1 ने यह भी तर्क दिया कि यद्यपि उक्त बाल अश्लील सामग्री उसके मोबाइल फ़ोन में संग्रहीत पाई गई थी, फिर भी उसे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने तर्क दिया कि, जैसा कि एफएसएल रिपोर्ट से पता चला है, उसके मोबाइल फ़ोन में संग्रहीत उपरोक्त वीडियो उसकी जानकारी या इच्छा के बिना स्वचालित रूप से उसके मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड हो गए थें।

220. यह मानते हुए भी कि प्रत्यर्थी सं. 1 ने वास्तव में अपने मोबाइल फोन में उपरोक्त दो वीडियो संग्रहीत नहीं किए थें और उसे उन वीडियो के अस्तित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, फिर भी उपरोक्त पहलू को हम निरस्तीकरण के चरण में नहीं देख सकते हैं, विशेष रूप से यह निर्णय करते समय कि क्या प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अन्यथा भी, चूंकि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सामग्री स्पष्ट रूप से बाल पोर्नोग्राफिक सामग्री के कब्जे या संग्रहण और प्रत्यर्थी सं. 1 की ओर से उसे हटाने, नष्ट करने या रिपोर्ट करने में विफलता को स्थापित करती है, इसलिए सदोष मानसिक स्थिति की वैधानिक धारणा को लागू करने के लिए आवश्यक आधारभूत तथ्यों को प्रथम दृष्टया स्थापित कहा जा सकता है।
221. सदोष मानसिक स्थिति की वैधानिक धारणा को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी सं. 1 का कोई भी बचाव, जैसे कि ज्ञान या आशय का अभाव, विचारण का विषय होगा। इस संबंध में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करके, विचारण

न्यायालय के समक्ष सदोष मानसिक स्थिति का अभाव सिद्ध किया जाना आवश्यक है। इस स्तर पर हमें ऐसे बचावों पर विचार नहीं करना चाहिए। केवल यह पता लगाना आवश्यक है कि क्या प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

v. हमारे निष्कर्ष का सारांश

222. हम अपने अंतिम निष्कर्ष का सारांश इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं: -
(I) पॉक्सो अधिनियम की धारा 15 में तीन अलग-अलग अपराधों का प्रावधान है, जो क्रमशः उपधारा (1), (2) या (3) के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी विशेष इरादे से बाल अश्लील सामग्री के संग्रहण या कब्जे को दंडित करते हैं। यह एक अपूर्ण अपराध की प्रकृति और स्वरूप है, जो किसी बच्चे से संबंधित किसी अश्लील सामग्री के संग्रहण या कब्जे को दंडित करता है, जब ऐसा किसी विशिष्ट इरादे से किया जाता है, बिना किसी वास्तविक संचरण, प्रसार आदि की आवश्यकता के।

(II) धारा 15 की उपधारा (1) किसी भी बाल अश्लील सामग्री को हटाने, नष्ट करने या रिपोर्ट करने में विफलता को दंडित करती है, जो किसी व्यक्ति के पास इसे साझा करने या प्रसारित करने के इरादे से संग्रहीत या कब्जे में पाई गई हो। इस प्रावधान के अंतर्गत अपेक्षित मेन्स-रीया या इरादा, स्वयं दोषपूर्ण कृत्य से ही प्राप्त किया जाना चाहिए, अर्थात् इसका निर्धारण इस बात से किया जाना चाहिए कि ऐसी सामग्री किस प्रकार संग्रहीत या कब्जे में है और किन परिस्थितियों में उसे हटाया, नष्ट या रिपोर्ट नहीं किया गया। इस प्रावधान के अंतर्गत अपराध की स्थापना के लिए, परिस्थितियों से अभियुक्त की ओर से ऐसी सामग्री को साझा करने या प्रसारित करने के इरादे का पर्याप्त संकेत मिलना चाहिए।

(III) धारा 15 की उपधारा (2) किसी भी बाल पोर्नोग्राफी के वास्तविक प्रसारण, प्रचार, प्रदर्शन या वितरण के साथ-साथ उपर्युक्त किसी भी कृत्य में सहयोग के लिए दंडित करती है। धारा 15 की उपधारा (2) के अंतर्गत अपराध का गठन करने के लिए ऐसी अश्लील सामग्री के संग्रहण या कब्जे के अलावा कुछ और भी दिखाना होगा, यानी (I) ऐसी सामग्री का वास्तविक प्रसारण, प्रचार, प्रदर्शन या वितरण या (II) ऐसी सामग्री के किसी भी प्रसारण, प्रचार, प्रदर्शन या वितरण में सहयोग, जैसे कि किसी भी प्रकार की तैयारी या सेटअप जो उस व्यक्ति को इसे प्रसारित करने या प्रदर्शित करने में सक्षम बनाता है। मेन्स रीया का पता उस तरीके से लगाया जाना चाहिए जिसमें अश्लील सामग्री संग्रहीत या कब्जे में पाई गई थी और ऐसे कब्जे या संग्रहण के अलावा कोई अन्य सामग्री जो किसी भी सुविधा या वास्तविक प्रसारण, प्रचार, प्रदर्शन या ऐसी सामग्री के वितरण का संकेत है।

(IV) धारा 15 की उप-धारा (3) किसी भी व्यावसायिक उद्देश्य से बाल अश्लील सामग्री के संग्रहण या कब्जे को दंडित करती है। धारा 15 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अपराध सिद्ध करने के लिए, किसी बालक से

संबंधित अश्लील सामग्री के संग्रहण या कब्जे के अतिरिक्त, कुछ अतिरिक्त सामग्री या परिस्थितियाँ होनी चाहिए जो पर्याप्त रूप से यह इंगित कर सकें कि उक्त भंडारण या कब्जा किसी लाभ या फायदा प्राप्त करने के इरादे से किया गया था। उप-धारा (3) के अंतर्गत अपराध सिद्ध करने के लिए यह सिद्ध करना आवश्यक नहीं है कि ऐसा लाभ या फायदा वास्तव में प्राप्त किया गया था।

(V) धारा 15 की उपधारा (1), (2) और (3) क्रमशः स्वतंत्र और पृथक अपराध हैं। ये तीनों अपराध एक ही तथ्य समूह में एक साथ सह-अस्तित्व में नहीं रह सकते। ये एक-दूसरे से भिन्न हैं और आपस में गुंथे हुए नहीं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि धारा 15 की तीनों उपधाराओं के बीच अंतर्निहित अंतर, तीनों प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित, सदोष मनःस्थिति की अलग-अलग मात्रा में निहित है।

(VI) पुलिस और अदालतें, किसी भी बाल पोर्नोग्राफ़ी के संग्रहण या कब्जे से जुड़े किसी भी मामले की जाँच करते समय यह पाती हैं कि, धारा 15 की कोई विशेष उपधारा लागू नहीं होती है, तो उन्हें यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि पॉक्सो की धारा 15 के अंतर्गत कोई अपराध नहीं बनता है। यदि अपराध धारा 15 की किसी एक विशेष उपधारा के अंतर्गत नहीं आता है, तो उन्हें यह पता लगाने का प्रयास करना चाहिए कि क्या वह अन्य उपधाराओं के अंतर्गत आता है या नहीं।

(VII) किसी व्यक्ति द्वारा इंटरनेट पर किसी भी बाल अश्लील सामग्री को देखने, वितरित करने या प्रदर्शित करने आदि का कोई भी कार्य, किसी भी उपकरण या किसी भी रूप या तरीके से ऐसी सामग्री के वास्तविक या भौतिक कब्जे या संग्रहण के बिना भी पॉक्सो की धारा 15 के संदर्भ में 'कब्जा' माना जाएगा, बशर्ते कि उक्त व्यक्ति ने रचनात्मक कब्जे के सिद्धांत के आधार पर ऐसी सामग्री पर नियंत्रण की एक अपरिवर्तनीय डिग्री का प्रयोग किया हो।

(VIII) यौन रूप से स्पष्ट कृत्य का कोई भी दृश्य चित्रण, जिसे कोई भी विवेकशील दिमाग वाला सामान्य व्यक्ति उचित रूप से प्रथम दृष्टया एक बच्चे को चित्रित करने वाला या बच्चे को शामिल करने वाला मानता है, उसे 'बाल पोर्नोग्राफी' माना जाएगा और अदालतों को केवल व्यक्तिपरक संतुष्टि के लिए प्रथम दृष्टया राय बनाने की आवश्यकता होती है कि सामग्री किसी भी सामान्य विवेकशील व्यक्ति के दृष्टिकोण से एक बच्चे को चित्रित करती प्रतीत होती है, जो कि पॉक्सो के अंतर्गत बाल पोर्नोग्राफिक सामग्री से संबंधित है, जैसे कि धारा 15 ऐसी संतुष्टि किसी भी आधिकारिक राय जैसे कि ऐसी सामग्री के बारे में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की रिपोर्ट या संबंधित सामग्री पर किसी विशेषज्ञ की राय, या स्वयं न्यायालयों द्वारा ऐसी सामग्री के मूल्यांकन से प्राप्त की जा सकती है।

(IX) आईटी अधिनियम की धारा 67बी एक व्यापक प्रावधान है जो बच्चों के ऑनलाइन शोषण और दुर्व्यवहार के विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक रूपों से निपटने और दंडित करने के लिए बनाया गया है। यह न केवल बाल अश्लील

सामग्री के इलेक्ट्रॉनिक प्रसार को दंडित करता है, बल्कि ऐसी सामग्री के निर्माण, कब्जे, प्रचार और उपभोग के साथ-साथ कमजोर उम्र के बच्चों के ऑनलाइन यौन अपमान और शोषण के विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृत्यों को भी दंडित करता है। आईटी अधिनियम की धारा 67, 67ए और 67बी एक पूर्ण संहिता होने के नाते, उद्देश्यपूर्ण तरीके से व्याख्या की जानी चाहिए जो अपकृत्य को दबाती है और उपचार को आगे बढ़ाती है और यह सुनिश्चित करती है कि बच्चों से संबंधित विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भद्दे/अश्लील सामग्री के उपयोग को दंडित करने का विधायी इरादा इन प्रावधानों के संकीर्ण निर्माण से पराजित नहीं होता है।

(X) पॉक्सो की धारा 30 के अंतर्गत अभियुक्त की ओर से सदोष मानसिक स्थिति की वैधानिक धारणा लागू की जा सकती है, बशर्ते अभियोजन पक्ष, पॉक्सो के अंतर्गत अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित किसी विशेष अपराध को स्थापित करने के लिए आवश्यक आधारभूत तथ्य स्थापित करने में सक्षम हो। अभियुक्त द्वारा इस तरह की धारणा का खंडन अभियोजन पक्ष के मामले को अविश्वसनीय साबित करके या उचित संदेह से परे, विपरीत साक्ष्य प्रस्तुत करके किया जा सकता है।

(XI) पॉक्सो की धारा 15 के अंतर्गत किसी अपराध के लिए सदोष मानसिक स्थिति की वैधानिक धारणा को लागू करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक आधारभूत तथ्य इस प्रकार हैं: -

(क) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, अभियोजन पक्ष को सबसे पहले किसी बाल अश्लील सामग्री का संग्रहण या कब्जे का तथ्य स्थापित करना होगा और यह कि अभियुक्त व्यक्ति उसे हटाने, नष्ट करने या रिपोर्ट करने में विफल रहा है।

(ख) उप-धारा (2) के अंतर्गत अपराध के लिए सदोष मानसिक स्थिति की वैधानिक धारणा को लागू करने के लिए अभियोजन पक्ष को सबसे पहले किसी बाल अश्लील सामग्री के संग्रहण या कब्जे को स्थापित करना होगा, और किसी भी ऐसी सामग्री के वास्तविक प्रसारण, प्रचार, प्रदर्शन या वितरण या किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष कार्य जैसे कि ऐसी सामग्री के प्रसारण, प्रचार, प्रदर्शन या वितरण के लिए की गई तैयारी या सेटअप को इंगित करने के लिए कोई अन्य तथ्य भी स्थापित करना होगा, जिसके बाद अदालत द्वारा यह माना जाएगा कि उक्त कार्य ऐसी सामग्री को प्रसारित करने, प्रदर्शित करने, प्रचार करने या वितरित करने के इरादे से किया गया था और उक्त कार्य रिपोर्टिंग या साक्ष्य के रूप में उपयोग करने के उद्देश्य से नहीं किया गया था।

(ग) उपधारा (3) के प्रयोजन के लिए अभियोजन पक्ष को ऐसी सामग्री का संग्रहण या कब्जा स्थापित करना होगा तथा आगे ऐसा कोई तथ्य साबित करना होगा जिससे यह संकेत मिले कि ऐसा किसी प्रकार का लाभ या फायदा प्राप्त करने या किसी लाभ या फायदे की आशा से किया गया था।

(XII) पॉक्सो की धारा 30 के अंतर्गत सदोष मानसिक स्थिति की वैधानिक धारणा को पॉक्सो के अंतर्गत किसी भी अपराध से संबंधित निरस्तीकरण कार्यवाही में लागू किया जा सकता है।

च. कुछ सार्थक सुझाव

223. मामले के समापन से पहले, हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू पर विचार करना होगा, जो बाल पोर्नोग्राफ़ी के बढ़ते प्रसार और उपयोग से निपटने की आवश्यकता से संबंधित है।

i. बच्चों के उत्पीड़न और दुर्व्यवहार पर बाल पोर्नोग्राफ़ी का दीर्घकालिक प्रभाव।

224. एक बच्चे का उत्पीड़न यौन क्रिया से शुरू होता है, उसकी रिकॉर्डिंग के ज़रिए जारी रहता है, और साइबरस्पेस में तैरते हुए फ़ोटो और वीडियो के रूप में निरंतर जारी रहता है, जो इंटरनेट पर सर्फिंग करने की क्षमता रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होता है। बाल यौन शोषण सबसे जघन्य अपराधों में से एक है, और बाल पोर्नोग्राफ़ी का अपराध भी उतना ही जघन्य है, क्योंकि इसमें बच्चे का उत्पीड़न और शोषण दुर्व्यवहार की प्रारंभिक क्रिया के साथ समाप्त नहीं होता है। ऐसी अश्लील सामग्री का निर्माण या प्रसार, नुकसान को असीम रूप से और कहीं अधिक व्यापक स्तर पर बढ़ाता है। यह मूलतः दुर्व्यवहार की एक घटना को आघात पहुँचाने वाले कृत्यों की लहर में बदल देता है, जहाँ हर बार ऐसी सामग्री देखने या साझा करने पर बच्चे के अधिकारों और सम्मान का लगातार उल्लंघन होता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम एक समाज के रूप में सामूहिक रूप से इस मुद्दे को अत्यंत गंभीरता से लें।

225. इस तरह के निरंतर उत्पीड़न का प्रभाव गहरा होता है। यौन शोषण का कोई भी कृत्य स्वाभाविक रूप से बच्चे पर स्थायी शारीरिक और भावनात्मक आघात पहुँचाता है। हालाँकि, अश्लील सामग्री के माध्यम से इस दुर्व्यवहार का प्रसार आघात को और गहरा कर देता है और उसे एक मनोवैज्ञानिक घाव में बदल देता है। यह जानना कि उनके साथ हुए दुर्व्यवहार को अनगिनत अजनबी देख रहे हैं, कभी-कभी वास्तविक घटना के वर्षों बाद भी, उस आघात के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक घावों को और भी गहरा कर देता है जो पहले से ही इस कृत्य से उत्पन्न हुआ था। यह निरंतर उल्लंघन पीड़ित को किसी भी शेष आशा या उपचार, दुर्व्यवहार से उबरने और समाधान पाने के अवसर से वंचित कर देता है।

226. इस तथ्य पर भी ध्यान देना चाहिए कि "बाल पोर्नोग्राफ़ी" शब्द एक ग़लत नाम है जो अपराध की पूरी सीमा को नहीं दर्शाता। यह समझना ज़रूरी है कि पारंपरिक रूप से "बाल पोर्नोग्राफ़ी" कहे जाने वाले प्रत्येक मामले में वास्तव में एक बच्चे का शोषण शामिल होता है। "बाल पोर्नोग्राफ़ी" शब्द के प्रयोग से अपराध का महत्व कम हो सकता है, क्योंकि पोर्नोग्राफ़ी को अक्सर वयस्कों के बीच सहमति से किया गया कृत्य माना जाता है। यह उत्पीड़न को कमज़ोर करता है क्योंकि यह शब्द पोर्नोग्राफ़ी से एक संबंध दर्शाता है - ऐसा आचरण जो क़ानूनी हो सकता है, जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से भाग ले रहा हो, और जिसके लिए व्यक्ति उस आचरण के लिए सहमति देने में सक्षम हो।

227. "बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री" या "सीएसईएम" शब्द अधिक सटीक रूप से इस वास्तविकता को दर्शाता है कि ये चित्र और वीडियो केवल अश्लील नहीं हैं, बल्कि उन घटनाओं के रिकॉर्ड हैं, जहां किसी बच्चे का या तो यौन शोषण और दुर्व्यवहार किया गया है या जहां बच्चों के किसी भी दुर्व्यवहार को किसी भी स्व-निर्मित दृश्य चित्रण के माध्यम से चित्रित किया गया है।

228. "बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री" (सीएसईएम) शब्द बच्चों के शोषण और दुर्व्यवहार पर ज़ोर देता है, और इस कृत्य की आपराधिक प्रकृति और एक गंभीर एवं सशक्त प्रतिक्रिया की आवश्यकता को उजागर करता है। हम जानते हैं कि इस निर्णय के पिछले भागों में, हमने "बाल पोर्नोग्राफ़ी" शब्द का प्रयोग किया है, हालाँकि ऐसा केवल वर्तमान मामले से जुड़ी बारीकियों को बेहतर ढंग से समझने के उद्देश्य से किया गया है। हम अदालतों को "बाल पोर्नोग्राफ़ी" शब्द के प्रयोग से भी रोकते हैं और इसके बजाय देश भर की सभी अदालतों के न्यायिक आदेशों और निर्णयों में "बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री" (सीएसईएम) शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए।

229. हालाँकि, सीएसईएम देखने और बच्चों के यौन शोषण में शामिल होने के बीच एक ठोस अंतर है, फिर भी, बाद वाली इच्छा हमेशा पहले वाले में अंतर्निहित होती है। सीएसईएम का उपयोग और बाल यौन शोषण, दोनों में एक समान, दुर्भावनापूर्ण इरादा निहित होता है: दुर्व्यवहार करने वाले की यौन संतुष्टि के लिए बच्चे का शोषण और अपमान। बाल यौन शोषण सामग्री का निर्माण स्वाभाविक रूप से यौन शोषण से जुड़ा हुआ है। दोनों ही मामलों में, इरादा स्पष्ट है: एक बच्चे का यौन शोषण और उसे नुकसान पहुँचाना। ऐसी सामग्री का निर्माण एक निष्क्रिय कार्य नहीं, बल्कि एक जानबूझकर किया गया कार्य है, जहाँ दुर्व्यवहार करने वाला जानबूझकर बच्चे का शोषण करता है, यह अच्छी तरह जानते हुए कि इससे उसे कितना नुकसान होगा।

230. यही मंशा इन अपराधों को विशेष रूप से जघन्य बनाती है। दुर्व्यवहार करने वाला न केवल बच्चे के शरीर का उल्लंघन करता है, बल्कि उसे अपनी संतुष्टि के लिए एक वस्तु में बदल देता है, बच्चे की गरिमा या भलाई की ज़रा भी परवाह नहीं करता। यह अमानवीयकरण सीएसईएम को बनाने और फैलाने में स्पष्ट दिखाई देता है, जहाँ बच्चे को एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि उपभोग की वस्तु के रूप में देखा जाता है। ऐसी सामग्री देखने वालों में बाल शोषण के और भी कृत्यों में शामिल होने की इच्छा बढ़ सकती है। सीएसईएम देखने से लोग बाल शोषण की भयावहता के प्रति असंवेदनशील हो सकते हैं, जिससे वे शोषण के और भी चरम रूपों की तलाश में लग सकते हैं या खुद भी दुर्व्यवहार के कृत्य कर सकते हैं।

231. इसके अलावा, ऐसी सामग्री की माँग हमेशा सीएसईएम।। को बनाने और फैलाने के कृत्य को बढ़ावा देगी। दुर्व्यवहार करने वाले इस माँग को पूरा करने के लिए इन सामग्रियों को बनाने और वितरित करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, जिससे और अधिक बच्चों का शोषण हो सकता है।2। दुर्व्यवहार और शोषण का यह चक्र न केवल सीएसईएम बनाने और वितरित करने वालों को दंडित करने के लिए, बल्कि संभावित

उपभोक्ताओं को रोकने और ऐसी सामग्री की माँग को कम करने के लिए भी कड़े उपायों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

232. बाल यौन शोषण सामग्री बच्चों की गरिमा को बहुत ठेस पहुँचाती है। यह उन्हें यौन तृप्ति की वस्तु बना देती है, उनकी मानवीयता को छीन लेती है और उनके मौलिक अधिकारों का हनन करती है। बच्चों को ऐसे वातावरण में पलने-बढ़ने का अधिकार है जो उनकी गरिमा का सम्मान करे और उन्हें किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाए। हालाँकि, सीएसईएएम इस अधिकार का अत्यंत गंभीर उल्लंघन करता है।

233. सीएसईएएम का अस्तित्व और प्रसार सभी बच्चों की गरिमा का अपमान है, न कि केवल सामग्री में चित्रित पीड़ितों का। यह एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देता है जिसमें बच्चों को शोषण की वस्तु के रूप में देखा जाता है, न कि अपने अधिकारों और स्वतंत्रता वाले व्यक्तियों के रूप में। यह अमानवीयकरण विशेष रूप से खतरनाक है क्योंकि इससे बाल शोषण को व्यापक सामाजिक स्वीकृति मिल सकती है, जिससे बच्चों की सुरक्षा और कल्याण को और अधिक खतरा हो सकता है।

234. बाल यौन शोषण की गंभीरता और दूरगामी परिणामों को देखते हुए, सीएसईएएम का उत्पादन, वितरण और उपभोग करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करना स्पष्ट रूप से कानूनी और नैतिक रूप से अनिवार्य है। इसमें सीएसईएएम में शामिल लोगों के लिए न केवल आपराधिक दंड शामिल है, बल्कि शिक्षा और जागरूकता अभियान जैसे निवारक उपाय भी शामिल हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपराधियों को सज़ा मिले और बच्चों को और अधिक नुकसान से बचाया जाए, कानून मज़बूत और सख्ती से लागू होने चाहिए। अदालतों को ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की नरमी बरतने से बचना चाहिए।

235. सीएसईएएम का अपने पीड़ितों पर विनाशकारी और दूरगामी प्रभाव पड़ता है, जो उनके मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक कल्याण को प्रभावित करता है। इस तरह के जघन्य शोषण के शिकार अक्सर गहरे मनोवैज्ञानिक आघात से गुज़रते हैं जो अवसाद, चिंता और अभिघातज के बाद के तनाव विकार (पीटीएसडी) के रूप में प्रकट हो सकता है। यह निरंतर स्मरण कि उनके साथ हुए दुर्व्यवहार की तस्वीरें और वीडियो ऑनलाइन प्रसारित हो रहे हैं, उनमें पीड़ित होने और असहाय होने की भावना को लगातार जन्म दे सकता है, जिससे शर्म, अपराधबोध और बेकार होने की भावनाएँ और भी बढ़ जाती हैं। यह जागरूकता पीड़ितों के लिए आगे बढ़ना बेहद चुनौतीपूर्ण बना सकती है, क्योंकि दूसरों द्वारा पहचाने जाने और आलोचना किए जाने का डर हमेशा बना रहता है।

236. हमारे समाज में, जहाँ सामाजिक कलंक और सम्मान व शर्म की धारणाएँ गहराई से जड़ें जमाए हुई हैं, पीड़ितों के लिए सामाजिक परिणाम विशेष रूप से गंभीर होते हैं। कई पीड़ितों को तीव्र सामाजिक कलंक और अलगाव का सामना करना पड़ता है, और विश्वास की समस्याओं और आघात-संबंधी चुनौतियों के कारण

स्वस्थ संबंध बनाने और बनाए रखने में कठिनाई होती है। सीएसईएएम का शिकार होने से जुड़ा कलंक सामाजिक मेलजोल में भारी बाधाएँ पैदा कर सकता है, जिससे पीड़ित अपने समुदायों से अलग-थलग पड़ जाते हैं और खुद को अलग-थलग महसूस करते हैं। इन सामग्रियों को साझा करने और देखने के माध्यम से लगातार पीड़ित होने की भावना पीड़ितों की पीड़ा को और बढ़ा देती है। किसी व्यक्ति द्वारा सामग्री देखने या वितरित करने की प्रत्येक घटना एक नया उल्लंघन होती है, जिससे पीड़ितों के लिए इससे उबरना और भी मुश्किल हो जाता है। यह निरंतर आघात उनके आत्म-सम्मान और आत्म-मूल्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है, जिससे दीर्घकालिक भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक क्षति हो सकती है। इसके अलावा, इसका प्रभाव उनकी शिक्षा और रोज़गार के अवसरों पर भी पड़ता है। कई पीड़ित अपने ऊपर लगे भारी भावनात्मक बोझ के कारण अपनी पढ़ाई या काम पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई महसूस करते हैं। इससे उनकी शैक्षणिक उपलब्धि में कमी, रोज़गार पाने में कठिनाई और आर्थिक तंगी हो सकती है, जिससे उनकी असुरक्षा और अस्थिरता की भावना और बढ़ जाती है।

237. पीड़ितों को ठीक होने और अपना जीवन पुनः प्राप्त करने में मदद करने के लिए करुणामय और व्यापक सहायता प्रदान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। थेराप्यूटिक परामर्श और सहायता समूहों सहित चिकित्सीय हस्तक्षेप, पीड़ितों को अपने अनुभवों को समझने और उपचार शुरू करने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान कर सकते हैं। पीड़ितों को उनकी स्थिति की जटिलताओं से निपटने और अपने जीवन को फिर से बनाने में मदद करने के लिए कानूनी और सामाजिक सहायता सेवाएँ भी आवश्यक हैं।

238. भारत में, यौन शिक्षा के बारे में भ्रांतियाँ व्यापक हैं और इसके सीमित कार्यान्वयन और प्रभावशीलता में योगदान करती हैं। माता-पिता और शिक्षकों सहित कई लोग रूढ़िवादी विचार रखते हैं कि यौन संबंधों पर चर्चा करना अनुचित, अनैतिक या शर्मनाक है। यह सामाजिक कलंक यौन स्वास्थ्य के बारे में खुलकर बात करने में अनिच्छा पैदा करता है, जिससे किशोरों के बीच ज्ञान का एक बड़ा अंतर पैदा होता है।

239. एक प्रचलित भ्रांति यह है कि यौन शिक्षा युवाओं में स्वच्छंद यौन व्यवहार और गैर-ज़िम्मेदाराना व्यवहार को बढ़ावा देती है। आलोचक अक्सर तर्क देते हैं कि यौन स्वास्थ्य और गर्भनिरोधक के बारे में जानकारी देने से किशोरों में यौन गतिविधि बढ़ेगी। हालाँकि, शोध से पता चला है कि व्यापक यौन शिक्षा वास्तव में यौन गतिविधि की शुरुआत को विलंबित करती है और यौन रूप से सक्रिय लोगों में सुरक्षित व्यवहार को बढ़ावा देती है।

240. एक और आम धारणा यह है कि यौन शिक्षा एक पश्चिमी अवधारणा है जो पारंपरिक भारतीय मूल्यों के अनुरूप नहीं है। इस दृष्टिकोण के कारण विभिन्न राज्य सरकारों ने इसका विरोध किया है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ राज्यों के स्कूलों में यौन शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस प्रकार का विरोध व्यापक और प्रभावी यौन स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में बाधा डालता है, जिससे कई किशोर सटीक

जानकारी से वंचित रह जाते हैं। यही कारण है कि किशोर और युवा इंटरनेट की ओर रुख करते हैं, जहाँ उन्हें बिना निगरानी और बिना फ़िल्टर की गई जानकारी मिलती है, जो अक्सर भ्रामक होती है और अस्वस्थ यौन व्यवहार के बीज बो सकती है।

241. इसके अतिरिक्त, यह गलत धारणा भी है कि यौन शिक्षा केवल प्रजनन के जैविक पहलुओं पर ही केंद्रित होती है। प्रभावी यौन शिक्षा में सहमति, स्वस्थ संबंध, लैंगिक समानता और विविधता के प्रति सम्मान सहित कई विषय शामिल होते हैं। यौन हिंसा को कम करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए इन विषयों पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है।

242. इन चुनौतियों के बावजूद, भारत में यौन शिक्षा के कई सफल कार्यक्रम हैं, जैसे झारखंड में उड़ान कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की सफलता प्रतिरोध पर काबू पाने और यौन शिक्षा के लिए एक सहायक वातावरण बनाने में सामुदायिक भागीदारी, पारदर्शिता और सरकारी सहयोग के महत्व को उजागर करती है।

243. सकारात्मक आयु-उपयुक्त यौन शिक्षा युवाओं को हानिकारक यौन व्यवहारों में शामिल होने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसमें सीएसईएएम20का वितरण और देखना भी शामिल है। सकारात्मक यौन शिक्षा कामुकता, सहमति और सम्मानजनक संबंधों के बारे में सटीक, आयु-उपयुक्त जानकारी प्रदान करने पर केंद्रित है। शोध बताते हैं कि व्यापक यौन शिक्षा जोखिम भरे यौन व्यवहारों को काफ़ी हद तक कम कर सकती है, ज्ञान बढ़ा सकती है, स्वस्थ निर्णय लेने में सक्षम बना सकती है, गलत सूचनाओं को कम कर सकती है, यौन शुरुआत में देरी कर सकती है, यौन साथियों की संख्या कम कर सकती है और गर्भनिरोधकों के इस्तेमाल को बढ़ा सकती है। भारत में किए गए शोध ने व्यापक यौन शिक्षा कार्यक्रमों की आवश्यकता को दर्शाया है। महाराष्ट्र में 900 से ज़्यादा किशोरों पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि जिन छात्रों को प्रजनन और यौन स्वास्थ्य पर वैज्ञानिक साहित्य की जानकारी नहीं थी, उनमें जल्दी यौन संबंध बनाने की शुरुआत करने की संभावना ज़्यादा थी।

244. इसके अलावा, सकारात्मक यौन शिक्षा यौनिकता और रिश्तों के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है, जो बाल पोर्नोग्राफ़ी के उपभोग से जुड़ी विकृत धारणाओं का प्रतिकार कर सकती है। यह दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूति और सम्मान को बढ़ावा देने में भी मदद कर सकती है, जिससे शोषणकारी व्यवहार में शामिल होने की संभावना कम हो जाती है। व्यापक यौन शिक्षा कार्यक्रम युवाओं को सहमति के महत्व और यौन गतिविधियों के कानूनी निहितार्थों के बारे में भी सिखाते हैं, जिससे उन्हें बाल पोर्नोग्राफ़ी देखने और वितरित करने के गंभीर परिणामों को समझने में मदद मिलती है।

245. यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम यौन स्वास्थ्य से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना शुरू करें, और यौन शिक्षा के लाभों की व्यापक समझ को बढ़ावा देना भारत में यौन स्वास्थ्य परिणामों में सुधार और यौन अपराधों की

घटनाओं को कम करने के लिए आवश्यक है। भारत की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

246. पॉक्सो अधिनियम की धारा 43, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का दायित्व देती है कि उक्त अधिनियम के प्रावधानों का टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट मीडिया सहित मीडिया के विभिन्न माध्यम से नियमित अंतराल पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि आम जनता, बच्चों के साथ-साथ उनके माता-पिता और अभिभावकों को इस कानून के बारे में जानकारी मिल सके। इसके अतिरिक्त, धारा 43 में यह भी प्रावधान है कि संबंधित सरकार पुलिस जैसे सभी सरकारी कार्यालयों को इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के बारे में नियमित अंतराल पर उचित प्रशिक्षण भी प्रदान करे। संबंधित प्रावधान इस प्रकार है: -

"43. अधिनियम के बारे में जन जागरूकता -
केंद्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेगी कि -

(क) इस अधिनियम के प्रावधानों का टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट मीडिया सहित मीडिया के माध्यम से नियमित अंतराल पर व्यापक प्रचार किया जाए ताकि आम जनता, बच्चों के साथ-साथ उनके माता-पिता और अभिभावकों को इस अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जागरूक किया जा सके;

(ख) केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अधिकारियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों (पुलिस अधिकारियों सहित) को अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों पर समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाए।"

247. दूसरी ओर, पॉक्सो अधिनियम की धारा 44, अधिनियम के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी और सहायता करने का दायित्व विहित करती है। संबंधित प्रावधान इस प्रकार है: -

"44. अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी -

(1) धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, या बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की धारा 17 के अधीन गठित राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जैसा भी मामला हो, उस अधिनियम के अधीन उन्हें सौंपे गए कार्यों के अतिरिक्त, इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन की निगरानी भी ऐसी रीति से करेगा, जैसी विहित की जाए।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट राष्ट्रीय आयोग या, यथास्थिति, राज्य आयोग को, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से संबंधित किसी मामले की जांच करते समय वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) के अधीन उसमें निहित हैं।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट राष्ट्रीय आयोग या, जैसा भी मामला हो, राज्य आयोग, इस धारा के अंतर्गत अपनी गतिविधियों को भी बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की धारा 16 में निर्दिष्ट वार्षिक रिपोर्ट में शामिल करेगा।"

248. हमारा यह सुविचारित मत है कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 43 और 44 के अंतर्गत संबंधित सरकार और आयोग का दायित्व केवल पॉक्सो के प्रावधानों के बारे में जागरूकता फैलाने तक ही सीमित नहीं है। चूँकि पॉक्सो का एक हितकारी और घोषित उद्देश्य बाल यौन शोषण के अपराधों को रोकना था, इसलिए स्वाभाविक रूप से, उपर्युक्त प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित सरकार और आयोग का दायित्व आम जनता, बच्चों के साथ-साथ उनके माता-पिता और अभिभावकों, विशेष रूप से स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में, यौन शिक्षा प्रदान करना और जागरूकता फैलाना भी होगा। धारा 43 और 44 के अनुपालन के लिए संबंधित सरकार और आयोग के कदम और प्रयास केवल उक्त प्रावधानों के शाब्दिक शब्दों से आगे जाने चाहिए तथा बाल दुर्व्यवहार, शोषण और पोर्नोग्राफी की लत के मुद्दे को कम करने के लिए व्यावहारिक आवश्यकताओं को गंभीरता से ध्यान में रखना चाहिए।

249. अंततः, यह सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक ज़िम्मेदारी है कि बाल पोर्नोग्राफ़ी के पीड़ितों को वह देखभाल, सहायता और न्याय मिले जिसके वे हकदार हैं। एक संवेदनशील और समझदार समाज का निर्माण करके, हम उन्हें सुधार का मार्ग खोजने और सुरक्षा, सम्मान और आशा की भावना पुनः प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। इसमें पीड़ितों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण बदलना, उनकी सुरक्षा के लिए कानूनी ढाँचे में सुधार करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जाए।

क. पॉक्सो अधिनियम की धारा 19 और 20 के अंतर्गत रिपोर्ट करने का दायित्व और समाज एवं सभी हितधारकों की भूमिका-

250. पॉक्सो अधिनियम की धारा 19 सपठित धारा 20 और 21, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और शोषण की समस्या को कम करने में समाज की सामूहिक ज़िम्मेदारी को मान्यता देने की दिशा में एक कदम है। धारा 19 किसी भी व्यक्ति पर, जिसे पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के होने की आशंका हो या जिसे इस बात की जानकारी हो कि ऐसा कोई अपराध हुआ है, विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस को रिपोर्ट करने और इसकी सूचना देने का दायित्व डालती है। धारा 19 आगे उस प्रक्रिया और कार्यविधि का वर्णन

करती है जिसके अंतर्गत अधिकारियों द्वारा ऐसी सूचना या रिपोर्ट दर्ज की जानी चाहिए, और साथ ही अपनाई जाने वाली कार्रवाई का भी विवरण देती है। धारा 20 मीडिया, होटल, अस्पताल, क्लब या स्टूडियो आदि के सभी कर्मियों के लिए यह दायित्व निर्धारित करती है कि वे किसी भी माध्यम से किसी भी ऐसी सामग्री या वस्तु के बारे में रिपोर्ट करें और जानकारी प्रदान करें जो किसी बच्चे का यौन शोषण करती हो (जिसमें अश्लील सामग्री, यौन-संबंधी सामग्री या बच्चे या बच्चों का अश्लील चित्रण शामिल है)। ऐसा न करने पर, पॉक्सो की धारा 19 या 21 के अनुसार, 6 महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा, किसी नियोक्ता या पर्यवेक्षक द्वारा अपने अधीनस्थ किसी व्यक्ति के संबंध में किसी अपराध के घटित होने या उसकी आशंका की सूचना देने में विफलता के लिए भी एक वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। संबंधित प्रावधान इस प्रकार हैं: -

"19. अपराधों को रिपोर्ट करना-

(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति (जिसमें बालक भी शामिल है), जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के होने की आशंका है या उसे इस बात की जानकारी है कि ऐसा कोई अपराध किया गया है, वह ऐसी सूचना निम्नलिखित को देगा,-

(क) विशेष किशोर पुलिस इकाई; या

(ख) स्थानीय पुलिस को।

(2) उप-धारा (1) के अंतर्गत दी गई प्रत्येक रिपोर्ट को -

(क) एक प्रविष्टि संख्या दी जाएगी और लिखित रूप में अभिलिखित किया जाएगा;

(ख) सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाया जाएगा;

(ग) पुलिस इकाई द्वारा रखी जाने वाली पुस्तक में दर्ज किया जाएगा।

(3) जहाँ उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट किसी बालक द्वारा दी जाती है, वहाँ उसे उपधारा (2) के अधीन सरल भाषा में अभिलिखित किया जाएगा ताकि बालक अभिलिखित की जा रही विषय-वस्तु को समझ सके।

(4) यदि विषय-वस्तु ऐसी भाषा में अभिलिखित की जा रही है जिसे बालक नहीं समझता है या जहाँ भी यह आवश्यक समझा जाए, यदि बालक उसे समझने में असफल रहता है, तो ऐसी योग्यता, अनुभव रखने वाला और विहित शुल्क का भुगतान करने पर, एक अनुवादक या दुभाषिया बालक को उपलब्ध कराया जाएगा।

(5) जहाँ विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस इस बात से संतुष्ट है कि जिस बालक के विरुद्ध अपराध किया गया है, उसे देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है, तो वह लिखित में कारण अभिलिखित करने के पश्चात, उसे ऐसी देखभाल और संरक्षण प्रदान करने की तत्काल व्यवस्था करेगी, जिसमें रिपोर्ट के चौबीस घंटे के भीतर,जैसा कि विहित किया जाए,बालक को आश्रय गृह या निकटतम अस्पताल में भर्ती कराना भी शामिल है।

(6) विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस, अनावश्यक विलंब के बिना, किन्तु चौबीस घंटे की अवधि के भीतर, मामले की रिपोर्ट बाल कल्याण समिति और विशेष न्यायालय को या जहाँ कोई विशेष न्यायालय निर्दिष्ट नहीं किया गया है, वहाँ सत्र न्यायालय को देगी, जिसमें बालक की देखभाल और

संरक्षण की आवश्यकता और इस संबंध में उठाए गए कदमों का विवरण भी शामिल होगा।
(7) उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ सद्भावपूर्वक सूचना देने के लिए कोई भी व्यक्ति, चाहे सिविल हो या आपराधिक, किसी प्रकार का दायित्व वहन नहीं करेगा।

20. मीडिया, स्टूडियो और फोटोग्राफिक सुविधाओं का मामलों की रिपोर्ट करने का दायित्व—
मीडिया या होटल या लॉज या अस्पताल या क्लब या स्टूडियो या फोटोग्राफिक सुविधाओं का कोई भी कर्मी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, चाहे उसमें कार्यरत व्यक्तियों की संख्या कितनी भी हो, किसी भी माध्यम के उपयोग से बालक का यौन शोषण करने वाली (अश्लील, यौन-संबंधी या बालक या बालकों का अश्लील चित्रण सहित) कोई भी सामग्री या वस्तु मिलने पर, ऐसी सूचना विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस को, जैसी भी स्थिति हो, प्रदान करेगा।

21. मामले की रिपोर्ट या रिकॉर्ड न करने पर दंड-
(1) कोई भी व्यक्ति, जो धारा 19 की उपधारा (1) या धारा 20 के अधीन किसी अपराध के घटित होने की रिपोर्ट करने में विफल रहता है या जो धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन ऐसे अपराध को रिकॉर्ड करने में विफल रहता है, उसे छह महीने तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।
(2) कोई भी व्यक्ति, जो किसी कंपनी या संस्था (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो) का प्रभारी है, यदि वह अपने अधीनस्थ किसी व्यक्ति के संबंध में धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध के घटित होने की रिपोर्ट करने में विफल रहता है, तो उसे एक वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
(3) उपधारा (1) के प्रावधान इस अधिनियम के अधीन किसी बालक पर लागू नहीं होंगे।

251. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि, घोषित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति पर यह कानूनी दायित्व लगाया गया है कि यदि उसे इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के घटित होने का ज्ञान हो, तो वह अधिनियम में निर्दिष्ट संबंधित प्राधिकारियों को इसकी सूचना दे। यह दायित्व उन व्यक्तियों पर भी लागू होता है जिनके पास यह मानने का कारण है कि अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध घटित होने की संभावना है। बाल दुर्व्यवहार और शोषण की समस्याओं के सामूहिक समाधान में धारा 19 के अंतर्गत इस कानूनी कर्तव्य के सर्वोच्च महत्व को देखते हुए, विधायिका ने इस दायित्व के निर्वहन में विफलता को अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत दंडनीय बनाना समीचीन समझा। ऐसे प्रावधान पॉक्सो के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने और इस प्रकार यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शामिल किए गए हैं कि बच्चों के साथ दुर्व्यवहार न हो और उनका बचपन और युवावस्था शोषण से सुरक्षित रहे।

252. शंकर किसनराव खाड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2013) 5 एससीसी 546 में, इस न्यायालय ने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और शोषण के बड़ी संख्या में मामलों पर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे मुद्दों को सभी हितधारकों द्वारा सामूहिक रूप से बाल-केंद्रित तरीके से बच्चे के सर्वोत्तम हित मानक को लागू करके

निस्तारित किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे का सर्वोत्तम हित सर्वोपरि है न कि अपराध करने वाले का हित। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी निर्धारित किया गया है कि स्कूलों/शैक्षणिक संस्थानों, विशेष गृहों, बाल गृहों, आश्रय गृहों, छात्रावासों, सुधार गृहों, जेलों आदि या जहाँ भी बच्चों को रखा जाता है, वहाँ के सभी प्रभारी व्यक्तियों को पॉक्सो की धारा 19 और 21 के अंतर्गत परिकल्पित दायित्वों का पालन किस प्रकार करना होगा। प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं: -

"72. मैं यह भी कहना चाहूँगा कि बड़ी संख्या में मामलों में, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार उनके परिचित या उन पर प्रभाव रखने वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इस देश की आपराधिक अदालतों में ऐसे मामलों की भरमार है जहाँ बच्चों के साथ शराब, नशीली दवाओं, अवसाद, वैवाहिक कलह आदि के आदी वयस्कों द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है। निवारक पहलुओं को शायद ही कभी महत्व दिया गया है या उसके अनुसार कार्य किया गया है। दंडात्मक कानून बच्चों के साथ हिंसा, दुर्व्यवहार, शोषण जैसे अपराधों के बाद की स्थितियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। ऐसे कई जघन्य अपराधों के गवाह अक्सर सामाजिक कलंक, सामुदायिक दबाव, आपराधिक न्याय प्रणाली में आने वाली कठिनाइयों, भावनात्मक और आर्थिक रूप से अपराधी पर पूरी तरह निर्भर होने आदि जैसे कारकों का सहारा लेकर चुप रहते हैं। माता-पिता सहित परिवार के कुछ वयस्क सदस्य, इस तर्क के साथ पुलिस को ऐसे अपराधों की सूचना नहीं देते कि ऐसाबच्चे को सामाजिक कलंक से बचाने के लिए किया जा रहा है और इससे पीड़ित को और भी नुकसान होगा। इसके अलावा, वे यह भी तर्क देते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में, परिवार के कुछ करीबी सदस्य, जो ऐसी घटनाओं से अवगत होते हैं, उन्हें गोपनीय रखने के लिए बच्चे को चिकित्सा सहायता नहीं देते, और बच्चे को होने वाले भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक नुकसान की ज़रा भी परवाह नहीं करते। यौन शोषण किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे किसी बच्चे का यौन उत्पीड़न करना, छेड़छाड़ करना, किसी बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न या छेड़छाड़ की अनुमति देना, किसी अन्य व्यक्ति की यौन संतुष्टि के लिए बच्चे को इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना या मजबूर करना, बच्चे का उपयोग करना या जानबूझकर बच्चे को यौन गतिविधियों या पोर्नोग्राफी के संपर्क में लाना, या व्यावसायिक शोषण के लिए बच्चे को खरीदना या खरीदने की अनुमति देना आदि।

73. मेरे विचार से, जब भी हम बाल दुर्व्यवहार के किसी मामले पर विचार करते हैं, तो हमें बाल हित के मानकों को लागू करना चाहिए, क्योंकि बच्चे का हित सर्वोपरि है, न कि अपराधी का। हमारा दृष्टिकोण बाल-केंद्रित होना चाहिए। किसी भी क्षेत्र से प्राप्त शिकायतों को, निश्चित रूप से, बच्चे और परिवार के सदस्यों पर कोई कलंक लगाए बिना गोपनीय रखा जाना चाहिए। लेकिन, यदि उत्पीड़क स्वयं परिवार का सदस्य है, तो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। ऐसी घटनाओं की पुलिस या किशोर न्याय बोर्ड को रिपोर्ट करने के लिए आगे आने वाले व्यक्तियों को भी उचित और पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान किए जाने चाहिए।

74. आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के अंतर्गत मामला दर्ज न करने का पुलिस का

आचरण, मध्यम बौद्धिक विकलांगता वाली 11 साल की बच्ची द्वारा सहन की गई पीड़ा, घटना को देखने के बाद भी उसके साथ हुए बलात्कार के अपराध की रिपोर्ट स्थानीय पुलिस या किशोर न्याय बोर्ड को न करना, हमें भविष्य में अनुपालन के लिए कुछ निर्देश देने के लिए बाध्य करता है, जो मेरे विचार से, हमारे बच्चों को ऐसे यौन दुर्व्यवहारों से बचाने के लिए आवश्यक हैं। अभिभावक के रूप में इस न्यायालय का ऐसा करना कर्तव्य है क्योंकि न्यायालय नाबालिग बच्चों, विशेष रूप से बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों के संबंध में, संरक्षकता रखता है, क्योंकि वे कानूनी अक्षमता से पीड़ित होते हैं। इस मामले में अपराध की शीघ्र सूचना देने से शायद मध्यम बौद्धिक अक्षमता वाले एक नाबालिग बच्चे की जान बच सकती थी।

76. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं अभियुक्त को दी गई मृत्युदंड की सजा को सश्रम आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित करने के पक्ष में हूँ और सभी सजाएँ साथ-साथ चलेंगी।

77. मेरी राय में, इस मामले में विभिन्न हितधारकों को उचित अनुपालन हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाने आवश्यक हैं:

77.1. स्कूलों/शैक्षणिक संस्थानों, विशेष गृहों, बाल गृहों, आश्रय गृहों, छात्रावासों, सुधार गृहों, जेलों आदि या जहां भी बच्चों को रखा जाता है, के प्रभारी व्यक्तियों को, यदि उन्हें किसी नाबालिग बच्चे पर यौन शोषण या उत्पीड़न के मामले का पता चलता है, जिसके बारे में वे मानते हैं कि वह किया गया है या उन्हें पता चलता है कि उनके साथ यौन उत्पीड़न या छेड़छाड़ किया जा रहा है, तो उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे उन तथ्यों को अत्यंत गोपनीयता रखते हुए निकटतम विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू) या स्थानीय पुलिस को रिपोर्ट करें, और वे शिकायत की गंभीरता और उसकी वास्तविकता के आधार पर, बच्चे या परिवार के सदस्यों पर कोई कलंक न लगाते हुए उचित अनुवर्ती कार्रवाई करें।

77.2. मीडिया कर्मियों, होटलों, लॉज, अस्पतालों, क्लबों, स्टूडियो और फोटोग्राफी सुविधाओं के प्रभारी व्यक्तियों को अधिनियम 32 सन् 2012 की धारा 20 के प्रावधानों का विधिवत पालन करना होगा और एसजेपीयू या स्थानीय पुलिस को सूचना देनी होगी। मीडिया को भी अधिनियम की धारा 23 का कड़ाई से पालन करना होगा।

77.3. बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों को शारीरिक, यौन और भावनात्मक शोषण का खतरा अधिक होता है। जिन संस्थानों में उन्हें रखा जाता है या जिस व्यक्ति की देखभाल और संरक्षण में होते हैं, उनका यह कर्तव्य है कि यदि उन्हें यौन शोषण की कोई घटना देखने को मिले, तो वे किशोर न्याय बोर्ड/एसजेपीयू या स्थानीय पुलिस को सूचित करें और वे सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करें और उचित कार्रवाई करें।

77.4. इसके अलावा, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि अपराध करने वाला स्वयं परिवार का सदस्य है, तो

अत्यधिक सावधानी बरती जाए और बच्चे की माँ या परिवार की अन्य महिला सदस्यों के परामर्श से आगे की कार्रवाई की जाए, यह ध्यान में रखते हुए कि बच्चे का सर्वोत्तम हित सर्वोपरि है।

77.5. यदि अस्पतालों, चाहे वे सरकारी हों या निजी स्वामित्व वाले हों या चिकित्सा संस्थान जहाँ बच्चों का इलाज किया जा रहा हो, को पता चलता है कि भर्ती बच्चों के साथ यौन दुर्व्यवहार हो रहा है, तो इसकी सूचना तुरंत निकटतम किशोर न्याय बोर्ड/एसजेपीयू को दी जानी चाहिए और किशोर न्याय बोर्ड, एसजेपीयू के परामर्श से, बच्चे के हितों की रक्षा हेतु कानून के अनुसार उचित कदम उठाएगा।

77.6. 18 वर्ष से कम आयु के किसी नाबालिग बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न की जानकारी मिलने के बाद भी किसी भी व्यक्ति द्वारा अपराध की सूचना न देना एक गंभीर अपराध है और इसकी सूचना न देकर वे अपराधियों को कानूनी दंड से बचा रहे हैं और इसलिए उन्हें सामान्य आपराधिक कानून के अंतर्गत उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए और कानून के अनुसार उनके विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए।

77.7. एनसीपीसीआर, एससीपीसीआर, बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) और चाइल्ड हेल्पलाइन, गैर सरकारी संगठनों या महिला संगठनों आदि को प्राप्त शिकायतों, यदि कोई हो, पर वे कानून के अनुसार निकटतम किशोर न्याय बोर्ड, एसजेपीयू या स्थानीय पुलिस के परामर्श से आगे की अनुवर्ती कार्रवाई कर सकते हैं।

77.8. केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को निर्देश दिया जाता है कि यदि पहले से गठित नहीं हैं, तो सभी जिलों में एसजेपीयू का गठन करें और उन्हें किशोर न्याय बोर्ड के परामर्श से बच्चे की देखभाल और सुरक्षा के लिए त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करनी होगी और साथ ही अपराध करने वाले के खिलाफ उचित कदम उठाने होंगे।

77.9. केंद्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार को अधिनियम 32 सन् 2012 की धारा 43 के अंतर्गत अधिनियम के प्रावधानों का प्रसार करने के लिए सभी उपाय करने चाहिए ताकि आम जनता, बच्चों के साथ-साथ उनके माता-पिता और अभिभावकों को अधिनियम के प्रावधानों के बारे में नियमित अंतराल पर टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट मीडिया सहित मीडिया के माध्यम से जागरूक किया जा सके।"

253. इस न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य बनाम मारोती (2023) 4 एससीसी 298 में अपने निर्णय में, पॉक्सो अधिनियम की धारा 19 और 21 के अंतर्गत परिकल्पित दायित्वों के वास्तविक आशय की जाँच और व्याख्या की। न्यायालय ने यह धारित किया कि पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की शीघ्र और उचित सूचना देना, उक्त प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित दायित्वों का आधार है, और इससे भिन्न कोई भी दृष्टिकोण अधिनियम के मूल उद्देश्य और लक्ष्य को ही विफल कर देगा। इसने आगे कहा कि सिर्फ़ इसलिए कि धारा

19 और 21 के अंतर्गत दायित्व का निर्वहन न करने पर अल्प अवधि के कारावास की सज़ा है, इसका मतलब यह नहीं कि ऐसे अपराध को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। तदनुसार, इसने यह धारित किया गया कि बच्चों की कम उम्र और युवावस्था को शोषण से बचाने के लिए ऐसे प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। संबंधित टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं: -

"11. घोषित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत अपराध की सूचना देने का कानूनी दायित्व किसी व्यक्ति पर तब डाला जाता है जब उसे इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध किए जाने की जानकारी हो। ऐसा दायित्व उस व्यक्ति पर भी डाला जाता है जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध किए जाने की आशंका हो। धारा 19 के अंतर्गत ऐसा कानूनी दायित्व डालने के अलावा, विधानमंडल ने धारा 21 के अंतर्गत इस दायित्व के निर्वहन में विफलता को दंडनीय बनाना समीचीन समझा। यह सही है कि धारा 21(1) के अंतर्गत धारा 19 की उपधारा 1 या धारा 20 के अंतर्गत अपराध की रिपोर्ट करने में विफलता या धारा 19 की उपधारा 2 के अंतर्गत ऐसे अपराध की रिपोर्ट करने में विफलता को छह महीने तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय बनाया गया है। धारा 21 की उपधारा 2 में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी कंपनी या संस्था (चाहे किसी भी नाम ज्ञात हो) का प्रभारी होते हुए अपने अधीनस्थ के संबंध में धारा 19 की उपधारा 1 के अंतर्गत अपराध की रिपोर्ट करने में विफल रहता है, एक साल तक के कारावास या जुर्माने से दंडनीय होगा। निश्चित रूप से, ऐसे प्रावधानों को पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शामिल किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चों की कोमल उम्र का दुरुपयोग न हो और उनके बचपन और युवावस्था को शोषण से बचाया जा सके।

12. ऊपर उल्लिखित दंडात्मक प्रावधानों को देखते हुए, धारा 19(1) के अंतर्गत दायित्व का निर्वहन न करने पर केवल छह महीने की छोटी अवधि के कारावास से दंडनीय होने के कारण, कोई यह सोच सकता है कि यह कोई गंभीर अपराध नहीं है। हालाँकि, हमारे अनुसार, यह अपने आप में धारा 19 के अंतर्गत कानूनी दायित्व का निर्वहन न करने के अपराध की गंभीरता या अन्यथा का परीक्षण नहीं है, जो पॉक्सो अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत दंडनीय है। विजय मदनलाल चौधरी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ और शंकर किसनराव खाड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में दो न्यायाधीशों की पीठ के निर्णयों से हमारा मत पुष्ट होता है।

14. [...] सजा की अवधि ही अपराध की गंभीरता का सूचक नहीं है और इसे कारकों की समग्रता से आंका जाना चाहिए, विशेष रूप से उस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए जिसमें अपराध को विशिष्ट अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में विधानमंडल द्वारा मान्यता दी गई थी। इस संदर्भ में, यह नोट करना भी प्रासंगिक है कि बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, जिसे भारत ने 11.12.1992 को अनुसमर्थित किया था, राज्य पक्षों से अपेक्षा करता है कि वे बच्चों को किसी भी गैरकानूनी यौन गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रेरित करने या जबरदस्ती करने, वेश्यावृत्ति या अन्य गैरकानूनी यौन प्रथाओं आदि में बच्चों के शोषणकारी उपयोग को

रोकने के लिए सभी उपयुक्त राष्ट्रीय, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय उपाय करें। कन्वेंशन के अनुच्छेद 3 (2) और 34 ने राज्य पर बच्चों को सभी प्रकार के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से बचाने का विशिष्ट कर्तव्य रखा है।

15. पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत अपराध घटित होने की शीघ्र और उचित सूचना देना अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि इसके अंतर्गत किसी भी अपराध के घटित होने की जानकारी न मिलने पर अधिनियम का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। हम ऐसा इसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कह रहे हैं। पीड़िता और आरोपी दोनों की मेडिकल जाँच से पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामले में कई महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं। [...] हम उपरोक्त प्रावधानों का उल्लेख केवल इस तथ्य पर ज़ोर देने के लिए कर रहे हैं कि पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध की तुरंत सूचना देने से संबंधित पीड़िता की तत्काल जाँच संभव होगी और साथ ही, यदि अपराध किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा किया गया हो, तो जाँच एजेंसी बिना समय गँवाए जाँच शुरू कर सकेगी और अंततः अपराधी की गिरफ़्तारी और मेडिकल जाँच सुनिश्चित कर सकेगी। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि यौन अपराधों के संबंध में मेडिकल साक्ष्य का बहुत अधिक पुष्टिकारी महत्व होता है।"

(प्रभाव वर्धित)

254. बाल पोर्नोग्राफ़ी के प्रसार को रोकने में आईटी अधिनियम की धारा 2(डब्लू) के अंतर्गत परिभाषित "मध्यस्थों" की भूमिका महत्वपूर्ण है। आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79, जो किसी मध्यस्थ द्वारा बरती जाने वाली उचित तत्परता से संबंधित है, कुछ मामलों में ऐसे मध्यस्थों को दायित्व से छूट प्रदान करती है, यदि वे उक्त प्रावधान, विशेष रूप से उप-धारा (3)(बी) के अंतर्गत निर्धारित उचित तत्परता आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं। इसे "सुरक्षित गाह" सुरक्षा या प्रावधान के रूप में जाना जाता है। "सुरक्षित गाह" सुरक्षा का अर्थ है कि किसी मध्यस्थ को उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई या होस्ट की गई किसी भी तृतीय पक्ष सूचना, डेटा या संचार लिंक के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। उप-धारा (2) के अनुसार, इस तरह की सुरक्षा का लाभ उठाने के लिए, मध्यस्थ को सबसे पहले किसी भी तरह से तीसरे पक्ष के डेटा या सूचना के प्रसारण, प्राप्ति या संशोधन को शुरू करने में शामिल नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा आईटी अधिनियम के अंतर्गत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय उचित परिश्रम करना और केंद्र सरकार द्वारा उसकी ओर से निर्धारित किए गए अन्य दिशानिर्देशों का भी पालन करना आवश्यक है। उपर्युक्त प्रावधान की उप-धारा (3) (बी) में यह प्रावधान है कि यदि किसी मध्यस्थ को वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है या उपयुक्त सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि मध्यस्थ द्वारा नियंत्रित कंप्यूटर संसाधन में मौजूद या उससे जुड़ी किसी भी जानकारी, डेटा या संचार लिंक का उपयोग गैरकानूनी कार्य करने के लिए किया जा रहा है, तो मध्यस्थ को किसी भी तरह से सबूत से छेड़छाड़ किए बिना उस संसाधन पर उस सामग्री तक पहुंच को तुरंत हटाना या डिसेबल करना होगा। इसमें आगे कहा गया है कि धारा 79 के अंतर्गत सुरक्षा तब समाप्त हो जाती है और लागू नहीं होती है जब मध्यस्थ ने धमकी, वादा या अन्यथा किसी गैरकानूनी कार्य को करने के लिए षड्यंत्र रचा हो, उकसाया हो, सहायता की हो या प्रेरित किया हो, या "वास्तविक जानकारी" प्राप्त होने पर, या यदि मध्यस्थ, उपयुक्त सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा यह अधिसूचित किए जाने पर कि

मध्यस्थ द्वारा नियंत्रित कंप्यूटर संसाधन में मौजूद या उससे जुड़ी किसी भी जानकारी, डेटा या संचार लिंक का उपयोग गैरकानूनी कार्य करने के लिए किया जा रहा है, साक्ष्य को किसी भी तरह से नुकसान पहुँचाए बिना उस संसाधन पर उस सामग्री तक पहुँच को तुरंत हटाने या डिसेबल करने में विफल रहता है। संबंधित प्रावधान इस प्रकार है: -

"79. कतिपय मामलों में मध्यस्थ के दायित्व से छूट-

(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु उप-धारा (2) और (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई मध्यस्थ अपने द्वारा उपलब्ध कराई गई या होस्ट की गई किसी तृतीय-पक्ष सूचना, डेटा या संचार लिंक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(2) उप-धारा (1) के उपबंध लागू होंगे यदि—

(क) मध्यस्थ का कार्य किसी संचार प्रणाली तक पहुँच प्रदान करने तक सीमित है जिसके माध्यम से तृतीय-पक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना प्रेषित या अस्थायी रूप से संग्रहीत या होस्ट की जाती है; या

(ख) मध्यस्थ—

(i) प्रेषण आरंभ नहीं करता है;

(ii) प्रेषण के प्राप्तकर्ता का चयन नहीं करता है; और

(iii) प्रेषण में निहित सूचना का चयन या संशोधन नहीं करता है;

(ग) मध्यस्थ इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय सम्यक् तत्परता बरतता है और ऐसे अन्य दिशानिर्देशों का भी पालन करता है जो केंद्र सरकार इस संबंध में विहित करे।

(3) उप-धारा (1) के उपबंध लागू नहीं होंगे लागू होंगे यदि—

(क) मध्यस्थ ने धमकी, वादा या अन्यथा द्वारा, गैरकानूनी कार्य करने में षड्यंत्र रचा हो, उकसाया हो, सहायता की हो या प्रेरित किया हो;

(ख) वास्तविक ज्ञान प्राप्त होने पर, या उपयुक्त सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा अधिसूचित किए जाने पर कि मध्यस्थ द्वारा नियंत्रित किसी कंप्यूटर संसाधन में स्थित या उससे जुड़ी किसी सूचना, डेटा या संचार लिंक का उपयोग गैरकानूनी कार्य करने के लिए किया जा रहा है, मध्यस्थ किसी भी तरह से साक्ष्य को दूषित किए बिना उस संसाधन पर उस सामग्री तक पहुँच को शीघ्रता से हटाने या डिसेबल करने में विफल रहता है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, 'तृतीय-पक्ष सूचना' पद का अर्थ मध्यस्थ के रूप में किसी मध्यस्थ द्वारा संसाधित कोई भी सूचना है।"

255. यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण नियमावली, 2020 (संक्षेप में, "पॉक्सो नियमावली") का नियम 11, मध्यस्थों पर न केवल पॉक्सो के अंतर्गत अपराधों की रिपोर्ट करने का दायित्व डालता है, बल्कि उस स्रोत सहित आवश्यक सामग्री भी सौंपने का दायित्व अधिरोपित करता है जहाँ से ऐसी सामग्री विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस या साइबर अपराध पोर्टल को उत्पन्न हुई हो सकती है। गृह मंत्रालय (एमएचए) के अंतर्गत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) और अमेरिका स्थित एनजीओ नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन (एनसीएमईसी) के बीच एक समझौता ज्ञापन के अनुसार, सभी सोशल मीडिया मध्यस्थों को बाल दुर्व्यवहार और शोषण के मामलों की रिपोर्ट एनसीएमईसी को करना आवश्यक है, जो बदले में इन मामलों की रिपोर्ट एनसीआरबी को करता है और एनसीआरबी इसे राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से भारत में संबंधित राज्य प्राधिकरणों को भेजता है।

256. इस न्यायालय के संज्ञान में लाया गया है कि सोशल मीडिया मध्यस्थ, बाल दुर्व्यवहार और शोषण के ऐसे मामलों की रिपोर्ट पॉक्सो के अंतर्गत निर्दिष्ट स्थानीय प्राधिकारियों को नहीं देते हैं और केवल समझौता ज्ञापन में निर्धारित आवश्यकताओं का पालन करते हैं। पॉक्सो अधिनियम की धारा 19 और 20 सपठित पॉक्सो नियमावली का नियम 11 के हितकर उद्देश्य और अनिवार्य प्रकृति को देखते हुए, हमारा विचार है कि कोई भी मध्यस्थ, अपने द्वारा उपलब्ध कराई गई या होस्ट की गई किसी भी तृतीय-पक्ष सूचना, डेटा या संचार लिंक के लिए आईटी अधिनियम की धारा 79 के अंतर्गत दायित्व से छूट का दावा नहीं कर सकता, जब तक कि वह उचित परिश्रम न करे और पॉक्सो के इन प्रावधानों का अनुपालन न करे। हमारा यह भी मानना है कि इस उचित परिश्रम में न केवल बाल अश्लील सामग्री को हटाना शामिल है, बल्कि पॉक्सो अधिनियम और उसके अंतर्गत नियमावली के अंतर्गत निर्दिष्ट तरीके से संबंधित पुलिस इकाइयों को ऐसी सामग्री की तत्काल रिपोर्ट करना भी शामिल है।

257. पॉक्सो अधिनियम की धारा 42ए में प्रावधान है कि यह अधिनियम किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अतिरिक्त होगा, न कि उनके उल्लंघन में। साथ ही, इसमें यह भी प्रावधान है कि असंगतता की सीमा तक, इसका ऐसे किसी भी कानून के प्रावधानों पर अधिभावी प्रभाव होगा। संबंधित प्रावधान इस प्रकार है: -

"42ए. अधिनियम का किसी अन्य विधि के विरोध में न होना-

इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके विरोध में और किसी असंगति की स्थिति में, इस अधिनियम के उपबंध असंगति की सीमा तक ऐसे किसी भी विधि के उपबंधों पर अधिभावी प्रभाव डालेंगे।"

258. पॉक्सो अधिनियम और उसके अंतर्गत नियमावली के सर्वोपरि प्रभाव को देखते हुए, केवल इसलिए कि कोई मध्यस्थ आईटी अधिनियम की धारा 79 के अंतर्गत निर्दिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन करता है,

उसे पॉक्सो के अंतर्गत किसी भी दायित्व से मुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह इसके अंतर्गत निर्धारित आवश्यकताओं और प्रक्रिया का विधिवत अनुपालन नहीं करता है, विशेष रूप से पॉक्सो अधिनियम की धारा 20 और पॉक्सो नियमावली के नियम 11 का। कानून की यह स्थापित स्थिति है कि जब कोई कानून किसी चीज को किसी विशेष तरीके से करने का वर्णन करता है या उसे करने की आवश्यकता बताता है; तो उसे उसी तरीके से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार, सोशल मीडिया मध्यस्थों को पॉक्सो के अंतर्गत किसी अपराध के घटित होने या घटित होने की आशंका की सूचना राष्ट्रीय गुमशुदा एवं शोषित बच्चों के केंद्र (एनसीएमईसी) को देने के अलावा पॉक्सो की धारा 19 के अंतर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारियों अर्थात् विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू) या स्थानीय पुलिस को भी इसकी सूचना देने की बाध्यता है।

259. हम शंकर किसनराव खाड़े (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए दृष्टिकोण और निर्देशों का अनुमोदन करते हैं और हमारा सुविचारित मत है कि पॉक्सो के प्रावधानों को सार्थक प्रभाव तभी दिया जा सकता है जब ऐसे निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाए। हम न्यायालयों को पॉक्सो की धारा 21 के अंतर्गत अपराधों में किसी भी प्रकार की नरमी या छूट दिखाने से बचने के लिए आगाह करते हैं, विशेष रूप से स्कूलों/ शैक्षणिक संस्थानों, विशेष गृहों, बाल गृहों, आश्रय गृहों, छात्रावासों, रिमांड होम, जेलों आदि के प्रति, जो पॉक्सो के अंतर्गत बाल दुर्व्यवहार या शोषण के किसी अपराध या घटना के होने या होने की आशंका की सूचना देने के अपने दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहे हैं। पॉक्सो की धारा(धाराएँ) 19, 20 और 21 प्रकृति में अनिवार्य हैं, और इन प्रावधानों के हितकर उद्देश्य और तात्पर्य को कमजोर नहीं किया जा सकता है। केवल इसलिए कि धारा 21 में दंड की कम सीमा निर्धारित की गई है, यह किसी भी तरह से उस अपराध की गंभीरता या उग्रता को कम नहीं करता है जिसके लिए दंड की मांग की गई है, जैसा कि मारोती (उपरोक्त) में धारित किया गया है। कानून की यह स्थापित स्थिति है कि दंड की अवधि अपराध की उग्रता का एकमात्र संकेतक नहीं है और इसका मूल्यांकन कई कारकों के आधार पर किया जाना चाहिए, विशेष रूप से उस विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में, जिसमें विधायिका द्वारा अपराध को मान्यता दी गई- अर्थात् संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन, विशेष रूप से उक्त सम्मेलन के अनुच्छेद 3(2) और 34।

ii. भारत संघ और न्यायालयों के लिए सुझाव

260. हम भारत संघ और उसके महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को निम्नलिखित सुझाव देने का प्रस्ताव करते हैं: -

(i) संसद को "बाल पोर्नोग्राफी" शब्द के स्थान पर "बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री" (सीएसईएएम) शब्द रखने के उद्देश्य से पॉक्सो में संशोधन लाने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए ताकि ऐसे अपराधों की वास्तविकता को और अधिक सटीक रूप से दर्शाया जा सके। इस बीच, भारत संघ एक अध्यादेश के माध्यम से

पॉक्सो में सुझाए गए संशोधन को लागू करने पर विचार कर सकता है।

(ii) हम अदालतों को निर्देशित करते हैं कि किसी भी न्यायिक आदेश या निर्णय में "बाल अश्लीलता" शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके बजाय "बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री" (सीएसईएएम) शब्द का उपयोग किया जाना चाहिए।

(iii) व्यापक यौन शिक्षा कार्यक्रमों को लागू करना, जिसमें बाल अश्लीलता के कानूनी और नैतिक परिणामों के बारे में जानकारी शामिल हो, संभावित अपराधियों को रोकने में मदद कर सकता है। इन कार्यक्रमों को आम भ्रांतियों को दूर करना चाहिए और युवाओं को सहमति और शोषण के प्रभाव की स्पष्ट समझ प्रदान करनी चाहिए।
(iv) पीड़ितों को सहायता सेवाएँ और अपराधियों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम प्रदान करना आवश्यक है। इन सेवाओं में मनोवैज्ञानिक परामर्श, चिकित्सीय हस्तक्षेप और शैक्षिक सहायता शामिल होनी चाहिए ताकि अंतर्निहित समस्याओं का समाधान किया जा सके और स्वस्थ विकास को बढ़ावा दिया जा सके। जो लोग पहले से ही बाल पोर्नोग्राफ़ी देखने या वितरित करने में शामिल हैं, उनके लिए सीबीटी उन संज्ञानात्मक विकृतियों को दूर करने में कारगर साबित हुआ है जो इस तरह के व्यवहार को बढ़ावा देती हैं। चिकित्सा कार्यक्रमों का ध्यान सहानुभूति विकसित करने, पीड़ितों को हुए नुकसान को समझने और समस्याग्रस्त विचार पैटर्न को बदलने पर होना चाहिए।

(v) सार्वजनिक अभियानों के माध्यम से बाल यौन शोषण सामग्री की वास्तविकताओं और उसके परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने से इसकी व्यापकता को कम करने में मदद मिल सकती है। इन अभियानों का उद्देश्य रिपोर्टिंग को कलंकमुक्त करना और सामुदायिक सतर्कता को प्रोत्साहित करना होना चाहिए।

(vi) जोखिम वाले व्यक्तियों की शीघ्र पहचान करना तथा समस्याग्रस्त यौन व्यवहार (पीएसबी) वाले युवाओं के लिए हस्तक्षेप रणनीतियों को लागू करना, इसमें कई चरण शामिल हैं तथा इसके लिए शिक्षकों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, कानून प्रवर्तन और बाल कल्याण सेवाओं सहित विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वित प्रयास की आवश्यकता होती है। शिक्षकों, स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों को पीएसबी के लक्षणों की पहचान करने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जागरूकता कार्यक्रम इन पेशेवरों को प्रारंभिक चेतावनी संकेतों को पहचानने और उचित प्रतिक्रिया देने में मदद कर सकते हैं।

(vii) स्कूल भी प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्कूल-आधारित कार्यक्रमों को लागू करना जो छात्रों को स्वस्थ संबंधों, सहमति और उचित व्यवहार के बारे में शिक्षित करते हैं, यौन शोषण को रोकने में मदद कर सकते हैं।

(viii) उपरोक्त सुझावों को सार्थक रूप देने और आवश्यक तौर-तरीकों पर काम करने के लिए, भारत संघ एक विशेषज्ञ समिति के गठन पर विचार कर सकता है जिसका कार्य स्वास्थ्य और यौन शिक्षा के लिए एक व्यापक कार्यक्रम या तंत्र तैयार करना, साथ ही देश भर के बच्चों में कम उम्र से ही पॉक्सो के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, ताकि बाल संरक्षण, शिक्षा और यौन कल्याण के लिए एक मजबूत और सुविचारित दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सके।

(ix) हम संसद से पॉक्सो की धारा 15 की उपधारा (1) में संशोधन पर विचार करने का आग्रह करते हैं ताकि उक्त प्रावधान के प्रयोजनार्थ, निर्दिष्ट प्राधिकारियों को यौन शोषण के संग्रहण या कब्जे की किसी भी घटना की ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रिपोर्ट करना आम जनता के लिए अधिक सुविधाजनक हो सके।

छ. अंतिम आदेश

261. उपरोक्त सभी कारणों से, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करते समय घोर त्रुटि की है। हमारे पास उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को अपास्त करने और विशेष एस.सी. सं. 170 सन् 2023 के अंतर्गत आपराधिक कार्यवाही को सत्र न्यायाधीश, महिला नीति मंद्रम (फास्ट ट्रैक कोर्ट), तिरुवल्लूर जिले की अदालत में पुनः स्थापित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तदनुसार, हम ऐसा आदेश पारित करते हैं।

262. हम रजिस्ट्री को निर्देश देते हैं कि इस निर्णय की एक-एक प्रति प्रधान सचिव, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत संघ तथा प्रधान सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत संघ को उचित कार्रवाई हेतु भेजी जाए।

263. लंबित आवेदन/आवेदनों, को भी निस्तारित किया जाता है।

.....
भारत के मुख्य न्यायाधीश
(डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़)

.....
(न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला)

आभार अभिव्यक्ति

परम सम्मान के साथ, हम **माननीय ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन कमेटी, उच्चतम न्यायालय** का विशेष आभार व्यक्त करते हैं, जिनकी दूरदर्शिता और मार्गदर्शन से न्यायिक निर्णयों को आम जनमानस की भाषा में उपलब्ध कराया जा सका।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की **ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइज़री, ई-एएचसीआर** एवं **आईएलआर कमेटी** के तत्वावधान में **सुवास प्रकोष्ठ** द्वारा **ई-इलाहाबाद उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका एवं त्रैमासिक ई-पत्रिका "न्यायाभा - न्याय की किरण"** के प्रकाशन के साथ ही **"ई-पुस्तिका स्वरूप में ऐतिहासिक निर्णय"** का प्रकाशन किया जा रहा है। यह कड़ी, न्यायिक एवं विधिक ज्ञान के विस्तार का महत्वपूर्ण साधन बन रही है।

इस ई-पुस्तिका के प्रथम संस्करण में ऐतिहासिक **मुक़दमा चौरी चौरा**, द्वितीय संस्करण में **केशव सिंह प्रकरण,** तृतीय संस्करण में **आगरा षड्यंत्र प्रकरण,** चतुर्थ संस्करण में **कानपुर बम विस्फोट प्रकरण** एवं पंचम संस्करण ऐतिहासिक **राज नारायण बनाम इंदिरा नेहरू गांधी** का प्रकाशन किया गया तथा यह छठवां संस्करण महत्वपूर्ण प्रकरण **'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन एलाइंस एवं अन्य बनाम एस. हरीश एवं अन्य'** को समर्पित है।

इस अवसर पर हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के **माननीय मुख्य न्यायमूर्ति श्री अरुण भंसाली जी** का विशेष आभार व्यक्त करते हैं, जिनके संरक्षण और मार्गदर्शन में यह कार्य संभव हो पाया है। **ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइज़री, ई-एएचसीआर एवं आईएलआर कमेटी** के **माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अजित कुमार जी**, जिन्होंने ऐतिहासिक निर्णयों की पुस्तिका के प्रकाशन का विचार प्रस्तुत किया और संपादक मंडल का कुशल नेतृत्व किया एवं **समिति के सदस्यगण माननीय न्यायमूर्ति श्री समीर जैन जी, माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रम डी. चौहान जी एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक कुमार सिंह जी** का हृदय से धन्यवाद, जिनके दिशा-निर्देशन में यह प्रकाशन साकार हो रहा है।

इसके साथ ही, हम **माननीया न्यायमूर्ति सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी जी** का सहृदय विशेष आभार व्यक्त करते है जिन्होंने इस प्रकरण में एक अधिवक्ता के रूप में, बाल सुरक्षा एवं उनके सुरक्षित भविष्य के लिए सशक्त पक्ष रखा तथा इस प्रकाशन के लिए एक माननीया न्यायमूर्ति के रूप में अपना अमूल्य "प्राक्कथन" प्रदान कर इस प्रकाशन को गौरवान्वित किया। इस प्रकाशन प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु हम, **श्री मंजीत सिंह श्योराण**, विद्वान महानिबंधक, इलाहाबाद उच्च न्यायालय को विशेष धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।

इस प्रकाशन को साकार बनाने और उनके अमूल्य योगदान के लिए, हम माननीय कमेटी के माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्यगण के निजी सचिवगण एवं सुवास प्रकोष्ठ के सभी सदस्यों एवं तकनीकी विशेषज्ञों का आभार व्यक्त करने के साथ ही आशा करते हैं कि यह प्रकाशन न्यायिक ज्ञान के प्रसार में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा।

संपादक मण्डल

सुवास प्रकोष्ठ की संरचना

संयुक्त निबंधक
श्री विवेक श्रीवास्तव

सहायक निबंधक
श्री गोपाल सिंह बिष्ट (लखनऊ)

अनुभाग अधिकारी
सर्वश्री डॉ० मो. शहाब सिद्दीकी, सुधीर तिवारी, विनोद कुमार त्रिपाठी, सुनील कुमार कुशवाहा, राजेश तिवारी (लखनऊ)

समीक्षा अधिकारी
सर्वश्री राधा रमन, डॉ० अनुपम श्रीवास्तव, देवेंद्र सिंह, अमित कुमार पांडे, सुश्री प्रियंका गौतम, सुश्री आकृति मिश्रा, श्री सत्येन्द्र कुमार द्विवेदी, श्री धरिन्द्र प्रताप, श्री मनीष कुमार सिंह, सुश्री शालिनी सिंह, सुश्री अंजलि कुशवाहा

समीक्षा अधिकारी (हिन्दी)
सर्वश्री प्रियरंजन, कुलदीप निगम, आदित्य मिश्रा, सुश्री अक्षिता चौधरी, सर्वेश कुमार वर्मा, शुभम पांडे, शुभम गुप्ता, सूरज गोस्वामी, सैयद असीम रसीद, जय शंकर यादव, प्रदीप कौशल, सुश्री अंकिता सचान, आशुतोष कुमार (लखनऊ), गजेन्द्र प्रताप सिंह (लखनऊ), श्रीमती काव्या यादव (लखनऊ), जितेंद्र कुमार (लखनऊ)

निर्णय अनुवादक (संविदा कर्मी)
सर्वश्री मनीष पाण्डेय, दिलीप शुक्ला, मनीष मिश्रा, उमेश शुक्ला

वेब डेवलपर (संविदा कर्मी)
अमरजीत यादव

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
सुश्री प्रिया त्यागी, श्री राकेश कुमार

संपादक मण्डल

वरिष्ठ संपादक

श्री विजय कुमार सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री विनय सरन, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री समीर शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता

संपादक मण्डल

श्री अजय चंद्र गुप्ता
श्री अनिल मिश्र
श्री आशीष सिंह
श्री अनिल गुप्ता
श्री आशीष कुमार
श्री अश्वनी कुमार श्रीवास्तव
सुश्री अर्चना सिंह
श्री आशुतोष कुमार राय
श्री ईश शरन
सुश्री गौरी दूबे
श्री कार्तिकेय सिंह
श्री कुणाल शाह
सुश्री निधि वर्मा
श्री पंकज कुमार अस्थाना
सुश्री साधना सिंह
श्री श्रेयस श्रीवास्तव
सुश्री सिमरन यादव
सुश्री सोनाक्षी अरोरा
श्री विनायक वर्मा
श्री यावर मुख्तार

पदेन सदस्य

डॉ अनिल कुमार सिंह - II (उ.न्या.सेवा / समिति के प्रस्तुतकर्ता अधिकारी)-समन्वयक-संपादक मण्डल
श्री विवेक श्रीवास्तव, संयुक्त-निबंधक, सुवास प्रकोष्ठ, इलाहाबाद
श्री विनोद कुमार त्रिपाठी, अनुभाग अधिकारी, सुवास प्रकोष्ठ, इलाहाबाद
डॉ. अनुपम श्रीवास्तव, समीक्षा अधिकारी, सुवास प्रकोष्ठ, इलाहाबाद
श्री मनीष कुमार सिंह, समीक्षा अधिकारी, सुवास प्रकोष्ठ, इलाहाबाद

सुवास प्रकोष्ठ के अन्य प्रकाशन

न्यायाभा
न्याय की किरण

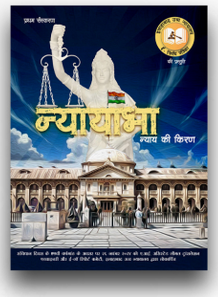

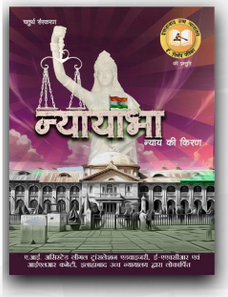

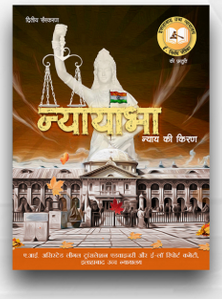

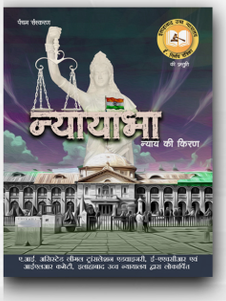

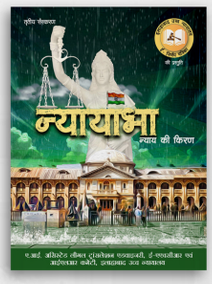

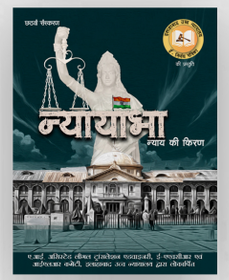

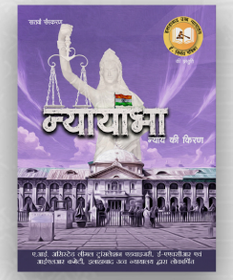

ई-पुस्तिका स्वरूप में ऐतिहासिक निर्णय

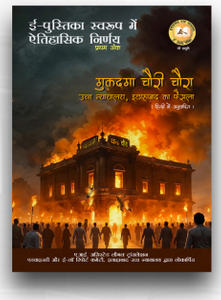

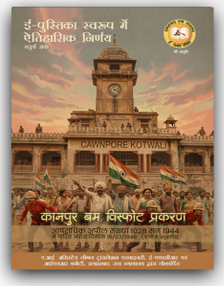

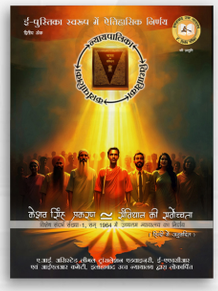

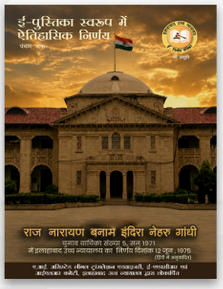

महत्वपूर्ण निर्देश/सुझाव

- बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री (CSEAM) को देखना, डाउनलोड करना या अपने पास रखना पॉक्सो एक्ट (POCSO Act, 2012) और आईटी एक्ट (IT Act, 2000) के अंतर्गत गंभीर अपराध है
- "बाल पोर्नोग्राफी" शब्द के स्थान पर "बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री" (सीएसईएएम) शब्द का प्रयोग किया जाए।
- न्यायिक आदेश या निर्णय में "बाल अश्लीलता" शब्द की जगह "बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री" (सीएसईएएम) शब्द का उपयोग किया जाए।
- व्यापक यौन शिक्षा कार्यक्रमों को लागू किया जाए।
- पीड़ितों को सहायता सेवाएँ और अपराधियों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम प्रदान किये जाए।
- सार्वजनिक अभियानों के माध्यम से बाल यौन शोषण सामग्री की वास्तविकताओं और उसके परिणामों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दिया जाए।
- जोखिम वाले व्यक्तियों की शीघ्र पहचान करना तथा समस्याग्रस्त यौन व्यवहार (पीएसबी) वाले युवाओं के लिए उपचारात्मक रणनीतियों को लागू किया जाए।
- स्कूल-आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रों को स्वस्थ संबंधों, सहमति और उचित व्यवहार के बारे में शिक्षित किया जाए।
- सुझावों को सार्थक रूप देने और आवश्यक तौर-तरीकों पर काम करने के लिए, भारत संघ द्वारा एक विशेषज्ञ समिति गठित की जाए।
- संसद से पॉक्सो की धारा 15 की उपधारा (1) में संशोधन पर विचार किया जाए।

ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी, ई-एएचसीआर एवं आईएलआर कमेटी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा लोकार्पित